LOK SABHA DEBATES

(Part I — Proceedings with Questions and Answers)

The House met at Eleven of the Clock

Tuesday, December 16, 2025 /Agrahayana 25, 1947 (Saka)

HON’BLE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri N. K. Premachandran

Shri Jagdambika Pal

Shri P. C. Mohan

Shrimati Sandhya Ray

Shri Dilip Saikia

Kumari Selja

Shri Raja A.

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

Shri Krishna Prasad Tenneti

Shri Awadhesh Prasad

LOK SABHA DEBATES

PART I – QUESTIONS AND ANSWERS

Tuesday, December 16, 2025 / Agrahayana 25, 1947 (Saka)

CONTENTS **PAGES**

ORAL ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 221 – 227)	**1 – 30**
WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 228 – 240)	**31 – 50**
WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS (U.S.Q. NO. 2531 – 2760)	**51 – 280**

Uncorrected – Not for Publication **LSS-D-II**

सत्यमेव जयते

LOK SABHA DEBATES

(Part II - Proceedings other than Questions and Answers)

Tuesday, December 16, 2025 / Agrahayana 25, 1947 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

PART II – PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Tuesday, December 16, 2025 / Agrahayana 25, 1947 (Saka)

C ON T E N T S	P A G E S
RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION	281
PAPERS LAID ON THE TABLE	281 - 96
STANDING COMMITTEE ON ENERGY Statement	297
STANDING COMMITTEE ON RAILWAYS 6th Report	297
STANDING COMMITTEE ON RAILWAYS Statements	297
STANDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ 22nd and 23rd Report	298
STATEMENTS RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 191ST AND 192ND REPORTS OF STANDING COMMITTEE ON COMMERCE – LAID Shri Arjun Rem Meghwal	298 - 99
STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 2ND REPORT OF STANDING COMMITTEE ON LABOUR, TEXTILES AND SKILL DEVELOPMENT – LAID Shri Pabitra Margherita	299
MOTION RE: REFERENCE OF VIKSIT BHARAT SHIKSHA ADHISHTHAN BILL TO JOINT COMMITTEE	300 - 02

BILLS INTRODUCED	**303 - 20**
(I) Sabka Bima Sabki Raksha (Amendment of Insurance Laws) Bill	**303 - 10**
(II) Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB – G RAM G *(* विकसित भारत – जी राम जी*)* Bill	**311 - 20**
MATTERS UNDER RULE 377 – LAID	**321 - 36**
Shri Brijmohan Agrawal	**321**
Shri Mukeshkumar Chandrakaant Dalal	**322**
Shri Bunty Vivek Sahu	**323**
Shri Rajiv Pratap Rudy	**323**
Shri Vishnu Dayal Ram	**324**
Shri Vijay Kumar Dubey	**324**
Shri Rahul Singh Lodhi	**325**
Shri Parbhubhai Nagarbhai Vasava	**325**
Shrimati Mala Rajyalaxmi Shah	**326**
Shri Bidyut Baran Mahato	**326**
Dr. Vinod Kumar Bind	**327**
Shri Anup Sanjay Dhotre	**327**
Shrimati Mahima Kumari Mewar	**328**
Shri Murari Lal Meena	**328**
Adv. Gowaal Kagada Padavi	**329**
Shri Harish Chandra Meena	**330**
Shri Saleng A. Sangma	**330**
Shri Suresh Kumar Shetkar	**331**
Shri Awadhesh Prasad	**331**

Shri Harendra Singh Malik	332
Shri Yusuf Pathan	332
Shri S. Jagathratchakan	333
Shri Bastipati Nagaraju	333
Shri Shrirang Appa Chandu Barne	334
Shri Rajesh Verma	334
Shri Abhay Kumar Sinha	335
Shri Tangella Uday Srinivas	335
Shri Sunil Dattatrey Tatkare	336
Adv. Chandra Shekhar	336
REPEALING AND AMENDING BILL	337 - 85
Motion for Consideration	337
Shri Arjun Ram Meghwal	337 - 38
Adv. Dean Kuriakose	339 - 41
Shri Manoj Tiwari	342 - 44
Shri Lalji Verma	345 - 46
Dr. Kalanidhi Veeraswamy	347 - 49
Shri Sribharat Mathukumilli	350 - 52
Shri Kalyan Banerjee	353 - 54
Shri Kaushalendra Kumar	355
Shri Ummeda Ram Beniwal	356 - 57
Shri Damodar Agrawal	358 - 59
Shri Abhay Kumar Sinha	360
@ Shri S. Venkatesan	361

@ For English translation of the speech made by the hon. Member, Shri S. Venkatesan, in Tamil, please see the Supplement (PP 361A).

Shri Balya Mama Suresh Gopinath Mhatre	362
Shri Shrirang Appa Chandu Barne	363 - 64
Shri Sudama Prasad	365
@ Shri Selvaraj V.	366
Adv. Gowaal Kagada Padavi	367 - 68
Shri Ramesh Awasthi	369 - 70
Shri Maddila Gurumoorthy	371
Shri Umeshbhai Babubhai Patel	372 - 73
Shri Abdul Rashid Sheikh	374
Shri Rajesh Ranjan	375 - 76
Dr. Prashant Yadaorao Padole	377 - 78
Shri Raju Bista	379 - 80
Shri Gurmeet Singh Meet Hayer	381
Shri Hanuman Beniwal	382
Shri Arjun Ram Meghwal	383 - 85
Motion for Consideration – Adopted	385
Consideration of Clauses	385
Motion to Pass	385
SABKA BIMA SABKI RAKSHA (AMENDMENT OF INSURANCE LAWS) BILL	386 - 477
Motion for Consideration	386
Shrimati Nirmala Sitharaman	386 - 87
Shri B. Manickam Tagore	388 - 89
Shri Konda Vishweshwar Reddy	390 - 94

@ For English translation of the speech made by the hon. Member, Shri Selvaraj V. in Tamil, please see the Supplement (PP 366A).

Shri Utkarsh Verma Madhur	**395 - 96**
Shri Satabdi Roy Banerjee	**397 - 99**
Shri G.M. Harish Balayogi	**400 - 01**
Shri Rajabhau Parag Prakash Waje	**402**
@ Shri Bhaskar Mulidhar Bhagare	**403**
Shri Ravindra Dattaram Waikar	**404 - 06**
# Shri G. Kumar Naik	**407**
Shrimati Kamaljeet Sehrawat	**408 - 10**
Shri D.M. Kathir Anand	**411 - 13**
Shrimati Shambhavi	**414 - 15**
Shri Rajeev Rai	**416 - 18**
Shri Abhay Kumar Sinha	**419**
Shri Lavu Sri Krishna Devarayalu	**420 - 21**
Shri Malvinder Singh Kang	**422**
Shri Hamdullah Sayeed	**423 - 24**
Dr. Manna Lal Rawat	**425 - 26**
Shri Y.S. Avinash Reddy	**427**
Shri K. Radhakrishnan	**428**
Shri E.T. Mohammed Basheer	**429 - 30**
% Shri Selvaraj V.	**431**
Shri N.K. Premachandran	**432 - 34**

@ For English translation of the speech made by the hon. Member, Shri Bhaskar Murlidhar Bhagare, in Marathi, please see the Supplement (PP 403A to 403B).

 # For English translation of the speech made by the hon. Member, Shri G. Kumar Naik, in Kannada, please see the Supplement (PP 407A to 407C).

% For English translation of the speech made by the hon. Member, Shri Selvaraj V. in Tamil, please see the Supplement (PP 431A to 431B).

@ Shri Ve. Vaithilingam	435
Adv. Francis George	436 - 37
Shri Darshan Singh Choudhary	438 - 39
Shri Shyamkumar Daulat Barve	440 - 41
Shri Hanuman Beniwal	442
Shri Vishaldada Prakashbapu Patil	443
Shri Abdul Rashid Sheikh	444
Shri Rajkumar Roat	445
Shri Umeshbhai Babubhai Patel	446
Shri Rajesh Ranjan	447
Adv. Chandra Shekhar	448
Shri Sudama Prasad	449
Shri Rajmohan Unnithan	450 - 51
Shrimati Manju Sharma	452 - 53
Shrimati Nirmala Sitharaman	454 - 67
Motion for Consideration – Adopted	468
Consideration of Clauses	468 - 77
Motion to Pass	477

xxxx

@ For English translation of the speech made by the hon. Member, Shri Ve. Vaithilingam, in Tamil , please see the Supplement (PP 435A to 435B).

LOK SABHA DEBATES

PART II –PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Tuesday, December 16, 2025 / Agrahayana 25, 1947 (Saka)

S U P P L E M E N T

CONTENTS			PAGES
XXX	XXX	XXX	XXX
xxx	xxx	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx	
xxx	xxx	xxx	xxx
REPEALING AND AMENDING BILL			361A & 366A
xxx	xxx	xxx	xxx
Shri S. Venkatesan			361A
xxx	xxx	xxx	xxx
Shri Selvaraj V.			366A
xxx	xxx	xxx	xxx
SABKA BIMA SABKI RAKSHA (AMENDMENT OF INSURANCE LAWS) BILL			403A - 03B & 407A - 07C & 431A - 31B & 435A - 35B
xxx	xxx	xxx	xxx
Shri Bhaskar Mulidhar Bhagare			403A - 03B
xxx	xxx	xxx	xxx
Shri G. Kumar Naik			407A - 07C
xxx	xxx	xxx	xxx
Shri Selvaraj V.			431A - 31B
xxx	xxx	xxx	xxx
Shri Ve. Vaithilingam			435A - 35B

(1100/GTJ/PC)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल - प्रश्न संख्या 221

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन ऑवर के बाद जब बिल इंट्रोड्यूस होगा, तब आप विरोध कर लीजिएगा।

(Q. 221)

SHRI RAJABHAU PARAG PRAKASH WAJE (NASHIK): Hon. Speaker, Sir, the hon. Minister has stated that a Multi Model Logistics Park at Nashik, with an estimated cost of Rs. 850 crore, has been proposed to be developed by the National Highway Logistics Management Limited under the Ministry of Road, Transport and Highways.

I would like to know from the hon. Minister, if the first phase of the Nashik MMLP itself is expected to take three years, what is the total timeline for the project to become fully operational?

SHRI PIYUSH GOYAL: Hon. Speaker, Sir, at the present juncture, a study has been carried out and based on that study, it has been found that we should consider setting up of our logistics parks. Once the final contours of the study are ready, we will have to approve that project in consultation with the State Government. The timeline has not yet been fixed, but I can estimate broadly that once it is approved, in about two or two and half years, we should be able to complete the project.

SHRI RAJABHAU PARAG PRAKASH WAJE (NASHIK): Sir, given the rising logistics cost, post-harvest losses and farmers' distress in Nashik district, has the Government any interim logistics or cold chain solutions until the Multi Model Logistics Park becoming operational?

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, I do not agree with the hon. Member that at the present juncture, the farmers in the area are suffering distress as he points out. Certainly, the logistics park will help them increase their ability to store goods for longer period, and get a better value for their produce. But I can assure the hon. Member that in the interim, several measures have been taken from time to time to ensure that the farmers get a fair price for their produce and do not suffer any losses.

श्री नरेश गणपत म्हस्के (ठाणे) : माननीय मंत्री जी, सप्लाई चेन को कुशल बनाने के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और सेज़ के पास मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करना समय की मांग है, जहां वेयरहाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज और कस्टम क्लियरेंस जैसी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिलें।

महोदय, ठाणे की रणनीतिक स्थिति और वहां के बड़े औद्योगिक क्षेत्र को देखते हुए क्या सरकार वहां पीपीपी मॉडल के तहत ऐसा लॉजिस्टिक पार्क बनाने की योजना बना रही है, ताकि फ्रेट-विलेज और एग्जिम जोन के साथ मिलकर स्थानीय उद्योगों को बड़े पैमाने पर लाभ मिल सके?

श्री पीयूष गोयल : अध्यक्ष महोदय, ठाणे की आज की भौगोलिक स्थिति देखते हुए मैं समझ सकता हूं कि माननीय सदस्य का सुझाव है कि वहां पर भी मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बने। अभी की स्टडी के माध्यम से नासिक आइडेंटिफाई हुआ है। आगे चलकर हम ठाणे को भी स्टडी करेंगे। अगर वहां की भी वायबिलिटी निकलती है, तो अवश्य हम उस पर विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह सुझाव अच्छा है कि इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में किया जाए। इससे उसकी एफिशिएंसी भी ज्यादा अच्छी होगी, गति भी ज्यादा अच्छी होगी। अत: इस सुझाव को हम जरूर मद्देनज़र रखेंगे।

(1105/SRG/RHL)

SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): Sir, my question is related to Question Number 232. Regarding that, I want to ask a supplementary question to the hon. Minister. Question Number 232 has been listed today.

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप तो तैयारी से आये होंगे न?

SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): The Government lists portals, missions and platforms. Can the hon. Minister tell this House how many MSME exporters have actually received financial support for costly SPS and TBT compliance? How many shipment rejections or port detentions have reduced because of these schemes? If the Ministry has no impact data, is it not true that these initiatives remain announcements without accountability, especially for small exporters struggling to survive?

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, the fisheries sector is one sector on which both the Department of Fisheries and MPEDA under the Commerce Ministry are extremely focused and are continuously making sure that we can diversify our fish exports to be able to ensure growth.

I am happy to share with the House, through you Sir, and the hon. Member, that despite all the global uncertainties, in the first seven months up to October, the marine exports have shown a nearly 20 per cent growth, which is very creditable considering that there are anti-dumping duties in certain countries, and for a long time, many fish establishments did not get their approvals from other countries.

I am also happy to share with the House, through you Sir, that in the last 12 months, we have been successful in getting 102 marine fish export establishments registered in the 27-nation European Union bloc. We have also got about 25 fish establishments registered and approved by Russia, and many more are under the approval process in both the European regions. This will provide a huge avenue for further growth. Hon. Minister of Fisheries, Mr. Rajiv Lalan Singh ji and I are continuously monitoring to make sure that this sector progresses well.

As regard the cost for mandatory and occasional voluntary certifications, we have just approved a scheme for Rs. 25,000 crore called the Niryat Disha, which is a part of the Export Promotion Mission. In Niryat Disha, we are working out the specific scheme guidelines, which will be issued very shortly. We intend to cover the costs for mandatory standards and certifications that are required by the importing countries. It will help many more people get into the export of fish, and our effort will be to diversify the market and encourage new fishery farmers and fishing establishments to look at export rather than just look at the domestic market.

(ends)

(प्रश्न 222)

श्री अरुप चक्रवर्ती (बांकुरा) : सर, पिछले दो साल में पीएम किसान योजना में कितना बजट आवंटित हुआ था, उसमें कितना खर्च हुआ? एक साल में कितना खर्च हुआ उसकी रिपोर्ट भी नहीं है। पिछले दो साल में किसान सम्मान निधि योजना में कितने बेनिफिशियरीज़ हैं, कितने नाम नोटिफाई किये गये हैं, कितनी संख्या नोटिफाई की गयी है? यह हम जानना चाहते हैं। पिछले दो साल में कितने किसानों का नाम नोटिफाई किया गया है, कितने किसानों को सुविधा मिली है, कितने को नहीं मिली है? मेरा दूसरा पूरक है...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : पहले एक का जवाब देने के बाद आप फिर से सप्लीमेंट्री पूछ लेना।

(1110/KN/HDK)

श्री राम नाथ ठाकुर : अध्यक्ष महोदय**,** माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है**,** वह उनके राज्य से संबंधित है। उन्होंने 7 किश्तों तक राज्य को लाभान्वित नहीं किया**,** भारत सरकार की योजना को लागू नहीं किया, अब वे पूछ रहे हैं कि दो वर्ष में क्या बजट था? हम किसानों के लिए**,** उनकी मांगों के लिए पूरा बजट देने के लिए तैयार है**,** लेकिन आप अपने राज्य में उसे लागू नहीं कर रहे हैं। यह जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। कृषि विभाग किसानों के हित के बारे में सोचता है और केन्द्र सरकार किसानों के फायदे के लिए योजनाओं को लागू करती है। उन योजनाओं को लागू करने में राज्य सरकार को कोई हर्ज नहीं होना चाहिए था**,** लेकिन उनको हर्ज क्यों हुआ**,** वह तो स्टेट गवर्नमेंट ही बताएगी।

SHRI ARUP CHAKRABORTY (BANKURA): Sir, I am not satisfied with the answer I am getting the from the hon. Minister. वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट 1 करोड़ 9 लाख किसानों को पांच-पांच हजार रुपये करके दो बार पैसे देती है। हम लोग विरोध नहीं करते हैं**,** लेकिन जो बात बोली गई है**,** वह गलत है।

Secondly, Sir, I am very sorry to inform you that पार्लियामेंट में हम लोग जितने मैम्बर्स हैं**,** सांसद निधि के रूप में सबको 5 करोड़ रुपये ईयरली दिए जाते हैं। हम गरीब आदमी के छोटे-छोटे काम के लिए जो पैसे देते हैं**,** उसमें देखा जाता है कि 5 करोड़ रुपये में से 18 परसेंट पैसे जीएसटी के रूप में ले लेते हैं। हमें 5 करोड़ रुपये नहीं मिलते हैं। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य यह प्रश्न इससे संबंधित नहीं है।

श्री अरुप चक्रवर्ती (बांकुरा) : सर**,** हम किसानों की मदद भी नहीं कर पाते हैं। अगर कोई किसान अपनी 4 बीघे की जमीन में खेती का काम करेगा और हमसे सबमर्सिबल पंप की मदद मांगेगा तो हमारे पास पैसे नहीं है। आप हमें 5 करोड़ रुपये नहीं देते हैं।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री राम नाथ ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, यह विषय इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। कृषि विभाग ने किसानों के लाभ के लिए जो योजनाएं दी हैं, उनको लागू करना स्टेट गवर्नमेंट का काम है। एमपी फंड का इस प्रश्न से कोई संबंध नहीं है।

*SHRI ESWARASAMY K. (POLLACHI): Hon Speaker Sir, Thank you. Sir I want to say that due to mon-availability of uninterrupted internet access and digital capabilities, farmers living in remote areas face so many difficulties to fill forms online and make e-KYC online. Non-availability of digital land records, data errors, frequently changing verification rules are some of the reasons which cause delay in receiving payments. Farmer's name mismatch in Aadhar, farmers not knowing their Bank details are some other reasons that stop payments reaching their Bank accounts. Therefore, fee based Aaadhar Payment Bridge System, APBS, data error related problems, payment failures may lead to long delays of disbursement of funds. Moreover, claim applications and settlement of claims take so much time and as a result these processes discourage the farmers. Inconsistent transparency about allowances and bad internet access affect the belief system of farmers. I want to know from the Minister that whether the Government will try to look into these aspects and improve the situation?

श्री राम नाथ ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, किसानों के दस्तावेज में जो त्रुटियां हैं, उनको दुरूस्त करने का काम राज्य सरकारों का है। यह केन्द्र सरकार का काम नहीं है।

माननीय अध्यक्ष: इनका कहना है कि केवाईसी और भूमि दस्तावेजों को मिलाने में बहुत दिक्कत आती है। आप राज्य सरकारों को डायरेक्शन दे दीजिएगा कि वे इन दस्तावेजों को ठीक करें।

श्री राम नाथ ठाकुर: अध्यक्ष महोदय, हम निश्चित रूप से डायरेक्शन देंगे।

श्री मितेश पटेल(बकाभाई) (आणंद) : अध्यक्ष महोदय, पीएम-किसान योजना में करोड़ों लाभार्थी पंजीकृत हैं, जिसके कारण उन सभी पात्र किसानों को बिना किसी त्रुटि के उनके ही खाते में और समय पर लाभ की धनराशि पहुँचाना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है।

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पीएम-किसान योजना में लाभ को किसानों के खाते में बिना किसी त्रुटि के पहुंचाने में सरकार ने क्या उपाय किये हैं?

---

* Original in Tamil

(1115/ANK/PS)

किसी भुगतान के विफल होने पर सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जाते हैं?

श्री राम नाथ ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्ता का प्रश्न बहुत ही सही है। मैं आपके माध्यम से उन्हें बताना चाहता हूं कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना का लाभ लाभार्थियों तक सफलतापूर्वक पहुंचे, पीएम किसान के अंतर्गत तेरहवीं किस्त का लाभ जारी करने के लिए आधार आधारित भुगतान अनिवार्य कर दिया गया है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि योजनाओं का लाभ लाभार्थी के आधार से जुड़े खाते में स्थानांतिरत हो। इससे खाता आधारित भुगतान की समस्या समाप्त हो गई है, जिसमें डेटा प्रविष्ट त्रुटियों या बैंक विलयन के कारण खाता विवरण में परिवर्तन की संभावना रहती है। परिणामस्वरूप 21वीं किस्त में 99.87 प्रतिशत की ट्रांजेक्शन सफलतापूर्वक देखी गई है।

श्री राम शिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती) : धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मेरा प्रश्न है कि क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो मेरा लोक सभा क्षेत्र है, उसमें श्रावस्ती और बलरामपुर जैसे आंकांक्षी जिलों में विगत दो वर्षों में पीएम किसान योजना के अंतर्गत नामांकित कितने किसानों को अब तक पूर्ण आंशिक अथवा कोई वित्तीय लाभ नहीं मिल पाया है? इसके क्या कारण हैं? सरकार इसके लिए क्या कोई ठोस कदम उठा रही है? धन्यवाद।

श्री राम नाथ ठाकुर : अध्यक्ष महोदय जी, मैं इसका उत्तर इनको लिखित रूप से भेज दूंगा।

(इति)

(प्रश्न 223)

श्री मनीष जायसवाल (हज़ारीबाग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बुजुर्ग हमारे राष्ट्र के अनुभव और संस्कार हैं। वर्तमान में देश में 10 करोड़ बुजुर्ग हैं। अनुमान है कि वर्ष 2050 तक इनकी संख्या बढ़कर 30 करोड़ हो जाएगी। वर्तमान में हम एक युवा राष्ट्र हैं, लेकिन यह युवा राष्ट्र कभी न कभी प्रौढ़ और बुजुर्ग राष्ट्र बनेगा। स्वास्थ्य और पारिवारिक देखभाल को सुदृढ़ करने तथा रिश्तों में खटास के कारण वृद्धाश्रमों में जो छोड़ जाने की प्रवृत्ति है, उसको कम करने पर सरकार क्या पहल कर रही है, यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री बी. एल. वर्मा : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि बुजुर्ग हम सबका गौरव हैं और राष्ट्र की धरोहर हैं। आदरणीय प्रधान मंत्री मोदी जी ने वर्ष 2014 में प्रधान मंत्री बनते ही कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास, इस देश के विकास में सभी का सामूहिक प्रयास। जैसा कि हमारे माननीय सदस्य ने कहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना में लगभग दो करोड़ 38 लाख बुजुर्ग थे। यह संख्या लगातार बढ़ रही है। जहां आज हम युवा देश की बात कर रहे हैं, आने वाले समय में यह संख्या लगातार बढ़ रही है। मैं कह सकता हूं कि आज छोटे परिवारों की परंपरा चल रही है, न्यूक्लियर परिवारों में बढ़ोतरी और रोजगारों के कारण से परिवारों का दूर शहरों में चले जाना सीनियर सिटिजन्स का अपने परिवार के सदस्यों से अलग होने के कारण बन रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों पर केंद्रित अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के जरिए बार-बार भारतीय पारिवारिक मूल्यों और परंपराओं को जोड़ देने का काम किया है।

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, आप तो भाषण देने लगे। आप सवाल का जवाब दे दीजिए। यह प्रश्न काल है।

श्री बी. एल. वर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से आज जो हमारी पीढ़ियां हैं, उनके अंतर्गत कैसे हम और ज्यादा मिलन कर सकें, इसके लिए हमारे शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से हमने दादा-दादी को शिक्षक विभाग के बैठक के आयोजन के लिए प्रोत्साहित करने का काम किया है। जिस प्रकार की पेरेंट्स मीटिंग स्कूलों में होती हैं, इसमें ग्रान्ड पेरेंट्स मीटिंग, जिसमें दादा-दादी, नाना-नानी उन स्कूलों में जाने का काम करेंगे। दादा-दादी, नाना-नानी के साथ उन बच्चों में वॉकथॉन के माध्यम से का प्रेम का भाव आए और आने वाले समय में वे हमारे बुजुर्गों का सम्मान करें।

(1120/RAJ/SNL)

श्री मनीष जायसवाल (हज़ारीबाग) : अध्यक्ष महोदय, किसी भी राष्ट्र की प्रगति इस बात से मापी जाती है कि वह अपने बुजुर्गों को कितना सम्मान और सुरक्षा देता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम के अंतर्गत, वर्तमान में देश में कितने वरिष्ठ नागरिक गृह संचालित हैं तथा बिहार और झारखंड में उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या बढ़ रही है, इसे देखते हुए इनको बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है?

इसके साथ ही साथ मैं मंत्री जी को सलाह दूंगा कि राष्ट्रीय स्तर पर इनका आधिकारिक डाटा बनाया जाना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल में सलाह नहीं दी जाती है, सलाह चैम्बर में बैठ कर दी जाती है।

श्री मनीष जायसवाल (हज़ारीबाग) : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न काल में उसी से संबंधित प्रश्न पूछिए जो आप सलाह देना चाहते हैं। सलाह चैम्बर में दी जाती है।

श्री बी. एल. वर्मा : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधान मंत्री मोदी जी ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक कल्याण कोष की स्थापना वर्ष 2015-16 में की थी। उसके माध्यम से 'अटल वयो अभ्युदय योजना' के अंतर्गत, हम एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम के अंतर्गत नि:शुल्क आश्रय, पोषण, चिकित्सा, देखभाल और मनोरंजन जैसी सुविधाएं प्रदान करने वाले वरिष्ठ नागरिक गृह को वित्तीय सहायता प्रदान करने का काम करते हैं। इसके अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित एवं सुविधा संपन्न आवास प्रदान करने का काम भी होता है। वर्तमान में देश भर में 706 वरिष्ठ नागरिक गृह चल रहे हैं, जिनमें से बिहार में आठ और झारखंड में 15 वरिष्ठ नागरिक गृह हैं। इसके साथ ही साथ मैं कह सकता हूं कि उन वरिष्ठ नागरिक गृहों की आर्थिक सुविधाओं के लिए दिशा-निर्देशों के साथ, हम पुरुष और महिलाओं के लिए अलग-अलग आवासीय कमरे और डॉरमेट्री देते हैं। उन्हें पर्याप्त सुरक्षित पेय जल और अन्य सहायक उपयोग के उपकरण भी दिए जाते हैं। उनके लिए सुविधाओं में बिजली, पंखें, आवश्यकतानुसार हिटिंग उपकरण, रसोई घर, भंडार कंक्ष इत्यादि हम जितनी सुविधाएं उन्हें दे सकते हैं, वे दी जाती हैं। जहां तक माननीय सदस्य ने इसके विस्तार की बात कही है, तो योजना के दायरे का विस्तार एक सतत् प्रक्रिया है। राज्यों से जिस तरह से प्रस्ताव आते हैं, उन प्रस्तावों के माध्यम से हमें निर्णय लेने पड़ते हैं और हम प्राथमिकता के आधार निर्णय लेकर इनको बढ़ाते हैं।

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, देश के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की दूरदर्शिता और संवेदनशीलता ने देश के करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं दी है। इसके लिए देश के वरिष्ठ नागरिक प्रधान मंत्री जी को शुभाशीष दे रहे हैं।

मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि देश को आर्थिक, सामाजिक, भावनात्मक जुड़ावा और आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं माननीय प्रधान मंत्री जी के माध्यम से मिली हैं। महत्वपूर्ण योजना स्टेट एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटिजन्स, कल्याणकारी वृद्धाश्रम और स्वास्थ्य सेवाएं, सहायक उपकरण और वयो श्री योजना, इन योजनाओं से मेरे प्रदेश राजस्थान और देश भर के वरिष्ठों के लिए क्या-क्या लाभ मिल रहे हैं और कितनी राशि देश और मेरे राज्य राजस्थान को मिले हैं? मेरा आपके माध्यम से यह प्रश्न है।

श्री बी. एल. वर्मा : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बड़ा ही गंभीर और उचित प्रश्न पूछा है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 'अटल वयो अभ्युदय योजना' उसी का एक घटक राज्य कार्य योजना है। इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्यों में विशेष योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को निधि दी जाती है। इसमें खास तौर से वरिष्ठ नागरिकों के लिए मोतियाबिन्द की सर्जरी, वृद्धा अवस्था में देखभाल करनेवालों के लिए प्रशिक्षण और योजना के बारे में जागरूकता पर फोकस किया जाता है। इसके साथ ही वर्ष 2019-20 से लेकर अब तक राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 151 करोड़, 18 लाख रुपए केन्द्रीय सहायता प्रदान का काम किया गया है। जिसमें से राजस्थान के लिए एक करोड़, 76 लाख रुपए दिए गए हैं। हम इसका जिलेवार विवरण नहीं रखते हैं। यह विवरण आपको राज्य देगा।

जहां तक "वयो श्री योजना' की बात है तो एल्मिको के द्वारा, आदरणीय प्रधान मंत्री मोदी जी ने 'वयो श्री योजना' एक अप्रैल, 2017 से लागू की है। आज हम लगभग सात लाख से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों का जीवन सरल बने एवं सहज बने, उनको सहायक उपकरण दिए गए हैं। उनका जीवन और कैसे आसान हो, इनके जीवन से जुड़ी हुई चीजें दी गई हैं। ये बड़ी योजना प्रधान मंत्री दिव्याशा केन्द्र और शिविर के माध्यम से दी जाती हैं। लगभग 100 प्रधानमंत्री दिव्याशा केन्द्र हैं, जहां पर वे उचित जगहों पर जा कर, नजदीकी केन्द्र पर जा कर अपने उपकरण ले सकते हैं।

(1125/NK-SMN)

श्री मनीश तिवारी (चंडीगढ़) : अध्यक्ष महोदय, चंडीगढ़ एक केन्द्र शासित प्रदेश है, 11 मार्च, 2025 को सरकार ने एक अनस्टार्ड प्रश्न का उत्तर दिया था, इनके उत्तर के अनुसार चंडीगढ़ में बुढ़ापा पेंशन एक हजार रुपये है। पंजाब में पन्द्रह सौ-दो हजार रुपये तक है, हरियाणा में तीन हजार रुपये है। चंडीगढ़ में बुढ़ापा पेंशन 2016 से नहीं बढ़ी है, जब इनसे सवाल पूछते हैं तो ये कहते हैं कि चंडीगढ़ प्रशासन ने कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है, चंडीगढ़ प्रशासन से बात करते हैं तो कहते हैं वह निरंतर और लगातार प्रस्ताव भेजते रहे हैं।

मेरा माननीय मंत्री जी से सीधा सवाल है कि आप चंडीगढ़ में बुढ़ापा पेंशन एक हजार रुपये से बढ़ाकर तीन हजार रुपये कब करने जा रहे हैं।

श्री बी. एल. वर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने पूछा है कि एक हजार रुपये पेंशन बढ़ाने की बात की है। यह प्रश्न सीधा हमारे मंत्रालय से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 60 वर्ष से लेकर 79 साल तक दो सौ रुपये केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाता है और और 80 साल से ऊपर 500 रुपये दिए जाते हैं। राज्य सरकारें होती हैं, उसमें टॉप-अप करने का काम करती हैं। इस विषय को आप राज्य सरकार से पूछिए और यह विषय ग्रामीण विकास मंत्रालय का है।

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्ष 2036 तक वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 20 करोड़ होने जा रही है, ऐसे में मेरा माननीय मंत्री महोदय से सवाल है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए देश में खासकर ग्रामीण विशेष रूप से क्या-क्या कार्य करने जा रही है?

श्री बी. एल. वर्मा : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारा मंत्रालय लगातार बुजुर्गों के लिए काम कर रहा है। आपने कहा कि बुजुर्ग लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, अटल पेंशन योजना के तहत जितने भी घटक हैं, उनको बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। इसके साथ जितने भी सीनियर सिटीजन होम्स हैं, उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इस प्रकार की संस्थाएं जो सामाजिक संस्थाएं हैं और इसी तरह की दूसरी संस्थाएं हैं, उसके साथ एमओयू करने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय जिस तरह के प्रस्ताव राज्य सरकार से मिलते हैं, उस पर हमारा मंत्रालय काम करता है और आगे भी लगातार काम करेंगे।

(इति)

(प्रश्न 224)

श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे (शिर्डी) : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मेरे शिर्डी संसदीय क्षेत्र और देश के कई ग्रामीण इलाकों आज भी हरेक गांव सड़क से नहीं जुड़ी है। पीएमजीएसवाई के मौजूदा नियमों के कारण नया सर्वे नहीं हो रहा है और नई सड़कें स्वीकृत नहीं हो रही है। क्या सरकार मानती है कि यह नियम हकीकत से मेल नहीं खाती है, बाकी गांव और बस्ती को सड़क से जोड़ने के लिए नियमों में बदलाव किया जाएगा?

श्री कमलेश पासवान : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पिछले सत्र में भी अपने संसदीय क्षेत्र के लिए चिंता जाहिर की थी। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री सड़क योजना गरीबी उन्मूलन के लिए चालू की गई थी। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस योजना को चालू किया था। उन्होंने सपना देखा था कि पूरे भारत में जो गांव सड़कों से वंचित है, उसमें हम सड़कों का जाल बिछाने का काम करें। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि फेज-1, फेज-2 और फेज-3 को मिलाकर बात करें तो करीब 7 लाख 86 हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण हमारी सरकार और विभाग ने करने का काम किया है। जिस पर लागत करीब 3 लाख 46 हजार करोड़ रुपये का हुआ है।

जहां तक माननीय सदस्य ने अपने क्षेत्र के बारे में चिंता जाहिर की है, मैं उनके क्षेत्र में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने करीब 1 हजार 642 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है।

(1130/IND/RP)

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यहां पर यह जरूर बताना चाहूंगा ……

माननीय अध्यक्ष : आप केवल यह बता दें कि क्या नियम परिवर्तन करने का आपका कोई इरादा है?

श्री कमलेश पासवान : नहीं सर, ऐसा कोई विचार नहीं है।

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, आप बता दीजिए कि ऐसा कोई विचार नहीं है। माननीय सदस्य, कृपया अगला प्रश्न पूछें।

श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे (शिर्डी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि पीएमजीएसवाई में बनाई गई ग्रामीण सड़कें कुछ वर्षों में खराब हो रही हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। कागजों में रखरखाव को नियमित दिखाया जा रहा है। क्या सरकार बताएगी कि खराब रखरखाव के लिए किन ठेकेदारों या अधिकारियों पर कार्रवाई हुई तथा सड़कों के सही रखरखाव हेतु क्या कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? इस योजना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर देश में क्या बदलाव हुआ है?

श्री कमलेश पासवान : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रधान मंत्री सड़क योजना केवल एक योजना ही नहीं है। जब हम इसका टेंडर करते हैं, तो ईमानदारी के तौर पर पूरे देश में कोई भी कहीं से टेंडर डाल सकता है। इसमें पारदर्शिता का विशेष ध्यान दिया गया है। मेंटेनेंस की जिम्मेदारी राज्य का विषय है, फिर भी हमारे मंत्रालय ने थ्री-टियर क्वालिटी मेंटीनेंस मैकेनिज्म को स्वीकृत करने के लिए प्रथम स्तर पर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग यूनिट, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के नेतृत्व में फील्ड लैबोरेट्रीज़ और अनिवार्य मेटीरियल की टेस्टिंग की जाती है। दूसरे स्तर पर हम प्रत्येक चरण में सड़कों का निरीक्षण हम कराते हैं। तीसरे स्तर पर हम नैशनल क्वालिटी

मॉनिटर यानी रैंडम इंस्पेक्शन भी कराते हैं। माननीय सदस्य से मेरा आग्रह है कि प्रधान मंत्री सड़क योजना के तहत यदि कोई सड़क खराब हो गई है, तो वे कृपया लिखकर दें। उसे हम बेहतर बना देंगे तथा जो दोषी होगा, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): Sir, I would like to thank the Government for amending the norms in the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. According to the new norms, constituencies like mine, the urban and costal constituencies, are getting benefitted.

There is an island called Korangotta Island in Ernakulam Assembly constituency near Charangul Panchayat. Around 597 people are living there. More than 90 per cent of the population is living on this Island. It is surrounded by water. There are Scheduled Caste and Scheduled Tribe families. These families are not connected with the mainland. If a bridge can be constructed, they can be connected to the mainland.

The State Government has already sent a proposal for this through the PMGSY project, but, unfortunately, the Central Government has not included this in the eligibility list. Most of the families are of fishermen, farmers, and daily wagers.

I, therefore, request the Central Government, through you, Sir, to kindly include this project in the eligibility list of PMGSY according to the new guidelines of PMGSY-IV Guidelines, para 6.6. This can connect them with the mainland, and the corporation area.

Thank you.

श्री कमलेश पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी बताया था प्रधान मंत्री सड़क योजना गरीबी उन्मूलन के लिए लाई गई थी। फेज-1,2,3 जैसे विभिन्न चरणों में हम लोगों ने कार्य किया। माननीय सदस्य ने विशेष तौर पर एक बस्ती का जिक्र किया, जहां पर 500 एससी-एसटी के लोग रहते हैं। इससे पहले भी माननीय सदस्य ने पत्र के माध्यम से हमसे संपर्क करने का प्रयास किया। हमने राज्य सरकार से जानकारी उपलब्ध की, तो पता चला कि वहां पर पहले से ही एक पुल है और मानक के अनुरूप यदि एक पुल है, तो वहां हम दूसरा पुल नहीं बनवा सकते। यदि फिर भी ऐसी कोई बात है, तो माननीय सदस्य पत्राचार कर लें, हम राज्य से सरकार से इस हेतु अनुरोध कर लेंगे कि यदि ऐसा संभव हो पाए, तो वह इसे कर दे। धन्यवाद।

(इति)

माननीय अध्यक्ष : इस पर कभी शॉर्ट ड्यूरेशन में चर्चा कराएंगे।

श्री बसुमतारी जयंत जी।

(प्रश्न 225)

श्री बसुमतारी जयंत (कोकराझार) : सर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता था कि क्या पूर्वोत्तर राज्यों में राज्य स्तर पर डीएनटी, एनटी और एसएनटी कमेटीज़ गठित की गई हैं? इसका उत्तर आया-नहीं। अंत: मैं मंत्री जी से फिर से जानना चाहता हूं कि पूर्वोत्तर राज्यों में सीड योजना का क्रियान्वयन न होने का क्या कारण है? साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के कितने क्षेत्र नैशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप से लाभान्वित हुए हैं?

(1135/KDS/VPN)

डॉ. वीरेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में सीड योजना के क्रियान्वयन के बारे में जानकारी मांगी है। मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि विमुक्त घुमंतू, अर्ध-घुमंतू समुदाय के कल्याण हेतु कदम उठाने के लिए राज्य सरकारों का सहयोग आवश्यक है। मैं सभी माननीय सदस्यों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि आपके राज्यों, क्षेत्रों में जहां-जहां पर डीनोटिफाइड ट्राइब्स के मरीज बंधु हैं,उनके बीच जाकर उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास हम सभी को सामूहिक रूप से करने की आवश्यकता है। जहां तक पूर्वोत्तर की बात माननीय सदस्य द्वारा कही गई है, वहां राज्य सरकारों द्वारा डीएनटी समुदाय को अधिसूचित नहीं किया गया है,जिस कारण इन लोगों को डीएनटी प्रमाण-पत्र जारी नहीं हो रहे हैं व सीड योजना इस समुदाय के लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा 22-06-2022 को, 26-06-2024 को व 30-12-2024 को इन सभी राज्यों को डीएनटी समुदाय के प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु अनुरोध किया गया। साथ ही राज्यों के साथ हमारी केंद्रीय स्तर की दो मीटिंग्स तथा रीजनल स्तर की एक मीटिंग हुई है। इनमें हमने सभी माननीय मंत्रीगण और वहां के सचिव महोदय से अनुरोध किया है कि वहां पर डीनोटिफाइड ट्राइब्स के जन्म प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाणपत्र बनाकर इन समुदाय के लोगों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की पहल की जाए।

श्री बसुमतारी जयंत (कोकराझार): सर, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि सीड योजना डीएनटी समुदाय को सरकारी योजना से जोड़ने में कैसे सहायता कर सकती है?

डॉ. वीरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, सीड योजना के माध्यम से इन समुदायों के चाहे आर्थिक सशक्तीकरण की बात हो, आजीविका की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, इस समुदाय के छात्रों हेतु नि:शुल्क कोचिंग की बात हो, प्रधान मंत्री आवास योजना की बात हो, इन सभी योजनाओं के माध्यम से डीएनटी समुदाय को मुख्य धारा से जोड़े जाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सीड योजना उन डीएनटी परिवारों की पहचान करती है,जो अभी तक किसी भी सरकारी योजना के लाभ से वंचित रहे हैं और उन्हें आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जाति प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड, बैंक खाता प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है और इस योजना के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन कर उन्हें एनआरएलएम से जोड़ा जाता है। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा व आजीविका के अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित की जाती है। इस प्रकार लंबे समय से मौजूद खाई को पाटने के लिए डीएनटी परिवारों को कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावी

रूप से जोड़ा जा रहा है। दस्तावेज बन जाने के कारण अब ये परिवार केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं।

श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ (राजसमन्द): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, सीड योजना के तहत डीनोटिफाइड ट्राइबल समुदाय की महिलाओं हेतु अलग से सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, जबकि नैशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत पहले से ही सेल्फ हेल्प ग्रुप की व्यवस्था मौजूद है।

1139 बजे

(श्रीमती संध्या राय पीठासीन हुईं।)

डॉ. वीरेन्द्र कुमार : सभापति महोदया जी, माननीय सदस्य द्वारा बहुत अच्छा प्रश्न उठाया गया है। मैं प्रश्न के आलोक में बताना चाहूंगा कि डीएनटी महिलाएं आज भी बड़ी संख्या में एनआरएलएम के दायरे से बाहर रह गई थीं, क्योंकि उनकी बस्तियां बिखरी हुई व अलग-अलग स्थानों पर होती हैं। ये या तो जंगलों में रहते हैं या पहाड़ों में रहते हैं। कभी-कभी ये बस्तियों के बाहर रहते हैं या सड़कों के किनारे छोटी-छोटी झुग्गियां बनाकर रहते हैं। इस कारण लगातार गतिशील जीवन शैली व मौजूदा सेल्फ हेल्प ग्रुप से सीमित जुड़ाव के कारण उन्हें इस योजना में शामिल करना कठिन काम था।

(1140/CS/UB)

एनआरएलएम से डीएनटी की महिलाओं का बाहर रह जाना किसी नीयत का नहीं, बल्कि संरचनात्मक कारणों का परिणाम था। एनआरएलएम मुख्य रुप से ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्र की जो हमारी बहनें हैं, उन बहनों को सामुदायिक संस्थानों के माध्यम से उनको अपनी विशिष्ट शैली के कारण जोड़ते हुए उनके सशक्तीकरण के लिए यह अभियान चलाया जाता है। जो हमारी डीएनटी समुदाय की बहनें हैं, बिखरी हुई बस्तियों में रहने के कारण ये इन योजनाओं के लाभ से वंचित थीं, इसके कारण से इनको एनआरएलएम से जोड़ने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम किया जा रहा है। उनके जो दस्तावेज हैं, औपचारिक पहचान और दस्तावेज, इनको बनाने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया जा रहा है कि हमारी इन बहनों के दस्तावेज बनाकर उनको शासन की इस योजना का लाभ दिलाने के लिए पहल की जाए। बहुत सारे स्थानों पर हम देखते हैं कि जब इस तरह से इनकी बसावट होती है तो बाकी समाज के साथ में इनका एकीकरण नहीं हो पाता है। इसके कारण शासन की योजनाओं की जानकारी से भी ये वंचित रहती हैं। मैं एक बार पुन: सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि हम अपने क्षेत्र में रहने वाले डीनोटिफाइड ट्राइब्स के बंधुओं के साथ जाकर उनको शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए पहल करें ताकि वे भी मुख्यधारा के साथ जुड़कर विकास की दौड़ में आगे बढ़ सकें। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी की जो 'सबका साथ-सबका विकास और सबका विश्वास' की सोच है और देश को आत्मनिर्भर बनाने में सभी का सामूहिक प्रयास समाज के अंतिम छोर पर रहने वाली हमारी इन बहनों को भी आर्थिक रुप से सशक्त करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन करके आजीविका मिशन के साथ में उनको जोड़ा जा रहा है।

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Madam, the Idate Commission Report on DNTs in 2017 recorded that it could not complete a nation-wide socio-economic survey because the Ministry repeatedly denied it the required funds. Despite these communities being described as most backward, why did the Government starve its Commission of resources and why even eight years after the Report no dedicated nation-wide survey has been undertaken for these communities?

डॉ. वीरेन्द्र कुमार : महोदया, यह देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के मन की संवेदनशीलता थी कि वर्ष 2015 में आयोग का गठन किया गया, वर्ष 2017 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी और इस रिपोर्ट के आधार पर ही डीएनटी समुदाय के सशक्तीकरण के लिए विभिन्न योजनाएं बनायी गईं। लगभग उस रिपोर्ट के अनुसार देश भर में लगभग 15 करोड़ डीएनटी समुदाय के बंधु अलग-अलग स्थानों पर रहते हैं। ऐसे सारे बंधुओं को इस योजना के माध्यम से सशक्त करने का निरन्तरता के साथ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में जब तक राज्य सरकारों की सहभागिता नहीं जुड़ेगी, सभी जनप्रतिनिधियों का सहयोग भी उसके साथ नहीं जुड़ेगा तब तक वे इन योजनाओं के लाभ से वंचित रहेंगे। हम तो चाहते हैं कि उनको बीमा का लाभ भी मिलना चाहिए, उनको आजीविका मिशन के साथ में भी जोड़ा जाना चाहिए, उनके बच्चों को नि:शुल्क कोचिंग की व्यवस्था भी होनी चाहिए, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी मिलना चाहिए, लेकिन यह सब तभी होगा जब राज्य सरकारें और हमारे जनप्रतिनिधि आगे आकर इन योजनाओं के साथ जुड़ेंगे।

(इति)

(Q.226)

1143 hours

SHRI C. N. ANNADURAI (TIRUVANNAMALAI): Madam, I would like to ask the hon. Minister whether all the sanctioned scientific and technical posts in the KVK at Tiruvannamalai are filled, if not, what is the number of vacant posts and, also, what is the timeline fixed for filling those vacant posts.

श्री भागीरथ चौधरी : महोदया, तमिलनाडु के संदर्भ में माननीय सांसद अन्नादुरई जी ने जो प्रश्न पूछा है, वर्तमान में तमिलनाडु में कुल मिलाकर 31 केवीके कार्यरत हैं। जिला-वार विवरण उनको दे दिया गया है। तिरूवन्नामलई और रामनाथपुरम जिले में एक-एक केवीके मौजूद है। कांचीपुरम जिले में अभी कोई केवीके नहीं है। नए जिलों में केवीके खोलना निर्धारित कार्यविधि और दिशानिर्देशों के आधार पर एक निरन्तर प्रक्रिया है। यह कार्य उसके तहत किया जा रहा है।

(1145/MNS/NKL)

जहां तक सांसद जी ने पूछा है, केंद्र सरकार द्वारा आईसीएआर के माध्यम से तमिलनाडु में सभी केवीकेज़ को आधुनिक तकनीकों के प्रचार-प्रसार के लिए 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और वर्ष 2021-22 से लेकर वर्ष 2025-26 के दौरान आईसीएआर द्वारा तमिलनाडु में केवीकेज़ को कुल 326.4 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करायी गई है और जहां तक केवीके में स्टॉफ की बात है, तो 80 प्रतिशत केवीके का स्टॉफ तमिलनाडु में है और जहां भी कोई और जरूरत पड़ेगी, तो उसकी व्यवस्था कर दी जाएगी।

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : माननीय सदस्य, पूरक प्रश्न?

SHRI C. N. ANNADURAI (TIRUVANNAMALAI): In view of Tiruvannamalai being a predominantly rain-fed district, may the hon. Minister state whether the KVK has effectively promoted climate-resilient crops, micro-irrigation, and digital advisory services, and what measurable outcomes have been achieved so far?

श्री भागीरथ चौधरी : सभापति महोदया, पूरे तमिलनाडु में निरंतर केवीके को सुदृढ़ करने के लिए हमारी केंद्र सरकार ने आधारभूत संरचना के अपग्रेडेशन क्षमता निर्माण के लिए कदम उठाए हैं। सरकार केवीके की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। वर्ष 2021 से 2026 तक की अवधि के दौरान तमिलनाडु में केवीके के दो प्रशासनिक भवनों को, दो किसान छात्रावास, 20 प्रदर्शनी इकाइयां, 30 कृषि मशीन उपकरण वाहन उपलब्ध करवाए गए हैं। … (व्यवधान) इसके अलावा तमिलनाडु को सबसे ज्यादा … (व्यवधान)

सभापति महोदया, 29 मई से 12 जून तक तमिलनाडु में विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया गया, उसके तहत आधुनिक कृषि तकनीकों की जागरूकता फैलाकर, वह अभियान तमिलनाडु के 31 जिलों में आयोजित किया गया। … (व्यवधान) जिसमें 7.8 लाख किसानों ने भाग लिया एवं 3.20 लाख महिला किसान उसमें शामिल हुईं। उसमें कुल प्रतिभागियों में से 45.6

प्रतिशत महिलाओं ने भाग लिया। मैं कहना चाह रहा हूं, हमारी कृषि की उपलब्धि के लिए माननीय सांसद जी जो कह रहे हैं, देश में 68 कृषि विश्वविद्यालय हैं, 113 आईसीएआर के अनुसंधान संस्थान हैं, 731 कृषि विज्ञान केंद्र मौजूद हैं, जिससे देश में अनाज के भण्डार भरे हैं।

सभापति महोदया, 60 के दशक में ऐसी स्थिति आ गई थी, अनाज की बहुत बड़ी भारी कमी आ गई थी और तत्कालीन प्रधान मंत्री लालबहादुर शास्त्री जी ने देश की जनता से यह आह्वान किया था कि एक हफ्ते में एक दिन का उपवास रखें। … (व्यवधान) हमारी केंद्र सरकार द्वारा, कृषि विज्ञान केंद्रों और हमारे किसानों के द्वारा आज 80 करोड़ से ज्यादा जनता को फ्री अनाज दिया जा रहा है। … (व्यवधान) यह सबसे बड़ी बात है। … (व्यवधान) मैं कह सकता हूं कि प्रधान मंत्री मोदी जी ने 100 प्रतिशत पैसा तमिलनाडु को दिया है। … (व्यवधान) मोदी जी का सपना है - 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास'। सबके प्रयासों के आधार पर तमिलनाडु ने सबसे ज्यादा 100 प्रतिशत, कोई एनडीए की सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार नहीं है, फिर भी तमिलनाडु सरकार को सबसे ज्यादा मदद दी है।

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, श्री के. नवासखनी जी - उपस्थित नहीं।

माननीय सदस्य,श्रीमती डी. के. अरुणा जी।

(1150/RV/VR)

श्रीमती डी. के. अरुणा (महबूबनगर) : आदरणीय सभापति महोदया, मुझे प्रश्न पूछने का मौका देने के लिए धन्यवाद।

मैं समझती हूं कि आंध्र प्रदेश में कृषि विज्ञान केन्द्रों ने पिछले साल विकसित भारत संकल्प यात्रा के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। सम्माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि इस संबंध में अधिक जानकारी दें तथा इस वर्ष मंत्रालय की योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करें।

श्री भागीरथ चौधरी : सभापति महोदया, माननीय सांसद जी ने एक बहुत ज्वलंत प्रश्न पूछा है। आंध्र प्रदेश के कृषि विज्ञान केन्द्रों में केवीके, हैदराबाद द्वारा 'विकसित भारत कृषि संकल्प यात्रा', जो 15 नवम्बर से 25 नवम्बर, 2024 तक आयोजित की गयी, उसका उद्देश्य योजनाओं को संतुति सैचुरेशन कवरेज सुनिश्चित करना और अग्रणी योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाना, लास्ट माइल डिलीवरी सुनिश्चित करना, इसके लक्ष्यों को वांछित और कमजोर वर्गों तक पहुंचाना, सरकारी कार्यक्रमों की जानकारी का प्रसार करना और यात्रा के दौरान पहचाने गए संभावित लाभार्थियों को पंजीकृत करना था।

राज्य की सभी 12,525 ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें कुल 28.93 लाख प्रतिभागी थे, जिनमें 17.4 लाख महिलाएं थीं, जो इसका 59 प्रतिशत थीं, उन्होंने भाग लिया। प्रमुख आउटरीच गतिविधियों में सुरक्षा बीमा में 3.94 लाख लाभार्थी थे और जीवन ज्योति कैम्प में 2.81 लाख लाभार्थी थे। 6.66 लाख लोगों की स्वास्थ्य जांच की गयी तथा 3.05 लाख लोगों को टीबी रोग की जांच में शामिल किया गया। ये सारे काम हमारे केवीके द्वारा किए गए।

श्री दामोदर अग्रवाल (भीलवाड़ा) : सभापति महोदया, क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा चलाए गए 'विकसित कृषि संकल्प अभियान' में भीलवाड़ा लोक सभा संसदीय क्षेत्र सहित राजस्थान में की गयी गतिविधियों का ब्यौरा क्या है? सरकार के इस अभियान से देश भर में अब तक कितने किसान उत्पादक संगठनों को जोड़ा गया है?

श्री भागीरथ चौधरी : सभापति महोदया, माननीय सांसद दामोदर अग्रवाल जी ने प्रश्न पूछा है तो मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे 'विकसित कृषि संकल्प अभियान' के तहत पूरे देश भर में इस अभियान के अंतर्गत कुल 2,117 टीमों ने 60,970 कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों में 728 जिलों के 140 लाख से भी अधिक गांवों के 1.33 करोड़ से भी अधिक किसानों ने भाग लिया, जिनमें 95.7 लाख पुरुष और 39.7 लाख महिलाएं थीं। इस अभियान में 34 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के विभिन्न कृषि आर्थिक परिस्थितियों को कवर करते हुए जमीनी स्तर पर जलवायु क्षेत्रों में सामाजिक पहुंच सुनिश्चित की।

महोदया, मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान राज्य में इस अभियान के अंतर्गत किसानों तक नवीकरण कृषि तकनीकों की जानकारी प्रभावी रूप से पहुंचाने हेतु व्यापक स्तर पर गतिविधियां आयोजित की गयीं। राज्य में कुल 103 टीमों द्वारा 3,641 कार्यक्रम संचालित किए गए, जिनका मुख्य उद्देश्य खरीफ मौसम के लिए संतुलित, उन्नत और आधुनिक कृषि तकनीकों के प्रति किसानों को जागरूक करना था। इन कार्यक्रमों के माध्यम से 41 जिलों में 7,349 गांवों में 8.9 लाख से भी अधिक किसानों तक प्रत्यक्ष पहुंच स्थापित की गयी, जिनमें 6.19 लाख पुरुष, 1.90 लाख महिला किसानों ने भाग लिया। किसानों की सहभागिता के आधार पर राजस्थान राज्य ने देश में चौथा स्थान प्राप्त किया, जो इस अभियान की व्यापक स्वीकार्यता और प्रभावशीलता को दर्शाता है। इन प्रयासों से किसानों की तकनीकी समझ में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा उन्हें उत्पादन वृद्धि और आय संवर्धन हेतु वैज्ञानिक कृषि पद्धति अपनाने के लिए प्रेरणा मिली है।

(1155/MY/PBT)

इसके साथ ही अगर मैं भीलवाड़ा की बात करूं तो इस जिले में अभियान के अंतर्गत दो टीमों द्वारा नवाचार कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें 22,883 किसानों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। सरकार के इस अभियान से देश भर में अब तक विकसित संकल्प अभियान के तहत प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तीन हजार से अधिक प्रगतिशील किसान, किसान उत्पादन, एपीओ, नवाचारकर्ता, कृषि उद्यमी तथा स्वयं सहायता समूह को सक्रिय रूप से अभियान की टीमों से जोड़ा गया।

विशेष रूप से विभिन्न राज्यों में किसान उत्पादन संगठनों को इससे जोड़ कर उनमें तकनीकी जागरूकता, संस्थागत सुदृढ़ीकरण तथा बाजार एवं कृषि को बढ़ावा देने की दिशा में भी अनेक काम किये गये हैं।

(इति)

(प्रश्न 227)

श्री सतीश कुमार गौतम (अलीगढ़) : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या नए आपराधिक कानून में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए कोई विशेष प्रावधान किये गये हैं?

श्री बंडि संजय कुमार : सभापति महोदया, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व और आदरणीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में सभी हितधारकों के साथ परामर्श और व्यापक समीक्षा के बाद एक मजबूत और आधुनिक आपराधिक न्याय व्यवस्था सफल हो सकी है। बी.एन.एस.एस. 2023 में पहली बार महिला और बच्चों के खिलाफ अपराध से संबंधित प्रावधान को प्राथमिकता दी गई है और इसे एक ही अध्याय के तहत रखा गया है। महिलाओं के विरूद्ध अपराधों के लिए मृत्युदंड तक सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए दोषी को नेचुरल लाइफ से मृत्युदंड अथवा आजीवन करावास की सजा का प्रावधान है।

बी.एन.एस.एस. 2023 में शादी, रोजगार, पदोन्नति का झूठा वादा करके या आइडेंटिटी छुपा कर यौन संबंध आदि को एक नये अपराध के रूप में शामिल किया गया है।

श्री सतीश कुमार गौतम (अलीगढ़) : सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए नये आपराधिक कानून में क्या प्रावधान किये गये हैं?

श्री बंडि संजय कुमार : महोदया, न्याय व्यवस्था में विश्वास को सुदृढ़ करने के निर्देश से टाइमलाइन्स और टेक्नोलॉजी को समन्वित करते हुए तीन नये कानून लाये गये हैं। इन कानूनों के अंतर्गत कम से कम 145 फर्स्ट समय सीमा निर्धारित की गई है। नये कानूनी मामले के तहत हम तेज और निष्पक्ष समाधान का वादा करते हैं। इससे कानूनी प्रणाली में विश्वास पैदा होती है।

1159 बजे (माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय, जांच और परीक्षण के महत्वपूर्ण चरण जैसे प्रारंभिक जांच 14 दिनों में पूरी होनी है। इसके आगे की जांच 90 दिनों में पूरी होनी है। पीड़ित और आरोपी के दस्तावेजों की आपूर्ति 14 दिनों के भीतर, विचारण हेतु किसी मामले की प्रतिबद्धता 90 दिनों के भीतर, मुक्ति आवेदन दाखिल करना 60 दिनों के भीतर, आरोप तय करना 60 दिनों के भीतर, निर्णय की घोषणा 45 दिनों के भीतर और मर्सी पेटीशन दाखिल करना (राज्यपाल जी के समक्ष 30 दिन में और राष्ट्रपति जी के समक्ष 60 दिनों में) सुव्यवस्थित की गई है। इन सभी को निर्धारित समयावधि के भीतर पूरा किया जाना है।

(pp. 20-30)

फास्ट ट्रैक जांच के तहत नये कानून महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच को प्राथमिकता देते हैं। जानकारी दर्ज करने के दो महीने के भीतर समय पर पूर्ण करना है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जब माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं तो आपस में बातचीत न करें।

श्री बंडि संजय कुमार: अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा सभी हाई कोर्ट्स के साथ समन्वय स्थापित किया गया है। अब तक 17 हाई कोर्ट्स के साथ बैठक की जा चुकी है। अब मामले की सुनवाई में अनावश्यक देरी से बचने और समय पर न्याय वितरण सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम दो स्थगन का प्रावधान है।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अब प्रश्न काल पूरा होने वाला है। मंत्री जी, अगर कोई विशेष बात है तो आप बता दीजिए।

श्री बंडि संजय कुमार : थैंक्यू सर।

माननीय अध्यक्ष: क्या आपकी बात पूरी हो गई?

श्री बंडि संजय कुमार : हाँ सर।

(इति)

प्रश्न काल समाप्त

(1200/MLC/SNT)

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1200 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे निम्नलिखित माननीय सदस्यों के कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं - श्री गुरजीत सिंह औजला, श्री नीरज मौर्य, श्री सचिदानन्दम आर., श्री बी. मणिक्कम टैगोर, श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत, श्री के. राधाकृष्णन, श्री बैन्नी बेहनन, श्री कुलदीप इंदौरा, प्रो. सौगत राय, श्री नरेश चंद्र उत्तम पटेल, श्री लालजी वर्मा, श्री अभय कुमार सिन्हा, श्री देवेश शाक्य, श्री पुष्पेंद्र सरोज, कुमारी सुधा आर., श्री डी. एम. कथीर आनंद, डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजम, श्री टी. आर. बालू और श्री आनंद भदौरिया।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज बैठिए। माननीय सदस्यगण, स्थगन प्रस्ताव तत्काल एवं गंभीर समस्याओं के लिए लाए जाते हैं। मैं कई माननीय सदस्यों को देख रहा हूँ कि वो रोजाना स्थगन प्रस्ताव इसलिए लाते हैं, क्योंकि मैं उनका नाम पढ़ रहा हूँ। अगर वह रोज स्थगन प्रस्ताव लगाएंगे, तो मैं उनका नाम पढ़ना बंद कर दूंगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप सब सीनियर व्यक्ति हैं। स्थगन प्रस्ताव की एक व्यवस्था है। तत्कालीन घटना, गंभीर घटना, जिसमें सदन रोककर चर्चा की जाए, वे स्थगन प्रस्ताव हैं। मैंने सबके लिए नहीं कहा है, कृपया आप बैठिए।

... (व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1202 बजे

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर 2, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

... (व्यवधान)

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री जितिन प्रसाद जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद (पलेक्सकॉनसिल), मुंबई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद (पलेक्सकॉनसिल), मुंबई के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) भारतीय गुणवत्ता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय गुणवत्ता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) बुनियादी रसायन, सौंदर्य प्रसाधन और रंग निर्यात संवर्धन परिषद (केमेक्सिल), मुंबई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बुनियादी रसायन, सौंदर्य प्रसाधन और रंग निर्यात संवर्धन परिषद (केमेक्सिल), मुंबई के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) भारतीय रबड़ सामग्री अनुसंधान संस्थान, ठाणे के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(6) (एक) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए), कोच्चि के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए), कोच्चि के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(8) (एक) ईओयू और एसईजेड की निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ईओयू और एसईजेड की निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) कॉफी बोर्ड, बेंगलुरु के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कॉफी बोर्ड, बेंगलुरु के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) कॉफी बोर्ड, बेंगलुरु के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) रबड़ बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) रबड़ बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) रबड़ बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) स्पाइसेस बोर्ड भारत, कोचीन के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) स्पाइसेस बोर्ड भारत, कोचीन के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) स्पाइसेस बोर्ड भारत, कोचीन के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) भारतीय पैकेजिंग संस्थान, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय पैकेजिंग संस्थान, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) चर्म निर्यात परिषद, चेन्नई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चर्म निर्यात परिषद, चेन्नई के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) ईईपीसी इंडिया (पूर्व में भारतीय इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद), कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा

अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ईईपीसी इंडिया (पूर्व में भारतीय इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद), कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) स्पोर्ट्स गुड्स एण्ड टॉयज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्पोर्ट्स गुड्स एण्ड टॉयज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 18 की उपधारा 8 के अंतर्गत गैस सिलेंडर (चौथा संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 13 नवंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 839 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 6 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ.4524 जो दिनांक 3 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा पूरे देश में इलेक्ट्रिक डेटोनेटर (क्लास 6 डिवीज़न 3 या यूएन क्लास 1 डिवीज़न 1 का विस्फोटक) के विनिर्माण, कब्जे, बिक्री और आयात के प्रतिबंध को 1 जुलाई, 2025 से अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 16 के अंतर्गत जारी हस्त उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2025 जो 4 दिसंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 5596(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 की धारा 157 की उप-धारा (4) के अंतर्गत व्यापार चिन्ह (जांच तथा अपील धारण करना), नियम 2024 जो दिनांक 16 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.505(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) माल का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 की धारा 87 की उप-धारा (3) के अंतर्गत माल का भौगोलिक उपदर्शन (जांच और अपील करना) नियम 2024 जो दिनांक 16 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 504(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने

वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पेटेन्ट अधिनियम, 1970 की धारा 160 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण): -

(23) (एक) पेटेंट (संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 25 नवंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 865 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पेटेंट (संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 15 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 211(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(24) उपर्युक्त (23) की मद संख्या (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) सेवा निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेवा निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उनपर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRI RAMDAS ATHAWALE): Respected Speaker, Sir, I lay on the Table:-

(1) A copy of the Report (Hindi and English versions) under Section 21(4) of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, for the year 2023.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above

-----

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाथ ठाकुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरुग्राम के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरुग्राम के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) राष्ट्रीय किसान कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(3) (एक) राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) लघु कृषक कृषि व्यापार संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लघु कृषक कृषि व्यापार संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2024-2025 के

वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 40 की उप-धारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (अधिकारियों और अन्य कर्मचारीवृन्द के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें) नियम, 2025 जो दिनांक 27 नवंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 873(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा

अंग्रेजी संस्करण)।

(2) सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 की धारा 155 की उप-धारा (3) के अंतर्गत गृह मंत्रालय, सशस्त्र सीमा बल, डिप्टी कमांडेंट (प्रधान निजी सचिव), समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2025 जो दिनांक 27 सितंबर, 2025 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 155(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 36 के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, अधिकारी और अन्य कर्मचारी, भर्ती विनियम, 2025 जो दिनांक 9 सितंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं.ई-14011/3 /2024/एलपीएआई.(I) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें) संशोधन विनियम, 2025 जो दिनांक 9 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं.ई-14011/3/2024/एलपीएआई(II) में प्रकाशित हुए थे, तथा जिसका शुद्धिपत्र (केवल अंग्रेजी संस्करण) दिनांक 13 अक्टूबर, 2025 की अधिसूचना संख्या फा.सं. ई-14011/3/2024/एलपीएआई(II) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी) भर्ती संशोधन विनियम, 2025 जो दिनांक 9 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. ई-14011/3/2024/एलपीएआई(III) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2025 जो 1 अक्तूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.731(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) (एक) भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गांधीनगर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गांधीनगर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के लेखा परीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण। (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एस. पी. सिंह बघेल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. एल. वर्मा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) होप सोसाइटी फॉर हैंडीकैप्ड ओरिएंटेशन प्रोग्राम एंड एजुकेशन, दुर्गापुर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) होप सोसाइटी फॉर हैंडीकैप्ड ओरिएंटेशन प्रोग्राम एंड एजुकेशन, दुर्गापुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) टाइप राइटिंग इंस्टिट्यूशन और रूरल डेवलपमेंट सर्विस, थौबल के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टाइप राइटिंग इंस्टिट्यूशन और रूरल डेवलपमेंट सर्विस, थौबल के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) होली क्रॉस सोशल सर्विस सोसाइटी, अनंतपुर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) होली क्रॉस सोशल सर्विस सोसाइटी, अनंतपुर के वर्ष 2024-2025 के

कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) अलकेंदु बोध निकेतन रेजिडेंशियल, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अलकेंदु बोध निकेतन रेजिडेंशियल, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) मनोचेतना, सिद्दिपेट के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मनोचेतना, सिद्दिपेट के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) समर्पण संस्था, गाज़ीपुर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समर्पण संस्था, गाज़ीपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) मानसिक विकास केंद्रम, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मानसिक विकास केंद्रम, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) विकलांग मंद बुद्धि कल्याण समिति, नैनीताल के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विकलांग मंद बुद्धि कल्याण समिति, नैनीताल के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) प्रतीक्षा चैरिटेबल सोसाइटी, इरिंजालकुडा के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रतीक्षा चैरिटेबल सोसाइटी, इरिंजालकुडा के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) रूरल इंडिया मेडिकल एंड रिलीफ सोसाइटी, चित्तौड़ के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रूरल इंडिया मेडिकल एंड रिलीफ सोसाइटी, चित्तौड़ के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) पहल विकलांग पुनर्वास केंद्र समिति, कानपुर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पहल विकलांग पुनर्वास केंद्र समिति, कानपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) राष्ट्रीय न्यास, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय न्यास, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमलेश पासवान) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2024-2025 के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL (SHRI BHUPATHI RAJU SRINIVASA VARMA): Respected Speaker, Sir, with your permission, I lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Bridge and Roof Company (India) Limited, Kolkata, for the year 2024-2025.

(ii) Annual Report of the Bridge and Roof Company (India) Limited, Kolkata, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(b) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Instrumentation Limited, Jaipur, for the year 2024-2025.

(ii) Annual Report of the Instrumentation Limited, Jaipur, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(c) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Rajasthan Electronics and Instruments Limited, Jaipur, for the year 2024-2025.

(ii) Annual Report of the Rajasthan Electronics and Instruments Limited, Jaipur, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(d) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Engineering Projects (India) Limited, New Delhi, for the year 2024-2025.

(ii) Annual Report of the Engineering Projects (India) Limited, New Delhi, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(e) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the HMT Limited, Bengaluru, for the year 2024-2025.

(ii) Annual Report of the HMT Limited, Bengaluru, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(f) (i) Review by the Government of the working of the Braithwaite Burn and Jessop Construction Company Limited, Kolkata, for the year 2024-2025.

(ii) Annual Report of the Braithwaite Burn and Jessop Construction Company Limited, Kolkata, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(g) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Richardson and Cruddas (1972) Limited, Mumbai, for the year 2024-2025.

(ii) Annual Report of the Richardson and Cruddas (1972) Limited,

Mumbai, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(h) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Bharat Heavy Electricals Limited, New Delhi, for the year 2024-2025.

(ii) Annual Report of the Bharat Heavy Electricals Limited, New Delhi, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(i) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Andrew Yule and Company Limited, Kolkata, for the year 2024-2025.

(ii) Annual Report of the Andrew Yule and Company Limited, Kolkata, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(j) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the NEPA Limited, Nepanagar, for the year 2024-2025.

(ii) Annual Report of the NEPA Limited, Nepanagar, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(k) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Hindustan Salts Limited, Jaipur, for the year 2024-2025.

(ii) Annual Report of the Hindustan Salts Limited, Jaipur, for the year 2024-2025l, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(l) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Sambhar Salts Limited, Jaipur, for the year 2024-2025.

(ii) Annual Report of the Sambhar Salts Limited, Jaipur, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts and comments

of the Comptroller and Auditor General thereon.

(m) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Scooters India Limited, Lucknow, for the year 2024-2025.

(ii) Annual Report of the Scooters India Limited, Lucknow, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(n) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Bharat Pumps & Compressors Limited, Prayagraj, for the year 2024-2025.

(ii) Annual Report of the Bharat Pumps & Compressors Limited, Prayagraj, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(o) (i) Review by the Government of the working of the Cement Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2024-2025.

(ii) Annual Report of the Cement Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(p) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the National Bicycle Corporation of India Limited, Mumbai, for the year 2024-2025.

(ii) Annual Report of the National Bicycle Corporation of India Limited, Mumbai, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(q) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Hindustan Cables Limited, Kolkata, for the year 2024-2025.

(ii) Annual Report of the Hindustan Cables Limited, Kolkata, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(r) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Heavy Engineering Corporation Limited, Ranchi, for the year 2024-2025.

(ii) Annual Report of the Heavy Engineering Corporation Limited, Ranchi, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Bharat Heavy Electrical Limited and the Ministry of Heavy Industries for the year 2025-2026.

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Fluid Control Research Institute, Palakkad, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Fluid Control Research Institute, Palakkad, for the year 2024-2025.

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Automotive Research Association of India, Pune, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Automotive Research Association of India, Pune, for the year 2024-2025.

(5) (i) A copy each of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Automotive Board, New Delhi, for the years 2021-2022, 2022-2023 and 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Automotive Board, New Delhi, for the years 2021-2022, 2022-2023 and 2023-2024.

(6) Three statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Automotive Board, New Delhi, for the year 2024-2025,

alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Automotive Board, New Delhi, for the year 2024-2025.

(8) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Manufacturing Technology Institute, Bengaluru, for the year 2024-2025.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Manufacturing Technology Institute, Bengaluru, for the year 2024-2025.

सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (कर्मचारी भविष्य निधि), नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(1205/RTU/YSH)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING (SHRI GEORGE KURIAN): Sir, with your permission, I rise to lay on the Table:-

(1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Coastal Aquaculture Authority, Chennai, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts.

(2) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Coastal Aquaculture Authority, Chennai, for the year 2024-2025.

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति
विवरण

श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे (मावल) : अध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2025-26)' के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के आठवें प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

——

STANDING COMMITTEE ON RAILWAYS
6th Report

DR. C. M. RAMESH (ANAKAPALLE): Sir, I beg to present the Sixth Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Railways (2025-26) on the subject 'Increasing freight related earnings of Indian Railways and development of Dedicated Freight Corridors'.

——

STANDING COMMITTEE ON RAILWAYS
Statements

DR. C. M. RAMESH (ANAKAPALLE): Speaker Sir, I wish to lay the Statements (Hindi and English versions) on Final Action Taken by Government on the recommendations contained in the following Action Taken Reports of the Standing Committee on Railways (18th Lok Sabha):-

(1) 2nd Action Taken Report on the Observations/Recommendations contained in the 1st Report on Demands for Grants (2024-25) of the Ministry of Railways.

(2) 5th Action Taken Report on the Observations/Recommendations contained in the 3rd Report on Demands for Grants (2025-26) of the Ministry of Railways.

——

STANDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
22nd and 23rd Reports

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): Respected Speaker, Sir, I rise to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj:-

(1) Twenty-second Report on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the Tenth Report (Eighteenth Lok Sabha) on 'Functioning of National Institute of Rural Development and Panchayati Raj (NIRD&PR) (2024-25)' pertaining to the Ministry of Rural Development, Department of Rural Development.

(2) Twenty-third Report on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the Eighteenth Report (Eighteenth Lok Sabha) on 'Clean and Green Village: Role of Panchayats (2024-25)' pertaining to the Ministry of Panchayati Raj.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य मणिक्कम टैगोर जी, यह कन्वेसिंग करने की जगह नहीं है। वह जगह अलग होती है।

STATEMENTS RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 191ST AND 192ND REPORTS OF STANDING COMMITTEE ON COMMERCE – LAID

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Speaker Sir, on behalf of my colleague, Shri Jitin Prasada, I beg to lay the following statements (Hindi and English versions) regarding:-

(1) the status of implementation of the recommendations contained in the 191st Report of the Standing Committee on Commerce on 'Demands for Grants (2025-26) (Demand No.10)' pertaining to Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry.

(2) the status of implementation of the recommendations contained in the 192nd Report of the Standing Committee on Commerce on action taken by the Government on the recommendations/observations contained in the 190th Report of the Committee on 'Demands for Grants (2025-26) (Demand No.11)' pertaining to Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry.

——

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATION IN 2nd REPORT OF STANDING COMMITTEE ON LABOUR, TEXTILES AND SKILL DEVELOPMENT – LAID

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI PABITRA MARGHERITA): Speaker Sir, with your permission, I rise to lay a statement (Hindi and English versions) regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 2nd Report of the Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development on 'Demands for Grants (2024-25)' pertaining to the Ministry of Textiles.

——

MOTION RE: REFERENCE OF VIKSIT BHARAT SHIKSHA ADHISHTHAN BILL TO JOINT COMMITTEE

1208 hours

THE MINISTER OF EDUCATION (SHRI DHARMENDRA PRADHAN): Speaker Sir, with your kind permission, I beg to move:

> "that the Bill to enable and empower the Universities and other higher educational institutions to achieve excellence in teaching, learning, research and innovation, through co-ordination and determination of standards in institutions for higher education or research and scientific and technical institutions, and for that purpose to constitute a Viksit Bharat Shiksha Adhishthan, to facilitate the Universities and other higher educational institutions to become independent self-governing institutions and to promote excellence through a robust and transparent system of accreditation and autonomy, and for matters connected therewith or incidental thereto be referred to a Joint Committee of the Houses consisting of 21 Members of this House to be nominated by the Hon'ble Speaker Lok Sabha and 10 Members of Rajya Sabha to be nominated by Hon'ble Chairman;
>
> that in order to constitute a sitting of the Joint Committee the quorum shall be, as near as may be, one-third of the total number of Members of the Joint Committee;
>
> that the Committee shall make a report to this House by the last day of the first part of the Budget Session 2026;
>
> that in other respect, the Rules of Procedure and conduct of Business of this House relating to Parliamentary Committees shall apply with such variations and modifications as the Speaker may make; and
>
> that this House recommends to Rajya Sabha that Rajya Sabha do join the said Joint Committee and communicate to this House names of the Members to be appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee."

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि उच्चतर शिक्षा या अनुसंधान और वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं में मानकों के समन्वय और अवधारण के माध्यम से अनुसंधान और नवाचार में श्रेष्ठता के उच्चतर स्तरों को प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालयों और अन्य उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं को समर्थ बनाने और सशक्त करने, और उस प्रयोजन के लिए विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान का गठन करने के प्रयोजन के लिए, विश्वविद्यालयों और अन्य उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं के स्वतंत्र स्वशासी संस्था बनने को सुकर करने के लिए और प्रत्यायन तथा स्वायत्तता की एक मजबूत और पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से श्रेष्ठता की अभिवृद्धि करने के लिए, और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को माननीय लोक सभा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्यों और माननीय सभापति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले राज्य सभा के 10 सदस्यों वाली दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए;

कि संयुक्त समिति की बैठक आयोजित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का, यथासंभव एक-तिहाई के निकट होगी,

कि समिति बजट सत्र 2026 के पहले भाग के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य मामलों में, संसदीय समिति से संबंधित इस सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम, ऐसे परिवर्तनों और उपांतरणों के साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष तय करेंगे; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप इसे जेपीसी में नहीं भेजना चाहते हैं? क्या आप चर्चा करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बोलिए, अगर आप चर्चा करना चाहते हैं तो चर्चा करवा लेते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि उच्चतर शिक्षा या अनुसंधान और वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं में मानकों के समन्वय और अवधारण के माध्यम से अनुसंधान और नवाचार में श्रेष्ठता के उच्चतर स्तरों को प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालयों और अन्य उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं को समर्थ बनाने और सशक्त करने, और उस प्रयोजन के लिए विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान का गठन करने के प्रयोजन के लिए, विश्वविद्यालयों और अन्य उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं के स्वतंत्र स्वशासी संस्था बनने को सुकर करने के लिए और प्रत्यायन तथा स्वायत्तता की एक मजबूत और पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से श्रेष्ठता की अभिवृद्धि करने के लिए, और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को माननीय लोक सभा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्यों और माननीय सभापति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले राज्य सभा के 10 सदस्यों वाली दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए;

कि संयुक्त समिति की बैठक आयोजित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का, यथासंभव एक-तिहाई के निकट होगी,

कि समिति बजट सत्र 2026 के पहले भाग के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य मामलों में, संसदीय समिति से संबंधित इस सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम, ऐसे परिवर्तनों और उपांतरणों के साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष तय करेंगे; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

—

माननीय अध्यक्ष : कई माननीय सदस्य यहीं पर ही ध्यान लगा लेते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि यह ध्यान लगाने का स्थान नहीं है। आप ध्यान घर ही लगाकर आएं तो ठीक रहेगा। क्या मैं नाम लेकर बताऊँ कि ध्यान कौन लगा रहा है?

… (व्यवधान)

(1210/AK/STS)

माननीय अध्यक्ष : आइटम नम्बर - 21, श्रीमती निर्मला सीतारमण।

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, what about Item No. 20? … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : वह भी आयेगा।

SABKA BIMA SABKI RAKSHA (AMENDMENT OF INSURANCE LAWS) BILL

1211 hours

THE MINISTER OF FINANCE; AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I rise to move for leave to introduce a Bill further to amend the Insurance Act, 1938, the Life Insurance Corporation Act, 1956 and the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999.

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि बीमा अधिनियम, 1938 , जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I rise to oppose the introduction of the Bill, the Sabka Bima Sabki Raksha (Amendment of Insurance Laws) Bill, 2025.

The first objection is regarding the title of the Bill, namely, the Sabka Bima Sabki Raksha (Amendment of Insurance Laws) Bill, 2025. Previously, so many amendments of the insurance laws have come to this House, and this is an Insurance Laws (Amendment) Bill. There is a specific provision in the legislative process. Kaul & Shakdher is very specific that the title of the Bill should convey the message regarding the intent and content of the Bill which has to be explicitly given to the public or given to the people at large. So, the title should be clear enough while being drafted. But it is quite unfortunate.

I would like to quote Kaul & Shakdher Page No. 587:

> "Every Bill has a title succinctly describing the nature of the proposed measure. Care is taken to see that the title is sufficiently wide to cover all the provisions of the Bill, and that it is not vague,

for, otherwise it may invite amendments outside the scope of the proposed measure".

So, this is very clear. Now, coming to this Insurance Laws Bill, what is the relation of the 'Insurance Laws' with the Sabka Bima Sabki Raksha? So, the title of the Bill has nothing to do with the contents of the Bill.

Now, I come to the contents of the Bill. Is 100 per cent FDI in the Life Insurance Corporation as well as in any insurance sector helping the poor people and the marginalized section of the society? So, 100 per cent FDI in the insurance sector is adversely affecting national interest. I have not got much time because merits are not to be discussed.

Another provision is regarding the commission of the Life Insurance Corporation agents and other insurance agents which will be determined by the Insurance Regulatory Development Authority of India according to the new provision. In the original Bill, it was to be decided by the Parliament and as per the rules and regulations made by the Parliament. But it is quite unfortunate to note that the Insurance Regulatory Development Authority of India is given the authority to describe and determine the commission of the LIC agents.

Even now, it is very well known to all, as several times I have also raised the issue of the LIC agents in the House, their commission has drastically reduced and thereby the number of LIC agents have come down like anything. The LIC agents are the backbone of the Life Insurance Corporation. But unfortunately, they have not been taken care of. In such a situation, the new Bill is not for insurance of the common people. It is not for the *suraksha* of the common people and the ordinary people. Therefore, I strongly object to it.

Another objection of mine is also there. I would like to seek a ruling. I would like to raise a point of order also in this regard.

(1215/SRG/MM)

My point of order is in respect of Article 348 of the Constitution of India. I would like to have a ruling on this. I raise a point of order under Article 348 of the Constitution of India and the relevant provisions of the India's Official Languages Act of 1963. I seek your kind ruling on this important Constitutional aspect relating to the language in which the Bills are being drafted and introduced in Parliament. … (*Interruptions*) I want a ruling. A specific ruling is required. … (*Interruptions*) Sir, this point of order is not political in nature

please. It goes to the constitutional validity, legislative discipline and legal certainty of parliamentary legislation.

Article 348 of the Constitution clearly provides that the authoritative text of the Bills to be introduced in either House of the Parliament and all of Acts passed by the Parliament shall be in English language, unless Parliament by law otherwise provides. This Constitutional mandate remains unchanged and binding on this House.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इतने विद्वान् सदस्य है। आपको नियम 72 पढ़ना चाहिए।

… (*Interruptions*)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, this position is further reinforced by the India's Official Languages Act of 1963. … (*Interruptions*) Whatever ruling is given by the hon. Speaker, we are ready to abide by it. But we would like to have a ruling on this.

Sir the position is further reinforced by the India's Official Languages Act of 1963, while the Act encourages the use of Hindi for Union official purposes, it expressly continues the use of English for Parliamentary business, including Bills and Acts. The Act permits Hindi translations to be supplied to Members of Parliament and to the public for convenience. But it does not authorize the mixing of languages or the insertion of Hindi words within the authoritative English text of the Bill. This is the clear provision in Article 348 as well as India's Official Languages Act of 1963.

In these circumstances, I strongly oppose the introduction of the Bill as well as I seek a ruling from the hon. Speaker regarding this constitutional position. This is not the interpretation of the Constitution. It is a constitutional mandate to be abided by this House. So, I want a specific ruling on this

माननीय अध्यक्ष : डॉ. टी. सुमति। क्या मैं इसका जवाब पहले दे दूं? क्या आपका भी नियम 348 से संबंधित इश्यू है?

DR. T. SUMATHY *ALIAS* THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): I have two different issues.

माननीय अध्यक्ष : क्या पहले नियम 348 पर जवाब दे दें।

प्रो. सौगत राय (दम दम) : सर, मेरा भी नोटिस है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जिन लोगों के नोटिस हैं, वे नियम 72 पढ़ लीजिए। नियम 72 में अपनी बात संक्षिप्त में कह दें। मुझे लगता है कि सभी ने रूल पढ़ रखा है।

डॉ. टी. सुमति।

DR. T. SUMATHY *ALIAS* THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Sir, I rise to object to the introduction of the Bill on three grounds in pursuance of Rule 72 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha.

Amendment of Section 2C of the Bill to provide foreign Insurance companies an ultimate say in insurance business in India is against the sovereignty, unity and integrity of nation, and is a violation of constitutional provisions.

Amendment of section 2CA of the Bill, the insertion of clause (a) and (b) is against the interest of the national insurance companies as, it shall not apply to an insurer or insurance intermediary in any Special Economic Zone including International Financial Services Centres, set up under the provisions of the Special Economic Zones Act, 2005. It shall apply to the insurer or insurance intermediary in any Special Economic Zone including International Financial Services Centres, set up under the provisions of the Special Economic Zones Act, 2005, with such exceptions, modifications and adaptations as may be specified in the notification to facilitate 100 per cent foreign players in the insurance sector.

This is my objection. This is untenable and unjustifiable as it is against the Indian insurance sector.

In view of the above objections, I respectfully submit that the Bill is liable to be rejected at the very threshold, being beyond the jurisdiction of Parliament and violative of the Constitution of India.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, under Rule 72(1) of the Rules of Procedure, I oppose the introduction of the Sabka Bima Sabki Raksha (Amendment of Insurance Laws) Bill, 2025. This is another example of Hindi-isation of legislation in this country.

(1220/SM/MK)

You give the name of the Bill in such a manner that Hindi becomes the ‘introduction’, and then Government slogans are incorporated into the Bill. यह जो 'सबकी बीमा, सबकी सुरक्षा' है, यह सब गवर्नमेंट का स्लोगन है। यह बिल का लैंग्वेज नहीं होना चाहिए।

Lastly, I want to say that in the insurance sector, we are actually working backwards. Pandit Jawaharlal Nehru nationalised the life insurance sector in 1956. Shrimati Indira Gandhi nationalised the general insurance sector in 1972. Now, we are moving in the reverse direction. Slowly, IRDA was set up in 1999, and now hundred per cent FDI in the insurance sector is being allowed. This is going to favour the corporates and not the common people and common insurers.

The rural population is still outside the ambit of insurance. I think this is a superfluous Bill. This is a backward-looking Bill, and, that is why, I oppose its introduction.

SHRI T. M. SELVAGANAPATHI (SALEM): Sir, this is the problem. This is exactly the core of the problem, where you name all your schemes, Acts and statutory measures in Hindi. This is the difficulty which we are facing now.

Sir, we oppose even the very name of the Bill – *S*abka Bima Sabki Raksha (Amendment of Insurance Laws) Bill, 2025. This Bill amends the Insurance Act, the LIC Act and the IRDA Act. I do not want to repeat what our learned friends Shri Premachandran, Dr. T. Sumathy and Prof. Sougata Ray have already stated.

Fundamentally, ours is a welfare State, where the Constitution, through its Directive Principles, directs the State to provide social security and healthcare to its citizens. Article 41 clearly says:

> “The State shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement....”

This particular Bill completely dismantles this welfare aspect of our Constitution. Take, for example, the Employees’ State Insurance Act, 1948. It is a statutory welfare legislation that mandates the Government to provide medical care to insured persons and their families, cash benefits during sickness, maternity and employment injury, as well as funeral and dependent benefits.

I would like to impress upon this Government that it should be rolling out more such welfare-oriented Bills, because State-backed social security for workers such as Accredited Social Health Activists, Anganwadi workers, under

the Mahatma Gandhi National Employment Guarantee scheme, which is now going to be renamed RAM, auto-rickshaw drivers, taxi drivers, tailors, the under-privileged and the poor will be directly hit because of hundred per cent foreign investment. Therefore, we strongly object to the introduction of this Bill. It should be withdrawn.

एडवोकेट चन्द्र शेखर (नगीना) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम -72 के अंतर्गत इस विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दिए जाने के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। यह विधेयक अपने प्रारूप एवं विषय-वस्तु में संविधान के प्रावधान के प्रतिकूल है तथा प्रथम दृष्टया संवैधानिक रूप से दोषपूर्ण है, इसलिए इसे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, इसमें विधायी क्षमता का अभाव है। बीमा सामान्यत: यूनियन लिस्ट की एंट्री - 47 में है, लेकिन निम्न परिस्थितियों में विधायी क्षमता का प्रश्न उठाता है। राज्य पर अनिर्वाय वित्तीय दायित्व डालता है, राज्य स्वास्थ्य योजनाओं और राज्य बीमा ढांचे को बिना सहमति के बाध्य करता है, राज्य सूची, समवर्ती सूची के विषयों में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करता है तथा यह संघीय ढांचे का उल्लंघन बनता है, जो संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है।

अध्यक्ष महोदय, यह अनुच्छेद -14 में दी गई समानता का उल्लंघन है। इसे यूनिवर्सल इंश्योरेंस कहा गया है, परन्तु न्यूनतम बीमा राशि तय नहीं है। लाभ असमान, अनिश्चित या विवेकाधीन है, ये इसे मनमाना कानून बनाते हैं।

(1225/ALK/GM)

अध्यक्ष जी, अनुच्छेद 21 जीवन और स्वास्थ्य का अधिकार, स्वास्थ्य बीमा और अधिकार की तरह प्रस्तुत किया गया है, परंतु कानूनी रूप से कोई परिवर्तनीय अधिकार नहीं है, कोई गारंटी लाभ नहीं है, तभी आर्टिकल 21 के सबस्टैंटिव प्रोटेक्शन को कमजोर करता है।

अध्यक्ष जी, यह संघवाद का उल्लंघन है, लागत साझेदारी अस्पष्ट है, राज्यों में परामर्श का अभाव है, वित्तीय दायित्व का थोपा जाना, यह संवैधानिक संघीय ढांचे का उल्लंघन है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

माननीय अध्यक्ष : इसकी विस्तृत चर्चा बाद में करेंगे। अभी सिर्फ नियम 72 में विरोध किया जाता है। माननीय सदस्य श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन ने आर्टिकल 348 का हवाला देते हुए यह विषय उठाया है कि संसद में पुरःस्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों का प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होना चाहिए। इस संदर्भ में मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि 'सबका बीमा, सबकी रक्षा' बीमा विधि संशोधन विधेयक, 2025 का प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में ही है। इस विधेयक के नाम में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी भी सरकारी विधेयक के नाम का चयन करना मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।

माननीय मंत्री जी, आप इस विषय पर कुछ बोलना चाहती हैं।

श्रीमती निर्मला सीतारमण : सर, सभी विषयों पर बोलना है।

माननीय अध्यक्ष : आप संक्षिप्त में इनका जवाब दे दीजिए।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, with due respect, I will address each of the points. Many of the issues raised are legitimately the issues that have to be part of the debate itself. To object to the introduction of the Bill is not necessary because you have given time for the discussion. … (*Interruptions*)

श्री बी. मणिक्कम टैगोर (विरूधुनगर) : सर, यह आपका अधिकार है।

श्रीमती निर्मला सीतारमण : सर, अधिकार के बारे में ही बात करते हुए, since hon. Speaker has asked me to say a few words on it, I am saying. Everything is subject to the direction given by the Chair. I am also subject to the direction given by the hon. Speaker. … (*Interruptions*) Sir, since you have given me permission, I am going to answer. … (*Interruptions*)

There is no need to shout me down. It is on the call of the hon. Speaker that I have got up to give some comments on this. … (*Interruptions*)

सर, मैं आपकी अनुमति से बोलने के लिए खड़े होकर अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर बोल रही हूं। आज इस हाउस में ऐसे हालात नहीं होने चाहिए। मैं आपका प्रोटेक्शन चाहती हूं। मंत्री हों या मेंबर्स हों आपके संरक्षण के अनुसार ही हम चलते हैं। आपके प्रोटेक्शन के कारण ही हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए I have to say a few things. Many of the points are very much a part of what the discussion could be on. At the introduction stage itself, there are questions about legislative competence and I do not think there is a question on the legislative competence of the Government to bring this into this House.

Secondly, there are points which the hon. Members have raised which can be part of the discussion. For example, hon. Member Shir N.K. Premachandran talked about commissions for LIC agents. It is very much a part of what we are going to discuss. Let me even give one point on that. Fixing commission for LIC agents is already a part of the regulator in the sense that it fixes the upper cap and below which is what the agents are given to collect. They are not to go beyond the upper cap. Is it not already with the IRDAI? Everything is subject to discussion. Everything under your guidance will go either into the records or not. Everything under your direction will be either acceptable or not.

Hon. Member Shri Selvaganpathi talked about welfare measures, insurance etc. Let me say this, and I am sure this is also going to have a lot of voices of protest, that if anyone thought of common citizens' insurance at a mass scale, it was the Prime Minister Shri Narendra Modi. Where did the

Jeevan Jyoti Bima Yojana come from? Where did the Atal Pension Yojana come from? These are common people's insurance coverage schemes being given at a very nominal premium. … (*Interruptions*)
(1230/GTJ/CP)

That has been given by the hon. Prime Minister. That is his scheme. All these are included as a scheme by the hon. Prime Minister. Today, they want to talk about the welfare measures and insurance. They are very welcome to talk.

I would say more about what the hon. Prime Minister, Shri Modi did because of financial inclusion. … (*Interruptions*) That is the reason why in this country, during COVID also, we could give insurance coverage to people. So, there are every one of them which are subject to the discussion of this Bill, rather than questioning the introduction itself.

माननीय अध्यक्ष : शाम को चार बजे जब इस पर चर्चा करेंगे, तब डिटेल में चर्चा होगी।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आज ही करेंगे।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि बीमा अधिनियम, 1938, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I introduce the Bill.

विकसित भारत - रोजगार और आजीविका के लिए गारन्टी मिशन (ग्रामीण) वीबी-जी राम जी (विकसित भारत - जी राम जी) विधेयक

1232 बजे

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर 20 - श्री शिवराज सिंह चौहान।

कृषि और किसान कल्याण मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रत्येक ग्रामीण गृहस्थों को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक सौ पच्चीस दिन की कानूनी गारन्टी मजदूरी नियोजन उपलब्ध कराकर, विकसित भारत @2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ संरेखित ग्रामीण विकास कार्य ढांचे को स्थापित करने के लिए; समृद्ध और समनुत्थानशील ग्रामीण भारत के लिए सशक्तिकरण, विकास अभिसरण तथा संतृप्तिकरण का संवर्धन करने के लिए; तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि प्रत्येक ग्रामीण गृहस्थों को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक सौ पच्चीस दिन की कानूनी गारन्टी मजदूरी नियोजन उपलब्ध कराकर, विकसित भारत @2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ संरेखित ग्रामीण विकास कार्य ढांचे को स्थापित करने के लिए; समृद्ध और समनुत्थानशील ग्रामीण भारत के लिए सशक्तिकरण, विकास अभिसरण तथा संतृप्तिकरण का संवर्धन करने के लिए; तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

… (व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, at the introduction stage itself, I oppose the Bill. Mahatma Gandhi once said 'India lives in villages'. He also dreamed that the economic freedom should be given to the poorest of the poor. Keeping this in his mind, Dr. Manmohan Singh, during UPA's period, had brought a novel scheme under MGNREGA and because of this Scheme, crores and crores of poor people have benefited in the country. They have not only received the remuneration, but have also enjoyed the benefit of this scheme for the work of upto 100 days.

Now, in the name of Mahatma Gandhi ji, this Government, because of hatredness, is going to bring a new Bill.… (*Interruptions*) This is very bad.… (*Interruptions*) The father of the nation is being ridiculed by this Government. …… (*Interruptions*) I oppose this Bill. … (*Interruptions*)

श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा (वायनाड) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं नियम 72 (1) के तहत इस विधेयक को पुर:स्थापित करने पर अपनी सख्त आपत्ति दर्ज करना चाहती हूं। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून पिछले बीस सालों से ग्रामीण भारत को रोजगार देने में और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सक्षम रहा है। यह इतना क्रांतिकारी कानून है कि जब इसको बनाया गया, तो सदन के सभी राजनीतिक दलों ने इसे पूरी सहमति दी। इसके द्वारा 100 दिन का रोजगार इस देश के हमारे गरीब से गरीब भाई-बहनों को मिलता है।

हम सब जनप्रतिनिधि हैं। जब हम अपने-अपने क्षेत्र में जाते हैं, आप भी जानते हैं कि दूर-दूर से हमें दिख जाता है कि मनरेगा का मजदूर कौन है। वह सबसे गरीब होता है, उसके चेहरे पर झुर्रियां होती हैं, हाथ मिलाएं तो हाथ पत्थरों की तरह होते हैं। … (व्यवधान) सर, मैं वहां तक पहुंच रही हूं, मुझे पहुंचने दीजिए। एक मिनट लूंगी, मुझे पहुंचने दीजिए। उनके हाथ पत्थरों की तरह कठोर होते हैं, क्योंकि वे इतनी मजदूरी करते हैं। मेरा इस बिल पर ऑब्जेक्शन है। यह जो कानून है, इसके तहत हमारे गरीब भाई-बहनों को जो रोजगार की कानूनी गारण्टी मिलती है, जो अधिकार मिलता है, वह इस योजना में मांग के आधार पर संचालित होता है।

(1235/SK/HDK)

इसका मतलब है कि जहां रोजगार की मांग है, वहां इस योजना द्वारा 100 दिनों का रोजगार देना अनिवार्य है। इसके साथ-साथ केंद्र से इसके लिए जो पूंजी दी जाती है, वह भी मांग पर आधारित होती है यानी इस योजना के लिए जितने पैसे जहां भेजने होते हैं, वहां जमीनी परिस्थितियों और मांग के आधार पर निर्धारित होता है।

महोदय, इस विधेयक की अनुसूची-1 में उपनियम 4(1) और 4(2) द्वारा केंद्र को इजाजत दी गई है कि वह पहले से ही निर्धारित कर ले कि कितनी पूंजी कहां भेजी जाएगी। इससे संविधान के 73वें संविधान संशोधन को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसके जरिए ग्राम सभाओं को इस योजना की मांग को जमीनी परिस्थितियों के आधार पर तय करने का पूरा अधिकार दिया गया था लेकिन आज वह अधिकार कमजोर किया जा रहा है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: जब इस पर चर्चा होगी तब आप पूरी डिटेल में अपनी बात बोलना।

… (व्यवधान)

श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा (वायनाड) : महोदय, संविधान की मूल भावना है कि हर व्यक्ति के हाथ में शक्ति होनी चाहिए, वही मूल भावना पंचायती राज में है। यह विधयेक इसी मूल भावना का विरोध है।

महोदय, इस विधेयक के प्रबंधनों में रोजगार का कानूनी अधिकार कमजोर हो रहा है और यह संविधान के विपरीत है। हमारे इसी सदन ने यह कानून बनाया था और इसी सदन ने यह अधिकार जनता को दिया था। महात्मा गांधी मनरेगा योजना में 90 प्रतिशत अनुदान केंद्र से आता था और इस विधेयक द्वारा ज्यादातर प्रदेशों में 60 प्रतिशत आएगा, अब इसे घटाया गया है। इससे प्रदेशों की अर्थव्यवस्था पर बहुत भार पड़ेगा, खास तौर से वे राज्य जिनकी अर्थव्यवस्था केंद्र की ओर से जीएसटी बकाये के इंतजार में है।

महोदय, इस विधेयक द्वारा केंद्र का नियंत्रण बढ़ाया जा रहा है और जिम्मेदारी घटायी जा रही है। 100 दिन रोजगार को 125 दिन करने की बात कही है, लेकिन इसमें वेतन और मजदूरी की बढ़ोतरी की कोई बात नहीं कही गई है। यह सही बात है कि अभी तक जो बकाया है, वही पूरा नहीं हुआ है।

महोदय, मैं आखिरी बात कहना चाहती हूं कि हर योजना का नाम बदलने की सनक समझ में नहीं आती है। जब भी यह किया गया है तब सरकार को पैसे खर्च करने पड़ते हैं। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप नियम 72 में विरोध प्रकट करें।

… (व्यवधान)

श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा (वायनाड) : महोदय, मेरा आखिरी प्वाइंट है कि बिना चर्चा के और बिना सदन की सलाह लिए इस तरह से जल्दी-जल्दी में विधेयक पास नहीं होना चाहिए। यह विधेयक वापस लिया जाना चाहिए और इसके बदले में सरकार को नया विधेयक पेश करना चाहिए। … (व्यवधान) महात्मा गांधी जी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं और पूरे देश की यही भावना है।… (व्यवधान)

महोदय, आखिरी बात यह है कि गहन जांच-पड़ताल और व्यापक चर्चा के लिए इसे स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए और कोई विधेयक किसी की निजी महत्वाकांक्षा, सनक और पूर्वाग्रहों के आधार पर न तो पेश होना चाहिए और न ही पास होना चाहिए। धन्यवाद।

(1240/VVK/PS)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं किसी भी माननीय सदस्य को बीच में नहीं रोकना चाहता हूँ, लेकिन सदन नियमों और प्रक्रियाओं से चलता है। अन्यथा, माननीय सदस्य सदन के बाहर कहेंगे कि हमें माननीय अध्यक्ष ने बोलने नहीं दिया। सदन नियमों और प्रक्रियाओं से चलता है और नियम 72 सभी माननीय सदस्यों ने पढ़ा है।

मैं सभी को मौका दूँगा, इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूँगा कि नियम 72 के अंतर्गत विषयों पर ही अपनी बात को फोकस रखें। जब इस पर डिटेल में चर्चा होगी, तो आप उस विषय पर अपनी विस्तृत चर्चा कर सकते हैं।

प्रो. सौगत राय जी।

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, under Rule 72(1), I oppose the introduction of the Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB – G RAM G Bill.

Sir, I oppose the idea of replacing the father of the nation, Mahatma Gandhi’s name with G RAM G. Ram ji is respected by people in the country but to me, Mahatma Gandhi is much more relevant. This distortion of the name of MGNREGA is something we object to.

We have other points of objections like, instead of being a demand-driven scheme, it has become a supply-driven scheme and the States are

having to cough up 40 per cent of the total allotment, which will pose a great pressure on the States' finances. That is why, I think, instead of discussing it here, we should refer it to a Select Committee, which can go into the merits of the Bill.

That is why, I, again, strongly oppose it. This is the first Bill of Shri Shivraj Singh Chouhan. … (*Interruptions*) I think he should go back and send the Bill to a Select Committee. I oppose the introduction of the Bill.

माननीय अध्यक्ष : श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर – उपस्थित नहीं।

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, कृपया आप अपनी बात संक्षेप में रखें। जो विषय एक माननीय सदस्य ने बोल दिया है, कृपया उसे रिपीट न करें।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I will fully confine to Rule 72.

Sir, I would like to first speak regarding the name of the Bill. Kindly go through Article 51A, that is, the Fundamental Duties of a Citizen. It says that it shall be the duty of every citizen of India to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag, and the National Anthem. Clause (b) of Article 51A says, 'To cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom'.

Sir, who led the national struggle for freedom? That was none other than the late Mahatma Gandhi. The name of Mahatma Gandhi, the father of the nation, is being removed from the Act as well as from the Scheme. … (*Interruptions*) I feel that this is an insult to the Father of the Nation.

Sir, my point is this. Hon. Minister, Chouhan ji, kindly explain it. We have no objection in putting the name 'Ram'. You can put it in any other place. But my simple and logical question to the hon. Minister is this. Please logically explain to the House as to why you are removing the name of the father of the nation from the Act and the Scheme.

Sir, I have a second point to make which is purely within Rule 72. … (*Interruptions*) As per the Act of 2005, this is a statutory right to work. But now, as per Clause 3 of the Bill, it is very specific that it is none other than a Centrally-sponsored Scheme. Previously, it was a demand-driven Scheme. Now, it is purely a Centrally-sponsored Scheme and the amount and the annual budget will be described by the Central Government and that would be provided. … (*Interruptions*)

Sir, my third point is this. This is a technical objection. I am talking about Schedules. Kindly go through the Schedule. Hon. Speaker, Sir, may kindly see the legislative drafting. Kindly go through the First Schedule.

(1245/SNL/VB)

If you go through Schedule I, it is just like an Act. Actually, what is the purpose of a Schedule? A Schedule is meant to make some programmes or some actions to be taken and for related matters. But if you go through the Schedule of the Bill, it is just like a Bill; it has clauses, and the aims and objects of the Bill are being well explained in the Schedule. Is this the proper way of legislative drafting of a Bill, by appending such content to the original Bill as Schedule I and thereby making a mockery of legislative drafting? Is it permissible? Kindly go through Schedule I of the Bill. There is a specific purpose for a Schedule. Unfortunately, that has not been complied with.

The last point is that the State Government will be burdened with a huge financial liability. As a result, the significance of the scheme will be lost because, in Kerala, I know that about Rs. 2,500 crore, according to this calculation, the State has to find out, but from where? That means, finally, the work will be affected and loss of employment will occur.

Therefore, kindly withdraw the Bill. I once again oppose the Bill and request the Government to withdraw the Bill. Thank you.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, बैठे-बैठे टिप्पणी क्यों करते हैं? मैं चाहता हूँ कि सदन में हर विषय पर व्यापक चर्चा हो। नियम 72 के बाद भी, मैं आप लोगों को बोलने का मौका दे रहा हूँ। सदन के अन्दर डिटेल में चर्चा करने के लिए मैं हमेशा प्रयास करता हूँ। आप लोग नियम-प्रक्रियाओं के तहत अपनी-अपनी बात कहें।

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Thank you, Mr. Speaker, I would also like to oppose the introduction of the proposed Bill, The Viksit Bharat – G Ram G Bill, which represents a deeply regrettable and retrograde step for our nation and our nation’s commitment to the welfare of its most vulnerable citizens.

My first objection, Mr. Speaker, as with others, is the ill-advised decision to remove the name of the father of the nation, for the reasons already given, which I will not repeat. This is not just an administrative tweak; it is an assault on the very spirit and philosophical foundation of this crucial programme.

Mahatma Gandhi's vision of *Ram Rajya* was never a purely political programme. It was a socio-economic blueprint rooted in the empowerment of villages, and his unwavering faith in *Gram Swaraj* was part of his vision of *Ram Rajya*. So, the original Act, by bearing his name, acknowledged his profound conviction that true employment guarantee and upliftment must flow from the grassroots, embodying his principle of "the last man first".

To remove the name of Mahatma Gandhi is to strip the Bill of its moral compass and its historical legitimacy, and then to have two languages in the title, merely to make the acronym "G RAM G", is not just a violation of Article 348, as pointed out in the previous discussion, but it also reminds me of a song, of a lyric from my childhood.

हम लोग बचपन में गाते थे-

देखो ऐ दीवानों तुम ये काम न करो,
राम का नाम बदनाम न करो।

We must also seriously question the legislative intent behind the financial restructuring proposed in the Bill. The proposal to impose 40 per cent of the financial burden directly on the State Governments is not just fiscally irresponsible, but it is a measure that threatens to make the entire programme unviable.

This sudden and massive shift in liability will inevitably make it impossible for poorer States. It will lead to delays in wage payments, reduced days of work, and ultimately the destruction of the Scheme itself. It is a violation of fiscal federalism, which is why I do not think we have the legislative competence to do that.

Finally, it also makes the scheme contingent upon executive notification, allowing the Union to decide when and where the scheme will operate. This fundamentally alters the ratio of the programme.

संसदीय कार्य मंत्री; तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका दिल बड़ा है। आपने बिल के इंट्रोडक्शन के समय में इतने लोगों को बोलने का मौका दिया। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आप सबको हमेशा बोलने का मौका देते हैं।

हम टाइमबाउंड हैं। सरकार के पास बहुत-से बिज़नेसेज हैं… (व्यवधान) ये भाग जाएंगे… (व्यवधान) ये चर्चा की मांग करते हैं, उसके बाद भाग जाते हैं… (व्यवधान) ऐसा नहीं होता है… (व्यवधान)

देशहित में जो बिल्स पारित करने हैं, उनको तो हम पारित करके ही रहेंगे।... (व्यवधान) लेकिन आप लोग बहस में हिस्सा लीजिए।... (व्यवधान) हमें कोई आपत्ति नहीं है।... (व्यवधान) हम लोग सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।... (व्यवधान)

(1250/SJN/SMN)

मेरा प्वाइंट सिर्फ लिमिटेड है। जब आप नियम 72 के तहत बिल के पुरःस्थापन का विरोध करते हैं, तो अध्यक्ष महोदय ने स्पेसिफिकली बार-बार याद दिलाया है। We have to oppose the introduction of the Bill only on the ground of the competence of legislation making of this House. आप इस सदन को लेजिस्लेटिव कंपिटेंस तक ही सीमित रखेंगे, तो ठीक रहेगा। ... (व्यवधान)

प्रेमचन्द्रन जी, आप अनुच्छेद 343 की बात कर रहे हैं। आप ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के बारे में जानते हैं। हम सब जानते हैं कि भारत संघ का कामकाज दो भाषाओं में होता है, जो कि हिन्दी और अंग्रेजी है। हम दोनों भाषाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह प्रथा पहले से चली आ रही है। आप इसको अनावश्यक रूप से नियम 72 के तहत क्वोट कर रहे हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप ऐसा बोल सकते हैं। मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सिर्फ इतना निवेदन करिए कि वे आपकी बात सुन लें।

... (व्यवधान)

श्री किरेन रिजिजू : महोदय, अगर ये लोग अनलिमिटेड बोलते जाएंगे, तो सरकार को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। चूंकि नियम 72 का दुरुपयोग किया जा रहा है, यह ठीक बात नहीं है। सबको समय की कीमत समझनी चाहिए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

श्री किरेन रिजिजू : महोदय, ये बार-बार क्यों खड़े हो रहे हैं?

माननीय अध्यक्ष : इनको बार-बार खड़े होने की आदत है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मेरा मानना है कि सभी दल के सदस्य एक-एक मिनट में अपने विचार रख दें। जब वक्फ (संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित हो रहा था, तब भी हमने यह कोशिश की थी।

माननीय मंत्री जी, आज तो संक्षिप्त में बोलेंगे। जब बिल पर विचार होगा, तब विस्तार से बोलेंगे, लेकिन वे आज भी इस विषय पर बोलेंगे।

श्री के. सी. वेणुगोपाल जी।

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, thank you very much.

Sir, I rise to oppose this Bill under Rule 72. Basically, this is also a fundamental attack on the Constitution. Basically, MNREGA is the right to employment for the common people of this country. That guarantee is

therefore the employment. That guarantee now exists only on paper because of this Bill.

Sir, already many Members have mentioned that this is a demand driven programme. This destroys the universal coverage. The hollow promises of 125 days is not going to happen at all because of the shift of the financial burden to the States. Forty percent of the fund has to be borne by the States. My point is this. The father of the nation Mahatma Gandhi led the freedom struggle. Hon. Minister Shivraj Chouhan Ji, your name will be remembered as the Minister who removed the father of the nation's name. Your name will be remembered. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आपका विरोध क्या है?

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, every day, our hon. Prime Minister is talking about Mahatma Gandhi Ji in a big way. Now, you are bringing a legislation to remove his name. … (*Interruptions*)

श्री धर्मेन्द्र यादव (आज़मगढ़) : अध्यक्ष जी, 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम' के स्थान पर जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है, मैं माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी की ओर से इसका पुरजोर विरोध करता हूं। इस विरोध के कई कारण हैं। हमारे देश में लगातार बहुत सारी बातें की जाती हैं कि केन्द्र सरकार आर्थिक तौर पर इतनी मजबूत हो गई है, वह इतना सहयोग कर रही है। बिल दर बिल, अधिनियम दर अधिनियम, बजट दर बजट से लगातार प्रदेशों पर आर्थिक बोझ बढ़ाया जा रहा है। केन्द्र सरकार अपना आर्थिक बोझ हल्का करती जा रही है व अपनी जिम्मेदारी घटाती जा रही है। … (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी की ओर से कहना चाहता हूं कि इस देश का कोई भी व्यक्ति महात्मा गांधी जी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम का सम्मान पूरा देश करता है। गांधी जी ने अपने आखिरी शब्द 'हे राम' कहे थे। कम से कम महात्मा गांधी जी का अपमान मत करिए, यह हमारी प्रार्थना है। जब हम पूरी दुनिया में कहीं भी जाते हैं, तो वहां गांधी जी की प्रतिमाओं पर माला चढ़ाते हैं, लेकिन देश के अंदर बापू का अपमान हो रहा है। इस अपमान को हम समाजवादी लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे।

माननीय मंत्री जी, आप इस तरह के बिल को वापस लीजिए, नहीं तो इतिहास में आपका नाम काले अक्षरों से लिखा जाएगा। … (व्यवधान)

(1255/DPK/RP)

माननीय अध्यक्ष : सुप्रिया सुले जी।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सुप्रिया सुले जी, क्या आप बोलना चाहती हैं?

… (व्यवधान)

श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती) : अध्यक्ष महोदय, मेरी बड़ी विनम्रता से सरकार से विनती है। मैं समझ सकती हूं। … (व्यवधान) जैसे साल दर साल आगे बढ़ते हैं और अभी एआई आया है, उस हिसाब से पॉलिसी में बदलाव लाना चाहिए। … (व्यवधान) हम पॉलिसी में बदलाव के खिलाफ नहीं हैं। समय-समय पर हर बिल को देखा जाना चाहिए और उसके लिए सोचना चाहिए। मेरी सरकार से सिर्फ यही विनती है कि आप इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजिए। उस पर संक्षेप में सारी चर्चा हो। नाम बदलने से कुछ नहीं होता है, काम का महत्व होता है। "कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।"

इसलिए सरकार से मेरी विनती है। उससे पहले ऑब्जेक्शन है और हम विरोध करते हैं कि आप इससे महात्मा गांधी जी का नाम नहीं निकालेंगे। हम पूरी ताकत से इसका विरोध करेंगे। मेरी इनसे बड़ी विनम्रता से विनती है कि आप प्लीज़ इस पर चर्चा कराइए और इस पॉलिसी डिसीज़न में आप जो भी बदलाव ला रहे हैं, उसे आप स्टैंडिंग कमेटी में भेजिए। सरकार इसे फोर्स मत करे। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सबके विचार आ गए हैं।

माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

श्री शिवराज सिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष जी, महात्मा गांधी जी हमारे दिलों में बसते हैं। … (व्यवधान) महात्मा गांधी जी और पंडित दीनदयाल जी का यह संकल्प था कि जो सबसे पीछे हैं और जो सबसे नीचे हैं, उनका कल्याण सबसे पहले किया जाए। … (व्यवधान) हम केवल महात्मा गांधी जी को मानते ही नहीं हैं, हम महात्मा गांधी जी की बात भी मानते हैं। … (व्यवधान) उन्हीं के विचारों पर आधारित तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों पर आधारित गरीब कल्याण की कई योजनाएं यह सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चला रही है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक मनरेगा का सवाल है, कांग्रेस तो केवल मनरेगा लेकर आई थी और यूपीए की सरकार ने 2 लाख 13 हजार 220 करोड़ रुपए मनरेगा पर खर्च किए थे, लेकिन हमने 8 लाख 53 हजार 810 करोड़ रुपए गरीबों के कल्याण के लिए खर्च किए हैं और इस योजना को और मजबूत करने की कोशिश की है। … (व्यवधान)

1258 बजे

<u>(इस समय सुश्री एस. जोतिमणि, श्री टी. एम. सेल्वागणपति, सुश्री महुआ मोइत्रा, श्री मोहिब्बुल्लाह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)</u>

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज तकलीफ क्या है? … (व्यवधान) हम 100 दिनों के काम की गारंटी के बजाय 125 दिनों के काम की गारंटी देने का कार्य रहे हैं। … (व्यवधान) यह केवल कोरी गारंटी नहीं है, उसके लिए 1 लाख 51 हजार 282 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि का प्रावधान किया गया है। … (व्यवधान) इसके पहले रोजगार की कई योजनाएं आईं। एक योजना का नाम था - 'जवाहर रोजगार योजना'। बाद में कांग्रेस ने ही 'जवाहर रोजगार योजना' का नाम बदल दिया, तो क्या पंडित जवाहर लाल नेहरू जी का अपमान हो गया?… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा संकल्प है - गरीब का कल्याण। इसमें हमने उसी संकल्प को पूरा करने का प्रयत्न किया है।… (व्यवधान) न केवल गरीब का कल्याण, बल्कि उसके साथ गांव का संपूर्ण विकास, जो महात्मा गांधी जी कहते थे। एक सम्पूर्ण गांव, एक स्वावलंबी गांव और एक विकसित गांव के निर्माण का प्रावधान इसमें किया गया है। … (व्यवधान) केवल प्रावधान ही नहीं, हमारी केन्द्र सरकार इस पर 95,000

करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च करने का काम करेगी। गरीबों के कल्याण के लिए हमने यह भी तय किया है। … (व्यवधान) कई बार बजट का असामान्य वितरण होता है, समान वितरण नहीं होता है। कई पंचायतें विकास में पीछे रह जाती हैं और इसलिए इसमें पंचायत का ग्रेडेशन करके, जो अविकसित पंचायतें हैं और कम विकसित पंचायतें हैं, उन्हें ज्यादा काम देने का प्रावधान भी किया गया है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं कि हम यह जो नया बिल लेकर आ रहे हैं, वह नया बिल गांव का संपूर्ण विकास करेगा। … (व्यवधान) जब शरद पवार जी केन्द्रीय कृषि मंत्री थे, तब उन्होंने ही यह कहा था कि कृषि कार्यों के लिए, मनरेगा के काम के लिए मजदूर नहीं मिलते हैं।

(1300/PC/VPN)

हमने तो श्री शरद पवार जी की उस चिंता का भी समाधान करने का प्रयास किया है। … (व्यवधान) इसलिए, मैं विस्तार से, जब इस बिल पर चर्चा होगी, तब अपनी बात कहूंगा। … (व्यवधान) लेकिन, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि बापू हमारे दिलों में बसते हैं और हम उनका पूरा सम्मान करते हैं। … (व्यवधान) बापू ही कहते थे - 'राम राज्य'। … (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, राम हमारे रोम-रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं। … (व्यवधान) बिना राम के यह देश नहीं जाना जाता है। … (व्यवधान) पता नहीं क्यों 'जी राम जी' नाम आ गया, तो ये भड़क गए। … (व्यवधान) महात्मा गांधी जी स्वयं राम राज्य की स्थापना की बात करते थे और उनके अंतिम शब्द भी 'हे राम' थे। … (व्यवधान) बापू जी का पूरा सम्मान करते हुए राम राज्य की स्थापना, मतलब 'दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा' - हर गरीब को भरपूर रोजगार मिले, उसकी गरिमा का सम्मान हो, दिव्यांग, बुजुर्ग और महिला, अनुसूचित जाति और जनजाति को और प्रोटेक्शन दिया जाए, इसके लिए हम यह बिल लेकर आए हैं। … (व्यवधान) 125 दिनों की गारंटी है। … (व्यवधान) यह कहीं पर कमजोर नहीं हुई। … (व्यवधान) उस गारंटी को हम पूरा करेंगे। … (व्यवधान) गांवों का संपूर्ण विकास भी करेंगे और कृषि और मजदूरी, दोनों में संतुलन स्थापित करने का काम करेंगे। … (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, इसलिए, यह पूरा बिल महात्मा गांधी जी की भावनाओं के अनुरूप है और राम राज्य की स्थापना के लिए है। … (व्यवधान) आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

> "कि प्रत्येक ग्रामीण गृहस्थों को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक सौ पच्चीस दिन की कानूनी गारन्टी मजदूरी नियोजन उपलब्ध कराकर, विकसित भारत @2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ संरेखित ग्रामीण विकास कार्य ढांचे को स्थापित करने के लिए; समृद्ध और समनुत्थानशील ग्रामीण भारत के लिए सशक्तिकरण, विकास अभिसरण तथा संतृप्तिकरण का संवर्धन करने के लिए; तथा उससे ससंक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अब आप विधेयक को पुर:स्थापित करें।

… (व्यवधान)

श्री शिवराज सिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही आज दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1302 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा चौदह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1400/RHL/UB)
1400 बजे

लोक सभा चौदह बजे पुनः समवेत् हुई।
(श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी पीठासीन हुए)

नियम 377 के अधीन मामले- सभा पटल पर रखे गए

1400 बजे

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामले को उठाने की अनुमति प्रदान की गयी है, वे व्यक्तिगत रूप से तत्काल मामले के अनुमोदित पाठ को सभा पटल पर रख दें।

Re: Need to ban unauthorised App/websites used for resizing the documents keeping in view personal data breach

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर) : भारत में लगभग सभी सरकारी पोर्टल्स पर फाइल्स जैसे कि आधार कार्ड, फोटो इत्यादि अपलोड करने में फाइल साइज की एक लिमिट रहती है जिसका अनुपालन किये बिना फाइल उक्त पोर्टल पर अपलोड नहीं होती। उदाहरण के तौर पर GST पोर्टल पर रेंट / लीज एग्रीमेंट फाइल का साइज लिमिट सिर्फ एक एमबी (1 MB) है उसके बिना GST पोर्टल उक्त कागज़ को रिजेक्ट कर देता है। यूजर को फाइल का साइज कम करने के लिए अनाधिकृत वेबसाइट्स का सहारा लेना पड़ता है। यहाँ तक की संसद के दर्शन पोर्टल में भी ऐसी ही फाइल साइज अपलोड करने पर ऐसी ही सीमाएँ हैं। ये वेबसाइट्स एवं ऐप्स अनाधिकृत हैं जिससे सेंसिटिव डॉक्यूमेंट डेटा ब्रीच और प्राइवेसी वायलेशन के खतरों का रिस्क बढ़ता है। LLM और AI के दौर में हमारे इस गोपनीय डाटा का दुरुपयोग हो रहा है। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि इस मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए सभी डिपार्टमेंट्स, राज्य सरकारों एवं विदेशी मिशंस में उपयोग हो रहे ऐसे पोर्टल्स में ऐसी फाइल साइज लिमिट की पहचान करते हुए इन्हे हटाया जाए या यूजर को इंटीग्रेटेड कंप्रेस सोलूशन्स उक्त पोर्टल पर ही दिए जाएँ।

(इति)

Re: Need to include algorithmic accountability and platform liability under proposed Digital India Act

SHRI MUKESHKUMAR CHANDRAKAANT DALAL (SURAT): AI is next generation technology of the world. India is also rapidly advancing in AI positioning itself as a new player globally. World's largest tech giants are looking towards India to invest billions of dollars into AI & cloud infrastructure in India. India's "India AI Mission" has Rs 10371.92 cr. funding to boost AI ecosystem. India plans to have contribution of $1 trillion in its economy by 2035. AI adoption is surging in defence, telecommunication, electronics, healthcare, agriculture, education & fintech. Since AI is relatively a newer concept in India, it is yet framing AI policies, rules and regulations on data protection, safety, ethics & mitigating deepfakes. Of all these deepfakes are biggest concern & threats to the country, particularly for youth, women, & political leaders & reputed citizens of the country. These AI-generated fake videos/audio can mislead people, damage reputation, & spread distress, disgust & distrust in the country. India's Cyber Crime Coordination Centre (I4C) at present tracks deepfake cases. India's IT rules 2021 mandate platforms to remove deepfake cases in India. Yet, I suggest that to safeguard people against misuse of AI, the Government needs to draft still stricter laws under Digital India Act & create awareness among people about AI. I suggest that the Digital India Act may include AI-specific clauses addressing algorithmic accountability & platform liability.

(ends)

Re: Need to check empanelment eligibility of private hospitals under Ayushman Bharat Scheme and lift Inter-State Restriction under Ayushman Bharat Scheme

श्री बंटी विवेक साहू (छिन्दवाड़ा) : प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा गरीब व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिये आयुष्मान योजना लागू की गई है जिसमें पात्र व्यक्तियों को निजी चिकित्सालयों में पॉच लाख रूपये तक का इलाज उपलब्ध कराया जाता है। योजना में निजी चिकित्सालयों को शामिल किया गया है किन्तु नागपुर महाराष्ट्र के अधिकांश चिकित्सालय इस योजना में या तो शामिल नहीं हो रहे हैं अथवा वे कहते हैं कि हमारे यहॉं मध्यप्रदेश का आयुष्मान कार्ड नहीं चलता है। मेरा छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र (मध्य प्रदेश) नागपुर से लगा है एवं नागपुर में चिकित्सा सुविधा पूर्व से विकसित होने की वजह से गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीज नागपुर जाकर इलाज कराने को मजबूर होते हैं। आयुष्मान कार्ड होने पर भी उनका योजना में इलाज नहीं होता है। ऐसे में जमापूंजी,संपत्ति बेचकर इलाज कराना पड़ता है। मेरा अनुरोध है कि इस योजना में यह प्रावधान किया जाए कि चिकित्सालय संचालन की अनुमति देते समय एक निर्धारित सीमा 10 बिस्तरों से अधिक वाले चिकित्सालयों एवं विशेष गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा वाले चिकित्सालयों को आयुष्मान कार्ड धारक मरीजों के इलाज के लिये पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। इस भ्रम को भी दूर किया जाना चाहिए कि मध्यप्रदेश के मरीजों का महाराष्ट्र में आयुष्मान योजना में इलाज नहीं होगा।

(इति)

Re: Need to transfer major Railway Stations presently under the Banaras division to Sonepur division and restoration of sections currently under Muzaffarpur division

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): At present several key sections of my Saran Parliamentary Constituency such as Chhapra, Masrakh, and Kaptaganj fall under the Banaras Division of the North Eastern Railway (NER), causing significant operational and administrative inconvenience. Simultaneously, the Sonepur Railway Division of the East Central Railway (ECR) is facing a continuous erosion of its jurisdiction and revenue base. Important stations and sections have been repeatedly transferred, and the recent exclusion of the Muzaffarpur–Karpurigram section from Sonepur to the Samastipur Division has further weakened Sonpur’s operational control and financial stability. This fragmentation has disrupted planning, infrastructure development, and passenger services. I therefore propose that major stations presently under the Banaras Division (NER) transferred to the Sonepur Division of the ECR, and that sections shifted to Muzaffarpur Division be restored to Sonepur division. This realignment will enhance administrative convenience, improve operational efficiency, and ensure a fair and balanced distribution of revenue.

(ends)

Re: Need for permanent riverbank embankment in Palamu and Garhwa districts of Jharkhand

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू) : पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत गढ़वा एवं पलामू जिलों में कोयल, सोन एवं अमानत नदियों द्वारा हो रहे तीव्र कटाव की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। गढ़वा जिला के काण्डी प्रखण्ड में ग्राम मोखापी से सुण्डीपुर, जयनगरा, खरौंधा, गाड़ा, गाड़ा खुर्द, कसनद तक कोयल नदी एवं सुण्डीपुर से श्रीनगर तक ग्राम नारायणपुर, बाराडीह, बनकट, गाड़ाखुर्द, सोनपुरवा, नरवाडीह, कालागाढ़ा, बलियारी, बुनियाद विगहा, सड़की, शिवरी, डुमरसोता एवं श्रीनगर तक सोन नदी के तेज बहाव के कारण निरंतर और तेज कटाव हो रहा है। पलामू जिला के मेदिनीनगर के ग्राम बड़कागांव से खनवां, जोड एवं सिंगरा तक अमानत एवं कोयल नदी द्वारा लगातार कटाव जारी है। इस कटाव के कारण लगभग 6-7 किलोमीटर तक फैली सिंचित एवं उपजाऊ कृषि भूमि नष्ट हो रही है, और अब कई स्थानों पर आवासीय क्षेत्र भी कटाव की चपेट में आने लगे हैं, जिससे ग्रामीण परिवार पलायन को मजबूर हो रहे हैं। विदित है कि उक्त मामले को मैं पूर्व में भी सदन के माध्यम से उठाता रहा हूँ। जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि झारखंड सरकार के साथ समन्वय स्थापित करते हुए उपरोक्त प्रभावित क्षेत्रों में तटबंध निर्माण एवं कटाव-रोधी स्थायी उपायों को अविलंब सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय।

(इति)

Re: Development of tourism, industrial growth and employment opportunities in Kushinagar District, Uttar Pradesh

श्री विजय कुमार दूबे (कुशीनगर) : आज़ मैं आपका ध्यान कुशीनगर जनपद की एक अत्यंत महत्वपूर्ण समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। कुशीनगर एक ऐतिहासिक, धार्मिक, बौद्ध सर्किट एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है| पर्यटन के क्षेत्र मे रोजगार की अपार संभावनाएं हैं | यहाँ बौद्ध देशो से अनगिनत पर्यटक प्रतिवर्ष आते हैं | कुशीनगर मे औद्योगिक विकास की भी बहुत संभावना हैं, परन्तु उद्योग नहीं होने के कारण स्थानीय युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर प्राप्त नहीं हो पाते, और उन्हें रोज़गार की तलाश में महानगरों का रुख करना पड़ता है। कुशीनगर में कृषि आधारित उद्योग, फूड-प्रोसेसिंग इकाइयाँ, MSME सेक्टर, पर्यटन-सेवा उद्योग तथा स्किल-डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किए जाने की अपार संभावनाएँ हैं। यदि इन क्षेत्रों में केंद्र सरकार विशेष योजना, औद्योगिक प्रोत्साहन, निवेश सहयोग तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था सुनिश्चित करे, तो यहाँ बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिल सकेगा और आर्थिक प्रगति को नई दिशा मिलेगी। अतः, आपके माध्यम से विनम्र अनुरोध है कि कुशीनगर में पर्यटन विकास, औद्योगिक एवं रोजगार आधारित विकास योजनाओं को प्राथमिकता देने हेतु संबंधित मंत्रालय आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे।

(इति)

Re: Need to provide 50 percent disability Certification to monocular persons

श्री राहुल सिंह लोधी (दमोह) : सरकार की वर्तमान गाईड लाइन के अनुसार यदि कोई व्यक्ति एक ऑख से पूर्ण रूप से दृष्टिहीन हैं और वह दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाने जाता है तो चिकित्सक द्वारा मात्र 30 प्रतिशत दिव्यांगता का प्रमाण प्रत्र ही बनाया जाता है, जो दिव्यांगता की श्रेणी में नहीं आता है दूसरी तरफ सरकार द्वारा गाईड लाइन यह भी जारी की गई है, कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए व्यक्ति के पास 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ऐसी स्थिति में एक आँख से दृष्टिहीन दिव्यांगजनों को न तो किसी सरकारी योजना का लाभ मिलता है (खास तौर पर अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को छात्रवृति व शुल्क में छूट भी नहीं मिल पाती है) और न आरक्षण का लाभ मिल पाता है। आग्रह है एक ऑख से दृष्टिहीन दिव्यांगजनों को कम से कम 50 प्रतिशत दिव्यांगता का प्रमाण पत्र जारी किये जाने की नवीन गाईड लाइन जारी की जाए जिससे सरकारी योजनाओं व सभी प्रकार के आरक्षणों का लाभ मिल सकें क्योंकि एक हाथ व एक पैर से दिव्यांगजनों को सभी प्रकार के लाभ प्राप्त हो रहे हैं। शारीरिक रूप से दिव्यांगजनों को रोजगार मुखी बनाने हेतु भारत सरकार द्वारा एक विशेष अभियान प्रारंभ किया जाये।

(इति)

Re: Construction of 'Sardar Circuit' in Gujarat

श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा (बारडोली) : आपका ध्यान गुजरात के एक अति महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। आज हम सरदार वल्लभभाई पटेल जी के 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर उनके योगदान को याद करते हुए, उनके आदर्शों से प्रेरित होकर एक ऐसे सरदार सर्किट के निर्माण की आवश्यकता को महसूस कर रहे हैं, जो बारडोली, Statue of Unity, और नाडियाड तीन महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ता हो। बारडोली स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है। यहीं पर सरदार पटेल जी ने बारडोली सत्याग्रह का 1928 में नेतृत्व किया था। बारडोली की जनता ने अत्यधिक करों के खिलाफ जो साहस और संघर्ष दिखाया, उसने पूरे देश को प्रेरित किया। एकता नगर में सरदार साहब के व्यक्तित्व के अनुरूप प्रधानमंत्री जी के द्वारा 182 मीटर ऊंचाई वाली दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थापित हो चुकी है। जो पूरे देश और दुनिया को एकता की प्रेरणा और संदेश देती है। सरदार सर्किट के विकास होने से यह हमारे क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक संरचना को भी बदल सकता है और साथ साथ यह एकता, आत्मनिर्भरता और हमारे राष्ट्र की सामूहिक शक्ति को प्रगट करेगा।अतः मेरा अनुरोध है कि सरदार सर्किट के विकास को प्राथमिकता दी जाए। सरदार साहब की जन्म-स्थली नडियाड की पावन भूमि को जोड़ते हुए सरदार टूरिज्म सर्किट को शुरु करने का आग्रह करता हूँ।

(इति)

Re: Need to accord permission for proposed widening of Kolagarh-Bajawala road crossing through FRI (Forest-Research Institute) campus in Dehradun

श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह (टिहरी गढ़वाल) : मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र देहरादून के कौलागढ़ क्षेत्र में वन अनुसंधान संस्थान (एफ आर आई) के हस्तक्षेप के कारण हो रही परेशानियों की ओर आकर्षित करना चाहती हु । कौलागढ़ बाजावाला मार्ग जो कि वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की सीमा से लगता हुआ जो आगे राष्ट्रीय राजमार्ग देहरादून पोंटा से जुड़ता है, बहुत ही संकरा है और इसके चौड़ीकरण की मांग कई वर्षों से चली आ रही है। इस मार्ग का प्रयोग कौलागढ़ बाजावाला के अलावा आगे के कई गांव के लोग देहरादून शहर आने जाने के लिए करते है । इसके चौड़ीकरण समाधान हेतु प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग देहरादून द्वारा प्रस्ताव तैयार किया गया जो कि कौलागढ़ चरखी गेट वन अनुसंधान संस्थान की सुरक्षा दीवार के अंदर से होते हुए (लगभग 1500 मीटर) बाजावाला तक 30 फीट चौड़ा होना प्रस्तावित है लेकिन वन अनुसंधान संस्थान के हस्तक्षेप के कारण अभी तक स्थलीय निरीक्षण नहीं हो पाया। मैं केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री से मांग करती हूँ कि उक्त मार्ग का चौड़ीकरण कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करे ताकि कौलागढ़ में रोजाना लगने वाले जाम से क्षेत्रवासियों को निजात मिल सके।

(इति)

Re: Need to expedite approval of the Patmada-Bodam Mega lift irrigation project in Jamshedpur Parliamentary Constituency

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर) : मैं अपने संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम जिले की एक अत्यंत महत्वपूर्ण समस्या—पटमदा–बोड़ाम मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना—की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इस परियोजना का PFR केंद्रीय जल आयोग को भेजा जा चुका है और सभी आवश्यक जानकारी समय पर उपलब्ध करा दी गई है, फिर भी पिछले पाँच महीनों से अप्रैजल लंबित है, जिससे परियोजना के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलंब हो रहा है। यह परियोजना लगभग 16,800 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी। यह पूरा क्षेत्र आदिवासी बहुल है, जहाँ कृषि ही आजीविका का मुख्य आधार है। सिंचाई उपलब्धता से न केवल उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, बल्कि किसानों की आय और कृषि आधारित आजीविका को स्थायी मजबूती मिलेगी। पटमदा और बॉड़ाम क्षेत्र की सब्जियाँ झारखंड के अलावा ओडिशा और पश्चिम बंगाल तक भेजी जाती हैं, इसलिए बेहतर सिंचाई इन किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी होगी। साथ ही, वर्ष 2011–12 के बाद झारखंड में कोई नई केंद्रीय सिंचाई परियोजना प्रारंभ न होना भी चिंता का विषय है। अतः मैं सरकार से विनम्र आग्रह करता हूँ कि इस परियोजना के PFR का अप्रैजल शीघ्र पूरा कर इसे प्राथमिकता सूची में शामिल किया जाए, ताकि मेरे क्षेत्र के लाखों किसानों को वर्षभर सिंचाई उपलब्ध हो सके।

(इति)

Re: Need for development of railway platform at Gyanpur Road Railway Station in Bhadohi Parliamentary Constituency

डॉ. विनोद कुमार बिंद (भदोही) : मेरे लोकसभा क्षेत्र भदोही, (उत्तर प्रदेश) में स्थित ज्ञानपुर रोड़ रेलवे स्टेशन सबसे अहम स्टेशनों में एक है यह स्टेशन काशी - प्रयाग को जोड़ता है साथ ही दिल्ली, मुंबई के अलावा अन्य क्षेत्रों हेतू आवागमन के लिए रोजाना बड़ी संख्या में रेल यात्री इस स्टेशन पर पहुंचते है। रेलवे स्टेशन पर कई अहम विकास कार्यो की जरूरत है जिसमे प्लेटफार्म संख्या 1 और 2 पर यात्रियों हेतु टीन शेड का निर्माण सबसे अहम है जिससे बारिश व गर्मी में यात्रियों को राहत मिलेगी। इसके अलावा प्लेटफार्म संख्या 1 का विस्तारीकरण आवश्यक है। प्लेटफार्म छोटा है, जिससे रेल यात्रियों को चढ़ने व उतरने में दिक्कत होती है।

(इति)

Re: Need to grant fast-track project status to the Purna-Akola doubling of rail line project in Maharashtra

SHRI ANUP SANJAY DHOTRE (AKOLA): Sir, I rise to request the Hon’ble Railway Minister to address the need for doubling the Purna–Akola railway line, a long-pending section crucial for ensuring seamless movement from the South to the North-West. This pre-Independence railway corridor historically connected the princely state of Rajasthan (including Jaipur) to the Deccan region and continues to hold strategic and economic significance. The doubling of this route is essential to decongest traffic, enhance operational efficiency, and support the increasing passenger and freight movement in the region. Therefore, I urge the Hon’ble Minister to grant fast-track project status to the Purna–Akola track-doubling work at the earliest.

(ends)

Re: Need to set up a modern Meteorological Station at Rajsamand district of Rajasthan

श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ (राजसमन्द) : आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान राजसमन्द राजस्थान में आधुनिक मौसम केंद्र के अभाव की ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ | उदयपुर से अलग होकर राजसमन्द को 34 वर्ष हो चुके हैं लेकिन आज भी जिले में आधुनिक और पर्याप्त मौसम उपकरणों का अभाव बना हुआ है | वर्षों से जिले में मौसम सम्बन्धी सूचना के लिए पुराने पारंपरिक तरीकों का ही उपयोग होता आ रहा है | मौसम सम्बन्धी सटीक अनुमान के अभाव के कारण इसका सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ रहा है | मौसम के सटीक पूर्वानुमान का असर बुवाई से कटाई तथा फसल सुरक्षा और बेहतर फसल उत्पादन पर पड़ता है | यदि आधुनिक उपकरणों से युक्त मौसम केंद्र का निर्माण राजसमन्द जिले में हो जाता है तो इसका सकारात्मक असर खेती के साथ अन्य उद्योगों पर पड़ेगा | अत: आपके माध्यम से मेरी सरकार से मांग है कि राजसमन्द जिले में अत्याधुनिक उपकरणों से युक्त मौसम केंद्र की स्थापना शीघ्रातिशीघ्र की जाये।

(इति)

Re: Maintenance, operation and payment of electricity bills of tubewell under Jal Jeevan Mission in Dausa Parliamentary Constituency

श्री मुरारी लाल मीना (दौसा) : देश सहित राजस्थान के विभिन्न जिलों, विशेषकर दौसा संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में पेयजल आपूर्ति जल जीवन मिशन के माध्यम से संचालित की जा रही है। इस योजना में 10 प्रतिशत भागीदारी ग्रामीण जनता की तथा 90 प्रतिशत भागीदारी राज्य एवं केंद्र सरकार की निर्धारित है। तथापि, इस योजना के अंतर्गत 10 प्रतिशत भागीदारी के बावजूद ग्रामीण जनता अथवा ग्राम पंचायतों के पास कोई पृथक वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं होते, जबकि ट्यूबवेलों के रख-रखाव एवं संचालन से संबंधित व्यय ग्राम पंचायतों को ही वहन करना पड़ता है, जो उनके लिए अत्यंत कठिन है। इसके अतिरिक्त, जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित ट्यूबवेलों के विद्युत बिलों का समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है। परिणामस्वरूप, पूरे देश सहित राजस्थान में, विशेषकर दौसा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्राम पंचायतों पर कई-कई लाख रुपये के विद्युत बिलों का भारी बकाया हो गया था। विद्युत विभाग द्वारा कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जा रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में गंभीर पेयजल संकट उत्पन्न होने का खतरा बढ़ता जा रहा है।

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि इस योजना को सफल एवं प्रभावी बनाना है, तो ग्राम पंचायतों को ट्यूबवेलों के रख-रखाव, संचालन एवं विद्युत व्यय समय पर जमा करने एवं नियमित वित्तीय सहायता (फंड) उपलब्ध कराने की कृपा करें।

(इति)

Re: Need for a special comprehensive legal framework for Nagar Panchayats and Nagar Parishads in PESA areas especially in States like Maharashtra to protect the rights of tribal people

एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी (नन्दुरबार) : यह अत्यंत आवश्यक है कि केंद्र सरकार PESA क्षेत्रों में स्थित नगर पंचायतों और नगर परिषदों के लिए एक अलग तथा स्वतंत्र कानूनी ढांचा तैयार करे, विशेषकर महाराष्ट्र जैसे राज्यों में, जहाँ जनसंख्या वृद्धि तथा प्रशासनिक पुनर्संरचना के कारण अनेक ग्रामीण आदिवासी गाँवों को शहरी स्थानीय निकायों में परिवर्तित किया गया है। वर्तमान स्थिति में ये शहरी निकाय ऐसे किसी विशेष वैधानिक संरक्षण के अंतर्गत नहीं आते जो PESA के सिद्धांतों के अनुरूप आदिवासी समुदायों की स्वायत्तता और सांस्कृतिक अधिकारों को सुरक्षित रख सके। परिणामस्वरूप, PESA क्षेत्रों में गठित नगर पंचायतें और नगर परिषदें एक स्पष्ट कानूनी ढांचे के अभाव में कार्य कर रही हैं, जिससे अधिकारों का क्षरण, अधिकार क्षेत्र का टकराव, प्रशासनिक अस्पष्टता और आदिवासी निवासियों के लिए गंभीर व्यावहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं। कई राज्यों में निर्वाचन आयोगों ने इन निकायों के चुनाव भी प्रारम्भ कर दिए हैं, जबकि इनके विशिष्ट आदिवासी संदर्भ को मान्यता देने वाला कोई समर्पित कानून उपलब्ध नहीं है। इन परिस्थितियों को देखते हुए, केंद्र सरकार से आग्रह है कि PESA-निर्धारित अनुसूचित क्षेत्रों के शहरी निकायों के लिए एक विशेष, व्यापक और संरक्षणात्मक कानून बनाया जाए, जिससे आदिवासी समुदायों के अधिकार, सांस्कृतिक पहचान और संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित रह सके।

(इति)

Re: Need to provide financial assistance to flood affected areas in Tonk and Sawai Madhopur districts in Rajasthan

श्री हरीश चंद्र मीना (टोंक-सवाई माधोपुर) : मैं आपका ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र के टोंक और सवाई माधोपुर जिले में हाल ही में आई विनाशकारी बाढ़ से हुए गंभीर नुकसान की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। पिछले मानसून के दौरान हुई भारी वर्षा ने पूरे क्षेत्र में तबाही मचा दी, इन क्षेत्रों में हजारों घर टूट गए, किसानों की फसलें बह गईं, पुल-पुलियायें क्षतिग्रस्त हुईं और बिजली-पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएँ ठप हो गईं। मैं स्वयं प्रभावित गांवों का दौरा कर पीड़ा और नुकसान की गंभीरता को प्रत्यक्ष रूप से देख चुका हूँ। लोग अब भी पुनर्वास, राशन, दवाइयों और आजीविका के संकट से जूझ रहे हैं। इसलिए मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि टोंक और सवाई माधोपुर जिलों को विशेष रूप से आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाए और तत्काल विशेष आर्थिक पैकेज जारी किया जाए। यह पैकेज केवल राहत वितरण तक सीमित न रहकर कृषि क्षेत्र की पुनर्बहाली, क्षतिग्रस्त सड़कों –स्कूल भवनों –अस्पतालों के पुनर्निर्माण तथा ग्रामीण परिवारों की जीविका पुनर्स्थापना के लिए पर्याप्त सहायता सुनिश्चित करे। अत: मेरा सरकार से निवेदन है कि मेरे क्षेत्र की बाढ़ पीड़ित जनता को शीघ्र मदद पहुँचाने हेतु तत्काल विशेष वित्तीय सहायता प्रदान कर इन जिलों की पुनर्बहाली में निर्णायक कदम उठाए जाएं।

(इति)

Re: Need for establishment of medical and nursing colleges in Meghalaya

SHRI SALENG A. SANGMA (TURA): I would like to bring it to the notice of Hon'ble Minister of Health and Family Welfare regarding shortage of specialist doctors, nurses and other technical staff in the state of Meghalaya. Therefore, if Government could take steps to establish two medical colleges and two more nursing colleges alongwith technical institution relating to health in the State, the health related problems being faced by the people could be addressed.

(ends)

Re: Need to declare Mahatma Basaveshwara Jayanti as a National event and include his ideals in school curriculum in the country

SHRI SURESH KUMAR SHETKAR (ZAHIRABAD): I wish to draw the attention of this esteemed House to the urgent need for national recognition of Mahatma Basaveshwara, a visionary 12th-century philosopher and social reformer. His revolutionary ideals of social justice and gender equality, challenging caste discrimination centuries ago, are foundational to the spirit of our Constitution. Mahatma Basaveshwara established the Anubhava Mantapa, often referred to as the world's first spiritual Parliament—a truly democratic platform open to all sections of society, predating institutions like Magna Carta. His principles of "Kayakaive Kailasa" (Work is Worship) and "Dasoha" (Service and Equal Distribution) remain relevant guiding principles for building a fair society today. While Mahatma Basaveshwara Jayanti is celebrated in several states, his universal message warrants national recognition. I humbly request the Central Government to officially declare Mahatma Basaveshwara Jayanti as a formal National Event across the country. Furthermore, I urge the Ministry of Education to include Mahatma Basavanna's inspiring biography, his message of equality, social harmony, and democratic values in national school textbooks (NCERT/CBSE) to educate our youth and reaffirm India's proud civilizational truth that "India is the Mother of Democracy."

(ends)

Re: Land acquisition for 84 Kosi Parikrama Road in Ayodhya, Uttar Pradesh

श्री अवधेश प्रसाद (फैज़ाबाद) : 84 कोसी परिक्रमा की सड़क के नाम पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम की नगरी अयोध्या, (उत्तर प्रदेश) में बहुत बड़े पैमाने पर किसानों की भूमि बिना उचित मुआवजा दिए सरकार की तरफ से ली जा रही है। इनके घरों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया जा रहा है। कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। हजारों किसान परेशान है। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि 84 कोसी परिक्रमा के नाम पर उजाड़े गए लोगों के घरों के मामलों की जाँच की जाए एवं इस भूमि अधिग्रहण पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए। मिल्कीपुर तहसील एवं बीकापुर के किसान विशेष रूप से प्रभावित हैं।

(इति)

Re: Agriculture land acquisition by builders for commercial purposes in Muzaffarpur district, Uttar Pradesh

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक (मुजफ़्फ़रनगर) : पूरे देश में किसानो की जमीन कौड़ियो के दाम पर अधिगृहित कर सरकार और उनके सत्तासीन लोगो द्वारा ऊँचे दामो पर बेचीं जाती है सत्ता में बैठे लोग को सरकारी योजना की जानकारी लीक कर दी जाती है जिससे यह लोग किसान से कौड़ियो के भाव पर जमीन खरीद कर उसका आवासीय प्लाट बनाकर व्यावसायिक तौर पर बेचते हैं| मेरे संसदीय क्षेत्र मुजफ्फरनगर के ग्राम शेरनगर, विलासपुर आदि गावो की उपजाऊ जमीन आवासीय कॉलोनी के नाम पर अधिगृहित कर बाद में उसे सत्तासीनो द्वारा उसे महंगे दामो पर बेचा जाएगा। इससे किसानो में भारी रोष है| किसान की यदि जमीन चली जाती है तो उसका सब कुछ चला जाता है कुछ भी शेष नहीं बचता है | इससे पूर्व भी वही बराबर के गाँव के किसानो को आवास विकास का भय दिखाकर उनकी जमीन औने पौने दाम पर खरीद ली गयी और बिल्डर द्वारा उसे 1लाख रूपये गज की ऊँची कीमत पर बेचा गया| प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे का लेआउट प्लान सत्तासीनो द्वारा लीक कराकर वहाँ जमीन खरीदी और अब उसे महंगे दामो पर बेचा जा रहा है| मेरा अनुरोध है की इसकी जांच करा कर तुरंत कार्यवाही की जाए और किसानो की जमीन न खरीदी जाए|

(इति)

Re: Need for direct flight connectivity between Kolkata and European countries

SHRI YUSUF PATHAN (BAHARAMPUR): West Bengal is one of the most favoured tourist destinations in the country with the state witnessing the 2nd highest foreign tourist footfall in India in 2025. Despite this huge foreign interest in the state, there are no direct flights connecting Kolkata to Europe. This deprives Bengal of both revenue and economic opportunities. Similarly, with over 2.5 lakh passengers travelling from Kolkata to Europe each year, the lack of direct flights imposes heavy costs in terms of time, money and convenience on students, businesspeople and tourists. Multiple MPs have, in the past, petitioned the Ministry of Civil Aviation for improving the connectivity between Kolkata and Europe. In December 2024, the West Bengal State Assembly passed a unanimous resolution seeking the Union Government’s intervention to ensure direct flights between Kolkata and Europe. West Bengal’s strategic location will also ensure that direct flight connectivity from Kolkata to Europe will cater not just to the whole Eastern and Northeastern India but also to neighbouring countries like Bhutan, Nepal and Bangladesh. Hence, I urge the government to take speedy action to ensure that direct flight connectivity between Kolkata and Europe is established at the earliest.

(ends)

Re: Need to provide financial assistance to set up a dedicated cancer hospital or District Cancer Centre in Ranipet district of Tamil Nadu

SHRI S. JAGATHRATCHAKAN (ARAKKONAM): I rise to draw the urgent attention of this House to the alarming increase in cancer cases in Ranipet district of my Parliamentary Constituency of Arakkonam, Tamil Nadu. Tamil Nadu Government conducted the screening camps in Ranipet which examined more than 9,500 people, and hundreds of cancer cases—including detection of early-stage breast cancer. These numbers reflect a serious and growing public health challenge. However, Ranipet district does not have a dedicated cancer hospital or district cancer centre. Patients—many of them daily-wage earners—are forced to travel long distances to Chennai or Vellore for diagnosis, chemotherapy and radiotherapy. This delays treatment, increases out-of-pocket expenses, and causes immense hardship for families already struggling with the emotional and financial burden of cancer. I, therefore, request the Honourable Minister of Health and Family Welfare to sanction a dedicated Cancer Hospital or District Cancer Centre in Ranipet under central assistance, and to link it with the National Oncology Grid for technical support. This will bring timely, life-saving care within the reach of thousands of people. I urge the Ministry to take this matter on priority and order an immediate assessment of feasibility.

(ends)

Re: Need to set up an additional Kendriya Vidyalaya in Kurnool district, Andhra Pradesh

SHRI BASTIPATI NAGARAJU (KURNOOL): Respected Speaker, At present, 37 Kendriya Vidyalaya's (KVs) are functioning in the State of Andhra Pradesh and Kurnool district has only one KV. During the academic year 2024–25, enrolment in the lone KV increased by nearly 12%, reaching 809 students, indicating growing demand and pressure on existing infrastructure. Kendriya Vidyalayas play a crucial role in providing quality education, particularly to the children of Central Government employees. With a district population of 22.71 lakh, the current number of KVs in Kurnool is clearly inadequate to meet educational needs. Further, although the Central Government has approved 85 new KVs nationwide, including 8 in Andhra Pradesh, none has been sanctioned for Kurnool district. In view of the rising enrolment, population size, and the strategic importance of equitable access to Central Government schools, I request the Government to sanction additional Kendriya Vidyalaya's for Kurnool district at the earliest.

(ends)

Re: Need to make Kaivalyadhama Health and Yoga Research Centre as a National Centre of Excellence

श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे (मावल) : मेरे संसदीय क्षेत्र मावल में स्थित कैवल्यधाम आधुनिक विज्ञान के साथ प्राचीन योग कला और परम्परा का समन्वय करने के लिए एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ स्थापित एक आध्यात्मिक, चिकित्सीय और अनुसंधान केन्द्र है कैवल्यधाम, लोनावला की वैज्ञानिक योगीय परंपरा एवं इसके राष्ट्रीय योगदान हेतु सदैव समर्पित रहा है और इस कैवल्यधाम की स्थापना वर्ष 1924 में योगाचार्य स्वामी कुवलयानंद जी द्वारा हुई थी। यह संस्था भारत में योग को वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत करने वाली प्रथम संस्था है जिसने 'योग मीमांसा' जैसे शोध-पत्र के माध्यम से योग विज्ञान को गंभीर अनुसंधान का विषय बनाया। 1951 में इस संस्थान ने देश का पहला योग कॉलेज एवं 1961 में योगिक चिकित्सालय आरंभ किया। इसके ऐतिहासिक योगदान को संविधान सभा की बहसों में भी वर्ष 1948 में मान्यता मिली थी। आज जब भारत योग को वैश्विक पहचान दिलाने में अग्रसर है, ऐसे संस्थान को केंद्र सरकार द्वारा विशेष सहयोग दिया जाना आवश्यक है। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि कैवल्यधाम जैसे संस्थानों को योग में उत्कृष्टता के राष्ट्रीय केंद्र के रूप में सशक्त किया जाए, जिससे भारत की सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक धरोहर को वैश्विक मंच पर सम्मान मिले।

(इति)

Re: Need to sanction a special package for flood control measures in Khagaria Parliamentary Constituency

श्री राजेश वर्मा (खगड़िया) : खगड़िया लोकसभा क्षेत्र, बिहार एक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है,जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण लाखों एकड़ उपजाऊ फसलें नष्ट हो जाती हैं।इसके अलावा,गंगा नदी का लगातार कटाव भी हजारों एकड़ भूमि को विलीन कर रहा है,जिससे हजारों लोगों का जीवन खतरे में है।इस गंभीर त्रासदी से निपटने के लिए खगड़िया लोक सभा में तत्काल व्यापक और एकीकृत समाधानों की आवश्यकता है जिसमे परबत्ता विधानसभा के अंतर्गत गोगरी आश्रम से मुरादपुर तक रिंग बाँध का निर्माण; खगड़िया विधानसभा के रहीमपुर दक्षिणी स्थित मथार में गंगा नदी के कटाव को रोकने के लिए बण्डाल का निर्माण और बेलदौर विधानसभा के इतमादि, बारुण, कपसिया से होते हुए आलमनगर और विजय घाट तक रिंग बाँध का निर्माण अत्यंत आवश्यक है।इन परियोजनाओं से लाखों निवासियों को सुरक्षा मिलेगी और हजारों एकड़ कृषि भूमि का बचाव होगा।मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में लाखों निवासियों और उपजाऊ भूमि को बचाने के लिए रिंग बाँधों के निर्माण और गंगा कटाव रोधी बण्डालों के निर्माण हेतु एक विशेष एवं एकीकृत बाढ़ नियंत्रण पैकेज की तत्काल स्वीकृति प्रदान की जाए,ताकि इस क्षेत्र को 'हर वर्ष बाढ़' की त्रासदी से स्थायी मुक्ति मिल सके।

(इति)

Re: Need to declare SH-69 in Bihar as a National Highway and to accord approval for expansion of NH-139 into a four-lane Highway

श्री अभय कुमार सिन्हा (औरंगाबाद) : सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का ध्यान बिहार के दो अत्यंत महत्वपूर्ण मार्गों—SH-69 को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने तथा NH-139 के चार लेन विस्तार—की अत्यावश्यक जरूरत की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। पहला, 225 किमी लंबा SH-69 पटना–जहानाबाद–गया–औरंगाबाद होते हुए झारखंड के हरिहरगंज के पास राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ता है। यह मार्ग दक्षिण बिहार की आबादी, कृषि, व्यापार और पर्यटन की जीवनरेखा है। वर्तमान में सड़क अत्यधिक संकरी और जर्जर है, जिससे आवागमन, व्यापार और गया अंतरराष्ट्रीय पर्यटन पर बड़ा संकट उत्पन्न होता है। इसे NH बनाए जाने से पटना से दक्षिण बिहार तक तेज, सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता का कनेक्शन सुनिश्चित होगा। दूसरा, NH-139 का चार लेन विस्तार—झारखंड सीमा तक यह मार्ग पहले से चौड़ा है, पर पटना–विक्रम–अरवल–दाउदनगर–औरंगाबाद खंड अब भी संकरा है। गया में इसके लिए ₹5,500 करोड़ की घोषणा की गई थी, पर डीपीआर और निर्माण कार्य अब तक लंबित हैं। इससे प्रतिदिन लाखों यात्रियों की सुरक्षा जोखिम में है। अतः मेरा विनम्र आग्रह है कि SH-69 को तत्काल NH घोषित किया जाए तथा NH-139 के चार लेन विस्तार को शीघ्र अनुमोदन एवं क्रियान्वयन का निर्देश दिया जाए, ताकि दक्षिण बिहार के विकास को गति मिल सके। धन्यवाद।

(इति)

Re: Need to release pending funds for construction of Rangaraya Medical College in Kakinada, Andhra Pradesh

SHRI TANGELLA UDAY SRINIVAS (KAKINADA): I rise to seek the urgent intervention of the Union Government for the timely completion of critical infrastructure works at Rangaraya Medical College, Kakinada. During my recent inspection of the college, I reviewed the ongoing construction of the PG and UG hostels. I found that only 35% of the PG Ladies Hostel (G+4) and 15% of the PG Male Hostel (G+3) have been completed. The primary reason for this delay is the slow disbursement of sanctioned funds. As per the Detailed Project Report, the Central share is ₹33.12 crore, yet only ₹8.28 crore has been released so far, leaving essential works stalled and directly affecting postgraduate training and student facilities. India is expanding health infrastructure nationwide. In Andhra Pradesh, the NDA Government advances with holistic development. I urge the Centre to release pending funds for RMC to strengthen medical education in the Godavari region.

(ends)

Re: Need for early screening and preventive care programmes to address the threat posed by Chronic Kidney Disease (CKD) in the country

SHRI SUNIL DATTATREY TATKARE (RAIGAD): Chronic kidney disease (CKD) occurs when the kidneys have become damaged over time. Globally, it is the ninth leading cause of death. CKD also increases the risk of other health problems like heart disease and stroke. Over the past 20 years, Chronic Kidney Disease has become a significant cause of concern for Indians. It has become among the top 10 risk factors in both men and women and also among the top 10 causes contributing to total years of life lost, even more than diabetes. By some estimates, over 13 crore Indians are affected by the condition. Many cases likely go unreported, particularly in tribal areas. This disease is also known to contribute to a range of cardiovascular problems. In Maharashtra, the number of CKD cases over the past three years has been comparable to the number of cases of stroke. This disease is very preventable and manageable. Through proper preventive care and early detection, the burden can be brought down. The Government is implementing early screening and preventive care programs for various diseases. I request that a similar approach be adopted for Chronic Kidney Disease under the Prime Minister's vision for a healthy and viksit Bharat.

(ends)

Re: Need to set up a bench of Allahabad High Court in Western Uttar Pradesh

एडवोकेट चन्द्र शेखर (नगीना) : पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता उच्च न्यायालय की अत्यधिक दूरी और न्यायिक असुविधाओं से लंबे समय से जूझ रही है। प्रयागराज की दूरी 600–700 किमी तक होने के कारण न्याय तक पहुंच कठिन हो जाती है। पिछले 45 वर्षों से हाईकोर्ट बेंच की मांग निरंतर उठ रही है तथा मुझे लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों सहारनपुर, मुजफ्फरनगर,शामली, बिजनौर ,मेरठ ,गाजियाबाद ,बुलंदशहर, बागपत, बरेली, रामपुर,मथुरा, हापुड़,अमरोहा, सम्भल,मुरादाबाद,अलीगढ़, कासगंज, हाथरस, आगरा आदि-आदि जिलों से अधिवक्तागण व जनता के लगातार अनुरोध पत्र प्राप्त हो रहे हैं। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हेतु तत्काल प्रभाव से प्रक्रिया प्रारंभ कराई जाए।

(इति)

REPEALING AND AMENDING BILL

1400 hours

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, with your permission, I beg to move:

> "That the Bill to repeal certain enactments and to amend certain other enactments, be taken into consideration."

सभापति महोदय, आपकी अनुमति हो तो मैं इस पर कुछ कहना चाहता हूं। सर, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान के तहत गवर्नेंस के तीन महत्वपूर्ण स्तंभ विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका हैं। सुशासन व विकास के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर कानून बनाने का महत्वपूर्ण दायित्व विधायिका का रहता है। प्रत्येक लेजिस्लेचर से यह अपेक्षा की जाती है कि वह समाजहित में ही कानून बनाएं, लेकिन एक समय आता है जब लगता है कि अब इस कानून की उपयोगिता नहीं है या यह कानून अपनी प्रासंगिकता खो चुका है, तो ऐसे कानूनों को निरस्त भी किया जाना चाहिए। श्री नरेन्द्र मोदी जी के कालखंड में लीगल सिस्टम में सुधार कर कॉमन मैन के लिए अधिक सुलभ बनाने के संकल्प के अंतर्गत केन्द्र सरकार से ऑब्सोलीट, रिडंडेंट तथा अननेसेसरी इनैक्टमेंट्स की समीक्षा प्रारंभ की। पुराने एवं अप्रसांगिक लॉ के प्रभावों को समझने में जनरल पब्लिक को होने वाली कठिनाई को ध्यान में रखते हुए ऑब्सोलीट तथा रिडंडेंट लॉ को हटाने के उद्देश्य से लॉज़ की व्यापक समीक्षा हेतु एक विस्तृत एक्सरसाइज की गयी और उसके तहत वर्ष 2014 के बाद भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए हमने विकसित भारत की ओर बढ़ने का एक सुनहरा प्रयास किया है। सुधारों की इसी प्रक्रिया में मई, 2014 से लेकर अब तक 1577 अनावश्यक और अप्रचलित कानूनों को निरस्त किया गया है। इन 1577 निरस्त कानूनों में से 1562 कानूनों को पूरी तरह रिपील किया और 15 कानूनों को री-इनैक्ट किया। इसी क्रम में मैं आज का बिल लेकर आया हूं। जब चर्चा होगी तो उस समय जवाब दिया जाएगा। प्रस्तावित इस बिल में 71 ऐसे अधिनियम हैं, जिनमें 6 प्रिंसिपल एक्ट्स हैं और 65 अमेंडमेंट एक्ट्स शामिल हैं। यह सुधार गुलामी की मानसिकता से मुक्ति की ओर बढ़ता हुए एक कदम है। ऐसे कानून, जिन पर औपनिवेशिक व कॉलोनियल छाया थी, फिर भी हम समाप्त नहीं कर पाए, अब मोदी जी के कालखंड में उनको समाप्त किया जा रहा है, क्योंकि उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें एक ऐसा कानून है जिसको मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, बाकी तो जब चर्चा होगी तब मैं बताउंगा।

सर, एक कानून था, जिसका नाम Indian Succession Act, 1925 था। जिसका उद्देश्य था कि अगर कोई हिंदू, बुद्धिष्ट, सिक्ख, जैन व पारसी कोई विल करेगा तो उसको, आप असमानता का भाव देखिए, प्रोबेट करानी पड़ेगी।

(1405/KN/NKL)

हमारी तीन ऐसी स्टेट्स हैं, जहां पर इसे प्रोबेट कराना पड़ता था। लेकिन बाकी जगह कुछ नहीं, अब ऐसे कैसे हो सकता है? इस तरह का जो कानून है, कोलकाता, मद्रास और मुम्बई में यदि

कोई भी हिन्दू विल करेगा तो उसे प्रोबेट कराना पड़ेगा। अगर कोई और करेगा तो उसे नहीं कराना पड़ेगा। यह असमानता का भाव है। अगर असमानता पर आधारित कानून भी हैं तो उनको भी समाप्त नरेन्द्र मोदी जी ही कर रहे हैं। क्योंकि समानता का सिद्धांत हमारे बाबा साहेब बी.आर. अम्बेडकर साहब ने दिया है। इस अवसर पर मैंने बिल के बारे में रिमार्क्स दिए हैं और उसके बाद जब चर्चा होगी तो आपकी अनुमति से मैं जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा।

सभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार।

माननीय सभापति (श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी) : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कतिपय अधिनियमितियों का निरसन करने और कतिपय अन्य अधिनियमितियों का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

माननीय सदस्यगण, यह सदन सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा विधि संशोधन) विधेयक, 2025 पर आज चर्चा करेगा। माननीय अध्यक्ष जी ने यह निर्देश दिया है कि जो सदस्य इस विधेयक पर संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं, वे अपने संशोधनों को 3.30 बजे तक संसदीय सूचना कार्यालय, नोटिस ऑफिस में दे दें।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, how is it possible? The Bill has been introduced today itself. How can it be discussed today?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS; AND MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): This is a special authority with the Chair, and the waiver can be provided by the hon. Speaker. We had earlier listed the Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India Bill, 2025 but then there was a request from the Opposition Parties that the Bill may be taken up tomorrow as they needed some time to study it. I had agreed to that. We will take up the Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India Bill, 2025 tomorrow.

Today, we can take up the Sabka Bima Sabki Raksha (Amendment of Insurance Laws) Bill, 2025, which is innocuous, good for everybody, and will not adversely affect anyone. I hope, Shri Premachandran will also agree with the House that we should take it up in the interest of the needy people and pass it as soon as possible. … (*Interruptions*)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य एडवोकेट डीन कुरियाकोस जी।

… (व्यवधान)

1407 hours

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): Respected Sir, I stand here today to participate in what has become an annual ritual of this Government – the great legislative illusion, known as the Repealing and Amending Bill, 2025.… (*Interruptions*)

Sir, the Government is painting a picture that it is reforming and cleaning up the Statute Book. They speak of ‘Minimum Government, Maximum Governance’. They tell the nation that by passing this Bill, they are liberating us from the burden of history. But let us be honest about what is happening here today. This House, the highest forum of our democracy, is being made to spend its precious time – the time that belongs to the suffering farmers of our nation, the time that belongs to the unemployed youth of our nation, the time that belongs to the victims of climate disasters, etc. – on deleting laws that the same Government passed barely 24 months ago.

Sir, look at the First Schedule in this Bill. They are repealing the Competition (Amendment) Act, 2023 and also the Cinematograph (Amendment) Act, 2023. What kind of governance is this? In 2023, they celebrated these laws as 'historic reforms’. In 2025, they are repealing them to clean up the books. What kind of drama is this? Is this Parliament a content creation factory for their PR team? Do we pass laws so that they can repeal them later and boast, 'Look, we removed 100 laws today'? This is not reform. It is a shameful thing. This is inflation of data. The Government must listen to it. You are padding your report card because you have no real achievements to show on the subjects that matter – jobs, economy, and social harmony. The confusion does not end there. You have thrown the entire criminal justice system into chaos by replacing the IPC and the Indian Evidence Act with the Bharatiya Nyaya Sanhita and the Bharatiya Sakshya Adhiniyam respectively.

(1410/VR/ANK)

Yet today, you have brought amendments to the Code of Civil Procedure, 1908. I would urge the Government to make up its mind. Are we in the ‘Amrit Kaal’ of new laws or are we still patching up laws passed during the colonial era? This Bill is a symbol of a Government that loves paperwork but hates accountability.

While you are busy fixing spelling mistakes in the Statute Book, the people of the country are facing many serious issues. The people of my constituency are facing many issues like human-animal conflict, natural calamities, etc. You have time to fix registered posts *versus* speed posts. But you have no time to fix the

broken disaster compensation system. I refuse to appreciate this housekeeping exercise while the house itself is on fire. However, since we are forced to debate this Bill, let me expose the dangerous changes hidden inside this so-called routine legislation.

I would also like to express my strong concerns, reservations, and opposition to the Repealing and Amending Bill, 2025, introduced by the hon. Minister. While the Government claims that this is a routine housekeeping exercise to remove obsolete laws, a closer look at the Second Schedule reveals amendments that are not merely formal but have serious substantive implications for the common man and for our disaster resilience. How can we casually and lightly pass these amendments without any detailed discussion? That is a major question.

Let me raise some concerns, limited only due to lack of time. The first concern relates to the dilution of clause 4, Second Schedule of the Disaster Management Act. I represent Idukki, a constituency highly vulnerable to natural calamities. The Disaster Management Act is very important for my constituency. I am deeply concerned about the amendment proposed to the Disaster Management Act. The Bill seeks to amend Section 30, sub-Section 2, clause 6, replacing the word ‘prevention’ with ‘preparation’. Both prevention and preparation are important for disaster management. Prevention is aimed at stopping a natural calamity whereas preparation is about getting ready for rescue works. Therefore, both are very important. But in this case, the word ‘prevention’ is being replaced with ‘preparation’. I do not know what the relevance of this change is.

The Statement of Objects and Reasons claims that this rectifies an inadvertent error but we know that words matter in law. Prevention is a priority duty to stop disasters before they occur. Preparation means merely getting ready for the inevitable. By changing disaster management plans from prevention to preparation, are we signalling that the State is giving up on preventing ecological disasters? It is a serious question. In the context of climate change, we need stronger preventive measures and binding preventive mandates, not a semantic delusion that lowers the bar for district authorities. We cannot reduce our guard from prevention to mere preparation. The disaster management authorities of our country are doing both. However, the Government is diluting prevention and taking up preparation only. There is a serious lacuna.

Secondly, I oppose the amendments to the Code of Civil Procedure, 1908. First of all, the Government has to clarify whether it is amending the Code of Civil Procedure, 1908 or the Bharatiya Sakshya Adhiniyam. What is the sanctity of this

process, when you do these activities again and again with no prior homework. The Bill seeks to replace the time-tested ‘registered post, acknowledgement due’ with ‘speed post with registration and proof of delivery’ in multiple sections, including Order 5 and Order 21.

Sir, ‘acknowledgement due’ requires a physical signature, a tangible proof that the specific individual has received the summons. ‘Proof of delivery’ in the Speed Post system is often just an online status update or a digital entry by a delivery agent. In rural India, where internet connectivity is still limited and digital literacy is evolving, relying solely on a system where a delivery agent marks an article as ‘delivered’ without a physical ‘acknowledgement due’ card is dangerous.

How will a poor litigant prove that he never received the summons, if the online system shows it as ‘delivered’? This amendment removes the bracketed protection of ‘registered post acknowledgement due’ in Order 5, Rule 9, Clause 4, potentially weakening the verification process for defendants residing outside jurisdiction.

(1415/PBT/RAJ)

Sir, we are prioritizing speed over justice. This change is premature for rural India and the falsehood of repealing recent Acts (First Schedule). Finally, look at the First Schedule. The Government is repealing Acts as recent as 2023, such as the Competition (Amendment) Act, 2023 and the Cinematograph (Amendment) Act, 2023. While I understand the concept of spent laws, this annual ritual of passing Bills just to repeal amendments made last year is a waste of Parliament's time. It creates an illusion of reform boasting about repealing hundreds of laws, when you are simply deleting the Amendment Acts passed months ago.

Sir, I am concluding. I cannot support a Bill that simply dilutes our disaster management framework and jeopardizes the legal rights of rural litigants under the guise of modernisation.

I urge the Minister to withdraw the amendments to the Disaster Management Act and the Code of Civil Procedure very immediately because the Government is not at all taking it serious - while introducing this Bill - and is passing these kind of amendments without a detailed discussion. It is a dangerous thing also. I am opposing this Bill. Thank you very much.

(ends)

1416 बजे

श्री मनोज तिवारी (उत्तर-पूर्व दिल्ली) : माननीय सभापति महोदय, आज मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका मिला है। मैं आपके माध्यम से सरकार द्वारा प्रस्तुत इस निरसन और संशोधन विधेयक, 2025 का पूर्ण समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इसके लिए माननीय विधि एवं न्याय मंत्री जी को धन्यवाद भी देता हूं।

माननीय सभापति जी, हम लोग आम तौर पर चर्चा करते हैं कि इस देश में दो-तीन बातें बहुत प्रचलित हैं, कि अरे! न्याय में बड़ी देरी हो रही है, आमजन पिस रहे हैं, हमारे केसेज आठ-दस सालों से चल रहे हैं। इतना कुछ देखने-सुनने के बाद भी अगर लोग मौन रहें, सरकार मौन रहे तो यह मोदी सरकार में नहीं हो सकता है। इस नाते मैं बहुत प्रसन्नता व्यक्त करते हुए आज इस बिल, इस संशोधन का समर्थन करता हूं। मैं कई बार कविताएं भी लिखता हूं। आज इस विषय पर मैं सोच रहा था कि

"कानून जाल में फंसे देश, ऐसी भी क्या मजबूरी है
जब-जब भ्रम जाल बड़ा होगा, उद्बोधन बहुत जरूरी है।"

लोगों को मोदी सरकार से बहुत आशा है। यह पूरा देश बहुत आशा से उनको तीसरी बार चुना है।

"मोदी सरकार से आशा है, अब जन विश्वास पूर्ण होगा
जब जब भ्रम जाल बड़ा होगा, तो संशोधन बहुत जरूरी है।"

मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे ऐसे 71 कानून दिखे, जिनको आज संशोधित या बदला जा रहा है। हमारे माननीय साथी कुरियाकोस जी ने कहा है कि यह सदन के समय की बर्बादी है और क्या-क्या है, यह शर्मनाक है। मैं अपने उस साथी को बताना चाहता हूं कि आज जो संशोधन आया है, इसमें हम लोग वर्ष 1886 से वर्ष 1988 तक कुछ कानूनों को संशोधित या समाप्त करने जा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, यह काम आजादी के 20-25 सालों के बाद ही हो जाना चाहिए था। यह काम वह करेगा, जिसको पिसती हुई जनता के सरोकार दिखेंगे।

(1420/NK-SNT)

इसे वही करेगा जिसको पता होगा कि कानून के जाल में आम आदमी पिस रहा है। 71 कानूनों में से मैक्सिमम वे कानून हैं जो अमेंडमेंट्स के बाद कानून के मुख्य अनुच्छेदों में शामिल हो चुके हैं। जब अमेंडमेंट्स किसी मुख्य अनुच्छेद में शामिल हो गया है तो फिर उसको बनाए रखने का क्या औचित्य है? जो लोग संविधान को पॉकेट में लेकर घूमते हैं, उनको कम से कम यह सोचना चाहिए कि विधि की पुस्तिका संक्षिप्त होनी चाहिए। इसमें 71 कानून को संशोधित या समाप्त कर रहे हैं, उनमें 4 कानूनों को अमेंड कर रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल जी ने बताया, हो सकता है कि यहां सदन में बैठे हुए कुछ माननीय सदस्यों के कान में उस समय माइक न लगा हो, कुछ लोगों को पता न चला हो।

माननीय सभापति महोदय, हमारे देश में न्यायालयों मे डिले टैक्टिस चलती है, ये सभी को पता है। क्या करना है, देरी कर दो, क्या करना है, उलझा दो। अब हम यह भी सुनते हैं कि Justice delayed is justice denied. अगर इसकी चिंता मोदी सरकार कर रही है, हमारे विधि न्याय मंत्री जी कर रहे हैं तो मैं इसको बहुत बड़ा संशोधन मान रहा हूं और इसके लिए उनका बार-बार धन्यवाद करता हूं।

देश में आज ऐसे अनेक कानून हैं जो विधि पुस्तकों में दर्ज हैं, लेकिन पहले से अप्रासंगिक हो गए हैं। अब उनका व्यवहार में कोई उपयोग नहीं रह गया है। जिन्हें पहले ही नये कानूनों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा चुका है, फिर भी हमारे साथी लोग बोलते हैं, इनको विरोध ही करना है।

(1425/IND/RTU)

सभापति जी, मैं कला जगत से आया हूं और हमारी शिक्षा कहती है कि अच्छी बात कहीं की भी हो, उसे अपनाना चाहिए। विपक्ष का यह अर्थ हमेशा रहा है कि चाहे अच्छा भी हो रहा हो तो उसका विरोध करना है। जब से मोदी जी प्रधान मंत्री बने हैं, किसी को बुरा न लगे, पहले वाले प्रधान मंत्री भी अच्छे ही थे, लेकिन जब से मोदी जी प्रधान मंत्री बने हैं, एक-एक व्यक्ति की डिबेट मिलियन-मिलियन लोग देख रहे हैं। ऐसे समय में जब इस डिस्कशन को इतने लोग सुन रहे हैं, तो संशोधन की गरिमा को भी समझने की आवश्यकता है। ऐसे कानून न केवल भ्रम पैदा करते हैं, बल्कि न्यायिक एवं प्रशासनिक प्रक्रिया को भी अनावश्यक रूप से जटिल बना देते हैं। इन 71 कानूनों को, वैसे तो बहुत सारे कानून हैं और जिन साथियों को पढ़ना होगा, वे पढ़ेंगे। वर्ष 2016 और 2018 में भी हम लोगों ने कई अमेंडमेंट्स किए, जो मुख्य अनुच्छेद में शामिल हो गए हैं, इसलिए उनका वहां बने रहने का कोई औचित्य नहीं है और वे केवल भ्रम ही पैदा करेंगे और यह बात हमारे विधि न्याय मंत्री जी ने समझी। कई ऐसे कानून हैं, जिनको वर्ष 2019 में हमने अमेंड किया और अब वे मुख्य कानून की मुख्य धारा में आ गए हैं। वर्ष 2020 में भी और वर्ष 2021 में भी कानून अमेंड किए। वर्ष 2022 और वर्ष 2023 में भी कानून अमेंड किए लेकिन अमेंडमेंट करने के बाद उन्हें मुख्य कानून में शामिल किया और जब मुख्य कानून में शामिल कर लिया तो उनका वहीं बने रहने का कोई औचित्य ही नहीं है।

महोदय, हमारे प्रधान मंत्री जी की एक लाइन गली-गली में और हर आफिस में चलती है और लाइन है - मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, न्यूनतम सरकार और अधिकतम सुशासन। जब किसी से आशा हो जाती है और वह सही मायने में यदि देश की जनता के दर्द को समझता है तो इन चीजों पर बहुत फोकस रहता है। मैं जब देश के लोगों से बात करके पूछता हूं कि आज कल आपको अपने परिचय के लिए कोई फार्म वगैरह किसी गेजेटेड अधिकारी से अटेस्ट तो नहीं करना पड़ता है, तो वे कहते हैं कि हॉं, अब हमें किसी अधिकारी से अटेस्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप देखिए कि इस काम के पीछे कितनी बड़ी सोच होगी और यह काम ऐसे ही संशोधन से हुआ था और देश में सेल्फ अटेस्टेशन आया था। यह कितनी बड़ी बात है कि देश की जनता सेल्फ अटेस्टेड करके जो लिखेगी, उसे देश की सरकार मान लेगी क्योंकि वर्तमान प्रधान

मंत्री और वर्तमान सरकार को देश के प्रत्येक व्यक्ति पर विश्वास है और यह विश्वास मोदी जी ने दिया है।

महोदय, मैं दिल्ली से सांसद हूं और अपने क्षेत्र की पुलिस कमेटी के हैड होते हैं। पहले डीसीपी, एसीपी आदि बड़े अधिकारी डरते थे कि यदि हम केस करके इस जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो गवाही देने के लिए आना पड़ेगा। मैं गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने एक कानून बदल कर यह प्रावधान किया कि जो वर्तमान में उस क्षेत्र का अधिकारी है, वही उस केस को देखेगा, मतलब कि पद उस केस को देखेगा। ऐसा प्रावधान करके गृह मंत्री जी ने देश के करोड़ों लोगों का काम आसान कर दिया। जब यह रिपील बिल आया है, मैं आपको चार कानून, जिन्हें हम संशोधित कर रहे हैं और बाकी कानूनों को तो हम खत्म कर रहे हैं, क्योंकि उनकी आवश्यकता नहीं है। इस विषय पर मैं थोड़ा ध्यान देना चाहता हूं। हमारी जनरल क्लाजेज एक्ट, 1897, जब हम कहते हैं कि सर्व, सेंड, गिव नोटिस, तब इन शब्दों का अर्थ क्या होगा, यह हमें ही परिभाषित करना होता है। देश के हजारों केंद्रीय कानून इसी पर निर्भर हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं कि धारा-27 के अनुसार पहले कानून की स्थिति यह थी कि यदि कोई दस्तावेज रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा गया तो माना जाएगा कि वह समय पर पहुंच गया। कोर्ट में बहस हो रही है और अब रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा समाप्त हो गई है। जब रजिस्टर्ड पोस्ट ही समाप्त हो चुका है और उसकी जगह स्पीड पोस्ट रजिस्ट्रेशन करना, कानून को सेवा प्रणाली के अनुरूप अपडेट करना बहुत बड़ा कार्य है। जैसा हमारे विधि मंत्री जी ने बताया, मैं सुनकर हैरान हूं कि हमारे देश में अभी भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की भावनाओं को ऐसे चोट पहुंचाई जाती थी, अगर ये संशोधन नहीं आता। आप सोचिए कोलकाता में, चैन्नई में और मुम्बई में कुछ समुदायों को, धारा 213 कहती है कि हिंदू, सिख, जैन, बौद्धिस्ट, पारसी में भले ही इनकी वसीयत हो गई हो, लेकिन जब तक वह न्यायालय से प्रोबेट नहीं होगी, उत्तराधिकारियों को अधिकारिता नहीं मिलेगी और विल को विल नहीं माना जाएगा जबकि मुस्लिम और ईसाई कम्यूनिटी के लोगों की विल ही मान ली जाएगी। बाबा साहब के सपनों को ऐसी चोट और उसके बाद भी हमारे साथी कह रहे हैं कि समय की बर्बादी है। मैं समझता हूं कि विल का असली अर्थ यहां भी लागू होगा और साथ-साथ विधि न्याय मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हम डिले टेक्टिक्स पर बात कर रहे थे। नोटिस कैसे भेजा जाना चाहिए, इस बारे में भी संशोधन की बात की है। जब हम डिजास्टर से निपटने के लिए पूर्व में तैयारी करेंगे, तभी हम समस्या का सही ढंग से निवारण कर सकते हैं।

माननीय सभापति जी, मैं सदन से आग्रह करता हूं कि निरसन और संशोधन विधेयक, 2025 को सर्वसम्मति से पारित करके देश को एक सरल, प्रभावी और नागरिक हितैशी कानूनी ढांचा प्रदान किया जाए। धन्यवाद।

(इति)

(1430/KDS/AK)

1430 बजे

श्री लालजी वर्मा (अम्बेडकर नगर): माननीय सभापति जी, आपने मुझे निरसन और संशोधन विधेयक, 2025 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। है, पहले जब लोक सभा में विधेयक आते थे, तो वे पहले संसदीय समितियों या प्रवर समितियों में जाते थे और वहां विचार-विमर्श होने के बाद व्यवस्थित होकर वे विधेयक सदन में आते थे, जिन पर चर्चा होती थी, उसके बाद वे पास किए जाते थे। भाजपा जब से सत्ता में आई है, तब से जिस तरह से बुलेट ट्रेन पर बैठने की प्रवृत्ति बनी है, निश्चित रूप से वह देश के लिए बहुत सम्मानजनक नहीं है। यह प्रवृत्ति इस विधायिका की गरिमा को गिराने का काम करती है। उदाहरण के लिए आज ही बीमा और संशोधन विधेयक आया, आज ही इंट्रोड्यूस हुआ, आज ही चर्चा होगी और आज ही पास होगा। इतना बड़ा विधेयक, जो इस देश के लिए महत्वपूर्ण अस्तित्व रखता है, उसे एक दिन में इंट्रोड्यूस करके पास करना इस सदन की गरिमा को खंडित करने जैसा कार्य है।

मान्यवर, उसी तरह से आज जो यह निरसन विधेयक लाया गया है, इसमें लगभग 70 विधेयक ऐसे हैं, जिनको निरसित किया जा रहा है। इनमें से 6 केवल ऐसे हैं जो वर्ष 1988 तक के हैं, बाकी सभी के सभी वर्ष 2016 के बाद के हैं। जब मोदी जी की सरकार आई, उसके बाद के शेष विधेयक हैं, जिनको आज महसूस किया जा रहा है कि उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, यानी उनको भी जल्दबाजी में लाने का काम किया गया, जिसके कारण आज हमें इस तरह का विधेयक लाने की आवश्यकता महसूस हो रही है।

मान्यवर, मेरा यह मानना है कि जल्दबाजी में सदन पहली तारीख से चल रहा है। तमाम बार बीएसी की बैठक हुई, उसमें कोई भी ऐसा प्रस्ताव नहीं था कि ये सारे विधेयक आएंगे। कल की बैठक में एक साथ 7 विधेयक लाने का निर्णय लिया गया कि उन पर चर्चा होगी और वे पास होंगे। यह इस बात का परिचायक है कि इस सरकार की नीति सुनिश्चित नहीं है। विचार-विमर्श करके कोई विधेयक नहीं आता। जिस तरह से मनरेगा जैसा विधेयक, जिसने इस देश के तमाम मजदूरों को अपना एक अस्तित्व देने का काम किया,उनको रोजी-रोटी देने का काम किया व महात्मा गांधी जी, जिन्होंने इस देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उनके नाम को हटाकर एक ऐसा विधेयक लाने का प्रयास किया जा रहा है, जो संविधानसम्मत नहीं है। उसी तरह से जल्दबाजी में लाए गए ये सारे विधेयक हैं, जिस कारण आज इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस हो रही है।

मान्यवर, आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वह आज इस पर फिर से विचार करने का काम करें कि वह यदि जल्दबाजी में आज इसका निरसन करने का प्रस्ताव लाए हैं, तो कल फिर इसे स्थापित करने का प्रस्ताव किसी न किसी रूप में लाने का काम करेंगे। निश्चित रूप से हमारे सदन की गरिमा में इजाफा नहीं होगा, बल्कि इसकी गरिमा प्रभावित होगी।

अत: मैं निवेदन करता हूं कि इस पर फिर से विचार करें, इसको वापस लें और संसदीय समिति में ये सारे प्रस्ताव ले जाएं। वहां संसदीय कमेटी विचार-विमर्श करेगी। उसके बाद ठोस निर्णय के साथ जब प्रस्ताव आए, तब इसे सदन में लाने की आवश्यकता होनी चाहिए। इस तरह से बुलेट ट्रेन पर बैठाकर हम सैर कराने का काम करें, जो कभी अस्तित्व में ही नहीं था, उसी तरह से एक लॉलीपॉप दिखाने का काम इस देश के साथ किया जा रहा है। इस देश के लोगों को धोखा देने का काम किया जा रहा है, ऐसा मेरा मानना है। अंत: मैं चाहता हूं कि इसे वापस लेकर, कमेटी में ले जाने का काम करें और विचार करें कि इसकी क्या आवश्यकता है? माननीय मंत्री जी भी जिन विधेयकों को निरसित कर रहे हैं, उनके बारे में विस्तार से बताएं कि आज ये अप्रासंगिक क्यों हो गए हैं? ये वर्ष 2016 से 2023 तक में लाए गए विधेयक हैं। आखिर इतनी जल्दबाजी में ये क्यों लाए गए और आज ऐसी क्या आवश्यकता है कि उनको निरसन करने का काम किया जा रहा है? यही मेरा आपसे निवेदन है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद।

(इति)

(1435/SRG/CS)

HON. CHAIRPERSON (SHRI KRISHNA PRASAD TENNETI): Shri Kalyan Banerjee – not present.

Hon. Member, Dr. Kalanidhi Veeraswamy ji

1435 hours

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): Sir, thank you very much for giving me an opportunity to speak on the Repealing and Amending Bill, 2025.

We feel that the passing of this Bill is not at all necessary. You feel that you have a majority, and you are bringing in Bills, and you are either abrogating them or amending them according to your choices just because you have a majority.

I would like to speak about the great Mavalankar. He had spoken about how the minority should be treated. He said, "Just because you have a majority in the Parliament, by raising of hands, if you are going to vote on the sentiments of the people, this is not a country which is democratic." This is what he had mentioned. This Government is proving his words exactly right.

If you look at the Bills which have been brought, passed, and enacted as law, you will find that in the last 10 years, there have been several Bills which have been enacted and made as laws. The former Supreme Court Chief Justice, Mr. Ramana had mentioned, "We are not passing Bills with adequate debate, discussions, deliberations, or referring them to Standing Committees, and because of that, they are having problems in interpreting the law and passing judgments." Also we find that when you pass certain laws, within a year or two, you bring it back and again amend it. So, if you can amend one particular law, it should stand the test of time, where at least for a decade or two, it should be alive. But you are bringing in amendments, which are again re-amended and re-amended within a couple of years, showing that this Government does not have a clue about the direction in which they are travelling.

Sir, to talk about the laws which have been brought in, they are against the people, anti-democracy and anti-people. The farm laws are a one standing example. When you brought in the farm laws, Opposition

Members, having discussed with the farmers, had brought out the farmers' sentiments, talking about not needing this particular Bill where it will destroy the farming community. But just because you had a majority, you spearheaded yourself, and you made sure that it will be brought in by brute force. And there were thousands, if not lakhs of farmers, who had to protest, not for one day or two days, but for almost one and a half years, where 700 farmers had to die before you could realise their requirements and their requests, and then you had to repeal that.

Even when demonetisation was brought in, the hon. Prime Minister said that he will eradicate terrorism, he will eradicate counterfeit money and black money. He had mentioned all these things. He said that tie me to a post and whip me if this is not done within 90 days. Now, it has been been several years, and what was the effect of demonetisation? About 99.3 per cent of the notes have come back. So, where is the black money? You were talking about black money being hoarded all over the country, but we find that only the BJP people were having the Rs. 2000 notes. When it came out, the BJP people were the ones who had access to that and it was caught by the Income Tax Department, whereas the common man was standing in a queue and hundreds of people died standing in the queue.

These are the things that the Government has been doing. You had brought in abrogation of Article 370. When the abrogation of Article 370 was brought in, we were speaking against that because we felt that J&K needs do have a special place. It is a jewel of our country, bordering Pakistan. They had to have their own security. You said that you have removed it, and now, there will be no terrorist activities happening over there. But sadly, Pahalgam was a total failure of the intelligence of the Union Government's policing mechanism and their military activities. It is a blatant failure of this Government where five terrorists were able to come, not one or two kilometres, but hundreds of kilometres deep into the heart of India from Pakistan and kill about 27 tourists. In response to

that, when we wanted to have a negotiation, unilaterally you decided to go for a war. We did not know what was the objective of that war. We did not know what was the ultimate aim of that war. The only question we asked was, 27 people were murdered by terrorists, what happened to those five terrorists. None of them spoke about that.

(1440/SM/MNS)

HON. CHAIRPERSON (SHRI KRISHNA PRASAD TENNETI): Please speak on the Bill.

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): After the abrogation of Article 370, this is what has happened. So, I am talking about bringing in repeals, amendments and all these things. Anyway, you are doing it on your own, just because you have a brute majority.

I request the Union Government to at least listen to the Opposition and have discussions and deliberations. Even now, you are bringing in some laws whose names we cannot understand. Today, we are even changing the name of a Bill whose name I was not even able to pronounce. I am not even able to understand these words.

So, I request the Government to ensure that when they are bringing in a Bill, they make it in English, so that the whole country can understand it, and that you do not try to push Hindi down our throats by saying that these are the names of Bills and we have to say those names.

With these words, I oppose this Bill and hope that the Union Government will take cognisance of these words. Thank you.

(ends)

1441 hours

SHRI SRIBHARAT MATHUKUMILLI (VISAKHAPATNAM): Thank you, Sir. I rise to stand in support of the Repealing and Amending Bill, 2025, which addresses a subject that lies at the very heart of effective governance and is also very close to my heart. This is not optional; this is essential for a modern and dynamic democracy.

Some of my colleagues in the Opposition who have spoken here have raised certain points, which I will address later in my speech. But one thing on which I believe we can all agree, is that change is the only constant. Our Constitution-makers recognised this timeless truth. They understood that governance must evolve with society and, therefore, built Article 368 as the constitutional engine for reform. They did not give us a static document; they gave us a living Constitution – a framework that entrusts future generations with the responsibility to amend, repeal, and refine laws as India progresses.

Over the decades, however, our legislative system has developed serious structural imbalances. I have personally experienced this in many aspects of my life, where governments are very good at adding laws, adding rules, and adding conditions, but are very poor at removing or updating outdated ones. This unnecessary burden is faced by everyone – from the common man to the poorest of the poor, and even by the highly wealthy.

Every new policy brings with it fresh compliance requirements, new penalties, and additional layers of regulation. Rarely do we pause to ask whether old provisions have outlived their relevance or whether they now contradict newer laws. The result is regulatory congestion, which burdens citizens, businesses, and Government officers alike, creating confusion and discretionary enforcement. We have seen how some bad actors misuse this discretion to harm the interests of citizens and even the nation. I am happy to note that the current NDA Government has taken concrete steps over the last decade to relieve citizens and businesses of this burden.

More than 40,000 unnecessary compliances have been abolished, easing procedural hurdles and reducing red tape. Over 1,500 outdated and redundant laws have been repealed, clearing the statute book of colonial-era provisions and laws that no longer serve India's development.

I would like to point out a few things here. Some Members of the Opposition have said that we are changing laws within three years or four years. We must recognise that we are living in the era of artificial intelligence and quantum computing, where the world is changing rapidly, and we have to keep adapting.

One must also reflect on the approach we adopt: whether we wait endlessly for perfection or ensure that we are good enough to move forward, while continuing to amend and improve as we go along. If I had to choose between perfection and being good enough to move forward, I would always choose being good enough because we should not be trapped in policy paralysis.

This is important to highlight because during the UPA regime between 2004 and 2014, only a single repeal Bill was introduced, which repealed just two outdated laws. This starkly contrasts the approach of the current NDA Government with that of the earlier UPA regime, which largely neglected the task of revising and repealing obsolete laws.

Sir, I am an active Member of the Select Committee on the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill,2025 and I have been participating actively in rationalising penal provisions and simplifying compliance, with the objective of improving ease of living and ease of doing business.

(1445/GM/RV)

I hope that the same principle keeps continuing. I am happy to hear that our hon. Minister Shri Piyush Goyal has mentioned that Jan

Vishwas 3.0 is already under way. I think this is the sign of a healthy democracy where we keep evolving and keep looking at our past.

While these reforms at the Centre have eased compliance and built trust, we need to do so at the State also where we have a lot of interaction with citizens. In our State, some regrettably damaging laws like the Land Titling Act or the Three Capitals Act that the earlier Government tried to push through, have caused a lot of pain and confusion in citizens' minds, damaging trust. As soon as the NDA Government came to power in Andhra Pradesh, we provided clarity and have repealed these laws which have gone against the interests of citizens. While these were in particular nefarious things, the overarching principle that repealing or revising the problematic laws that are creating conflict or laws that are outdated, is essential for bringing back transparency, trust, and predictability in governance. I look forward to aiding our State Government in continuing to do so.

The Repealing and Amending Bill, 2025 is not merely an exercise in removing obsolete statutes; it reaffirms our fundamental principle of good governance that laws which have outlived their purpose must be repealed with the same resolve with which progressive laws are enacted. This House bears the responsibility not only to legislate for the present, but to free future generations from needless regulatory bodies.

Hon. Chairperson, I thank you for giving me this opportunity to speak on this important Bill and I wish that the Government continues to do this to ensure that there is maximum governance, minimum government, empowering our citizens for a trust-based and efficient society.

(ends)

1447 hours

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Hon. Chairperson, Sir, this is the Repealing and Amending Bil, 2025. Every year, we bring these types of Bills. There is not much confusion about the Repealing and Amending Bill. There are some good parts which are corrected. One of them is regarding Speed Post. Instead of Registered with AD, it will now be Speed Post with AD. It is good. It will be speedier. But I request one thing to hon. Law Minister. … (*Interruptions*) Hon. Law Minister, kindly see. So far as the caveat is concerned, the part which you have amended is that it has to be served upon the defendants or whatever the party. But a caveat is filed through the lawyer. Therefore, if you can put "the party and also the lawyer of the defendant", that will help; otherwise, it will be useless. If you want speedy justice, then my suggestion is that you add 'the lawyer of the defendant' or whatever the party where it is made through the lawyer only. There is no problem on that.

Sir, the problem is somewhere else. Now, we are amending the Act, we are bringing more and more Acts; but is speedy justice being delivered? Where are we stuck? I just give you one small example. When in the Supreme Court, filing of new cases was 40,000, the strength of the Supreme Court judges was increased to 34. In 2024, filing was more than 60,000. In 2025, till two days ago, filing was 70,000, but the strength of judges has not been increased. Computers and all that will not decide the fate of a case. A real judicial reform by increasing the strength of the judges is required. Unless it is done, nothing will be done in this country.

(1450/GTJ/MY)

So far as justice part is concerned, I am saying about it. We need more judges. If you go to the Registry of the Supreme Court, you will see that after registration of a case, it takes at least eight to ten days to remove the defects, etc. People are also not there. A similar situation

is in the High Courts and district courts also. These computers etc. are all additional. We need original men to decide and they are the judges. The strength of the judges needs to be increased. Virtual courts etc. means we are just side-tracking the problem itself. Unless the judges are there, who will decide? Although it may not relieve much, I now understand, but as the hon. Law Minister is here, to whom can I make a request. He can reject my request also. There is no problem.

He is smiling and he will reject my request. But this is not the request from myself. I am almost at the end of my life. Please do it for the future of this country.

Sir, one thing is very clear which I have understood in my own way.

हम फिर से बंगाल ले लेंगे। आप इसकी चिंता मत कीजिए। वहां हम आपको ऐसे फेकेंगे कि आप बिहार छोड़ कर यूपी चले जाएंगे। आप मेरी बात सुनिए। … (व्यवधान)

This is the thing; I am telling you. I am saying that I am not against any Government. I am not saying any red Government, white Government or saffron Government, but this is the position of this country. People are having last faith in the Judiciary. People get the justice. We are talking about the women empowerment; we are talking about women torture; and we are talking about POCSO. Where are the judges? It is not my State; it is not your State; it is not your State, Rajasthan. It is the whole of India. Kindly think over it.

आप हर बार आते हैं और कुछ न कुछ बोलते हैं। आप अपने विषय को ठीक कर लीजिए। मैं अपनी बात कह रहा हूं। यह आपको अच्छा नहीं लगेगा। हम जो कुछ भी बोल रहे हैं, वह ठीक है। हम आपको कभी भी ईल एडवाइज नहीं देंगे। थैंक यू सर।

(इति)

1452 बजे

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : सभापति महोदय, आपने मुझे निरसन और संशोधन विधेयक 2025 पर हो रही चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा 120 पुराने और अप्रसांगिक कानूनों को समाप्त कर कानूनी ढांचे को साफ और प्रभावी बनाने के लिए यह प्रस्ताव लाया गया है। मैं इसका स्वागत करता हूँ और समर्थन भी करता हूँ।

सभापति महोदय, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आज समय के अनुसार कानूनों में बदलाव और संशोधन हो रहा है। इसी प्रावधान के तहत माननीय मंत्री जी पुराने और अप्रचलित हो चुके कानूनों को खत्म करने और उनमें वे संशोधन करने की बात कह रहे हैं। इससे कानूनों को सरल, स्पष्ट, पारदर्शी, सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाया जा सकेगा। प्रशासन को बेहतर बनाया जाएगा उसमें पारदर्शिता होगी। इससे कानूनों के प्रावधानों की व्याख्या स्पष्ट एवं सरल होगा। इससे आम जनता को भी लाभ मिलेगा। पुराने कानूनों से जो भ्रम पैदा होता है, उसे भी दूर किया जा सकेगा।

सभापति महोदय, सरकार पुरानी कानूनी व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम कर रही है। उन्हें आधुनिक बनाने और प्रशासन को कुशल एवं गतिशील बनाने का काम सरकार कर रही है। इसके साथ ही संवैधानिक पदों पर नैतिकता बनाए रखने के लिए भी आवश्यक कदम उठाने में सरकार को मदद मिलेगी। यह कदम स्वागत योग्य है।

सभापति महोदय, पहले शेड्यूल में 71 कानूनों को निरस्त करना है, जिसकी अब जरूरत ही नहीं है। फिर दूसरे शेड्यूल में पोस्टल सर्विसेस में सुधार करने की बात हो रही है। आपदा कानून में हो रही परेशानियों को दूर करने की भी बात है।

सभापति महोदय, कानूनों में ये सब सुधार आवश्यक हैं और यह आम नागरिकों के हित में है। देश का संविधान आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। सरकार ने आम नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए सार्थक कदम उठाया है।

सभापति महोदय, मैं पुनः इस बिल का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

(इति)

(1455/MLC/HDK)

1455 बजे

श्री उम्मेदा राम बेनीवाल (बाड़मेर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आज इस सदन में निरसन और संशोधन विधेयक, 2025 पर अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सिद्धांततः कोई भी सभ्य लोकतंत्र अपने कानूनों को समय-समय पर परिष्कृत करता है, अप्रासंगिक कानूनों को हटाता है और विधिक अस्पष्टताओं को दूर करता है। कांग्रेस पार्टी इस प्रक्रिया का विरोध नहीं करती, बल्कि ऐतिहासिक रूप से हमने ही भारत के विधायी सुधारों की नींव रखी है। किंतु माननीय महोदय, मेरा प्रश्न इस बिल की मंशा नहीं, बल्कि उसकी सीमा, प्राथमिकता और ईमानदारी को लेकर है। क्या यह बिल वास्तव में कानूनी सुधार की दिशा में एक गंभीर प्रयास है या फिर यह सरकार द्वारा अपनी विधायी निष्क्रियता को छुपाने का एक औपचारिक अभ्यास मात्र है? आज देश महँगाई, बेरोजगारी, किसान संकट, संघीय ढाँचे के क्षरण और संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता जैसे गंभीर मुद्दों से जूझ रहा है और सरकार ऐसे समय में केवल तकनीकी सुधारों का ढोल पीट रही है। कानूनों को निरस्त करना तब सार्थक होता है, जब साथ ही नागरिकों के अधिकारों को मजबूत करने वाले नए कानून भी लाए जाएँ। दुर्भाग्यवश, पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि सरकार सुधार के नाम पर ऐसे कानून लाई, जिनसे असहमति को दबाया गया और राज्यों के अधिकारों पर अतिक्रमण किया गया। इसलिए, इस बिल पर चर्चा करते समय हमें यह नहीं देखना चाहिए कि कौन-सा कानून हटाया जा रहा है, बल्कि यह देखना चाहिए कि कौन-से अन्यायपूर्ण कानून आज भी जीवित हैं, जिन्हें हटाने का साहस सरकार नहीं दिखा रही है।

माननीय सभापति महोदय, यह सदन जानना चाहता है कि निरसन और संशोधन विधेयक, 2025 की परंपरा नई नहीं है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भी ऐसे अनेक विधेयक लाए गए, जिनका उद्देश्य कानूनों की स्वच्छता और प्रशासनिक स्पष्टता था, किंतु उस समय यह प्रक्रिया एक व्यापक विधायी सुधार एजेंडे का हिस्सा हुआ करती थी। आज स्थिति यह है कि सरकार केवल उन कानूनों को हटाने में रुचि दिखा रही है, जो पहले ही निष्प्रभावी हो चुके हैं, जबकि वे कानून जो नागरिक स्वतंत्रताओं पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रहार करते हैं, उन्हें बनाए रखा गया है। उदाहरण के तौर पर, देश में औपनिवेशिक मानसिकता से प्रेरित कई दमनकारी प्रावधान आज भी लागू हैं, जिनका उपयोग पत्रकारों, छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ किया जाता है। जैसे राजस्थान राज्य, जहाँ लोकतांत्रिक चेतना और सामाजिक न्याय की लंबी परंपरा रही है, वहाँ के लोग यह पूछ रहे हैं कि क्या कानून केवल शासन की सुविधा के लिए हैं या जनता के संरक्षण के लिए भी है? इस बिल में जिन कानूनों को निरस्त किया जा रहा है, उनमें से अधिकांश पहले ही अप्रासंगिक हो चुके हैं। ऐसे में सरकार को यह बताना चाहिए कि उसने अब तक कितने ऐसे कानूनों की समीक्षा की है, जो आज की संवैधानिक आत्मा के अनुरूप नहीं हैं। क्या सरकार संघवाद को मजबूत करने वाले कानून लाएगी? क्या वह राज्यों को उनके अधिकार लौटाने के लिए तैयार है? इन प्रश्नों के उत्तर इस बिल के साथ जुड़े हुए हैं और जब तक इन पर स्पष्टता नहीं आती है, तब तक इस विधेयक को केवल एक औपचारिक अभ्यास माना जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की धरती से आने वाले जनप्रतिनिधि के रूप में मैं यह विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि कानून का प्रभाव केवल दिल्ली के दफ्तरों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि यह गाँव, ढाणी और गरीब कस्बों तक जाना चाहिए। जब कोई कानून अस्पष्ट होता है, तो उसका सबसे अधिक दुष्प्रभाव ग्रामीण गरीब, मजदूर और आदिवासी समुदायों पर पड़ता है।

(1500/YSH/PS)

सरकार यह दावा करती है कि यह बिल 'ईज ऑफ गवर्नेंस' को बढ़ावा देगा, किन्तु हमें पूछना चाहिए कि क्या इससे 'ईज ऑफ लिविंग' भी बढ़ेगी? क्या ऐसे में किसानों को समय पर न्याय मिलेगा? क्या इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा? राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग आज भी भूमि, पानी और आजीविका से जुड़े कानूनी विवादों में वर्षों तक अदालतों के चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन उनको तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रहती है और न्याय का इंतजार करते-करते उनकी जिंदगी निकल जाती है।

ऐसे में सरकार को नए और सरल कानून बनाने चाहिए, ताकि लोगों को समय पर न्याय मिले और अदालतों में लंबित मुकदमों का निस्तारण सही समय पर हो। उनको समय रहते न्याय मिलना चाहिए। नए जजों की भी भर्ती की जानी चाहिए और प्रत्येक न्यायाधीश के ऊपर मुकदमों की संख्या तय होनी चाहिए। ऐसे कानून लाए जाएं, जिनसे न्याय मिलने की समय सीमा तय हो कि जिला न्यायालय में इतने समय में न्याय मिल जाएगा, उच्च न्यायालय में इतने समय में और सर्वोच्च न्यायालय में इतने समय में न्याय मिल जाएगा। अगर ऐसे कानून इस सदन से पास होते हैं तो वास्तव में गांव के गरीब लोगों को न्याय मिलेगा।

सभापति महोदय, मैं आशा करता हूँ कि सरकार इसके बारे में जरूर सोचेगी। मैं इस सदन का ध्यान एक तथ्य की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। पिछले कुछ वर्षों में कानून बनाने की प्रक्रिया में संसदीय समितियों की भूमिका को लगातार कमजोर किया गया है। कई महत्वपूर्ण विधेयकों को बिना पर्याप्त चर्चा के सीमित समीक्षा से पारित किया गया है।

माननीय सभापति (श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी) : आप प्लीज कनक्लूड कीजिए।

श्री उम्मेदा राम बेनीवाल (बाड़मेर) : सभापति महोदय, मैं कनक्लूड कर रहा हूँ। इसके विपरीत सरकार वास्तव में पारदर्शिता और जवाबदेही में विश्वास रखती है तो हर कानून, चाहे वह तकनीकी हो, नीतिगत हो या व्यापक विचार-विमर्श को प्रोत्साहित करता हो, वह चर्चा से ही पास होना चाहिए। चूँकि राजस्थान की जनता ने हमें यहां पर इसलिए भेजा है, क्योंकि हम केवल सरकारी बात पर मोहर न लगाएं, बल्कि सवाल पूछें, सुझाव दें और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करें। कांग्रेस पार्टी यह मांग करती है कि भविष्य में ऐसे विधेयकों के साथ विस्तृत श्वेत पत्र प्रस्तुत किए जाएं, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि कौन से कानून क्यों हटाए जा रहे हैं और उनका दुष्परिणाम क्या है? उनका आर्थिक व सामाजिक प्रभाव क्या रहेगा? बिना पारदर्शिता के विधायी सुधार केवल कागजी सुधार बनकर रह जाएंगे।

(इति)

1503 बजे

श्री दामोदर अग्रवाल (भीलवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे माननीय कानून और न्याय मंत्री श्रीमान अर्जुन राम मेघवाल साहब द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ।

1503 बजे (डॉ. काकोली घोष दस्तीदार पीठासीन हुईं)

यहां सदन में एक बात बार-बार कही जा रही है कि बिना प्रक्रिया-नियम के विधेयक पारित कराए जा रहे हैं। मैं मेरे सामने वाले प्रतिपक्षी माननीय सांसदों से निवेदन करता हूँ कि एक बार आप इंदिरा जी का कार्यकाल याद कर लें कि किस प्रकार से सन् 1975 से 1976 के बीच में केवल कानून नहीं, बल्कि संविधान तक में मौलिक परिवर्तन करके कानून की धज्जियां उड़ाई गई थीं। हमारी सरकार कानून में विश्वास करने वाली सरकार है। हमारी सरकार रूल ऑफ लॉ में विश्वास करती है। मैं सदन में प्रस्तुत 'दी रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल, 2025' का समर्थन करता हूँ।

भारत में माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी की लोकप्रिय व गरीब हितैषी सरकार ने धारा 370, 35ए, तीन तलाक, राम मंदिर जैसे ऐतिहासिक निर्णय किए हैं। इसी के साथ-साथ जीएसटी रिफॉर्म्स, यानी नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी एवं इनकम टैक्स में उल्लेखनीय राहत प्रदान की है। एनएफएसए के तहत 81 करोड़ भारतीयों को मुफ्त राशन, पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा, 12 करोड़ के लगभग इज्जत घर, प्रधान मंत्री आवास एवं उज्ज्वला योजना जैसी लोक कल्याणकारी योजनाओं के बाद भी विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का गौरव इस सरकार ने हमें प्रदान किया है।

सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक व ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीयों का आत्मगौरव बढ़ाया है और विश्व का भारत के प्रति दृष्टिकोण भी बदला है। चन्द्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग ने भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी की स्वर्णिम अभिव्यक्ति की है। लगातार तीसरी बार जन विश्वास हासिल कर प्रधान मंत्री जी ने पूरे देश में 'विकास भी, विरासत भी' की भावना से कार्य किया है।

अभी लोक सभा चुनाव, 2024 के उपरांत दिल्ली और बिहार में प्रचण्ड विजय के साथ अब केरल के तिरुवनन्तपुरम में भी कमल खिल रहा है। भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारतीय नागरिक संहिता वर्तमान सरकार द्वारा भारत के जिम्मेदार नागरिक पर भरोसा करने की प्रक्रिया है।

(1505/STS/SNL)

इसी के अंतर्गत किसी भी विभाग की पत्रावली के साथ लगने वाले डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्टेड करने का प्रावधान कर आम जीवनी को राहत प्रदान की गयी है। समय एवं परिस्थिति और बदलते हुए सामाजिक संरचना के कारण अनेक कानूनों का कालबाह्य, ऑब्सलीट हो जाना स्वाभाविक है। प्रस्तावित 71 प्रावधानों, कानूनों और धाराओं का निरसन यानी 'रिपीलिंग' का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। इसी के साथ-साथ अधिनियमितियों में प्रस्तावित संशोधन का भी मैं समर्थन करता हूं।

सरकार द्वारा इस विधेयक का लाने का उद्देश्य पुराने समय के किसी कंपनी, परियोजना से संबंधित उन अधिनियमों को निरस्त करना, पुराने ट्राम्बे और रेलवे कानून, जो अब आधुनिक कानूनों में बदल दिये गए हैं और व्यवहार में नहीं है, उनको निरस्त करना वर्तमान सरकार की मांग है। इस विधेयक के माध्यम से मोदी सरकार द्वारा भारत के विधायी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए चले प्रयासों को मजबूती मिलेगी।

यह विधेयक भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, धारा 213 एवं धारा 370 में मौजूदा भेद-भावपूर्ण प्रावधानों के निरसन का भी प्रस्ताव करता है। धारा 213 केवल हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन एवं पारसी समुदायों के लिए 'प्रोबेट' यानी कि न्यायालय की पुष्टि की अनिवार्यता बनाती है, जबकि अन्य समुदायों को इससे छूट देती है।

धारा 370 औपनिवेशिक काल की देन है तथा अब अप्रचलित और अनावश्यक हो चुकी है। हमारी सरकार ने वर्ष 2015, 2016, 2019 और वर्ष 2023 के निरसन और संशोधन अधिनियमों के माध्यम से 1562 अप्रचलित कानूनों को निरस्त किया है। समय के साथ-साथ अनेक कारणों से कानूनी दांव-पेच एवं शातिर अपराधियों द्वारा कानून का दुरुपयोग भी शुरु हो जाता है, जैसे नेगोशिएवल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का आज उपयोग से ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। सूदखोरों द्वारा गरीबों को मजबूरी में दिए गए लोन के एवज में किश्तों के खाली चेकों एवं अन्य संपत्ति के दस्तावेज लेकर धारा 138 की आड़ में इतना शोषण किया जा रहा है कि सूदखोर माफिया के दवाब व आतंक के कारण गरीब आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहा है।

अत: समय-काल-परिस्थिति के अनुसार कानूनों में आवश्यक संशोधन एक नियमित और वांछनीय प्रक्रिया है। 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' की भावना से प्रस्तावित इस निरसन और संशोधन विधेयक, 2025 का मैं समर्थन करता हूं और सदन से भी निवेदन करता हूं कि ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग की पवित्र भावना से अभिप्रेत इस बिल को सर्वसम्मति से पारित कर हिन्दुस्तान के आम मतदाताओं के प्रति हम संवेदनशील और जबावदेह जनप्रतिनिधि हैं, इसका उदाहरण प्रस्तुत करें।

माननीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का संकल्प आज करोड़ों-करोड़ भारतीयों का संकल्प बन रहा है। हम सभी बाधाओं को पार कर आम जन का जीवन उत्कृष्ट बने, इस संकल्प के साथ एकमुखी होकर, इस उम्मीद के साथ प्रस्तुत इस विधेयक संख्या 193/2025 का समर्थन करता हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम्। आपका पुन: धन्यवाद।

(इति)

माननीय सभापति (डॉ. काकोली घोष दस्तीदार**) :** श्री अभय कुमार सिन्हा जी।

1509 बजे

श्री अभय कुमार सिन्हा (औरंगाबाद) : धन्यवाद सभापति महोदया, आपने हमें निरसन और संशोधन विधेयक, 2025 पर बात रखने का अवसर प्रदान किया।

महोदया, सरकार यह कह रही है कि जिन कानूनों को इस विधेयक से हटाया जा रहा है, वे पुराने, अप्रसांगिक और निस्प्रभावी हो चुके हैं।

(1510/MM/SMN)

महोदया, सरकार को सदन के माध्यम से देश को बताना चाहिए कि किस आधार पर आपने तय किया कि कौन सा कानून अप्रसांगिक और निष्प्रभावी है? क्या आपने विधेयक लाने से पहले राज्यों, न्यायपालिका और नागरिक और सामाजिक संगठनों से कोई सार्थक या औपचारिक परामर्श किया? मैं समझता हूं कि सरकार को यह बताना चाहिए।

महोदया, देश ने पहले भी ऐसे अनुभव देखे हैं, जहां सरलीकरण या कानूनी सफाई के नाम पर कानून हटाए गए, लेकिन उनकी जगह कोई वैकल्पिक सुरक्षा व्यवस्था नहीं दी गयी। ऐसे मामलों में सबसे अधिक नुकसान आम नागरिकों, कर्मचारियों, किसानों और कमजोर वर्ग को उठाना पड़ता है।

महोदया, इन संशोधनों से वास्तव में क्या पारदर्शिता बढ़ेगी? क्या आम नागरिकों के लिए न्याय सस्ता, सरल और सुलभ होगा या फिर उसे और जटिल प्रक्रियाओं से, लंबी प्रतीक्षाओं से और महंगी मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ेगा?

महोदया, लोकतंत्र का अर्थ केवल कानून पारित करना ही नहीं, कानून को समझना, जनता को समझाकर पारित करना और यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी कदम से नागरिकों के अधिकार कमजोर न पड़ें। मैं यह जरूर कहूंगा कि यह बिल जल्दबाजी में लाया गया है। यह अध्ययन से अपर्याप्त है। इसको अध्ययन के लिए किसी कमेटी में भेजकर पुन: सरकार इसको लाए। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही अच्छा कदम होगा। आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद।

(इति)

1512 hrs

*SHRI S. VENKATESAN (MADURAI): Hon. Chairman Sir, this Bill is aimed to repeal or amend more than 70 amendments. There is no second opinion on the fact that such obsolete acts are to be changed as per the changing times. These amendments are to be brought from making good as better and better as best. They should not rather bring amendments to make bad to worse and worse to worst. Our Hon Member Kalyan Banerjee talked about whatever is related to law department. Once a case is filed in the Judiciary, it may take at least one month for the case to come for hearing. After so many hearings, the judgment in that case may be pronounced after several years. This was clearly stated by Hon Member Shri Kalyan Banerjee. But our experience is totally opposite. Recently a case was filed in the Madurai Bench of Hon Madras High Court on 7th November 2025. This case was registered on 10 November 2025 and the judgement was pronounced on 1 December 2025. Within 20 days from the date of filing of a case, Judgement was pronounced. This issue is an old issue which was discussed by the Courts for centuries and Judgements were pronounced several times in the past as well. It is a curse that the mind-set of the Hon Judge is reflected through his Judgement. If the particular Judge has an opinion on this particular case, he should have transferred this case to a different Judge and kept himself out of controversy. I want to register in this august House that this much civilised nature was not visible in the Judiciary. Similarly, our Hon MP Shri Kalanidhi Veerasamy quoted something stated by a former Judge of Hon Supreme Court. The Judge said that this law-making Body, the Parliament is unable to take time and discuss in detail before enacting a particular law. And as a result of this, the Judiciary and Courts face difficulties while making interpretations. Within 3 minutes, 4 labour codes were passed in this House without any discussion. We have passed a legislation affecting the lives of several Crores of labourers who are part of our 140 Crore population. Earlier we got the feeling that the Judgements were pronounced as per the substantial arguments made in regard to the case. Now the Judgements are pronounced keeping in view the favours that they would be getting after retirement from the Post which they are holding. In such a fashion, Judgements are being pronounced as an entrance exam to the Post that would be occupied after the person’s retirement. Friends I want to register here as a matter of concern.

I have been serving as Member of Parliament for the last 7 years. In all these 7 years I have seen that not even a single suggestion made by a MP from the Opposition has been included by the Government in the law. Not even a single suggestion or an amendment has been accepted by the ruling party. You objective is to bring a legislation and you do not have any slight inclination to uphold the democratic nature of this House which legislates laws controlling 140 Crore people of this country. Therefore, I strongly oppose this amendment Bill.

Thank you for this opportunity. Vanakkam. (ends)

* Original in Tamil

(1515-1520/MK/RP)

1515 hours

*SHRI BALYA MAMA SURESH GOPINATH MHATRE (BHIWANDI): Honourable Speaker, I express my gratitude for giving me the opportunity to speak here today. Today, we are discussing the Repeal and Amendment Act, 2025. This act aims to repeal 71 outdated laws which includes 65 amended laws and 6 obsolete laws. Four laws are being amended: the General Clauses Act, the Code of Civil Procedure, the Indian Succession Act, and the Disaster Management Act. Since 2014, the Modi government has repealed or amended many old laws.

I will give you some examples where changes in the law are necessary but are not happening. There is the issue of renaming our new Navi Mumbai airport; the Maharashtra state government, through a unanimous resolution in the Legislative Assembly and Legislative Council, proposed that it should be named after the late D.Y. Patil; but this proposal is pending for 3 years. Therefore, there should be a law that ensures no oversight on such pending matters.

In our area, some private companies supply electricity, and due to privatization, many difficulties are arising. Therefore, there should be some law regarding this matter. Local people should be given priority in jobs and businesses in the state they reside in, and it is necessary to enact laws for this purpose. This should include the railway department, the revenue department, and other departments. There are many issues where it is necessary to give confidence to the people.

We form governments for the welfare of the people, but when making laws, we do not take them into confidence. Therefore, the government should pay attention to the needs of the local people through legal means.

On the Mumbai-Thane road, begging women and children are seen at traffic signals. Whether it is summer, monsoon, or winter, these children are seen naked. Police vehicles and government vehicles pass by, but no one pays attention. The issue of child abduction is serious across the country, and the government should pay attention to it.

Honourable speaker, I support any appropriate changes that need to be made according to the time and changing circumstances. Thank you, for giving me the opportunity to speak.

(ends)

---

* Original in Marathi

1522 बजे

श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे (मावल) : माननीय सभापति महोदया, आपने निरसन और संशोधन विधेयक पर, मेरी पार्टी की तरफ से मुझे बात रखने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

महोदया, यह विधेयक वास्तव में 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' के हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मैं कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी का भी आभार प्रकट करता हूं कि कई सारे ऐसे कानून थे, जिन्हें हटाकर वह अच्छे कानून लाए।

माननीय सभापति महोदया, भारत की कानून व्यवस्था का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। यह अच्छी और स्वागतयोग्य बात है। यह विधेयक 71 अप्रचलित कानूनों को निरस्त करने का उद्देश्य रखता है। ये वे कानून हैं, जो अब भारत की शासन व्यवस्था में प्रशासनिक या आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। विधायी विभाग ने इन कानूनों को अनावश्यक और उद्देश्यहीन पाया है, क्योंकि वे पहले ही संबंधित मुख्य अधिनियमों में समाहित किए जा चुके हैं।

सभापति महोदया, अप्रचलित कानूनों को हटाना, विधि पुस्तिकाओं को सरल और सुव्यवस्थित करना एक आवश्यक विधायी प्रक्रिया है। एनडीए की सरकार ने वर्ष 2014 के बाद से लगातार सुधार किये हैं। वर्ष 2015, 2016, 2017, 2019 और 2023 के निरसन और संशोधन अधिनियमों के माध्यम से 1562 से अधिक अप्रचलित कानूनों को निरस्त किया जा चुका है।

सभापति महोदया, यह विधेयक राष्ट्र प्रथम की उस भावना को दर्शाता है, जिसके लिए हमारे हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे जी ने हमें हमेशा प्रेरित किया है। कानूनी व्यवस्था को सरल और मजबूत बनाना और अप्रचलित बोझ को हटाना यही सच्चा राष्ट्रहित है। वंदनीय बालासाहेब ठाकरे जी ने शिवसेना को मजबूत प्रशासनिक इच्छाशक्ति के साथ खड़ा किया है और हमारी पार्टी हमेशा ऐसी नीतियों की समर्थक रही है, जो सरकारी कामकाज को पारदर्शी और प्रभावी बनाती हैं। यह विधेयक उन पुराने कानूनों को हटाकर इसी दिशा में आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, ऐसा मेरा मानना है।

(1525/CP/UB)

महोदया, यह विधेयक सिर्फ निरसन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कुछ महत्वपूर्ण संशोधन भी प्रस्तावित करता है। यह विधेयक धारा 213 को हटाने का प्रस्ताव करता है, जो भेदभावपूर्ण है। यह केवल हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन और पारसी समुदायों की वसीयतों के लिए प्रोबेट (न्यायालय की पुष्टि) को अनिवार्य बनाता है, जिससे अनावश्यक प्रक्रिया संबंधी बोझ पैदा होता है। औपनिवेशिक काल की देन धारा 370 को भी हटाया जा रहा है। अधिनियम की

भाषा को व्यावहारिक सोच के अनुरूप बनाने के लिए रोकथाम शब्द के स्थान पर तैयारी शब्द रखने का प्रस्ताव है।

सभापति महोदया, डाक सेवाओं के अनुरूप कानून अपडेट करना भी इस विधेयक की प्रमुख बात है। न्यायिक बोझ को कम करने के लिए डाक विभाग के बदलावों के अनुसार सामान्य उपबंध अधिनियम, 1897 की धारा 27 और सिविल प्रक्रिया संहिता में रजिस्टर्ड पोस्ट की जगह पंजीकरण सहित स्पीड पोस्ट शब्द जोड़ने का प्रस्ताव है। इससे कानून का तालमेल वर्तमान डाक व्यवस्था के साथ बनेगा और अनावश्यक न्यायिक हस्तक्षेप कम होगा।

महोदया, यह रिकार्ड में भी स्पष्ट है। यदि हम इतिहास देखें तो 1950 के दशक के बाद से दशकों तक चली पिछली सरकारों के दौरान केवल दस निरसन और संशोधन विधेयक अधिनियमित किए गए, जिनके माध्यम से मुश्किल से 1,291 अधिनियम निरस्त किए गए। इतने लंबे समय में यह बहुत धीमी प्रगति थी। वर्ष 2014 के बाद हमारे प्रधान मंत्री के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने एक स्पष्ट मिशन के तहत व्यापक समीक्षा के बाद 1,562 से अधिक अप्रचलित कानूनों को निरस्त कर दिया। यह तुलनात्मक आंकड़ा दिखाता है कि प्रशासनिक सुधार और कानूनी बोझ को कम करने की हमारी प्रतिबद्धता कितनी मजबूत और निर्णायक है, जो देश को एक सुव्यवस्थित कानूनी ढांचे की ओर ले जा रही है।

महोदया, यह विधेयक भारत की कानूनी व्यवस्था को आधुनिक बनाने के एनडीए सरकार की निरंतर मिशन की एक कड़ी है। यह न केवल अनावश्यक कानूनी बोझ को कम करता है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया को सरल और स्पष्ट बनाने में मदद करता है।

मैं सदन से आग्रह करता हूं कि इस दूरदर्शी और अत्यन्त आवश्यक विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया जाए।

(इति)

1528 बजे

श्री सुदामा प्रसाद (आरा) : सभापति महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

महोदया, मैं निरसन और संशोधन विधेयक, 2025 का विरोध करता हूं। मैं मानता हूं कि 120 कानूनों में बदलाव करके लोगों के अधिकारों को सीमित किया जाएगा। त्वरित न्याय के नाम पर ये परिवर्तन किए जा रहे हैं, लेकिन इसके जरिए पूरे देश को पुलिसराज में तब्दील करने का एक षडयन्त्र चल रहा है। कानून ही गलत है, यह उक्ति सही नहीं है। दरअसल इन कानूनों के जरिए ये अपनी शक्तियों को मजबूत कर रहे हैं। जो सामाजिक, राजनीतिक कानूनी अधिकार हैं, उन्हें ये अपने हाथों तक सीमित करना चाहते हैं, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि सरकार ऐसा कोई विधेयक लाए जिससे देश में भयानक ढंग से जो महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, उस पर रोक लगे। लोगों को दोनों टाइम भरपेट खाना मिले। हर किसी के घर में चूल्हा जले। इसके लिए कोई विधेयक लाया जाना चाहिए। ऐसा कोई विधेयक इनके पास नहीं है। ये ऐसे ही विधेयक के पक्ष में हैं, जिससे आम जनता का हक, अधिकार कमजोर हो और नौकरशाही हर क्षेत्र में बढ़े।

मैं इस बिल का विरोध करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि इसे जल्दबाजी में पास न कराएं, बल्कि इस पर राय-मशविरा भी करें। सिर्फ यहीं नहीं, बल्कि बाहर भी तमाम पार्टीज़ की इस पर बैठक में चर्चा हो। इसे करने के बजाय आनन-फानन में, बहुमत के घमंड में ये हर चीज को अपने हाथों में केन्द्रित करना चाहते हैं, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

(इति)

(1530/NKL/SK)

1530 hours

*SHRI SELVARAJ V. (NAGAPATTINAM): Hon Chairman Sir, Vanakkam. Thank you for this opportunity. The laws that are proposed in this Repealing and Amending Bill 2025 consists of mainly the laws relating to the labour welfare, finance and banking, Universities and educational institutions. It therefore becomes inappropriate to discuss about all laws in one particular amendment Bill. I urge that there is a need for these laws even today. Therefore, there should be separate discussion on each of these laws. Recently the Union Government has changed the names of all the Criminal Laws that were in force as BNS, BNSS and BSA. These have names in Hindi and Sanskrit.

There are agitations held against this act of the Government. Bharatiya Nyaya Sanhita (Indian Justice Code); Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (Indian Citizen Safety Code) and Bharatiya Sakshya Adhiniyam (Indian Evidence Act) are the three Criminal Acts passed in Parliament recently and assented to by Hon President of India. Ten Trade Unions have announced in one voice that nation-wide agitations are being held against the Four Labour Codes which were formed by abolishing 44 labour related Acts of the country. In order to make changes to the Labour laws of the country, during the year 2020, Four Labour Codes were enacted. The trade Unions have strong opposed these Codes. And nation-wide strikes and agitations were held in this regard.

Particularly, in section 148A, in sub-section 2, words “Registered post, acknowledgement due” shall be substituted by “Speed post with registration and proof of delivery”. In the Disaster Management Act of 2005, in Section 30 and Sub-section 2 and in Clause 6, ‘Prevention’ shall be substituted by the word ‘Preparation’. I urge that these amendments are not to be made in a hurry. Rather they should be discussed in detail before going for amendments.

Thank you for this opportunity. Vanakkam.

(ends)

---

* Original in Tamil

1533 hours

ADV. GOWAAL KAGADA PADAVI (NANDURBAR): Thank you, hon. Chairperson Madam, for giving me this opportunity. I rise today to participate in the discussion on the Repealing and Amending Bill, 2025. On the face of it, the Bill appears technical, procedural and even harmless, but the Parliament is not a clerical office, and legislation is not a routine housekeeping exercise. Every repeal, every amendment, and every omission carries constitutional consequences, historical baggage and social impact. The House must therefore ask – and I do ask – why these laws are being repealed now, who benefits from these repeals, and whose rights may be invisibly diluted. The Bill is repealing certain central Acts, and amending the core procedural laws like the General Clauses Act, 1987; the Code of Civil Procedure, 1908; the Indian Succession Act, 1925; and the Disaster Management Act, 2005. But history teaches us that the procedural changes often affect substantive rights, especially of the poor, tribals, women and the litigants who have limited access to justice.

Madam, there are important Supreme Court judgments that I want to narrate over here. The Supreme Court, in the case of Mohar Singh, held that the effect of repeal on accrued rights must be examined carefully; repeal does not automatically erase past rights unless explicitly stated. Similarly, in Kolhapur Canesugar Works Limited, the hon. Court had warned that savings clause cannot be mechanical and must be interpreted in favour of vested rights.

Madam, the Bill seeks to amend the CPC. It replaces 'registered post' with 'speed post with registration and proof of delivery'. The Supreme Court, in the case of Salem Advocate Bar Association had held that procedural law must serve justice, not obstruct it. The speed post infrastructure is uneven, especially in my tribal constituency Nandurbar, which is an aspirational district. Also, proof of delivery failures will result in *ex-parte* decrees, especially against the poor.

(1535/VR/VVK)

Not just that, it may lead to improper delivery of summons or notices that may cause harm.

There is an omission of Section 213 of the Indian Succession Act. The Supreme Court in Clarence Pais *versus* Union of India upheld the differential probate requirement, but observed that the legislature may revisit the colonial distinction if social conditions so demand. I want to ask the hon. Minister whether they are saying that the probate is not compulsory. I think this amounts to an

appeasement politics on the basis of religion, which is being removed, and it is going to affect the family and the personal laws of all religions. I would urge the hon. Minister to kindly clarify this matter.

With respect to the Disaster Management Act, replacing ‘prevention’ with ‘preparation’ in Section 30 of the Disaster Management Act is not merely a cosmetic change. The Supreme Court in COVID-19 related judgement stressed that the State's duty is proactive prevention, not reactive preparation. Is the Government diluting its responsibility by shifting from preventive governance to post-disaster management?

I just want to ask one final question to the hon. Minister. For example, if you are bringing in the Repealing and Amending Bill, what about the Forest (Conservation) Amendment Act, जिसमें ग्राम सभा का अधिकार था, वह छीन लिया गया? You are taking away the powers and duties of a constitutional body and reducing it to a ceremonial body. जो फॉरेस्ट राइट अमेंडमेंट एक्ट था, जो ग्राम सभा को अधिकार देता था, अगर आपने वह छीन लिया, तो आप उसका अमेंडमेंट कब लाएँगे? उससे आदिवासी लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है।

This Government repeatedly claims minimum Government, ease of doing business, legal simplification. But in reality, we witness maximum executive control, reduced parliamentary scrutiny and delegated legislation replacing debate. I urge the Government to refer this Bill to the Standing Committee on Law and Justice, table a rights impact statement for repealed laws, ensure explicit protection of pending cases, conduct district level feasibility studies on CPC amendments, clarify the safeguards following the omission of section 213 of the Indian Succession Act and reaffirm preventive responsibility under disaster management law.

Finally, I want to say that repealing a law is very easy, correcting historical injustice is hard, and protecting constitutional values is the hardest. Therefore, simplification must not become silent dilution, and efficiency must not replace equity. Governance must never override justice. That is all I want to say. Long live the Constitution.

(ends)

1538 hours

श्री रमेश अवस्थी (कानपुर) : माननीय सभापति महोदया, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल, 2025 का दृढ़ता से समर्थन करता हूँ। यह विधेयक स्वच्छ शासन, विधिक स्पष्टता और प्रशासनिक क्षमता के प्रति सरकार की गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस विधेयक का मूल उद्देश्य हमारे विधिक ग्रंथों में समय की माँग के अनुसार संशोधन करना है। दशकों के दौरान अनेक ऐसे कानून हो गए हैं, जो या तो अप्रासंगिक हो चुके हैं या अपना उद्देश्य पूरा कर चुके हैं या अब अनावश्यक हो गए हैं। ऐसे कानूनों को बनाए रखना, केवल भ्रम, कानूनी अव्यवस्था और अनावश्यक मुकदमेबाजी को जन्म देना है। यह विधेयक ऐसे ही कानूनों को क्रमबद्ध रूप से निरस्त करता है और कुछ अन्य कानूनों में आवश्यक लेकिन सीमित संशोधन करता है।

माननीय सभापति महोदया, अनावश्यक और पुराने कानून नागरिकों, व्यवसायों और सरकारी विभागों पर अनुपालन का बोझ बढ़ाते हैं। इन अप्रासंगिक कानूनों को हटाकर यह विधेयक कानूनी ढाँचे को सरल बनाता है और विधिक निजता को बढ़ाता है। इससे आम नागरिकों के लिए सुगम जीवन और उद्यमियों व निवेशकों के लिए सुगम व्यापार को सीधा लाभ मिलता है। भारत को पाँच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की दिशा में एक सरल और स्पष्ट कानूनी व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है और यह विधेयक उस दिशा में एक निर्णायक कदम है। इस विधेयक की प्रथम अनुसूची में औपनिवेशिक काल तथा स्वतंत्रता के प्रारंभिक दशकों से जुड़े अनेक अधिनियमों को निरस्त किया गया है, जिनकी आज कोई व्यावहारिक उपयोगिता नहीं रह गई है।

(1540/VB/PBT)

फिर भी ये कानून बीते दशकों से बने हुए थे। इन्हें विधायी प्रबलता और वर्तमान अवस्थाओं के अनुरूप शासन संरचनाओं की आधुनिकीकरण की सरकार की इच्छा-शक्ति को दर्शाता है। इस विधेयक की अत्यन्त महत्वपूर्ण विशेषता इसका व्यापक सेविंग क्लॉज है। यह स्पष्ट रूप से सुनिश्चित करता है कि इन कानूनों के निरसन से पहले से अर्जित किसी भी अधिकार, दायित्व, उत्तरदायित्व, दंड या लंबित कार्रवाइयों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे विधिक निर्भरता सुरक्षित रहती है और नागरिकों को किसी भी अनपेक्षित परिणाम से संरक्षण मिलता है। यह सरकार के संतुलित दृष्टिकोण, बिना व्यवधान के सुधार और बिना कानूनी अनिश्चितता के आधुनिकीकरण को दर्शाता है।

माननीय सभापति महोदय, यह विधेयक जनरल क्लॉज एक्ट और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में भी संशोधन करता है ताकि डाक सेवाओं में हुए तकनीकी और प्राशासनिक परिवर्तनों को कानून में समाहित किया जा सके। पंजीकृत डाक को इस फीस पोस्ट विद रजिस्ट्रेशन और प्रूफ ऑफ डिलीवरी में समाहित किए जाने के बाद कानून का भी उसी अनुरूप होना आवश्यक है। यह संशोधन नोटिसों और अदालती प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी विश्वसनीय और विधिक रूप से सुदृढ़ बनाते हैं, जिससे विलंब कम होता है और न्याय तक पहुंच सुदृढ़ होती है। इस विधेयक का एक अत्यंत प्रगतिशील पहलू इंडियन सक्सेशन एक्ट, 1925 में किया गया संशोधन है। धारा 213

को हटाने से एक ऐसे प्रावधान को समाप्त किया गया है जो औपनिवेशिक सोच पर आधारित था और कुछ संविधानों पर असमान प्रोबेट अवस्थाओं को थोपता था। यह सुधार कानून के सक्षम समानता, एकरूपता और उत्तराधिकार के मामलों में न्याय को बढ़ावा देता है तथा सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों के प्रति भाजपा सरकार की प्रतिबद्धता को प्रतिबंधित करता है।

माननीय सभापति महोदय, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 में 'प्रिवेंशन' के स्थान पर 'प्रिपरेशन' शब्द का उपयोग एक छोटा, लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण संशोधन है। आपदा प्रबंधन का वास्तविक उद्देश्य तैयारी लचीलापन और त्वरित प्रक्रिया से होता है। यह संशोधन अस्पष्टता को दूर करता है और कानून को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत आपदा प्रबंधन सिद्धांतों के अनुरूप बनाता है। इससे जिला और स्थानीय स्तर पर आपदा तैयारी की प्रभावशीलता और संस्थागत स्पष्टता दोनों सुदृढ़ होती है।

माननीय सभापति महोदय, समय-समय पर रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल लाना एक अनुशासित और जिम्मेदार विधायिका का प्रतीक है। यह सरकार निरंतर ऐसे प्रयास कर रही है ताकि भारत की कानूनी प्रणाली अतीत के बोझ से मुक्त हो सके। विधिक पुस्तकों में समय की मांग के अनुसार संशोधन पारदर्शिता को बढ़ाता है। इससे दुरुपयोग की संभावना कम होती है और कानूनी नागरिकों, अधिवक्ताओं प्रशासकों और न्यायालयों के लिए अधिक सुलभ बनते हैं। यह विधेयक डिजिटल शासन और प्राशासनिक आधुनिकीरण की सरकार की व्यापक पहल के साथ पूरी तरह मेल खाता है।

माननीय सभापति महोदय, यह विधेयक सुनिश्चित करता है कि हमारे कानून आज की वास्तविक प्राशासनिक कार्यप्रणाली को प्रतिबंधित करें। ये व्यावहारिक और सुधार-प्रधान दृष्टिकोण भाजपा के शासन मॉडल के विशिष्ट पहचान हैं।

माननीय सभापति महोदय, अंत में, मैं यह कहना चाहता हूं कि रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल, 2025 केवल एक तकनीकी अभ्यास नहीं है, बल्कि यह स्पष्टता, दक्षता, समानता और सुशासन के प्रति सरकार की मंशा का सशक्त वक्तव्य है। मैं इस विधेयक का पूरे मन से समर्थन करता हूं और मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वे राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर राष्ट्र- हित में इस आवश्यक विधेयी-स्वीकार का समर्थन करें। यह विधेयक हमारी कानूनी प्रणाली को और सुदृढ़ करता है तथा हमें एक आधुनिक कुशल और नागरिक अनुकूल भारत के और निकट ले आता है।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

(1545/SJN/SNT)

1545 hours

SHRI MADDILA GURUMOORTHY (TIRUPATI): Thank you, Madam, for giving me an opportunity to speak on the Repealing and Amending Bill, 2025, which seeks to repeal outdated enactments and correct formal defects in existing laws. If I quote a few positives in this Bill, they are as follows.

Clause 2 read with the First Schedule repeals obsolete enactments, ranging from the Indian Tramways Act, 1886 to several Amendment Acts passed between 2016 and 2023 that have already served their purpose. This exercise reduces legal clutter and improves statutory readability for citizens, businesses, and courts. Clause 4, the Savings Clause, is a critical safeguard. It protects accrued rights, liabilities, past actions, and pending proceedings, thereby ensuring legal continuity and constitutional certainty under Articles 21 and 300A. Under the Second Schedule – General Clauses Act, 1897, Section 27, replacing “registered post” with “speed post with registration” aligns statutory language with modern postal systems and reduces procedural delays. Similarly, amendments to the Code of Civil Procedure, 1908, modernising service of summons through proof-of-delivery mechanisms, will improve dispute resolution timelines – an essential factor for ease of doing business, trade certainty, and cross-border commerce.

While the intent of the Bill is positive, certain concerns merit attention. First, Clause 2 provides for a blanket repeal of multiple Amendment Acts without a consolidated restatement, which may create interpretational challenges for courts, lawyers, and administrators. Second, under the Second Schedule, procedural amendments are introduced without clear transition guidelines or capacity-building measures for subordinate courts and district administrations. Without such support, the benefits of these reforms may not fully reach the ground.

I would like to seek some clarifications from the Government. First, Clause 2 read with the First Schedule: How will ambiguity be avoided in on-going litigation that relies on provisions contained in repealed Amendment Acts? Second, Clause 3 read with the Second Schedule (Code of Civil Procedure, 1908): What steps will be taken to ensure uniform adoption of “proof of delivery” standards across all States? Third, Second Schedule – Indian Succession Act, 1925: Will uniform probate rules be notified to prevent divergent practices among High Courts?

Madam, I support this Bill. Thank you.

(ends)

1548 बजे

श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल (दमन और दीव) : सभापति महोदया, मैं आज सदन में इस विधेयेक पर हो रही चर्चा में अपने विचार साझा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं कई पुराने और अनावश्यक कानूनों को निरस्त करने का प्रस्ताव करता हूं। इस विधेयक में सन् 1886 के भारतीय ट्रामवे एक्ट से लेकर वर्ष 2023 के विभिन्न संशोधन अधिनियम शामिल हैं। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं, लेकिन मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी राय रखना चाहता हूं, ताकि हमारा कानूनी ढांचा अधिक मजबूत तथा प्रासंगिक बने।

महोदया, बदलाव प्रकृति का सामान्य स्वभाव है, इसलिए हमें भी आवश्यक बदलाव के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। यदि हम इस स्वाभाविक प्रक्रिया से तालमेल नहीं बैठा पाते हैं, तो पिछड़ने का खतरा बना रहता है। हम जानते हैं कि हमारे संविधान रचयिताओं ने बहुत सोच-समझकर व हर पहलू पर विस्तृत विचार-विमर्श करने के बाद एक-एक कानून बनाया था, जो उस समय की मांग के अनुसार अत्यंत प्रासंगिक और योग्य थे, किंतु दशकों बाद और आज के समय के मांग के अनुसार सुधार की आवश्यकता पड़ती है, जो करना अत्यंत जरूरी भी है।

यह सराहनीय है कि सरकार पुराने कानूनों को साफ करने का प्रयास कर रही है। उदाहरण के लिए सन् 1886 का जो भारतीय ट्रामवे एक्ट था, अब वह आप्रासंगिक हो चुका है। सन् 1976 का लेवी शुगर प्राइस इक्वालाइजेशन फंड एक्ट था, जो चीनी उद्योग के पुराने संदर्भों से जुड़ा है। ऐसे कानून को निरस्त करने से हमारी विधि पुस्तक सरल होगी और न्यायिक प्रकिया में अनावश्यक जटिलताएं कम होंगी।

इसी प्रकार से वर्ष 2023 का माइन्स एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) अमेंडमेंट एक्ट या ऑफशोयर एरियाज़ मिनरल (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) अमेंडमेंट एक्ट जैसे संशोधनों को निरस्त करना है। यदि वे अब मुख्य अधिनियम में शामिल हो चुके हैं, तो एक अच्छा कदम है। इससे कानूनी स्पष्टता बढ़ेगी।

महोदया, हमें सतर्क रहना चाहिए कि कोई महत्वपूर्ण प्रावधान गलती से निरस्त न हो जाए। जैसे कि वर्ष 2021 का मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी अमेंडमेंट एक्ट है, जो महिलाओं के स्वास्थ्य और अधिकारों से जुड़ा हुआ है या वर्ष 2022 का एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट है, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक है। दमन और द्वीप जैसे तटीय क्षेत्रों में जहां जलवायु परिवर्तन और समुद्री संसाधनों का मुद्दा महत्वपूर्ण है।

(1550/DPK/RTU)

वर्ष 2023 के 'दि कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी (अमेंडमेंट) एक्ट' या 'ऑफशोर मिनरल एक्ट' जैसे कानूनों का निरस्त होना स्थानीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालता है। … (व्यवधान) मछुआरों और पर्यटन उद्योग की आजीविका इससे जुड़ी हुई है। मैं सरकार से

अनुरोध करता हूं कि खासकर संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसे निरस्तीकरण से पहले स्थानीय हितधारकों से परामर्श किया जाए। इसके अलावा कई संविधान संशोधन जैसे, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर्स के अमेंडमेंट को निरस्त करना मेरे लिए चिन्ता का विषय है। यदि अब ये मुख्य संविधान में विलय हो चुके हैं, तो ठीक है, लेकिन हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि आदिवासी समुदायों के अधिकार प्रभावित न हों। हमारा प्रदेश दादरा और नागर हवेली और दमन-दीव आदिवासी बहुल है, जिनकी आवाज को मजबूत करना अत्यंत जरूरी है।

मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि सरकार द्वारा यह निर्धारित करने के लिए अपनाए गए रिडंडेंसी टेस्ट का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए। इसके आधार पर प्रथम अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों को अप्रचलित माना जा रहा है। आयोग को यह भी सुनिश्चित करना है कि निरसन का प्रभाव सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन पर प्रतिकूल रूप से न पड़े, ताकि नियमों, अधिसूचनाओं और प्रासंगिक कार्यवाहियों का अनजाने में निरस्तीकरण न हो। चूंकि इन अनेक कानूनों को निरस्त करने का जो प्रस्ताव है, वह राज्यों से संबंधित है। इसलिए केन्द्र सरकार को सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के संदर्भ में एक विस्तृत और स्पष्ट स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना आवश्यक है।

महोदया, अंततः यह विधेयक कानूनी सुधार की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। मैं इसका समर्थन करता हूं, लेकिन यह सुझाव भी देता हूं कि भविष्य में ऐसे विधेयकों में प्रत्येक निरस्त कानून के प्रभाव का विस्तृत विश्लेषण शामिल किया जाए, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और जनता का विश्वास मजबूत होगा। धन्यवाद।

(इति)

1552 बजे

श्री अब्दुल रशीद शेख (बारामूला) : सभापति महोदया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।

सरकार ने सोच-समझकर ही इन कानूनों को डिलीट करने का फैसला किया होगा। मैं 140 करोड़ देशवासियों के नाम चंद लाइनें अर्ज करना चाहूंगा :

“140 करोड़ इंसानों, जिंदगी से बेगानों
सिर्फ चंद लोगों ने हक तुम्हारा छीना है,
बोलने पर पाबंदी, सोचने पर ताज़ीरें
पांवों में गुलामी की आज ये हैं जंज़ीरें,
आज हरफ़-ए-आखिर है, बात चंद लोगों की
दिन है चंद लोगों का, रात चंद लोगों की,
उठकर दर्दमंदों के, सुब्ह-ओ-शाम बदलो भी
जिसमें तुम नहीं शामिल, वह निज़ाम बदलो भी।”

मैं आपसे यह गुज़ारिश करना चाहूंगा कि आर्टिकल 21 जहां सबको फ्रीडम देता है, वहां यह बात भी जरूरी है कि देश की सिक्योरिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ न किया जाए। मैं यूएपीए की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूंगा, उसमें अमेंडमेंट की जरूरत है। खासतौर से, जो यहां पर रोज ईडी, सीबीआई के खिलाफ धरने देते हैं, यूएपीए आप लोग लाये हैं, लेकिन आज आप खामोश हैं। मुसलमानों के ठेकेदार तो बने हैं, लेकिन यूएपीए में सबसे ज्यादा माइनॉरिटी के लोग पीसे जा रहे हैं। मेरी सरकार से इतनी गुजारिश है कि खासतौर से जो सेक्शन 43डी है, ‘Every innocent has to prove that he is not guilty’. How can he himself prove that he is not guilty, जब ट्रायल या कुछ भी नहीं होगा? इसलिए यह बिल्कुल जरूरी है कि आप देश की सिक्योरिटी का ख्याल रखें, लेकिन एक टेररिस्ट और एक आम शहरी के बीच में फर्क करना बहुत ही जरूरी है। जज साहिबान भी कुछ नहीं कर सकते है, क्योंकि उनके हाथ बंधे हैं। सैकड़ों, बल्कि हजारों लोग यूएपीए की वजह से जेलों में बंद हैं। मेरी इस हाउस से यह गुज़ारिश है, क्योंकि सैकड़ों लोग जेलों में सड़ रहे हैं। कहा जाता है हैं कि ‘मोदी है, तो मुमकिन है’, आज यह करके दिखाइए। हम कहेंगे कि ‘सबका साथ, सबका विकास’। कम से कम सेक्शन 43डी हटाकर आप इंसानियत का सबूत दे दीजिए। इसी तरह आप कहते हैं कि जम्मू-कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक संविधान है और एक कानून है, तो फिर वहां पीएसए क्यों है? वहां से पीएसए की तलवार खत्म कीजिए। That is absolutely extra-constitutional.

मैं आखिर में आपसे फिर यही गुज़ारिश करूंगा कि मेहरबानी करके जहां ईडी, सीबीआई की बात है और यूएपीए पर हर हाल में एनडीए सरकार से, चाहे नीतीश कुमार जी हों, चंद्रबाबू नायडू जी हों, उनसे मेरी हाथ जोड़कर गुज़ारिश है कि आप भी बीजेपी के दोस्तों से यह कह दें। एक तरह हम यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट सीट की बात करते हैं, वह अच्छी बात है। … (व्यवधान) उसके लिए जरूरी है कि जो हमारे कवानीन हों, खासतौर से जो इंसानी हुकूक के मुतलिफ हों, वहां वे बैनल अकवामी मैयार पर पूरे उतरें। मैं उम्मीद रखूंगा कि सरकार यूएपीए में बहुत जल्द बदलाव लाएगी, ताकि वे सैकड़ो लोग जो बेगुनाह जेलों में बंद हैं, कम से कम वे भी अपने घरों का दीदार कर सकें। उनकी सीताएं भी अपने रामों का इंतजार कर रही हैं। राम जी तो वनवास के बाद घर आ गए, लेकिन उनकी सीताओं का क्या जिनके परिजन 10-10 या 15-15 सालों से सिर्फ यूएपीए की नंगी तलवार की वजह से जेलों में सड़ रहे हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।

(इति)

(1555/PC/AK)

1555 बजे

श्री राजेश रंजन (पूर्णिया) : सभापति महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदया, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि कुछ मुद्दों पर कानून या नाम बदलने से देश और आम आदमी के अधिकार के लिए कुछ भी नहीं होगा। मैं अपनी बात इंडिगो से शुरू करता हूं। इतनी बड़ी त्रासदी हुई कि पूरा देश गुलामी की ओर चला गया। सारी फ्लाइट्स बंद हो गईं, हम सब लोग कैद हो गए और कल भी कोई फ्लाइट नहीं उड़ी। लगातार साजिश हो रही है। जो पूंजीपति देश से भाग जाते हैं, देश से पैसा लूटकर चले जाते हैं तथा जो पूंजीपति देश में रह रहे हैं और जो इस देश के साथ खिलवाड़ करते हैं, चाहे वह इंडिगो का मालिक हो, उन पर जुर्माने के लिए क्या कार्रवाई होती है? उनके लिए कोई कानून नहीं है।

जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया मेडिकल एजुकेशन और प्रैक्टिस को रेग्युलेट करता है। हमारे यहां 'वन नेशन, वन हैल्थ' और 'वन नेशन, वन एजुकेशन' है। आप जर्मनी जाइए या अन्य किसी भी देश में जाइए, कहीं पर आपको प्राइवेट एजुकेशन, प्राइवेट हैल्थ सर्विसेज़ नहीं मिलेंगी, सरकार के द्वारा सब कुछ प्रायोजित है। लेकिन, भारत में पूरा का पूरा प्राइवेटाइज़ेशन अर्थात निजीकरण किया जा रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश में 60,500 स्कूल्स बंद हो गए, लगभग सारे सरकारी स्कूल्स बंद हो रहे हैं। टीचर्स सही क्वालिटीज़ के साथ भर्ती नहीं हो रहे हैं। आईआईएम खत्म कर रहे हैं, आईआईटी खत्म कर रहे हैं, निजीकरण करके प्राइवेट लोगों के हाथ में दे रहे हैं। क्या इसके लिए कोई रेग्युलेट्री बॉडी बनेगी? क्या इस देश में किसी की अकाउंटेबिलिटी तय होगी? कोई कानून अच्छा था या खराब था, यह तय कौन कर रहा है? यहां बैठे हुए वे अच्छे लोग कौन हैं, जो मिलकर यह सब तय कर रहे हैं कि कौन सा कानून खराब था और कौन सा कानून अच्छा होगा?

यह जो पूरा का पूरा संशोधन है, वह इनके फायदे के लिए है। पूंजीपति, बड़े-बड़े कॉरपोरेट्स, बड़ी-बड़ी निजी कंपनियों के लिए कानून बनते हैं। अत: मेरा पॉइंट हैल्थ के बारे में है। डॉक्टर्स जिस तरीके से पूरा का पूरा चिट्ठा लिखते हैं और जब लोग जांच कराने जाते हैं, जब लोग अस्पताल में भर्ती होते हैं, तो मरे हुए लोगों को भी आईसीयू में भर्ती करके पैसा वसूला जाता है और मनमानी फीस लेते हैं। इसके लिए कोई जांच की प्रक्रिया नहीं है। इसकी जांच के लिए कोई कानून नहीं है। प्राइवेट में जांच करने वाला जितना पैसा चाहे ले सकता है। क्या इनके लिए भी कोई कानून आप 71 कानूनों में व्यवस्थित करके बना रहे हैं, ताकि डॉक्टर्स मनमानी न करें? डॉक्टर्स के लिए रेग्युलेट्री बॉडी बने, कोई उनको देखने वाला हो। क्या एमपी, विधायक या चुने हुए प्रतिनिधियों की भी इसमें कोई भागीदारी होगी? क्या आप पूरी की पूरी व्यवस्था सरकारी लोगों को ही दे देंगे? पूरी की पूरी व्यवस्था नौकरशाहों के हाथों में दे देंगे? ये नौकरशाह इस देश को गुलाम बना देंगे। नौकरशाह देश को चलाते हैं, हमारे नेता नहीं चलाते हैं, इसीलिए, उनकी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए।

भू-हदबंदी कानून लागू हुआ, लेकिन, न किसी गरीब को जमीन मिलती है और न ही लागत मिलती है। उद्योगपतियों के लिए एक रुपए में हजार बीघा जमीन मिल जाती है, लेकिन, यदि गरीब को पांच डिस्मिल जमीन देने की बात होगी, तो उसको जमीन नहीं मिलती है। क्या इसके लिए कोई कठोर कानून लाया जाएगा? मैं यह बात भी कहना चाहूंगा कि देश में न्यायालयों में जज नहीं हैं। आप उठाकर देख लीजिए कि केस पर केस लंबित हैं। चार्जशीट कौन देता है? जो लोग चार्जशीट लिखते हैं, डायरी

लिखते हैं, वे सरकार से प्रभावित होते हैं। क्या उनकी भी कोई अकाउंटेबिलिटी तय होगी? गरीब आदमी जेल में रहता है और पैसे वाले सारे बड़े-बड़े लोग बाहर रहते हैं। उनके लिए कोई कानून नहीं है।

जजों की भी कोई अकाउंटेबिलिटी तय होगी या नहीं कि जज क्या करेंगे, जज किससे मिलेंगे, जज कैसे प्रभावित होंगे? कोर्ट में जज पार्टी बनकर बात करते हैं। जैसे हाई कोर्ट में कुछ जज हैं, जो पार्टी बनकर ओपन बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी बात करते हैं। ऐसा क्यों है? क्या उनके लिए कोई कानून नहीं होगा? मेरी अगली बात हाई कोर्ट्स के बारे में है। बिहार में एक हाई कोर्ट है। क्या पूर्णिया में कोई हाई कोर्ट बनेगा? क्या हमारे राज्य में कोई और हाई कोर्ट बनने की संभावना है, ताकि अधिक से अधिक कानूनों का निष्पादन हो? जो लोअर कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उनके पास बहुत कम पावर है। वे केसेज़ में डरे हुए रहते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स चीजों को बाहर कर देते हैं और लोगों से कहते हैं कि हाई कोर्ट जाइए, मैं नहीं देखूंगा। अत: ऐसी चीजों के लिए क्या आप कोई कानून लाने की व्यवस्था करेंगे?

(1600/RHL/SRG)

तीसरी चीज, हमारे यहां शराब के मामले में गलत तरीके से, कोई कानून नहीं है लाखों लोगों को बंद कर दिया गया है। उस गरीब का क्या मतलब है? जो शराब बेचता है वह जेल में नहीं है। जो पदाधिकारी पैसा लेता है, वह जेल में नहीं है। इनके लिए क्या कानून है? अंत में, मैं दो बातें कहना चाहता हूं, एक है कि जब आम आदमी को म्यूटेशन करवाना होता है तो वह सीओ, एडीएम, डीएसएलआर के पास जाता है।

मैडम, म्यूटेशन, जमाबंदी में लाखों करोड़ों रूपये लिए जाते हैं। पूर्णिया का एक सीओ जमाबंदी के लिए दो लाख, पांच लाख रूपया लेता है। मीडिल क्लास का एक गरीब आदमी अपनी जमाबंदी, म्यूटेशन नहीं करवा पाता है। दूसरी बात यह है कि बिहार में लगातार बुलडोजर चल रहा है। आपने गरीब आदमी को कुछ दिया नहीं है। न ही पांच डिसमिल जमीन दी है। आपने शहर में किसी भी दुकानदार को दुकान नहीं दी, उन्हें व्यवस्थित नहीं किये और उसके बावजूद सौंदर्यीकरण के नाम पर पूरे बाजार को तौड़ा जा रहा है। वाह रे वाह। सरकारी जमीन पर लागातार...(व्यवधान)

माननीय सभापति (डॉ. काकोली घोष दस्तीदार) : अब समाप्त कीजिए।

श्री राजेश रंजन (पूर्णिया) : सरकारी जमीन माफिया लोग अपने नाम लिखवा रहे हैं, म्यूटेशन करवा रहे हैं। पूरा कब्जा कर लिया गया है, लेकिन आम आदमी को कुछ नहीं मिलेगा। इसके लिए क्या कानून है? अंत में आपसे मेरा आग्रह है कि आप अधिक से अधिक जज को एक्सेसिबिलिटी में लाइए, अधिक से अधिक हाई कोर्ट बेंच का निर्माण कीजिए। यह मेरा आपसे आग्रह है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

1601 बजे

डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले (भन्डारा-गोंदिया) : सभापति महोदया, सरकार Repealing and Amending Bill, 2025 को एक छोटा और तकनीकी विधेयक बताकर पेश कर रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह विधेयक केवल कानून हटाने का नहीं, बल्कि जवाबदेही हटाने का एक प्रयास चल रहा है। आज झटके में सिर्फ पुराना कहकर दर्जनों कानून खत्म कर दिए हैं। सवाल यह है कि क्या मजदूरों के अधिकार पुराने हो गए? क्या महिलाओं की सुरक्षा पुराने जमाने की बात हो गई? क्या कर्मचारियों का संरक्षण अब सरकार पर बोझ लगने लगा है?

सभापति महोदया, भंडारा-गोंदिया और पूरे विदर्भ में किसान, मजदूर और छोटे कर्मचारी पहले से ही परेशान हैं। न नौकरी की सुरक्षा है, न समय पर न्याय है और अब धीरे-धीरे कानूनों का सहारा भी छीना जा रहा है।

1602 बजे

(श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन पीठासीन हुए)

सभापति महोदया, हमारे यहां के किसानों को सपना दिखाया गया और उनसे जमीन ले ली गयी। भेल का प्रोजेक्ट, जहां पर सोलर प्लेट के लिए उद्योग आएंगे, 14 साल से हमारे किसान भाई वहां पर राह देख रहे हैं, लेकिन उनको नौकरियां नहीं मिली। रोहना गांव का एक किसान भाई है, जिसने थर्मल प्लांट के लिए नौकरी की राह देखते-देखते बीस साल गुजर गए, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं मिली। किसान भाइयों के साथ अत्याचार, हर दिन की इस सरकार की कहानी हो गयी है। सिर्फ सपने बड़े-बड़े दिखाते हैं, लेकिन उनको पूरा नहीं कर पाते हैं। आज किसानों की जमीन गयी, उसके लिए कानून बनना चाहिए, लेकिन यह सरकार क्या कर रही है? यह किसान विरोधी सरकार है।

माननीय सभापति महोदय, सरकार इंडियन सक्सेशन एक्ट की धारा 213 हटाने की बात कर रही है। यह एक अच्छा कदम है, क्योंकि यह कानून भेदभावपूर्ण था, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इतने साल तक इस अन्याय को जिंदा किसने रखा था? क्या सरकार बाकी औपनिवेशिक और जनविरोधाी कानूनों को हटाने की भी हिम्मत दिखाएगी? अब न्याय व्यवस्था की बात करते हैं। रजिस्टर्ड पोस्ट की जगह स्पीड पोस्ट लायी जा रही है। कागजों में यह सुधार है लेकिन भंडारा, गोंदिया, साकोली जैसे इलाकों में आज भी डाक देरी से पहुंचती है। सबूत गायब हो जाते हैं और गरीब आदमी कोर्ट के चक्कर काटता रहता है, तो सवाल है कि क्या यह बदलाव न्याय को आसन बनाएगा या और दूर लेकर जाएगा?

(1605/KN/SM)

माननीय सभापति महोदय, सबसे बड़ा मजाक तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में किया गया है। प्रिवेंशनशिप को हटाकर प्रिपरेशन जोड़ दिया है। विदर्भ में हर साल सूखा पड़ता है, फसल बर्बाद होती है, किसान टूट जाता है। सरकार बताये कि यह कैसी तैयारी है? आज सर्वोच्च न्यायालय ने भी यह बोला है कि निरसन कानूनों के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। स्टेट ऑफ पंजाब बनाम मोहर सिंह के केस में कहा गया कि निरसन का प्रभाव अर्जित अधिकारों पर अत्यंत सावधानी से

परखा जाना चाहिए; जब तक स्पष्ट रूप से न कहा जाए, निरसन में पूर्ववर्ती अधिकार स्वतः समाप्त नहीं होते।

इसी प्रकार कोल्हापुर केनशुगर वर्क्स लिमिटेड बनाम भारत संघ, 2000 में न्यायालय में कहा गया कि बचाव उपबंध यांत्रिक नहीं हो सकते और उनकी व्याख्या अर्जित अधिकारों के पक्ष में की जानी चाहिए। यह विधेयक श्रम, बैंकिंग, मध्यस्थता, अल्पसंख्यक संरक्षण तथा संवैधानिक संशोधन अधिनियमों से संबंधित क़ानूनों को भी निरस्त करता है। संसद को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी लंबित अधिकार, अपील या उपाय मौन रूप से समाप्त न हो जाए।... (व्यवधान) सर, मैं बस कनक्लूड कर रहा हूं।

"कागजों में राहत की तस्वीर सुंदर लगती है,
पर खेत में खड़ा किसान आज भी खाली हाथ दिखता है।"

महोदय, कानूनों की सफाई जरूरी है, लेकिन जनता के अधिकारों में कटौती मंजूर नहीं। यह सदन कानून मिटाने के लिए नहीं, बल्कि गरीब, किसान, मजदूर की आवाज बनने के लिए हो।... (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन) : आप अपनी बात कनक्लूड कीजिए।

डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले (भन्डारा-गोंदिया) : मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस विधेयक को विधि एवं न्याय संबंधी स्थायी समिति को भेजा जाए। निरस्त कानूनों पर अधिकार प्रभाव विवरण प्रस्तुत किया जाए। लंबित मामलों की स्पष्ट सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। किसी भी संशोधन पर... (व्यवधान)

(इति)

माननीय सभापति : श्री राजू बिष्ट जी।

1607 बजे

श्री राजू बिष्ट (दार्जिलिंग) : सर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं अपने समय पर अपनी बात रखकर बैठ जाऊंगा, आप घंटी मत बजाइयेगा, क्योंकि मेरा दिल थोड़ा कमजोर है।

सर, मैं द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल, 2025 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य देश के लॉ को साफ करना, सरल करना, आधुनिक बनाना और सिटिजन फ्रेंडली बनाना है। यह बिल कोई नया लॉ बनाने के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य पहले से मौजूद जो कानून हैं, उसको क्लीन, क्लियर, क्रेडिबल और व्यवस्थित करना है। जो कानून अब चलन में नही हैं या जिनका उददेश्य पूरा हो चुका है, ऐसे कानूनों को समाप्त करना है। ऐसे लॉ को बनाए रखने से कंफ्यूजन तथा अननेसेसरी लिटिगेशन बढ़ता है और एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन बढ़ जाता है। पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने निरंतर प्रयास किया, इससे पहले करीब 1562 और आज करीब 71 कानूनों को रिपील किया जा रहा है। इसके बाद कुल मिलाकर 1633 पुराने कानून इतिहास के पन्नों से सम्मानपूर्वक विदा ले रहे हैं।

सर, अब मैं कुछ विषय दार्जिलिंग से रिलेटेड रखूंगा। Absorbed Areas Act 1954 – यह कानून कांग्रेस के समय बना था। इस कानून को भी रिपील कर दिया गया। स्वतंत्रता से पहले दार्जिलिंग हिल्स, तराई और डुअर्स विभिन्न कानूनों तथा प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत शासित होता था, जैसे कि नॉन रेगुलेटेड एरिया 1861, सेमी-रेगुलेटेड एरिया 1861 एंड 1870, नॉन-रेगुलेटेड एरिया 1870 व 1874, शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट 1874 और 1919, बैकवर्ड ट्रेक्ट 1919 एंड 1935 और पार्शियली एक्सक्लूटेड एरिया 1935-1947 तक। भारत स्वतंत्र के बाद दार्जिलिंग को पश्चिम बंगाल राज्य का हिस्सा बनाया गया, क्योंकि दार्जिलिंग, तराई और डुअर्स, उस समय दार्जिलिंग जिला बड़ा था, यह एक पार्शियली एक्सक्लूटेड क्षेत्र था, इसलिए पश्चिम बंगाल के कानून हमारे क्षेत्र में लागू नहीं होते थे।

(1610/ANK/GM)

उस समय कांग्रेस सरकार ने एब्जॉर्ब्ड एरिया एक्ट, 1954 लागू करके इसके माध्यम से पश्चिम बंगाल के कानून दार्जिलिंग और हमारे क्षेत्र में लागू करने की अनुमति दी। इस प्रकार हमारा क्षेत्र पश्चिम बंगाल, जितनी भी लेजिस्टेटिव व्यवस्थाएं थीं, उनका हिस्सा बना। एब्जॉर्ब्ड एरिया एक्ट, 1954 के बाद जो आज दार्जिलिंग के साथ हो रहा है, वह भी मैं आपके समक्ष रखना चाह रहा हूं। भारत का संविधान हर नागरिक को समान अधिकार, सम्मान और न्याय देता है। यह संविधान हमारे लोकतंत्र की नींव है और शासन का मार्गदर्शन भी है। माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में न्याय का यह वादा पूरे देश के हर कोने तक पहुंचा है, चाहे वह उत्तर पूर्व हो या जम्मू कश्मीर। जो क्षेत्र पहले उपेक्षित थे, आज उनकी बात सुनी जा रही है, उनका सम्मान हो रहा है। यह सबका साथ, सबका विकास की भावना का सच्चा उदाहरण है।

महोदय, मैं दार्जिलिंग तराई-डुअर्स के लोगों की आवाज बनकर आपके समक्ष विषय रख रहा हूं। हमारा क्षेत्र लंबे समय से न्याय की प्रतिक्षा में है और ऐसे कानून और समाधान चाहता है,
जो हमारी आईडेंटिटी की सम्मान करें और हमारी एस्पिरेशन को पूरा करे। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार इस मुद्दे को सुलझाने के लिए गंभीर है। इसके लिए हमारे क्षेत्र में एक इंटरलोक्यूटर की नियुक्ति की गई है। यह सरकार की संवाद से समाधान की प्रतिबद्धता को दिखाता है। क्षेत्र की जनसंख्या और डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है। हमारी जमीन, नदियों और संसाधनों का शोषण हो रहा है। इन समस्याओं का हल डीजीएचसी या जीटीए जैसी सेमी-ऑटोनोमस बॉडी से नहीं हो सका। हमें एक स्थायी समाधान की आवश्यकता है। ऐसा समाधान, जो भारत के संविधान के अंतर्गत हो, शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक हो।

माननीय सभापति (श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन) : आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री राजू बिष्ट (दार्जिलिंग) : सर, मैं आपनी बात दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

माननीय सभापति : एक मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री राजू बिष्ट (दार्जिलिंग) : जनता के प्रतिनिधि के रूप में मैं सरकार से शीघ्र समाधान के लिए आग्रह करता हूं। अंत में, यहां टीएमसी के लोग भी बोले, कांग्रेस की तरफ से संघवाद का विषय भी आया। कानून रिपील हो रहे हैं, यह अच्छी बात है। वीडिंग-आउट होना चाहिए, लेकिन सरकार को यह भी सोचना चाहिए कि जो कानून इस पार्लियामेंट में बनते हैं, कई प्रदेशों में उन कानूनों को लागू नहीं किया जाता। जैसे मैं बताता हूं कि एफआरए, 2006 दार्जिलिंग तराई-डुअर्स में अब तक लागू नहीं हुआ। लेबर कोड, 2020 पारित हुआ, लेकिन आज भी बंगाल के अंदर रूल्स नहीं बने, जिसके कारण चाय, बागान के श्रमिक अपनी अधिकारों से वंचित हैं। सीएए से लेकर तमाम कानूनों का पश्चिम बंगाल में विरोध होता है। इस भारत के संविधान एक कानून ऐसा भी है, जिसका नाम अनुच्छेद 356 है। मैं इस सदन की ओर से सरकार से मांग करता हूं कि अनुच्छेद 356 लगाकर पश्चिम बंगाल को न्याय दे, पश्चिम बंगाल के चिकन नेक क्षेत्र को सुरक्षित करे, पश्चिम बंगाल को सुरक्षित करे और भारत को और सशक्त और मजबूत करे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

1613 बजे

श्री गुरमीत सिंह मीत हायेर (संगरूर) : धन्यवाद सभापति जी। सभापति जी, तकरीबन 71 ऐसे एक्ट्स हैं, जिनमें अमेंडमेंट की जा रही है। अगर मैं पंजाब के पाइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो वहां 2023 में भी बाढ़ आई और 2025 में भी बाढ़ आई। जो सबसे जरूरी है, वह डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 ही है और उसमें केवल जो अमेंडमेंट की गई है, वह यह है कि 'प्रिवेंशन' की जगह 'प्रिप्रेशन' यूज करेंगे, लेकिन जरूरत इससे अलग थी। जैसे एक जीएसटी काउंसिल है, उसमें हम हर स्टेट से प्रतिनिधि लेते हैं और फिर वह काउंसिल फैसला करती है। मुझे इसमें भी यही लगता है, क्योंकि जब 2023 में बाढ़ आई, तो बिहार को तकरीबन 12 हजार करोड़ रुपये का स्पेशल पैकेज मिल गया। पंजाब में भी बाढ़ आई, लेकिन पंजाब को कुछ भी नहीं मिला। जब बाढ़ आती है, तो वह देखकर नहीं आती कि यहां बीजेपी की सरकार है, सत्ता पक्ष की सरकार है और यहां विपक्ष की है। बाढ़ कहीं भी आ सकती है। मुझे लगता है कि फंड्स की एलोकेशन तभी सही तरीके से हो सकती है, अगर हम सारे स्टेट्स से प्रतिनिधि लें और किस स्टेट का कितना नुकसान हुआ है, उस हिसाब से एलोकेशन करें। मुझे लगता है कि इसमें इसी अमेंडमेंट की सबसे बड़ी जरूरत है।

(1615/RAJ/GTJ)

सभापति महोदय, तकरीबन 11-12 सालों से कोई कानून, एक्ट का जब इम्प्लिमेंटेशन होता है, तो उसे सरकार अपने हिसाब से करती है। एंटी डिफेक्शन लॉ इनके लिए और है और विपक्ष के लिए और है। ऐसे कितने स्टेट्स हैं, ये उसे मिसयूज करके कितनी सरकारें सत्ता पक्ष ने बनाई है। अगर इसके अलावा मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब रिऑर्गनाइजेक्शन एक्ट, 1966 है, उसमें पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टेटस इंटर स्टेट बॉडी कॉरपोरेट है। अगर उसमें कोई अमेंडमेंट करना है, तो पंजाब से कंसल्ट किए बिना आप उसका स्टेटस चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन पिछले दिनों बिना पंजाब से कंसल्ट किए उसकी भी स्टेटस चेंज करने की कोशिश की गई, वहां की सीनेट को तोड़ने की कोशिश की गई। जब लोगों ने हल्ला किया, प्रोटेस्ट किया तब केन्द्र ने अपना फैसला वापस लिया। मुझे यही लगता है कि हम एक्ट्स का इम्प्लिमेंटेशन कैसे करते हैं, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है।

सभापति महोदय, मैं लास्ट में यही कहूंगा कि हमारे पंजाब का जो नुकसान हुआ है, वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि तकरीबन 16 सौ करोड़ रुपए एनाउंस किया गया है। मैंने कल भी यह मुद्दा सभा में उठाया था और आज मैं कहूंगा कि एक कमेटी का गठन हो जिसमें सभी स्टेट्स से प्रतिनिधि लिए जाएं और वे फंड्स का एलोकेशन करें कि किस स्टेट का कितना नुकसान हुआ है?

(इति)

माननीय सभापति (श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन) : ऑनरेबल मिनिस्टर।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : सभापति महोदय, Repealing and Amending Bill, 2025 की चर्चा में 23 लोगों ने भाग लिया है। सभी ने अपने विचार यहां रखे। … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Minister, could you stop for one minute? Mr. Hanuman Beniwal wants to speak.

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: That is why, I am seeking the permission of the Minister.

आप दो मिनट में जल्दी बोलिए।

1617 बजे

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : सभापति महोदय, आपने मुझे निरसन और संशोधन विधेयक, 2025 पर बोलने का समय दिया है इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सभापति महोदय, प्रस्तावित कानून में कहा गया है, यह बिल समय-समय पर किए जाने वाले उपायों में से एक है, जिसके जरिए ऐसे कानून जो लागू नहीं रहे हैं या पुराने हो गए हैं या जिन्हें अलग कानून के तौर पर रखना जरूरी नहीं है, उन्हें रद्द किया जाता है और कानूनों में पाए गए कुछ बदलावों और औपचारिक कमियों को ठीक किया जाता है।

सभापति महोदय, आज सदन में मंत्री जी इस बिल पर चर्चा करवाने से पहले अपने संबोधन में कुछ बातों का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने समानता के अधिकार का जिक्र करते हुए संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का भी जिक्र किया है। ऐसे में मैं सदन के माध्यम से मंत्री जी को पूछना चाहता हूं कि क्या आजादी के दशकों बाद, जब आप पूर्ण बहुमत के साथ लगातार तीसरी बार सता में हैं, इस देश के दलितों, वचितों और पिछड़ों को न्याय देने के लिए आपने ऐसा क्या नया किया है जिससे उन्हें राहत मिली हो? क्योंकि आज भी कई स्थानों पर दलितों को घोड़ी पर बैठने से रोका जाता है। दलित आज भी समानता का हक पाने के लिए सघर्ष कर रहे हैं। ये घटनाएं राजस्थान में आपके संसदीय क्षेत्र और मारवाड़ के अंदर अक्सर देखने को मिलती हैं। आप इस पर विशेष रूप से ध्यान दें।

सभापति महोदय, सत्ता में आने के बाद आपकी सरकार ने कई बार कहा है कि हम गैर जरुरी कानूनों को हटायेंगे, आवश्यक कानूनों को लायेंगे मगर हर रोज आप कोई न कोई बिल लेकर आते हैं तो उससे आपकी उस मंशा पर सवाल खड़े होते हैं जो आपने सत्ता में आने के बाद देश की न्यायिक व्यवस्था में जटिलता खत्म करने के संदर्भ में किया था। सभापति महोदय, मुझसे पहले कई माननीय सदस्यों ने कहा है और मैं भी मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक के बाद एक विधेयक लाने की जल्दबाजी कर रहे हैं, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। यह मेरा आग्रह है। क्रिमिनल कोड में सरकार के बड़े कानूनी सुधार के बाद आप कह रहे हैं कि इन सुधारों का मकसद पुराने जमाने के निशानों को हटाना, एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने की क्षमता बढ़ाना और क्रिमिनल कोर्ट का असर बढ़ाना था।

(1620/NK-HDK)

दूसरी तरफ मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि सरकार के नेशनल ज्युडिशियल डाटा ग्रिड के अनुसार भारत की निचली अदालतों में लगभग 6 मिलियन सिविल केस पेन्डिंग है, जबकि क्रिमिनल केस पेन्डिंग की संख्या 29 मिलियन है। विरासत से जुड़े मामले सिविल केस का हिस्सा है। इस वर्ष फरवरी में लोक सभा में मेरे सवाल के जवाब में मंत्री जी ने बताया कि 30 दिसम्बर, 2024 तक के रिकार्ड के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय में 1 लाख 19 हजार 906 मामले ऐसे हैं, जो दस वर्षों से लंबित हैं, वहीं भारत के उच्चतम न्यायालय में ऐसे मामलों की संख्या 60 हजार 178 है। विभिन्न श्रेणी के लंबित मामलों का जल्दी निपटारा कैसे हो, कैसे त्वरित न्याय मिले, उस पर भी सदन को सोचना चाहिए। समय पर न्याय न मिलना भी अन्याय है।

सभापति महोदय, जनहित याचिकाओं के क्रियान्वयन को लेकर सरकार निगरानी तंत्र बनाए। इसी सदन में बजट सत्र में सरकार ने कहा, जनहित से जुड़े मामलों में अवमानना से जुड़े प्रकरणों का विवरण रखा ही नहीं जाता। किसी भी पीड़ित को त्वरित न्याय मिले, इसके लिए सरकारों को व्यापक प्रयास करने चाहिए। वहीं जनहित याचिका जनता से जुड़ी होती है, जनहित याचिकाओं के निर्णय की मोनिटरिंग नहीं करने व अवमानना की रिपोर्ट को संधारित नहीं करने से जनहित याचिकाएं प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में सरकार को इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। जनहित याचिकाओं के निर्णयों की मोनिटरिंग के लिए निगरानी तंत्र बनाना चाहिए। (इति)

1621 बजे

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : सभापति महोदय, आपने मुझे रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल, 2025 पर चर्चा की अनुमति दी है, आपका धन्यवाद। अब तक इस बिल पर 24 माननीय सदस्य बोले, चर्चा की शुरूआत कांग्रेस पार्टी के डीन कुरियाकोस जी ने की। चर्चा की समाप्ति आरएलपी के श्री हनुमान बेनिवाल जी ने की। हनुमान बेनिवाल जी से पहले 23 लोग बोल चुके थे। आपने अनुमति देकर 24 लोगों को बोलने की अनुमति दी और यह संदेश दिया कि मोदी सरकार 24 घंटे काम करती है, 24x7 काम करती है। भारत को विकसित भारत बनाना है और अगर किसी बिल पर 24 लोग बोले तो अच्छा रहता है, एक अच्छा संदेश दिया। इसके लिए आपको धन्यवाद।

एक विषय आया कि इन कानूनों को समाप्त क्यों कर रहे हैं, उसे जल्दी में लेकर आ गए क्या? वर्ष 2014 में देश की जनता की कृपा से जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब से लगातार कानून बनाना, अगर कोई ऐसा कानून है, जिसकी आवश्यकता नहीं है तो उसको रद्द करना, समाप्त करना या कोई संशोधन करना है तो संशोधन करना, यह सरकार लगातार करती आ रही है।

कांग्रेस पार्टी के साथी बोले, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यूपीए-1 और यूपीए-2 में, कांग्रेस पार्टी के शासन में भी रिपीलिंग और अमेंडिंग होता रहा है। लेकिन यूपीए-1 और यूपीए-2 के शासन में वर्ष 2004 से 2014 के बीच में या तो यह काम करना भूल गए या कोई और काम में लग गए, जिससे एक भी कानून रिपील और अमेंड नहीं हुआ। उससे पहले होते रहे क्योंकि लेजिस्लेटिव वर्क का यह भी एक काम है।

भारत के यशस्वी, तपस्वी और कर्मयोगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में रिफार्म, परफार्म और ट्रांसफार्म के मंत्र पर चलते हुए हम विकसित भारत की ओर अग्रसर है। सुधारों की इसी प्रक्रिया में मई 2014 से लेकर अब तक 1577 ऑब्सेलीट और रिडंडेंट कानून हो गए थे, उनको निरस्त करने का काम अब तक किया है, जिसमें 1562 कानून पूरी तरह से रिपील हुए और 15 कानूनों को रि-इनएक्ट किया।

(1625/IND/PS)

सभापति जी, यह जो रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल है, इसमें 71 ऐसे कानून हैं, जिनमें 6 प्रिंसीपल एक्ट्स हैं और 65 अमेंडमेंट्स एक्ट्स हैं, जो हम इस महान सदन के समक्ष लेकर आए हैं। पिछले 11 सालों में 40 हजार से अधिक कम्प्लायंस बर्डन को कम किया है और ईज आफ डूइंग बिजनेस के साथ-साथ ईज आफ लीविंग को भी सुनिश्चित किया है। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का मंत्र है कि हमें ईज आफ लीविंग की ओर भी तेजी से बढ़ना है। सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच हमें अपने काम में रखनी है। मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस हमें देना है और पंथ प्रण की बात प्रधान मंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से की थी, यह उसका एक भाग है। प्रधान मंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा कि हमें विकसित भारत बनाना है, यह हमारा प्रण होना चाहिए। हमें गुलामी के अंशों से मुक्ति पानी होगी, यह भी हमारा एक प्रण होना चाहिए। हमें हमारी विरासत पर गर्व करना चाहिए, यह भी हमारा एक प्रण होना चाहिए। हमें एकजुट रहना चाहिए, यह भी हमारा एक प्रण होना

चाहिए और हमें अपने कर्तव्य भाव को बढ़ाना चाहिए, यह भी हमारा प्रण होना चाहिए। जब लाल किले की प्राचीर से प्रधान मंत्री जी बोले और उसके क्रम में यह रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल आया है, तो जल्दी से ऐसा नहीं किया गया, बल्कि सोच-विचार करके लाया गया यह बिल है और विकसित भारत बनाने की दिशा में बढ़ता हुआ कदम है।

महोदय, एक विषय आया कि आपने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को ध्यान में नहीं रखा। इसमें एक शब्द प्रिवेंशन आ गया। प्रिवेंशन की जगह हम प्रिपरेशन शब्द जोड़ रहे हैं। प्रिवेंशन आलरेडी उस एक्ट के सैक्शन-32 में है। यह सिम्पल अमेंडमेंट है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 आपके समय में आया, मैं मानता हूं लेकिन उक्त अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन अनजाने में त्रुटि ठीक करने के लिए यह संशोधन लाया गया है। इसमें प्रिवेंशन शब्द की जगह प्रिपरेशन शब्द रेक्टिफाई कर रहे हैं और इसका आपको समर्थन करना चाहिए। एक विषय यह आया कि जनरल क्लाजेज एक्ट, 1897 में संशोधन क्यों कर रहे हैं? डाक विभाग द्वारा डाक उत्पादों और सेवाओं को रेशनलाइजेशन तथा रजिस्टर्ड पोस्ट सर्विस या स्पीड पोस्ट सर्विस का मर्जर कर दिया, तो उसके परिणामस्वरूप हम यह संशोधन लेकर आए हैं। रजिस्टर्ड पोस्ट एक्सप्रेशन को स्पीड पोस्ट विद रजिस्ट्रेशन से सब्सिट्यूट किया जाएगा। इसमें आपत्ति का कोई विषय नहीं है। हम एक विषय दि इंडियन सक्सेशन एक्ट, 1925 लेकर आए। आप कांस्टीट्यूशन के बहुत ज्ञानी हैं। आप देखें कि एक सैक्शन 213 था। यह एक्ट भी 1925 का है। इसमें लिख दिया गया कि कोलकाता, मद्रास और मुम्बई उच्च न्यायालय के मूल सिविल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कोई वसीयत होगी, तो हिंदू, बौद्ध, सिख, पारसी, जैन यदि विल करेंगे तो उसे प्रोबेट कराना पड़ेगा, जिसे वे लेटर आफ एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं और यदि मुस्लिम करेगा तो प्रोबेट नहीं कराना पड़ेगा। यह भेदभाव पूर्ण एक प्रावधान था, जिसे हम हटा रहे हैं। हमारे कांस्टीट्यूशन का आर्टिकल 15-ए कहता है कि हम जाति, लिंग, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। यह एक्ट दि इंडियन सक्सेशन वर्ष 1925 में बना और यह भेदभाव करता था इसलिए यदि एक्ट में भेदभाव का प्रावधान है, तो वह नरेन्द्र मोदी जी के शासन में किताबों में नहीं रह सकता है इसलिए हम इसे हटाने के लिए आए हैं।

1629 बजे (माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

अध्यक्ष जी, आप आसन पर आ गए हैं। प्रस्तावित बिल में छह प्रिंसीपल एक्ट्स हैं और 65 अमेंडमेंट्स से संबंधित एक्ट है। मैं एक विषय आपके समक्ष ला रहा हूं कि हमारे कालखंड में हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी नागरिकों को प्रमोट करना है, हमें यह लगेगा कि नागरिकों को समान अधिकार देना है, हमें लगेगा कि नागरिकों को हमें सुविधा देनी है तो निश्चित रूप से नरेन्द्र मोदी जी की सरकार इस दिशा में आगे बढ़ेगी और इसी से संबंधित यह बिल है। बिल के अलावा कई विषय आए हैं और आपने कहा है कि बिल के अलावा यदि कोई विषय आए तो उनका जवाब देने की जरूरत नहीं है।

(1630/KDS/SNL)

अत: आपके निर्देशों का पालन करते हुए, जो बिल से संबंधित हैं, उनके जवाब ही मैंने दिए हैं।

माननीय अध्यक्ष : यह आपसे संबंधित नहीं है।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : सर, आपने कहा था बिल के अलावा कोई विषय आता है, तो। यहां तो कई विषय आ गए। हनुमान जी एट्रोसिटी पर बोल गए।

माननीय अध्यक्ष : माननीय हनुमान जी हर विषय के एक्सपर्ट हैं।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : सर, इनके अलावा कई और भी लोग थे, जो कई विषयों पर चले गए। कुछ फार्मर लॉ पर चले गये, कुछ किसी और विषय पर चले गए। कल्याण बनर्जी साहब तो बहुत विद्वान आदमी हैं। ये जजों के विषय पर चले गए, जो इस बिल से संबंधित नहीं है। कोई इंडिगो में यात्रा कर रहा है। अत: आपके निर्देशों के अनुसार जो विषय आए, उनका जवाब मैंने दे दिया है। मैं आपके माध्यम से सदन से प्रार्थना करता हूं कि इसे सर्वसम्मति से पास किया जाए, क्योंकि यह एक प्रोग्रेसिव लॉ है। धन्यवाद।

(इति)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि कतिपय अधिनियमितियों का निरसन करने करने और कतिपय अन्य अधिनियमितियों का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि पहली अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पहली अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

दूसरी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड1, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : महोदय**,** मैं प्रस्ताव करता हूं :

''कि विधेयक पारित किया जाए।''

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SABKA BIMA SABKI RAKSHA (AMENDMENT OF INSURANCE LAWS) BILL

1634 hours

THE MINISTER OF FINANCE; AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I beg to move:

> "That the Bill further to amend the Insurance Act, 1938, the Life Insurance Corporation Act, 1956 and the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, be taken into consideration."

In the opening remarks, I would like to just highlight what the current ecosystem is. After all, the policy has moved towards reaching 100 per cent FDI now. Earlier, we had amended it to reach 49 per cent. With that and many other changes, an ecosystem has developed in this country with greater access for people to insurance. The Insurance Ombudsman Rules were framed in 2017, and IRDAI was also established. They have established an elaborate framework for the protection of policyholders. The Government came up with several flagship programmes, like Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, and Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana.

(1635/SMN/CS)

All these aimed at the poorest sections who can afford insurance but by keeping the premium less, we made access to insurance and as I said in the morning, that kind of access which came of help even during the big pandemic like Covid. Other than that, the Government also has been making sure that the public sector insurance companies can meet the insurance requirements of the people of India. So, by listing of LIC, for instance, we have made it transparent for people to know what is happening there and those who want to participate in the retail stock market, they can also come in. The GIC Re-insurance and New India Assurance are all in this direction.

Sir, with these kinds of steps taken, as I said, we moved from 26 per cent to 49 per cent in 2014-15, and then from 49 per cent to 74 per cent in 2021. These have actually brought in greater push for the insurance sector. I will explain, how, by taking up some of the parameters. In 2014-15, the number of insurers were 53. Now, they are 74. Insurance penetration earlier was only 3.3 per cent. Today, it is closer to 3.75 or 3.8 per cent. Insurance density, that is, average insurance

premium paid per person in a year is referred to when I say insurance density, it was 55 US dollars in 2014-15. Now, it is 97 US dollars. Total insurance premium in lakh crore rupees was Rs. 4.15 lakh crore in 2014-15. Now, it is Rs. 11.93 lakh crore. Asset under management was Rs. 24.20 lakh crore in 2014-15. Now, it has gone up to Rs. 74.43 lakh crore.

FDI limit in insurance companies, as I said was raised from 49 per cent in 2014-15 to 74 per cent in 2024-25 whereas for insurance intermediaries, that 49 per cent which was the case in 2014-15 was made 100 per cent even in 2024-25. So, with all these, now is the time when we are looking at greater penetration and we want to have the regulator also to be more robust and that is why, we have taken this in the amendment that we are bringing about. I am not getting into the details of each one of those but there will be a better regulatory oversight. There will be ease of compliance. Insurance intermediaries will provide uninterrupted services and we are also treating both intermediaries and insurance companies with a lot more standardized approach so that whenever they do anything, they will have to have a stakeholder consultation before they bring in any policy and so on. So, Sir, broadly, I will leave it here that it aims at bringing in transparency. There is a good need for insurance money and so an increase in FDI. Many compliance related issues are being eased out. There is, for instance, a legal requirement to seek prior approval. Even to seek approval of the IRDAI or the regulator for transfer of share capital, that is, even for one per cent, they will have to come and seek approval. But now, we are saying, no, you come only when it is five per cent so that there will be greater flexibility and so on. So, there are very many such measures. Once the discussion is over, I will take your permission and give the elaborate clarification and reply to all the Members.

So, with this, I look forward to having the debate.

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि बीमा अधिनियम, 1938, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री मणिक्कम टैगोर जी। मणिक्कम जी, आज आपकी ओपनिंग है। अच्छा माननीय संसद सदस्य वही होता है, जो बैठे-बैठे टिप्पणी करने की बजाय जब ओपनिंग हो तब अच्छा खेले। आप अच्छा बोलिए। इस देश के अंदर सदन से ही देश के बड़े नेता बने हैं। हम भी चाहते हैं कि सब बड़े नेता बनें।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हर बात पर बोलने से नहीं बनते हैं।

(1640/RP/MNS)

1640 hours

SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): Thank you, Speaker, Sir.

This Bill was introduced at 12:30 pm today, and at 4:30 pm we are having a discussion on it. The main question is, why is the Government rushing too far for this law to be made? This House has debated many Bills, some technical, some transactional, and some routine Bills. But, today's Bill is none of those. This Bill asks for fundamental questions about our Republic. Is insurance a public promise or merely a private product? Is protection a right of citizenship or a privilege of purchasing power? Insurance is not just about policies and premiums; it is about who bears risk in our society.

Speaker, Sir, when risk is pushed away from the State and on to citizens, democracy itself becomes fragile. Let us remember where we came from. In 1956, India had nationalized life insurance, not because markets failed, but because markets excluded. Indira Gandhi said: “The purpose of nationalization is not profit but protection.” LIC was born not as a corporation but as a constitutional instrument of social security. It insured farmers with uncertain incomes, workers without formal contracts, and families whose only asset was hope. For decades, LIC did what private capital could not. It went to villages, took long-term risk, and invested in national development. That is the Congress’s idea of insurance. We believe in inclusion, not extraction, and we believe in solidarity, not speculation. What does this Bill really do? This bill is wrapped in comforting words, *sabka beema, sabki raksha.* But, let us read the fine print. Section 3(a)(a) allows 100 per cent FDI in insurance. It is not 74 per cent; it is not shared control; but complete foreign ownership. That means, pricing decisions made outside India, investment priorities set by global boards, profits repatriated abroad, and all in a sector that controls household savings, long-term capital, and social risk pooling.

This is not reform, Sir. This is the withdrawal of the State. The Government claims that this is the necessity for capital. But, Sir, facts matter. Many private insurers have not even used the existing 74 per cent FDI limit. If capital was the real problem, why was the 74 per cent not enough? The truth is uncomfortable. This decision is not driven by necessity, but, it is driven by ideology. An ideology that believes that the State must retreat, the market will

magically include, and citizens must feed for themselves. The Congress Party rejects this ideology, clearly and unapologetically.

What happens when insurance is fully privatized, Sir? We do not need theory. We have experience. Look at the Prime Minister's Fasal Bima Yojana. Farmers pay rising premiums; the claims are delayed or disputed; and the insurers remain protected. Look at Ayushman Bharat. Private hospitals deny high-cost procedures; cashless care becomes conditional; and States report unpaid bills running into lakhs of crores. When profit enters without accountability, risk quietly exits the insurer's balance sheet and enters the citizen's life. That is what happens when insurance forgets its social role.

Speaker, Sir, this Bill does not just open the door to foreign capital, it tilts the playing field itself. Private and foreign insurers will cherry-pick low-risk urban customers, exit rural and informal segments, and re-insure profits abroad. But, who will remain? It is LIC, and public insurers as insurers of last resort. This is not competition, but a systematic weakening. You privatise profits, and socialise losses. Congress will not accept this silent dismantling of India's largest and strongest public institution. Insurance is not a shop, but it is a financial backbone. Premiums are not spare change, but they are the long-term national savings. With 100 per cent FDI, dividends will flow out, re-insurance payments will flow out, and decision-making will also flow out.

(1645/VPN/RV)

At a time when India needs domestic capital for infrastructure, climate resilience and social protection, this Bill allows an outflow of patient capital. Sir, that is not nation-building. This is financial dependency.

Hon. Speaker, Sir, we are not standing here to defend stagnation. Congress believes in reforms. But, it should be reforms with responsibility. Our alternative is clear. Strengthen LIC and public insurers, expand coverage through public-private balance, not surrender, use regulation to enforce inclusion and treat insurance as a social infrastructure. We believe growth must be shared, not siphoned.

Sir, let me end where I began. The Bill asks a question. Will India say protection is a right or protection is a product? Will we say the State stands with citizens in uncertainty or citizens must negotiate risk alone? Speaker, Sir, Congress chooses the Republic over the market, citizens over corporations and protection over profit. That is why we oppose this Bill, not in anger but in conviction.

(ends)

1646 hours

SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY (CHEVELLA): Sir, thank you for this opportunity to speak on this very, very important Bill.

Sir, if a misfortune strikes an individual and the entire society comes forward to help and support this, then it is indeed a truly great society. Insurance is this business, where if an individual faces misfortune, an accident, or death, then the society comes forward and helps. It is indeed a great business and a noble scheme. But, it is unfortunate that despite it being needed by every country, especially the poor in our country, the insurance penetration has been dismal.

1647 hours (Shri N. K. Premachandran *in the Chair*)

Sir, the opposition leaders blindly talked a little earlier today that during Nehru's time, they nationalised insurance companies and they did well. During Indira Gandhi's time, they nationalised insurance companies and they did well. But, they forgot to mention something. The penetration of some of the insurance companies was as low as one per cent when they nationalised it. Today, health insurance is almost 50 per cent and it is not just for the rich. They will say that it is only for the rich. No, Sir. Almost 40 per cent of that goes to the poor with the Government schemes like Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, Atal Pension Yojana and Ayushman Bharat. The coverage is almost 40 per cent and it goes down to the bottom most. Is that good? Absolutely. They talk about nationalisation as being good, but that is when the penetration was the lowest.

Sir, strangely, they forget to talk about Shri P. V. Narasimha Rao ji. Why do they forget to talk about Shri P. V. Narasimha Rao ji who actually privatised and turned the country around? That paved the way for privatisation. The privatisation kept increasing each year from 24 per cent to 49 per cent and from 49 per cent to 74 percent. Now, it is going to go up to 100 per cent. The penetration kept increasing. The benefits of insurance are reaching the poor.

Sir, around 33 crore people are covered under Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana. With just Rs. 20 premium, there is insurance of Rs. 2,00,000 if someone dies in an accident. The premium under Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana is just about Rs. 36 a month. It is a life insurance and they get about Rs. 2,00,000 at the end. This is going to the lowest of the pyramid.

Sir, the insurance penetration in India is still a long, long way to go. That is why the foreign investment is required.

(1650/UB/MY)

Foreign investor can be anybody and anywhere; it does not prevent the local. The local players are actually being encouraged by reducing the paid-up capital amount. So, the insurance penetration will increase; it will create more jobs. When it went up from 49 per cent to 74 per cent, Rs. 55,000 crore of FDI income came into the country. Now, it is expected that when it goes to 100 per cent, close to Rs. 1 lakh FDI investment will come into the country. It will create direct jobs, but more importantly, indirect jobs as well.

Sir, the number of agents will increase and they will also be more profitable. Premachandran ji was very concerned about the agents like life insurance agents and LIC agents, but this is a bonanza for the agents. Before this Bill, the agents were tied up with one insurance company. They were locked up. Those agents are unshackled. If I were an LIC agent, I could not sell some other product. If I am a Bajaj Insurance agent, I could not sell some other product. I was locked up and chained up. Now, I am unshackled. I can sell any insurance product, I can work for any other agency, I can sell health insurance, and I can sell general insurance also. Their profitability will increase and their numbers will increase. Today, there are approximately 70 to 75 lakh insurance agents. I am very confident that the number will almost double in the coming years with this.

However, it is not only deeper penetration, or the investment that it will bring in. There is one more important thing. Insurance promotes responsible behaviour and it penalises irresponsible behaviour. I am not just talking about cigarette smoking or rash driving but also unhealthy lifestyle in many other ways. For example, nowadays, builders construct buildings in unsafe areas like around lakes and those areas get flooded. They build gated communities that get flooded or sometimes even washed away with torrential rains. In the developed countries, even if a builder is getting the permission illegally and he constructs the building, the insurance company will not give the insurance. If the insurance company does not give the insurance, the bankers will not give the loans. And if the bankers do not give the loans, the product is unsaleable.

In a way, it checks corruption. So, it promotes responsible and good behaviour and penalises wrong behaviour.

There is a BPO in my constituency. IRDA is also there in my constituency. That BPO just checks in the United States whether any building is in a 100-year flood zone, a 50-year flood zone, or a 25-year flood zone, and accordingly, the insurance company pays. So, insurance promotes responsible behaviour in our society. It is indeed noble and the penetration should increase. I do not think anyone should oppose the penetration of insurance.

Beside the number of agents, there are also 29 lakh points-of-sale persons who will also get the benefit. More importantly, anyone can become an agent. They have to write an exam. This exam is going to become tougher because, earlier, it was a separate exam for, say, life insurance and health and general insurance. Now, it is a composite exam. They can sell any product. The exam may be difficult, but I am sure all these agents will pass because India has brilliant people. But I request that for rural penetration, this exam should be conducted in every regional language; it should be in Telugu in the villages of my constituency because the insurance penetration is very low there.

So, just for example, the GDP contribution in urban India is very high around 55 per cent to 45 per cent, but the population split is low. If you look at the insurance offices, it is less than two per cent in rural India. So, I think we really need to look into it.

The other good thing is composite insurance. LIC could sell only life insurance. Now, it can sell multiple other insurances products. So, they are not restricted. This is a very good thing. An insurance company could not do any other operation except selling insurance. But now they can merge the financial services with the insurance services. So, it is good, but there is a risk also because the foreign players can have an unfair advantage.

(1655/NKL/MLC)

They can have an unfair advantage because they have deep pockets and unlimited funds, whereas our players may not have that deep pockets. So, the IRDAI should be very careful. If they merge a financial company with an insurance company, they will have even deeper pockets. Then, there will be caps, restrictions, and ratios that the IRDAI puts in place. They have to be

scrutinized even more. Otherwise, the bigger players will have a greater advantage, and smaller players will not have that benefit. So, a composite license is good, and merging insurance and non-insurance businesses is beneficial, provided that the IRDAI truly acts like a watchdog.

Sir, before I conclude, I have two points regarding healthcare. Healthcare is very, very important. When it comes to healthcare, there is much to be discussed. However, if we examine the healthcare system in our country, which contain hospitals, in reality, it functions more like a sick care industry. They are compensated by the sick, not by the healthy. So, on one side, we have a healthcare industry that gets compensated by the sick, and on the other side, we have an insurance business that gets compensated by wellness. This creates two conflicting interests. Now, if hospitals and the healthcare industry are encouraged to enter the insurance business, the healthcare sector will truly shift from an illness-based model to a wellness-based model. They will promote yoga, gyms, and preventive health check-ups, which most hospitals do not focus on but instead depend just on sickness. So, I believe that is very, very important.

Sir, the most expensive insurance is the farmer insurance. If we analyse the premium in relation to the claims, the farmer insurance is the most expensive, while general insurance is the cheapest. So, health insurance and farmer insurance are the most expensive.

Sir, if we compare any product or service in our country to the same in a developed country, the costs are similar. For instance, if you purchase a car in India or in a developed country, the prices are same. Similarly, a ton of steel, or a three-star or five-star hotel stay, here and abroad, costs about the same, or perhaps is even more expensive in India. Even for a ton of steel, aluminium, or wheat, prices in India are comparable to those in developed countries. However, there is only one product or service that is cheaper in India by five or ten times, that is, healthcare. Yet, it remains unaffordable. Therefore, it is very, very important that penetration in this sector should increase.

An hon. Member just mentioned about socialising the losses and privatising the gains. It is now reaching the bottom-most. The benefits are socialized. I was a Member in the 16^{th} Lok Sabha also. The Agriculture Insurance Corporation was continuously incurring losses operating with a very

primitive methodology of crop-cutting with low penetration. It was actually not insuring the farmers; it was insuring the banks that provided loans to the farmers which was compulsory. If I take a bank loan, I have to get the insurance whether I want it or not; the banks would deduct the premium from my pocket. However, today, 40 to 50 per cent of farmers are voluntarily taking loans. It is not socialized. They put a cap on it.

Sir, it is not just about the funds, because insurance is a trust and knowledge business. Trust is built over time or through advertisements, but knowledge is also important. It is not enough if I have a lot of funds; one must also possess adequate knowledge. Today, with advancements in artificial intelligence and actuarial sciences, foreign companies may have a much more deeper understanding of India than our Indian companies. So, it is very, very important to establish a highly advanced actuarial science and research centre, and this knowledge should be made available in the public domain so that all insurance companies are on the same level, preventing foreign companies from gaining an advantage in their understanding of our business. With this, the Pradhan Mantri's vision of insurance for all, that is, *'Sabka Bima, Sabki Raksha'* may become a reality even before 2047.

Thank you. Jai Hind.

(ends)

(1700/YSH/VR)

1700 बजे

श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर (खीरी) : सभापति महोदय, 'सबका बीमा, सबकी रक्षा (बीमा विधि संशोधन) विधेयक, 2025' एक धोखा, एक साजिश और एक कॉरपोरेट समर्पण है। मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से 'सबका बीमा, सबकी रक्षा (बीमा विधि संशोधन) विधेयक, 2025' का कड़े शब्दों में विरोध करता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ और पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि यह विधेयक उत्तर प्रदेश के 20 करोड़ लोगों के साथ विश्वासघात है।

सरकार ने नाम रखा है – सबका बीमा, लेकिन इसकी आत्मा और दिशा साफ बताती है कि यह अंबानी-अडाणी और विदेशी कंपनियों का बीमा है। यह विधेयक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की समाजवादी विचारधारा पर सीधा हमला है।

सभापति महोदय, अगर सच में यह विधेयक सबके लिए होता तो किसानों की फसल सुरक्षित होती, मजदूर की मजदूरी सुरक्षित होती और गरीब की जिंदगी सुरक्षित होती, लेकिन आज स्थिति यह है कि प्रीमियम आम आदमी देता है और मुनाफा कुछ चुनिंदा कंपनियां ले जाती हैं। 100 परसेंट एफडीआई भारत की बीमा व्यवस्था की नीलामी है। इस विधेयक का सबसे खतरनाक प्रावधान बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 74 परसेंट से बढ़ाकर 100 परसेंट करना है। इसका सीधा अर्थ यह है कि अब अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियां बिना किसी भारतीय साझेदार के भारत की बीमा व्यवस्था पर कब्जा करेंगी। एलआईसी, जिसने सन् 1956 से गरीब, किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग की सेवा की है, जिसका पैसा देश के नागरिकों के पसीने की कमाई से बना है, उसे अब विदेशी कॉरपोरेट के दिग्गजों से लड़ने के लिए मजबूर किया जाएगा। यह वही नीति है, जिसे अपनी माँ को छोड़कर सौतेली माँ को गले लगाना है।

डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था देश के हाथों में रहनी चाहिए, लेकिन यह सरकार भारत की अर्थव्यवस्था को विदेशी हाथों में सौंपने पर आमादा है। उत्तर प्रदेश की भयावह सच्चाई यह है कि वहां 95.8 परसेंट लोग बीमा से बाहर हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश की हकीकत देखेंगे तो वहां केवल 4.2 परसेंट लोगों के पास ही स्वास्थ्य बीमा है। राष्ट्रीय औसत 55 परसेंट है, यानी यूपी के 95.8 परसेंट नागरिक असुरक्षित हैं। ग्रामीण यूपी की स्थिति और भी ज्यादा बदतर है। वहां सिर्फ 3 परसेंट का कवरेज है। बुंदेलखंड, पूर्वांचल और अवध के गांवों में बीमारी आने पर लोग गाय-भैंस बेचते हैं, जमीन गिरवी रखते हैं और साहूकारों से कर्ज लेते हैं।

सरकार कहती है कि वर्ष 2047 तक सबका बीमा हो जाएगा, लेकिन पिछले 10 वर्षों में यूपी में क्या बीमा कवरेज बढ़ा है? सच यह है कि एक प्रतिशत भी कोई ठोस सुधार नहीं हुआ है। विदेशी बीमा कंपनियों का मॉडल स्पष्ट है और वह यह है कि शहरी इलाको में काम, महंगे प्रीमियम तथा मुनाफे वाले ग्राहक, लेकिन सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में, चाहे लखीमपुर खीरी हो, सीतापुर हो या बलिया, बहराइच, झांसी आदि जिले हों, वहां के मजदूरों का बीमा कौन देगा?

एलआईसी का सामाजिक दायित्व ग्रामीणों और कमजोर वर्ग तक बीमा पहुंचाने का था, लेकिन 100 परसेंट एफडीआई के बाद विदेशी कंपनियों को न ग्रामीण यूपी से मतलब होगा और न ही सामाजिक न्याय से मतलब होगा। जब एलआईसी को केवल मुनाफे की दौड़ में धकेला जाएगा तो वह भी गांव से पीछे हटेगी। नतीजा यूपी की 18 करोड़ ग्रामीण आबादी फिर से बीमा से बाहर हो जाएगी। उससे प्रीमियम बढ़ेगा और दावा मिलना मुश्किल होगा।

सभापति महोदय, सरकार कहती है कि कॉम्पिटिशन से रेट्स कम होंगे, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। पहले मार्केट कैप्चर करने के लिए थोड़ी छूट दी जाएगी, फिर मोनोपोली की जाएगी और फिर प्रीमियम में बेतहाशा बढ़ोतरी होगी। मध्यम वर्ग जो आज 5 हजार से 10 हजार रुपये के करीब प्रीमियम देता है, उसे कल 20 से 30 हजार रुपये के करीब प्रीमियम देना पड़ेगा।

(1705/STS/PBT)

क्लेम सेटलमेंट का क्या होगा? विदेशी कॉल सेंटर, अंग्रेजी फॉर्म, तकनीकी झंझट, ग्रामीण और हिन्दीभाषी नागरिकों के लिए यह एक डरावना सपना होगा। पीडीए के खिलाफ यह सीधा हमला है।

माननीय सभापति जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने पीडीए, पिछड़े-दलित-अल्पसंख्यक की राजनीत नहीं, सामाजिक न्याय का संकल्प दिया। यूपी में आज बीमा 20 परसेंट अमीर लोगों के पास है और जो 40 परसेंट गरीब लोग हैं, उनके पास बीमा लगभग शून्य है। ओबीसी, एससी, एसटी और मुस्लिम समाज में बीमा पेनिट्रेशन 2 परसेंट से भी कम है। क्या विदेशी कंपनियां दलित बस्तियों में जाएंगी, अल्पसंख्यक मुहल्लों में कार्यालय खोलेंगी? छोटे किसानों को सस्ते प्लान देंगी? बिलकुल नहीं। यह विधेयक पीडीए के खिलाफ सीधा हमला है। एलआईसी के साथ छलावा है। सरकार कहती है कि एलआईसी को ऑपरेशनल फ्रीडम दे रहे हैं, लेकिन हकीकत देखिए एलआईसी एक्ट, 1956 में बदलाव, ऑटोनॉमी कम, गवर्नमेंट कंट्रोल ज्यादा और फॉरेन कॉम्पिटीशन का दवाब। एलआईसी को जानबूझ कर कमजोर कर विदेशी कंपनियों के लिए रास्ता साफ किया जा रहा है।

मैं योगी सरकार का भी एक असफल विकास बताना चाहता हूं। यूपी में एक करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था, लेकिन बीमा क्षेत्र का क्या हुआ? आयुष्मान भारत की कवरेज यूपी में सिर्फ 40 परसेंट है, जबकि राष्ट्रीय औसत 55 परसेंट है। जब मौजूदा योजनाएं ठीक से लागू नहीं हो पा रही हैं, तो विदेशी कंपनियों के भरोसे गरीबों की सुरक्षा कैसे होगी? यह विधेयक समाजवाद की हत्या है।

माननीया सभापति जी, डॉ. राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि 'सबसे पिछड़े व्यक्ति की सेवा ही सच्ची सेवा है।' यह विधेयक उस विचारधारा की हत्या है। चौधरी चरण सिंह जी के किसान-मजदूर प्रेम का अपमान है। यह कांशी राम जी के सामाजिक न्याय आंदोलन को कमजोर करने की साजिश है। हमारी स्पष्ट मांग है कि 100 प्रतिशत एफडीआई को वापस किया जाए और अधिकतम 49 परसेंट रखा जाए। एलआईसी को मजबूत किया जाए, कमजोर नहीं। यूपी के लिए विशेष बीमा पैकेज घोषित की जाए।

माननीय सभापति (श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन) : अब समाप्त कीजिए।

श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर (खीरी) : ग्रामीण क्षेत्रों में 50 परसेंट बीमा अनिवार्य किया जाए और प्रीमीयम पर सख्त नियंत्रण हो।

माननीय सभापति महोदय, यह विधेयक 'सबका बीमा नहीं, सबका धोखा है' यह 'सुरक्षा नहीं, समर्पण है' हम समाजवादी हैं, हम पीडीए के सिपाही हैं, हम आर्थिक न्याय के प्रहरी हैं। हम इस गरीब विरोधी, यूपी विरोधी, कॉरपोरेटपरस्त विधेयक का पुरजोर विरोध करते हैं। धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

(इति)

1708 बजे

श्रीमती शताब्दी राय बनर्जी (बीरभूम) : सर, इस बिल का नाम है 'सबका बीमा, सबका सुरक्षा' जैसा कि आप लोगों का नारा है - 'सबका साथ, सबका विकास' मुझे जानना है कि ये 'सब' होते कौन हैं? कौन-से धर्म के, कौन-से जात के, इनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है? किन लोगों को आप 'सब' के ब्रैकेट में डालते हैं? यह जानना बहुत जरूरी है। Trinamool Congress's stand has always been clear when it comes to FDI in insurance. We strongly oppose it. In March 2015, when the Insurance Laws (Amendment) Bill was being discussed, we had said that allowing of FDI in the insurance sector is something that is against the interest of the country. This whole logic of the Government in pressing ahead with FDI in insurance sector is fraught with dangerous consequences. Now, this Bill seeks to allow 100 per cent FDI in insurance. 74 परसेंट इंश्योरेंस के टाइम भी देश में ऐसा कुछ नहीं कर पाये, सिर्फ चार कंपनियों को आपने 74 परसेंट एफडीआई दिया था। अभी उसको 100 परसेंट करेंगे, इसका मतलब क्या है? आप 100 परसेंट देकर क्या साबित करना चाहते हैं? देशभक्त! या देशप्रेमी! India has an overall insurance penetration rate of 3.7 per cent, which is below the global average of seven per cent. The requirement of net owned funds - includes equity capital, free reserves, balance in share premium account, and capital reserves representing surplus - for foreign reinsurers is proposed to be reduced from Rs.5000 crore to Rs.1000 crore. मतलब, इसमें भी देशभक्त का देशप्रेम ही प्रकट हो रहा है, क्योंकि आप 5000 करोड़ रुपए से 1000 करोड़ रुपए में उतर कर आ गये सिर्फ उनको लाने के लिए। But you have not accepted the proposal to lower minimum capital requirements for new insurers. Currently, the law mandates a minimum paid-up capital of Rs.100 crore for insurers and Rs.200 crore for re-insurers.

(1710/SNT/MM)

Therefore, that has long been criticized as being too high and prohibitive. आप देश के लिए दो सौ से एक सौ नहीं कर रहे हैं और फॉरेन के लिए पांच हजार से एक हजार कर रहे हैं। यह देश प्रेम का उदाहरण है।

One of the most notable omissions in the Bill is the provisions for composite licences, a reform that many insurers had strongly asked for. Under the existing Insurance Act, 1938, insurers are confined to rigid silos. Life insurers can only offer life policies, and general insurers cannot enter life insurance segment. You are introducing foreign investment in insurance. Remember, insurance giant American International Group (AIG) was

considered too big to fail. But during the 2008 financial crisis, they had to be bailed out by the Government by giving an amount of over USD 180 billion. It was taxpayers' money. So, you must be beware. Just bringing in foreign companies is not a miracle cure which will grow the sector.

While on the topic of health insurance, let us compare Swasthya Sathi with Ayushman Bharat. Ayushman Bharat started two years after Swasthya Sathi. You copied the idea. It is very good. Swasthya Sathi is in the name of the woman head of family. It shows woman empowerment, just like we have 38 per cent of woman MPs in Parliament. Parents of both spouses are included under Swasthya Sathi. For Ayushman Bharat, you need to make a card. Swasthya Sathi is completely paperless and cashless. Swasthya Sathi covers 2.4 crore families, more than 2,800 hospitals are empanelled, and over one crore hospitalizations have been reported till now with 99 per cent claims settled. There was a scam in Ayushman Bharat. A C&AG report found that 7.5 lakh beneficiaries were linked to a single mobile number. A recent survey conducted in over 300 districts revealed that over the last three years, 43 per cent of people surveyed faced problems while claiming their medical insurance. मेडिकल इंश्योरेंस करते समय वे लोग कहते हैं कि पढ़कर लीजिए, लेकिन उनकी टेक्निकल टर्म्स को बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं और साइन कर देते हैं। जिस प्रकार से दुकानदार से जब आप सामान खरीदने जाते हैं तो वह आपका अच्छे से स्वागत करता है, लेकिन जब आप एक्सचेंज या वापस करने जाते हैं तो दुकानदार पहचानता भी नहीं है। इसी प्रकार से इंश्योरेंस के टाइम पर इतना रूल्स दिखाते हैं, लेकिन लोग जब क्लैम करते हैं, they face problems with clearance from insurance companies after the hospital is ready to discharge the patient. जब पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है और वह आठ-दस दिन बाद घर जाने के लिए तरस रहा होता है तब इंश्योरेंस कम्पनियां क्लीयरेंस नहीं देती हैं। लोगों को इंश्योरेंस कम्पनी के दफ्तर जाना पड़ता है और कई बार एक-दो दिन लग जाते हैं और उस एक्स्ट्रा दिन का पैसा आपको अपनी जेब से देना पड़ता है। हमारे देश में गरीब जब होस्पिटलाइज़ होता है तो उसका बहुत पैसा खर्च होता है और वह जिंदा बचकर तो आ जाता है, लेकिन फाइनेंशियली मर जाता है। इंश्योरेंस कम्पनियां ऐसा करती हैं कि इस रूम के लिए पैसा नहीं देंगे, इस ट्रीटमेंट के लिए पैसा नहीं देंगे, इस टेस्ट के लिए पैसा नहीं देंगे, इस तरह से बहुत सारे पैसा वह काट देते हैं। इससे लोगों को जो क्लैम के समय में एक्चुअली मिलना चाहिए, वह नहीं मिलता है। It is happening despite the hospital's TPA or accounts desk collecting a pre-approval from the insurance company, before admitting the patient. The so-called cashless treatment has turned into senseless waiting for numerous patients.

Another major issue is inadequate disclosure by the insurance companies of policy specific details. Technical and complex words are used to mislead policyholders. There are lots of rejections based on pre-existing diseases. The Health Ministry should direct IRDAI to make it mandatory for insurance companies to disclose on their websites each month the number of claims received and rejected.

(1715/MK/RTU)

कितना रिजेक्ट करते हैं, यह जानना भी लोगों के लिए बहुत जरूरी है। उससे दूसरे लोगों को पता चलेगा कि हम इंश्योरेंस करने के लिए पैसा दे रहे हैं, क्योंकि इंश्योरेंस करना भी बहुत जरूरी है, लेकिन क्लेम मिलने के समय क्या मिल रहा है, कितना मिल रहा है, किसको मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, कितने लोगों को नहीं मिल रहा है, इसकी जानकारी वेबसाइट पर डालना बहुत जरूरी है।

महोदय, सरकार बोल रही है कि हम विदेशी कंपनी की एडवांस टेक्नोलॉजी लाएंगे। अभी बीजेपी के एमपी यही बोल रहे थे। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, जिनकी टेक्नोलॉजी हमारे देश से ज्यादा विदेश में एडवांस्ड है। क्या आप वे सारी टेक्नोलॉजीज लेकर आएंगे? देश में जितनी कंपनीज हैं, आप उनको डेवलप कीजिए, उनको चांस दीजिए। आप पब्लिक के लिए जो पॉलिसी बनाते हैं, आप उनके सपोर्ट में खड़े नहीं होते हैं, बल्कि आप कंपनीज के सपोर्ट के लिए खड़े होते हैं। सरकार देश के लोगों के लिए और देश की कंपनीज के लिए होती है। जो गरीब है, वह आपको वोट देकर आपको जीताकर लाता है। आप कंपनीज के लिए जितना काम करते हैं, अगर उतना काम लोगों के लिए करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा देश आगे जाएगा।

सर, आज रिजिजू जी ने टेबल थप-थपाकर बोला है कि हम लोग बिल तो पास करते रहेंगे। यह उन्होंने बहुत एरोगेंसी के साथ बोला। उन्होंने कहा कि आप लोग डिस्कस कीजिए, लेकिन हम तो बिल पारित करके रहेंगे। यह भी एक देशभक्त का साइन है। आप जो भी करना चाहें, वह करेंगे। ऑपोजिशन जो भी बोले, जो भी अपोज करे, आप डेमोक्रेसी खत्म करेंगे, फिर भी आप देशभक्त हैं। आप महात्मा गांधी का नाम हटा देंगे, फिर भी आप देशभक्त हैं। अगर हम लोग अपोज करेंगे, तो हम लोग देशभक्त नहीं हैं। हम लोग देशद्रोही हो जाते हैं। आप देशभक्त, देश प्रेम और देश के लिए सोचिए। देश की इंश्योरेंस कंपनीज को डेवलप करने के लिए उनको चांस दीजिए। आप इंश्योरेंस एजेंट से बात कीजिए कि वे लोग क्या चाहते हैं। वे लोग इसका अपोज कर रहे हैं और हम लोग भी इसका अपोज कर रहे हैं। धन्यवाद।

(इति)

1717 hours

SHRI G. M. HARISH BALAYOGI (AMALAPURAM): Thank you, Sir, for allowing me the opportunity to speak on the Sabka Bima Sabki Raksha Bill, 2025. This Bill is a timely and necessary step to modernise India's insurance framework. Allowing up to 100 per cent Foreign Direct Investment will help expand the sector and improve consumer choice, while the strengthened role of the IRDAI will enhance regulatory oversight and protect the policyholders. The creation of Policyholders's Education and Protection Fund reinforces these reforms by recognising that insurance can expand meaningfully only when awareness and trust are built among the consumers.

Sir, one provision that particularly deserves appreciation is the removal of the mandatory minimum paid-up capital requirement for the insurance cooperative societies. This will encourage community-based and region-specific insurance models, which are crucial for expanding coverage in under-served areas. However, I would like to highlight certain concerns where the intent of the Bill can be further strengthened.

Firstly, insurance penetration in India's rural areas remains deeply inadequate. India's insurance penetration is only about 3.7 per cent, well below the global average of seven per cent. While easing capital norms for cooperative insurers is a step in the right direction, the reality is that India currently has only very few cooperative insurers.

Therefore, micro-insurance assumes critical importance for low-income households, which provides protection against health emergencies, crop loss, natural disasters and loss of earning members. To scale micro-insurance meaningfully, it is essential to encourage smaller and niche players who understand local risks and regional needs. Therefore, rather than a rigid capital threshold, empowering IRDAI to prescribe proportionate and risk-based capital norms would allow flexibility while maintaining prudential safeguards.

(1720/AK/ALK)

Secondly, though opening the sector to 100 per cent FDI will increase competition and consumer choice, it is equally important to ensure that there is a level-playing field between the public sector and the private insurers. At present, a TDS of two per cent applies only to public sector insurance companies while the private insurers are exempt. This regulatory asymmetry places public sector insurers at a competitive disadvantage. Therefore, to realise the objective of the Bill, such unequal tax treatment must be addressed.

As more insurers enter the market, the absence of composite licensing remains a structural limitation. At present, insurers are required to operate separate entities for life insurance and general and health insurance, which increases compliance costs and prevents the offering of integrated products. Allowing composite licensing would, therefore, enable insurers to offer bundled solutions covering life and health insurance

and savings under one roof, improving efficiency and delivering greater value to consumers.

The gaps in the insurance coverage becomes most visible when disaster strikes and livelihoods are wiped out overnight. India faces severe and recurring disaster risks due to its geography and demography. In my home State of Andhra Pradesh, particularly in coastal districts such as Dr. B. R. Ambedkar Konaseema, communities face floods and cyclones almost every year. Despite this repeated exposure, disaster insurance coverage in India remains weak, particularly for economically vulnerable households and infrastructure in high-risk areas with more than 90 per cent natural disasters being uninsured against.

The Finance Committee recommended parametric insurance as a solution offering faster payouts and clear triggers. I am happy to note that the NDMA has constituted a working group to develop single-peril parametric insurance products for India. Additionally, I would like to suggest to the hon. Minister using provisions in the legislation to speed up implementation of parametric insurance and also opening up use of government technology such as Weather Information Network and Data System (WINDS) for the same.

Similar gaps, in insurance protection exists for migrant workers working abroad. The Indian Government offers the Pravasi Bharatiya Bima Yojana as a mandatory insurance scheme for all Indian workers holding ECR-category passports and going to ECR countries. However, the Committee on External Affairs has noted that since the inception of the scheme, only about 2,197 claims have been settled out of 80 lakh policies, and only 156 of 418 claims were settled. This low settlement ratio indicates deeply concerning systemic shortcomings. Coming from a State with a high number of migrant workers to other countries, especially the Gulf region, I would like to recommend that the Ministry of Finance work with the Indian Missions in claim facilitation, stricter oversight of insurers, and timely reimbursement to protect vulnerable migrant workers.

As I conclude, I would like to take a moment to commend the Delhi Police for cracking an insurance scam caller earlier today involving a fake call centre that preyed on individuals whose policies were nearing maturity. While we celebrate their work, we must be equally vigilant of dangers posed by scamsters and fraudsters in the insurance sector. We must ensure that all steps have been taken to provide the government with adequate support for modern technology so that they may protect our people from such frauds. With this, I conclude my speech and on behalf of my Party I support the Bill. Thank you.

(ends)

(1725/SRG/CP)

1725 hours

SHRI RAJABHAU PARAG PRAKASH WAJE (NASHIK): Sir, I stand here to speak on the Sabka Bima Sabki Raksha (Amendment of Insurance Laws) Bill, 2025. While the Government claims that this Bill will accelerate growth, improve policyholder protection and enhance ease of doing business, a careful reading reveals serious concerns relating to foreign control, excessive regulatory powers and the privacy of our citizens.

The most troubling provision is the proposal to allow 100 per cent foreign investment in Indian insurance companies. Insurance is not just another business. It is a long-term financial backbone that supports infrastructure, social security and household stability. By permitting complete foreign control, we risk prioritising overseas shareholders' interests over the long-term financial security of Indian policyholders. I ask the Government: how does handing over full ownership of our insurance sector to foreign entities ensure *raksha* for our citizens?

My second concern relates to data privacy. The Bill mandates extensive collection and centralisation of sensitive personal data, including Aadhaar and PAN details of policyholders, and requires insurers to submit this data in real time to the regulator or its authorised entities. In an era of rising cyber threats, creating such large, centralised databases, especially when insurers may be 100 per cent foreign-owned, pose a serious risk to the privacy and security of millions of Indians. The assurances of confidentiality in the Bill are weak and insufficient.

In conclusion, this Bill risks replacing legislative scrutiny with regulatory convenience and national control with complete foreign ownership. Reforms are necessary, but they must be balanced, transparent and protective of citizens' rights.

I strongly urge the Government to refer this Bill to a Select Committee, so that the implications of 100 per cent FDI, excessive delegation of powers and data privacy risks can be thoroughly examined. Only then can we ensure that Sabka Bima truly provides Sabki Raksha. Thank you.

(ends)

1728 hours

*SHRI BHASKAR MURLIDHAR BHAGARE (DINDORI): Hon. Speaker, today we are discussing a very important issue. Through this bill, the government has set the ambitious goal of providing insurance to all by 2047. My party's stance has always been pro-people, environment friendly, and reformist. Therefore, we do not oppose 100% foreign investment and the introduction of technology in the insurance sector.

However, hon. Speaker the question is not about investment, but about how much and what kind of protection the common people will receive from it, and how positively it will impact their lives. I would like to draw the House's attention to three serious issues and the relevant statistics.

Speaker, the government says that farmers will benefit when private and foreign companies enter the market. But there is a huge discrepancy between the amount collected as premium by insurance companies under the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) and the amount disbursed as claims. The government can verify the figures it has; these companies have made thousands of crores in profit from the suffering of farmers. You cannot deny the reality that currently, it takes at least 6 months time for farmers' claims to be approved and settled. The BID model was successful in Maharashtra, where there was a limit on the companies' profits. If the losses were less, the remaining amount was returned to the farmers and the government. While rolling out the red carpet for foreign companies in this new bill, will the government show the courage to implement the BID model across the entire country and limit their profits? On the other hand, a country like America is moving towards something like Obamacare. The world is moving in that direction, so why aren't we? This question arises.

Hon. Speaker, it is easy to say "insurance for all," but according to the NITI Aayog report, almost 48% to 50% of India's total healthcare expenditure is borne by people out of their own pockets. This percentage

---

* Original in Marathi

is very high globally. The world average is 18%, and I think this figure is very high in India. What is the reality of the Ayushman Bharat scheme? Many private hospitals do not offer treatment because the package rates are unaffordable. In Maharashtra, due to outstanding bills worth crores of rupees under the Mahatma Phule Jan Arogya Yojana, hospitals are not providing health services. These hospitals are affiliated only with wealthy hospitals in large cities, so will patients in rural areas receive proper treatment? It is essential that this assurance is included in the bill. Most importantly, health insurance acts as a shield for hospitals. Therefore, the cost of bills is increased by imposing unnecessary services on patients.

Therefore, it is necessary to pay attention to how such practices can be controlled. On one hand, the government says, "Buy insurance and be safe," and on the other hand, an 18% GST is levied on that same insurance. This means that if you want to buy insurance and be safe, you will first have to pay 18% GST. According to the Finance Minister's figures, in the last 3 years, the government has earned Rs. 24,000 crore or more from GST on health insurance alone. Tell me, are health and life a luxury that is taxed at 18%? What kind of welfare state collects taxes from people in distress?

Therefore, hon. Speaker, the government must first remove the GST on insurance while making insurance available to all. This GST should be brought down to at least 5% so that people get some relief. The new 100% foreign companies should be mandated to have profit limits and a rural quota as per the BID model. The government should ensure that the LIC company, which preserves Indian identity in the competition with foreign companies, is not undermined. The government should consider this bill keeping in mind that insurance is not a business for making profits, but a social necessity and responsibility. I am presenting my position before you without any hesitation. Please consider it.

Thank you.

(ends)

(1730/SK/SM)

1732 बजे

श्री रविंद्र दत्ताराम वायकर (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : माननीय सभापति जी, मैं सदन में सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा विधि संशोधन) विधेयक, 2025 पर बोलते हुए अपने आपको भाग्यशाली मानता हूं। यह बिल किसी एक वर्ग के लिए नहीं है बल्कि हर भारतीय के लिए है जो मेहनत करता है, पसीना बहाता है और दिन-रात अपने परिवार के भविष्य की चिंता करता है।

सभापति जी, हम सब जानते हैं कि बीमारी, दुर्घटना या संकट कभी बताकर नहीं आते लेकिन जब कभी कठिन समय आता है तो एक मजबूत इंश्योरेंस पॉलिसी परिवार को टूटने और बिखरने से बचाती है। दुर्भाग्य से देश में लंबे समय से इंश्योरेंस को बहुत ही पेचीदा और अमीरों की चीज बना दिया गया था। आम आदमी सोचता था कि यह उसके बस की बात नहीं है लेकिन आज यह सरकार इस सोच को जड़ से बदल रही है।

महोदय, पंत प्रधान नरेन्द्र मोदी जी ने स्पष्ट विज़न रखा है - सुरक्षा भी और सम्मान भी। जब जनधन योजना आई तो बैंक खाता हर गरीब के हाथ में आया। जब आयुष्मान योजना आई तब बीमारी के इलाज की चिंता कम हुई और आज 'सबका बीमा सबकी रक्षा' बिल के जरिए इंश्योरेंस को आम आदमी के करीब लाया जा रहा है। यह बिल इंश्योरेंस स्कीम्स पर पारदर्शिता का भरोसा दिलाता है। पहले लोग डरते थे कि क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन अब पॉलिसी होल्डर की जानकारी सुरक्षित रहेगी और इंश्योरेंस कंपनियों की जवाबदेही बढ़ेगी। अगर किसी एजेंट ने गलत तरीके से या असत्य बोलकर पॉलिसी बेची होगी तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इसका मतलब है कि अब इंश्योरेंस सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि एक विश्वसनीय सुरक्षा कवच बनेगा।

महोदय, मैं मुम्बई से आता हूं, जहां हर दिन करोड़ों लोग काम पर निकलते हैं इसलिए यहां जीवन का जोखिम बहुत ज्यादा है। चाहे टैक्सी चालक हो, दुकानदार हो या ऑफिस में काम करने वाला कर्मचारी हो, हर किसी को भरोसा चाहिए कि अगर उसे कल कुछ हो जाए तो क्या उसके पीछे परिवार के साथ कोई खड़ा है या नहीं? यह बिल यही भरोसा दिलाता है। यह समझना जरूरी है कि मजबूत इंश्योरेंस सैक्टर देश की इकोनॉमी को कैसे मजबूत बनाता है। जब लोग सुरक्षित महसूस करते हैं तो आगे बढ़ते हैं यानी इन्वेस्ट करते हैं और देश की तरक्की में भागीदार बनते हैं। इस बिल के जरिए सरकार इंश्योरेंस सैक्टर को आने वाले कल के लिए फ्यूचर-रेड्डी बना रही है।

महोदय, अब मैं सदन का ध्यान इस बात की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि आखिर इस बिल की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों यह बिल लाना पड़ा और हमारे देश में बीमा की स्थिति क्या है?

(1735/VVK/GM)

आँकड़े बताते हैं कि हम सही रास्ते पर हैं, लेकिन मंजिल अभी दूर है। आज पूरी दुनिया में भारत बीमा के मामले में दसवें स्थान पर है, जो कि गर्व की बात है, मगर अभी और आगे जाने की जरूरत है। बीमा घनत्व, यानी एक आम आदमी औसतन कितना बीमा करवाता है, उसमें सुधार

हुआ है। वर्ष 2001 में भारतीय बीमा पर औसतन सिर्फ 11 डॉलर खर्च करते थे। अब वह बढ़कर 92 डॉलर हो गया है, जिसका मतलब यह है कि अब भारत का आम नागरिक यह समझने लगा है कि बीमा फालतू खर्च नहीं, बल्कि जरूरत है।

सभापति महोदय, असली चुनौती यह है कि अभी भी देश की बहुत बड़ी आबादी बीमा से अछूती है। इसी कमी को पूरा करने के लिए, हर घर तक सुरक्षा पहुँचाने के लिए हमारी वित्त मंत्री जी ऐतिहासिक बिल लेकर आई हैं। मैं बहुत ही सरल शब्दों में बताना चाहता हूँ कि इस बिल में देश की जनता को क्या मिलेगा।

एक तो यह है कि ज्यादा निवेश यानी सस्ती पॉलिसी यानी हंड्रेड पर्सेंट एफडीआई का फायदा होगा। इस बिल का सबसे बड़ा कदम यह है कि अब बीमा कंपनियों में विदेशी निवेश यानी एफडीआई की सीमा को 74 प्रतिशत से बढ़ाकर सौ प्रतिशत तक कर दिया गया है। विपक्ष के कुछ साथी इसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन उसका फायदा समझना चाहिए, यह मेरी आपसे दरख्वास्त है। जब बाहर से पैसा आएगा, बड़ी-बड़ी विदेशी कंपनियाँ भारत में आएँगी, तो बाजार में प्रतियोगिता बढ़ेगी। आप जानते हैं कि जब बाजार में प्रतियोगिता बढ़ती है, तो ग्राहक का फायदा ही होता है। नई तकनीक आएगी, सर्विस बेहतर होगी और सबसे बड़ी बात यह है कि बीमा की किस्त यानी प्रीमियम सस्ती हो जाएगी। यह सीधा फायदा आम आदमी की जेब को होगा, लेकिन सरकार ने यहाँ भी देश हित को सर्वोपरि रखा है। हंड्रेड पर्सेंट निवेश के बावजूद कानून में यह शर्त रखी गई है कि कंपनी का बड़ा अधिकारी जैसे एमडी या सीईओ कोई भारतीय ही होगा और वह भारतीय ही होना चाहिए, यह इस बिल में है।

महोदय, दूसरी बात बड़ी आपदाओं में सुरक्षा, पुनर्वास और सुधार के बारे में है। कई बार हमने देखा है, जैसे केदारनाथ में बाढ़ आई, गुजरात में भूकंप आया, तो छोटी बीमा कंपनियाँ लोगों का क्लेम देने में असमर्थ होती हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता है। इस बिल के री-इंश्योरंस के नियम आसान किए गए हैं, यानी बीमा कंपनी का बीमा निकाला जा रहा है। अब विदेशी पुनर्बीमा कंपनियाँ आसानी से भारत में आ सकेंगी। उसका फायदा यह होगा कि यदि कोई बड़ी आपदा आती है, तो हमारे किसानों और दुकानदारों का क्लेम नहीं अटकेगा, क्योंकि पीछे बड़ी कंपनियाँ भी होंगी, जो बीमा का पैसा सरलता से दे सकेंगी।

महोदय, तीसरी बात सख्त नियमों और धोखाधड़ी पर लगाम लगाने यानी आईआरडीए को ताकत देने के बारे में है। अक्सर मेरे पास लोग आते हैं और कहते हैं कि साहब एजेंट ने असत्य बोलकर पॉलिसी बेच दी, अब पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं। यह बिल इस दर्द की दवा है। इस कानून के जरिए भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी आईआरडीएआई को और ज्यादा ताकतवर बनाया जा रहा है। अब अगर कोई कंपनी या एजेंट गलत तरीके से पैसा कमाता है, तो नियामक संस्था न केवल उन पर जुर्माना लगाएगी, बल्कि वह पैसा वसूल करने और पीड़ितों को वापस दिलाने की शक्ति भी रखती है। यह कदम मन में डर पैदा करेगा और ग्राहकों का भरोसा जीतेगा। एलआईसी हमारे देश का गौरव है। हर भारतीय का भरोसा है। यह बिल एलआईसी को और ज्यादा आजादी देगा। अब एलआईसी को अपनी नई ब्राँच खोलने या नए काम करने के लिए

बार-बार सरकार के पास फाइल्स नहीं भेजनी पड़ेंगी। इससे एलआईसी तेजी से अपने फैसले ले सकेगी और प्राइवेट कंपनियों से डटकर मुकाबला कर सकेगी।

माननीय सभापति (श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन) : कृपया आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री रविंद्र दत्ताराम वायकर (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ।

माननीय सभापति : कृपया एक मिनट में कन्क्लूड कीजिए। आप सात मिनट ले चुके हैं।

श्री रविंद्र दत्ताराम वायकर (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : महोदय, मेरा पहला सुझाव यह है कि भविष्य में हमें कंपनियों को कंपोजिट लाइसेंस देना चाहिए, क्योंकि आज अगर एक आदमी को जीवन बीमा करना है, तो उसे एक कंपनी के पास जाना पड़ता है, हेल्थ इंश्योरेन्स के लिए दूसरी कंपनी के पास और गाड़ी के बीमा के लिए तीसरी कंपनी के पास जाना पड़ता है। यह आम आदमी के लिए परेशानी का सबब है। इसलिए, मेरा सुझाव यह है कि भविष्य में हमें कंपनियों को कंपोजिट लाइसेंस देना चाहिए।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि छोटी कंपनियों को मौका देना चाहिए। बीमा कंपनी खोलने के लिए बड़ी पूँजी यानी सौ करोड़ रुपये की जरूरत होती है। मेरा सुझाव यह है कि इस सीमा को कम किया जाए। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : अपना लास्ट सेंटेंस बोलकर कन्क्लूड कीजिए।

श्री रविंद्र दत्ताराम वायकर (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : महोदय, मेरा तीसरा सुझाव यह है कि बीमा पॉलिसी के कागज़ इतनी कठिन अंग्रेजी और बारीक अक्षरों में होते हैं कि उसे वकील भी न समझ सके, इसलिए भाषा स्थानीय और सरल होनी चाहिए। … (व्यवधान)

(1740/VB/GTJ)

डब्बे वाले डिलीवरी बॉयज़, ओला, उबर और काली-पीली टैक्सी चलाने वाले एवं घरों में काम करने वाली माताओं एवं बहनों की मुम्बई की भीड़ में अगर एक्सीडेंट हो जाए, तो उनके परिवार सड़क पर आ जाते हैं।

मेरा सुझाव यह है कि इस बिल के तहत शहरी श्रमिक सुरक्षा कवच बनाया जाए, जिसमें बहुत कम प्रीमियम यानी शम्भर रुपये जैसी प्रीमियम रखेंगे, तो कामगारों को एक्सीडेंट और हेल्थ इंश्योरेंस मिल सकेगा। उनके लाइसेंस को रजिस्ट्रेशन के साथ लिंक कर दिया जाए। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपकी बात पूरी हो गई, अब आप कृपया बैठ जाइए।

(इति)

1741 hours

*SHRI G. KUMAR NAIK (RAICHUR): Hon. Chairperson, sir, thank you for giving me the opportunity to speak on the Sabka Bima Sabki Raksha(Amendment of insurance laws Bill 2025). The motto of LIC is योगक्षेमं वहाम्यहम्। This is the 22nd shloka of 9th Adhyaya of Bhagvadgeeta.

"अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते।
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्।।9.22।।"

The main reason why the LIC has to show the courage to say that, it will take care of the well-being of all, is because it is under the control of the government. The government is elected by the people, and the LIC is its subsidiary. That is the reason why it is able to provide so much protection.

We are witnessing that the privatization of our economic sectors is taking place gradully. The Roads, Railways, Banks, all have been privatized. Now there is a fear among the general public about losing their control over LIC's economic decisions.

The major concer is that the most important financial role of LIC is slipping away from the hands of its stakeholders. We are witnessing a situation all the major decisions will be taken by the foreign stakeholders. The foreign stakeholders doesn't take care of the hard earned money of our own people, who contributed a lot to built the LIC and other institutions. However not they are going to shrink and loose their say for the sake of foreign capital. There is a strong possibility that all the profits earned by the LIC, will flow abroad and I would say that our country will not be benefitted in days to come from LIC.

Sir, the government argues that this sector needs more capital for growth. As per the existing norms 74 percent FDI is already allowed in our country, however this is not fully utilized so far. Considering the fact of not utilizing even the existing available capital, the argument that the government, loses its validity. I would say that the proposed Bill leads to the total deviation from the social responsibility and to focus merely on earning maximum profit.

---

* Original in Kannada

Sir, these companies will never show any interest in providing security to rural people, the poor, daily wagers, laborers, and petty shoppers, small traders. I am not raising false narrations like there is a wolf, there is a wolf. I firmly believe that the society will face a situation where there will be no coverage of insurance in number of sectors as the insurance companies withdraws themselves from the sectors, where they seem to be not profitable.

Under such a scenario, where there is no insurance coverage, what will be the fate of the people, during their financial distress, accidents, or health crises. No one can predict the horrible situations rising as the outcomes of the Bill. There will be a situation where people are to force to end up selling houses, properties to save themselves from the hard time. I would say there is no doubt exists there.

We must look at experiences of the people how they are benefitted from the other schemes of the government. Ayushman Bharat and the Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana might have helped the middle class to a certain extent. However, a large sections of the poor are still facing a great hardship. One must understand how the private hospitals behave with poor. It is known fact that they are not cooperative. They deny the admissions of the patient, deny cashless treatment, offer only those procedures, which are profitable. And they try to exit from the many government Health schemes claiming false excuses of the bills remain pending under the government Health schemes to the extent of 1.21 lakh crore. Several major hospitals refuse to accept and implementation of the government health schemes.

Sir, I wish to bring it the notice of the government that the similar situation is being faced by our farmers in the Fasal Bima Yojna also. The premium amount paid by the farmers is keep rising, however the compensation for the crop failures is decreasing every year.

We also need to consider the examples of the countries with low and medium income at the international. Sir with the societies, which are already suffering from the inequality, implementation of privatization further

leaders to increase the level of inequality. The Union government is saying that insurance regulators will take care of all such issues.

Sir, who are these regulators? They are the officers appointed by the government authorities, they do not get elected by the people. They do not have the fear of losing office, there are possibilities that they get lured by anything.

So, I would like to say that there will be very high instance of the insurance regulators in poor countries, might go under the influence of any pressures, inducement etc.,

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

*SHRI G. KUMAR NAIK (RAICHUR): One minute, Sir. Therefore, I want ask whether the government ensure the guarantee of the ability, performance and the credibility of the Regulators.

Sir, we have already been witnessing the present condition of the Civil Aviation sector. the DGCA serves as the regulator expected to controls the sector. However, we all are aware that what is happening with the Indigo episode. How it is impacting the countries progress. Hundreds of flights got canceled across the country. Based on all these experiences we cannot believe the regulators.

Sir, the Bill, in principle, contradicts the ideologies of the Congress Party, in many ways, it is an anti-people legislation, So, I oppose the Bill and conclude my speech.

Thank you.

(ends)

(1745/SJN/HDK)

1746 बजे

श्रीमती कमलजीत सहरावत (पश्चिम दिल्ली) : सभापति महोदय, आज आपने मुझे भारत के भविष्य को मजबूत करने वाले बिल पर बोलने का मौका दिया है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यह 140 करोड़ लोगों का देश है। बड़ी आबादी और असंगठित क्षेत्र है, जिसमें न स्थायी आय है और न ही सामाजिक सुरक्षा के कोई प्रावधान थे। वर्ष 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने सबसे पहले इसी सेक्टर की चिंता की थी।

आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2015 में 'प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना' लागू की थी। इसमें गरीब और कमजोर वर्ग के लिए कम प्रीमियम पर जीवन बीमा सुरक्षा योजना लागू की थी। मात्र 20 रुपये में 2,00,000 रुपये की बीमा राशि का प्रावधान किया गया था। दुर्घटना से मृत्यु या अपंगता होने पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 'प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना' लागू की थी, जिसमें मात्र 20 रुपये से 2,00,000 रुपये की बीमा राशि का प्रावधान किया गया है।

आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य मंत्रालय ने 'आदरणीय जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत' लागू की थी, जो विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ मॉडल बनी है। वह ऐसी योजना लेकर आए हैं, जिसमें प्रति व्यक्ति 5,00,000 रुपये तक किसी भी अस्तपाल में जाकर अपना इलाज करा सकता है। उसमें 30,000 से अधिक अस्पताल रजिस्टर्ड हैं।

आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों का भी ध्यान रखा है। वर्ष 2016 में 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' लागू की थी, जिसमें फसल नुकसान के लिए आर्थिक सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। अब तक इसमें हमारे देश के 22 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिल चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब दिल्ली में आकर सत्ता संभाली थी, तो उस समय स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी।

"कश्ती चलाने वालों ने जब हारकर दी पतवार हमें,
लहर-लहर तूफान मिले और मौज मझधार हमें,
फिर भी दिखलाया है हमने और ये दिखा देंगे सबको,
इन हालातों में भी आता है दरिया करना पार हमें।"

आदरणीय वित्त मंत्री जी द्वारा आज प्रस्तुत 'सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा विधि संशोधन) विधेयक, 2025' केवल एक आर्थिक सुधार नहीं है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से यह एक दूरदर्शी पहल है। बीमा किसी भी अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण

स्तंभ होता है। भारत में आज भी बीमा कवरेज ग्लोबल एवरेज से बहुत है। आदरणीय वित्त मंत्री जी ने ये सभी आंकड़े हमारे सामने पेश किए हैं।

(1750/DPK/PS)

यह विधेयक किसानों, श्रमिकों, महिलाओं और निम्न वर्ग के लोगों तक बीमा की पहुंच को बढ़ाएगा और वित्तीय समावेशन को वास्तविक अर्थ देगा। भारत प्राकृतिक आपदाओं और स्वास्थ्य संगठनों के प्रति संवेदनशील देश है। बीमा व्यवस्था इस नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति का एक साधन भी है, जिससे परिवारों पर वित्तीय बोझ कम होगा और परिवारों की बचत भी सुरक्षित रहेगी।

मोदी सरकार ने समय-समय पर इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की सीमा बढ़ाई है, क्योंकि यह पूंजीगत क्षमता यानी कैपिटल इंटेसिव सेक्टर है। इस निर्णय से इस सेक्टर में पूंजी की कमी दूर होगी। इस बिल से ग्रामीण और कमजोर वर्गों को बीमा कवरेज में लाभ मिलेगा।, ज्यादा कंपनियां आने से बीमा पॉलिसी कंपिटीटिव रेट और सस्ती दर पर बीमा पॉलिसीज़ ऑफर करेंगी और क्लेम सेटलमेंट फास्ट होगा। एक्सपर्ट और स्किल बढ़ने से इंडिया ग्लोबल हब बनेगा, जिससे भारत में रोजगार की दृष्टि से भी गति बढ़ेगी। इंश्योरेंस सेक्टर लॉन्ग टर्म कैपिटल को इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेगा, जिससे भारत में हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड और स्वच्छ ऊर्जा आदि में विकास होगा।

वित्त मंत्री जी ने बिल के ड्राफ्ट में स्पष्ट किया है कि प्रबंधन और नियंत्रण भारत में ही रहेगा, प्रीमियम का निवेश भारत में ही होगा, आईआरडीएआई के सख्त नियम लागू होंगे और पॉलिसी होल्डर्स के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इतने स्पष्ट बिल में इन प्रोविजन्स के बाद भी विपक्ष के कोई सवाल हैं। बिल में बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि बिल में पॉलिसी होल्डर्स की एजुकेशन और प्रोटेक्शन फंड का भी प्रोविजन किया जाएगा, जिससे कि सेफ्टी मेकैनिज्म के लिए पॉलिसी होल्डर्स को उनके अधिकार के प्रति शिक्षित किया जाएगा।

वित्त मंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि एलआईसी अब नए जोनल ऑफिसेज़ खोलेगी, जो इंडिपेंडेट डिसीजन्स लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। हालांकि, सरकार की रणनीतिक निगरानी उनके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। सबसे बड़ा डर डेटा का है। आदरणीय वित्त मंत्री जी ने यह भी स्पष्ट किया है कि डेटा प्रोटेक्शन एंड पॉलिसी होल्डर्स के इंट्रेस्ट के सेफगार्ड का भी इस बिल में पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। इस नए बीमा विधेयक से भारत एक सुरक्षित, आत्मनिर्भर और सशक्त राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा।

आदरणीय सभापति जी, विपक्ष के लोग बार-बार सवाल उठा रहे हैं कि सरकार जल्दी में क्यों है? आपने मानसूत्र में देखा कि पूरे एक महीने सत्र को चलने नहीं दिया गया

और जिन विषयों पर इनके पास यहां पर जवाब देने के लिए कोई उत्तर नहीं था, इनको उठकर भागना पड़ा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में बताना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री जी हर समय देश के लिए सोचते हैं और सरकार रात-दिन विकसित भारत के लिए काम कर रही है।

HON. CHAIRPERSON (SHRI N.K. PREMACHANDRAN): Now please conclude.

श्रीमती कमलजीत सहरावत (पश्चिम दिल्ली) : जी, महोदय। मैं प्रधान मंत्री जी के विषय में कहना चाहती हूं कि

“पाना चाहते हैं जो कुछ कल
उनकी जिंदगी में करने के लिए बस आज होता है,
लगा देते हैं जी-जान वो, लक्ष्य को पाने के लिए
उनकी इसी अदा में उनकी सफलता का राज होता है।”

अंत में, मैं इसका समर्थन करते हुए कहना चाहती हूं कि यह बिल न केवल ‘Insurance for All by 2047’ का सपना साकार करेगा अपितु यह बिल भारत को आधुनिक समावेशी और सुरक्षित बीमा सेक्टर बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। आदरणीय वित्त मंत्री जी द्वारा विकसित भारत की तरफ बढ़ने के लिए जो बिल आज पेश किया गया है, उस विकसित भारत की तरफ बढ़ने का आज सही समय है, यही समय है। इसलिए मैं विपक्ष के साथियों से यह भी कहना चाहती हूं कि

“किसी मोड़ पर घबराकर न थम जाइए आप
जो बात नई है अपनाइए आप,
डरते क्यों हैं नई राह पर चलने से
हम आगे-आगे चलते हैं साथ आइए आप।”

इसके साथ ही मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इस बिल का समर्थन करती हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

HON. CHAIRPERSON: Thank you.

Shri D. M. Kathir Anand.

1754 hours

SHRI D. M. KATHIR ANAND (VELLORE): *Vanakkam*, Chairperson.

Today, I am not merely opposing a Bill; I am opposing the sale of social security through legislation. The Bill may look technical but consequences are deeply ideological, deeply political, and deeply dangerous.

Sir, insurance deals with life, health, death, and dignity. That is why, our Constitution places social security within the framework of socialistic justice.

(1755/SNL/PC)

Yet this Bill treats insurance as just another investment sector. Let me draw the attention of the House to Clause 7, which inserts Section 3(AA) into the Insurance Act. This single clause allows 100 per cent foreign ownership in Indian insurance companies. Let us be honest about what it means. It means foreign companies boards will decide Indian premiums. Foreign shareholders will decide Indian exclusions. Foreign capital's exit will decide Indian insecurity. When profits fall, capital will exit, but people cannot exit sickness, death or old age. Our Periyar warned us some time back – "when capital rules society, humanity becomes collateral".

Clause 7 makes Indian lives also collateral. This Bill names itself as Sabka Bima. If this Bill is truly Sabka Bima, why does Clause 27 rewrite Section 27 to prioritise investment flexibility over social obligations? Why does Clause 20 give IRDAI the power to direct investments without Parliament's approval? This Bill does not guarantee coverage. This Bill guarantees capital freedom. This is not Sabka Bima; this is *"Sab Kuch Corporate Hai*".

LIC is not just another insurer. It is a people's institution built with people's savings, but look at Chapter 3, especially Clauses 77 to 82 amending the LIC Act. These clauses say - strip LIC of its unique statutory character, force it to operate like a market-driven company, push it to unequal competition with multinational insurers. LIC insured farmers, women, rural families, when private insurers refused, and this Bill punishes LIC for being compassionate.

Kalaignar M. Karunanidhi once said, “public institution exists to correct market injustice, not to surrender to it”. This Bill does exactly opposite of it.

Now, Speaker Sir, through Clause 30 amending Section 34 and Clause 31 amending Section 34A, IRDAI is given sweeping powers to issue binding directions, order, disgorgement, control management and operations, but where is the check? Most of these powers are accessible through regulations, not Acts. Parliament is sidelined, democracy is bypassed, and power is concentrated in unelected hands.

Clause 17 is very important. Let us look at Clause 17. Inserting new Sections 14A, 14B and 14C, these provisions allow centralised processing of KYC documents, sharing of sensitive health and financial data, large-scale data pooling by insurers and intermediaries. At a time when India still struggles with data breaches, this Bill creates data power without data accountability. This is not a digital governance; it is a data colonisation.

Hon. Speaker Sir, under Clauses 59, 61 and 63, penalties can go up to Rs.1 lakh per day, and Rs.10 crore maximum without clear statutory safeguards. This becomes regulations by fear, not regulations by fairness. Justice must be proportionate; power must be accountable.

Through Clause 69, inserting Sections 114B and 114C, the authority is empowered to issue subsidiary instructions. Let the House understand this very clearly. These instructions have binding force, are not debated here, can override intent through interpretation. This backdoor lawmaking, delegated legislation, is replacing democratic debates.

Insurance affects State health schemes.

HON. CHAIRPERSON (SHRI N. K. PREMACHANDRAN): Now it is almost six. So, if the House agrees, we will extend the House till the Bill is passed.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

HON. CHAIRPERSON: Okay, the House is extended till the Bill is passed.

(1800/RHL/SMN)

SHRI D.M. KATHIR ANAND (VELLORE): We know very clearly insurance affects State health schemes, cooperative insurance societies, employment and welfare delivery. But not one clause mandates State consultations, federal consent, cooperative protection. This is missing in the Act.

This follows the same pattern we saw in GST, NEET and in Finance Commission. Sir, Tamil Nadu is administered but not consulted under this Act. Who bears the risk? The poor pay premium. The corporates collect the dividend. Private insurers cherry-pick the profits. LIC carries responsibility. This Bill rewards profit and penalizes compassion. Profit is protected and people are exposed in this.

Chairman Sir, Perarignar Anna once said that Government exists to protect the weak and not strengthen the strong.

Kalaignar said, markets without morality destroy democracy. Clause by clause, this Bill strengthens the strong and abandons the weak.

Chairman Sir, this Bill tells the poor that your security depends on profitability. It tells States that your consent is unnecessary. It tells the Parliament that your role is ceremonial. And it tells corporations that India's social security is open for business. We reject this message.

As a representative of Tamil Nadu, as a believer in Dravidian social justice, as a defender of constitutional socialism, I strongly oppose this Bill.

I demand its withdrawal or at the very least, it must be referred to the concerned Standing Committee of Parliament for consideration.

Social security is not for sale. People's savings are not foreign capital. India will not become a corporate insurance colony.

Thank you, Chairman Sir.

(ends)

1802 बजे

श्रीमती शांभवी (समस्तीपुर) : सभापति महोदय, धन्यवाद। आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विधेयक सबका बीमा, सबकी रक्षा पर बोलने का मौका दिया। आज हम अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) और अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी की तरफ से इस विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए उपस्थित हुए हैं। विशेष रूप से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का आभार व्यक्त करूंगी, जिन्होंने एक ऐसे कानून का निर्माण किया है जो आम आदमी की आय के अधिकार के हित में है। आम आदमी के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह यहां पर आया है। आम आदमी के जीवन का क्या मोल होता है, यह एनडीए की सरकार बहुत ही मजबूती से जानती है और उसको पुन: स्थापित करने का प्रयास करती है।

सभापति महोदय, आश्चर्य की बात यह है कि जब-जब इस सदन में रक्षा और सुरक्षा की बात होती है, तो विपक्ष को एलर्जी होती है। जीएसटी, जिसमें आम आदमी की आय की रक्षा होती है, जब इसकी बात होती है, तब विपक्ष को एलर्जी होती है। अगर बिहार में महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की बात होती है, उनकी आय की रक्षा की बात होती है, तब विपक्ष को एलर्जी होती है। अगर हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, जिससे हम अपनी सीमा को सुरक्षित रखते हैं, जब सीमाओं की रक्षा की बात होती है, तब उनको एलर्जी होती है और अगर हम एसआइआर की बात करें, जो लोकतांत्रिक अधिकार को मजबूत करता है, उसकी बात होती है, तब भी विपक्ष को एलर्जी है। समझ में नहीं आता है कि इनको रक्षा से एलर्जी है, लोकतांत्रिक अधिकार से एलर्जी है या सुरक्षा से एलर्जी है? इनको सरकार से दिक्कत है, इनको आम आदमी से दिक्कत है या इनको किसी गरीब से दिक्कत है? जब भी गरीबों के हित की बात होती है, दलित, वंचित, शोषित वर्ग के हित की बात होती है, तब हमेशा ये कुछ न कुछ करके उसका विरोध करते हैं। सर, यह विधेयक पुन: स्थापित करता है कि सरकार जितनी गंभीर विकसित भारत, 2047 के लिए है, उतनी ही गंभीर सुरक्षा बीमा वर्ष 2047 तक हर एक इंसान तक पहुंचे उसके लिए भी है। जो हमारी सरकार की आधारशिला है, जो विचारधारा है, वह रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म है। इसके तहत बीमा के क्षेत्र में पिछले दस साल से जो भी सुधार हुए हैं उसको यह विधेयक और भी मजबूत करता है। इसके लिए मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत मार्च, 2025 तक 23 करोड़ लोग इसमें शामिल हो चुके हैं और 9 लाख से अधिक परिवारों को लगभग 18,102 करोड़ रूपये का क्लेम दिया गया है। अगर हम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा याोजना की बात करें, तो इसमें लगभग 50 करोड़ नामांकन हुए हैं, जिसमें साढ़े तेईस करोड़ महिलाएं हैं।

(1805/KN/RP)

अगर हम अटल पेंशन योजना की बात करें तो इसमें लगभग 46 हजार करोड़ रुपये का फंड जमा हुआ है। इसमें जो 48 प्रतिशत महिलाएं हैं, उनको लाभ मिला है। यह पुनर्स्थापित करता है कि केन्द्र सरकार बीमा के माध्यम से सब की आय को सुरक्षित महसूस कराना चाहती है, सब के जीवन को सुरक्षित रखना चाहती है।

महोदय, यह बिल सिर्फ एक घोषणा नहीं है, बल्कि इम्प्लिमेंटेशन का एक रास्ता है। इस बिल के कुछ प्रावधान हैं, जिनको मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगी। इसमें एफडीआई को 74 प्रतिशत से बढ़ा कर 100 परसेंट करने का प्रावधान है। जब एफडीआई को 74 प्रतिशत से बढ़ा कर 100 प्रतिशत किया जाएगा तो इसमें हमेशा कंपीटिशन बढ़ेगा। कंपीटिशन के तहत जो कीमतें हैं, वह गिरती हैं और कीमत गिरने पर सस्ते प्रीमियम पर बीमा का लाभ आम आदमी को मिल सकेगा। आम आदमी के हित में ही इस प्रावधान को रखा गया है।

अगर हम विदेशी रि-इंश्योरेंस की बात करें तो आपदा के समय, जैसे बिहार में विदेशी रि-इंश्योरेंस की पूंजी को 5 हजार करोड़ रुपये से घटाकर 1 हजार करोड़ रुपये कर दिया है। आपदा के समय, जैसे बिहार में बाढ़ आती है, ऐसे में जो छोटी-छोटी बीमा कंपनियां हैं, वह डूबने लगती हैं। जब विदेशी कंपनियां आएंगी तो इसमें रिस्क बंट जाएगा। आपदा के समय किसान और आम आदमी का क्लेम नहीं घटेगा। एलआईसी को आजादी मिलेगी और इसमें आम आदमी को एलआईसी से बेहतर लाभ मिल पाएगा। क्लॉज 50 के बारे में मैं हाइलाइट करना चाहूंगी। क्लॉज 50 के तहत इस कानून की जो भाषा है, उसे जेंडर न्यूट्रल भी किया जा रहा है। स्त्री और पुरुष का जो भेद है, उसको कम किया जाएगा। सामाजिक न्याय को पुनर्स्थापित किया जाएगा।… (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन) : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्रीमती शांभवी (समस्तीपुर) : सर, मेरे बस दो सुझाव हैं। हम एक महिला सांसद हैं और बिहार की महिला सांसद हैं। मेरा बस यही सुझाव है कि बिहार में 'जीविका दीदी' का एक बहुत बड़ा समूह चलता है। अटल पेंशन योजना के तहत 48 प्रतिशत महिलाओं को बीमा का लाभ मिलता है। बिहार में 'जीविका दीदी' समूह का जो नेटवर्क है, उसका इस्तेमाल किया जाए। ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं हैं, उनको भी ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। यह सुनिश्चित किया जाए।… (व्यवधान) सर, जो क्लॉज 93 है, हमारा जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है, वह ग्लोबल एवरेज से कम है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन 3.7 परसेंट है और ग्लोबल एवरेज 7 परसेंट है। इसको बढ़ाने के लिए क्लॉज 93 के तहत जागरूकता का जो प्लान है, स्थानीय भाषाएं जैसे मैथिली, भोजपुरी, अंगिका में जागरूक अभियान एजुकेशन फंड के तहत चलाया जाए। … (व्यवधान) बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।

(इति)

1807 बजे

श्री राजीव राय (घोसी) : महोदय, आपने मुझे सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक, 2025 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं... (व्यवधान) आप ध्यान से सुनिये। मैं आप ही की बात कर रहा हूं।

महोदय, मैं इस बिल पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और जब एफडीआई को 100 परसेंट करने की बात हो रही है तो सचमुच मुझे वर्ष 2014 के तत्कालीन मुख्य मंत्री जी की बातें बहुत याद आती हैं। मुझे लग रहा है कि आपको भी जरूर याद होगा। एफडीआई के बारे में वे क्या बोला करते थे? उसकी जानकारी आपको भी होगी। आज एफडीआई को 26 परसेंट, 49 परसेंट, 75 परसेंट और 100 परसेंट कर दिया गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी की बातें मुझे बहुत जगह याद आती हैं। पेट्रोलियम के दाम, रुपये, देश की सुरक्षा और पर-कैपिटा इनकम पर उनकी बातें याद आती हैं। हमारे वैचारिक मतभेद तो हो सकते हैं, लेकिन मुख्य मंत्री जी की बातें बहुत याद आती हैं। अब पता नहीं क्यों नहीं कर पाए, जाने कौन सी मजबूरी है, कोई यूं ही बेवफा तो नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। उनकी कोई मजबूरी होगी। इसमें 100 परसेंट एफडीआई की बात हो रही है और उसमें एक प्रावधान लगा दिया गया है कि उसका हैड एक इंडियन व्यक्ति होगा। यह खुश करने के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। मुझे ईस्ट इंडिया कंपनी भी याद आती है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो वह कब्जा करती थी और एक राजा को बोलती थी कि तुम ही यहां के मुखिया हो। ईस्ट इंडिया कंपनी एक कानून से सरकार बन गई। यह विधेयक किसानों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है और छात्रों के खिलाफ है।

(1810/ANK/VPN)

मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कि क्या कभी आपने सर्वे किया है कि जो कृषि बीमा हुआ है, उसके प्रीमियम देने में किसानों को क्या-क्या भुगतना पड़ता है। नेता जी जब मुख्य मंत्री थे, तब उन्होंने एक कानून बनाया था कि यदि सांप के काटने से किसी गरीब किसान की मौत हो जाएगी, तो उसको भी पांच लाख रुपये मिलेंगे। आज हम जिस इलाके से आते हैं, कभी गर्मी के दिनों में बिजली के तार जलने से खेतों में आग लग जाती है, बाढ़ से छोटे-छोटे किसानों का नुकसान हो जाता है। एक किसान वे होते हैं, जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती है। क्या आपके बीमा नीति में है कि उसकी अपनी जमीन होना चाहिए? इधर हमारे मित्र बैठे हैं, जिनका नाम लेना उचित नहीं होगा, उनका नाम सबको पता है। हमारे यहां बोलते हैं कि पोत पर खेत दिया गया है, यानी गरीब आता है, एक साल का पैसा दे देता है और उसकी खेती करवाता है। उसके नाम से जमीन नहीं होती है। अगर उसको कुछ हो जाता है, तो उसको तो कुछ नहीं मिलेगा। क्या आपको पता है कि वे कौन मजदूर होते हैं, जो ठेके

पर मजदूरी करते हैं? वे ज्यादातर पीडीए समाज के होते हैं। इसीलिए पीडीए के खिलाफ यह एक सोची समझी साजिश है।

यदि माननीय वित्त मंत्री जी ध्यान दें, तो मैं एक और चीज की तरफ उनका संज्ञान लाना चाहूंगा। गरीब छात्र होते हैं, पढ़ाई शुरू होती है, कोई आपदा आती है, कोई मुसीबत आती है, घर के मुखिया का देहांत हो जाता है, तो उस गरीब छात्र की पढ़ाई खत्म हो जाती है। उसके पास फीस जमा करने के लिए पैसा नहीं होता है। यदि आपको इंश्योरेंस करना है, तो उस सेक्टर में कीजिए कि जहां कोई गरीब है। गरीब मैं इसलिए कह रहा हूं कि वह पीडीए है। इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूं कि यह पीडीए समाज के खिलाफ आपकी सोची-समझी साजिश है। आप उनके लिए कुछ नहीं करते हैं।

चिकित्सा सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है। आपने आयुष्मान कार्ड का पहले डंका बजाया। जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार थी, तब यदि किसी गरीब को किडनी या हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए 40 लाख रुपए की भी जरूरत होती थी, तो वह रकम उसको दी जाती थी। आज आयुष्मान कार्ड से पांच लाख रुपये से ऊपर का इलाज नहीं करा सकते। आज की महंगाई को देखिए कि पांच लाख रुपये में कौन-सा इलाज होता है? आयुष्मान कार्ड लिमिटेड होता है। यदि कोई भी व्यक्ति, जो किसी पद पर भी नहीं होता था, वह मुख्य मंत्री को लिख देता था, भाजपा के साथी सबसे ज्यादा लिखते थे, क्योंकि उनको कोई सुनता नहीं था। जितने पैसों के लिए लिखा जाता था, उतना पैसा आ जाता था। आज मुख्य मंत्री जी के यहां अगर पांच लाख रुपये के लिए लिखो, तो 50 हजार रुपया आता है। इसके उदाहरण मैं दे दूंगा।… (व्यवधान) आपको भी झेलना पड़ रहा है। जब प्रधान मंत्री जी मुख्य मंत्री थे, तो कहते थे कि मैं प्रदेश का मुखिया हूं। मुझे पता है कि केंद्र सरकार किस तरह प्रदेशों को परेशान करती है। वह आज भी हो रहा है। अब चूंकि इनकी मजबूरी है, ये लोग कह नहीं पाएंगे, क्योंकि अधिकतर राज्यों में उनकी सरकार है। यह उसी तरह की मजबूरी है।

माननीय सभापति (श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन) : आप इधर एड्रेस कीजिए।

श्री राजीव राय (घोसी) : सर, मैं आपको ही एड्रेस कर रहा हूं।

HON. CHAIRPERSON : Do not give reply.

SHRI RAJEEV RAI (GHOSI): You are right, Sir. जैसे एफडीआई लिमिट को इसको 26 प्रतिशत से 49 प्रतिशत और 74 प्रतिशत किया गया, अब इसको 100 प्रतिशत किया जा रहा है। इसमें देश के स्वामित्व का कहीं बाहर या एलआईसी का पैसा मित्रों की कंपनियों में इन्वेस्ट कराएं, बाहर का पैसा लेकर यहां करवाएं। देश के लोगों का जो स्वास्थ्य से जुड़ा डेटा है, गरीबी से जुड़ा डेटा है, उसको विदेशी कंपनियों के हाथ में दे देना, this is also noteworthy that when FDI limit was raised from 49 per cent to 74 per cent in 2021 … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Rajeev Rai ji, please try to conclude.

श्री राजीव राय (घोसी) : सर, दो-तीन मिनट दे दीजिए। हम तो साथ में ही रहते हैं। सर, सच सुना नहीं जाता है, पर आप सुन लीजिए।

माननीय सभापति : आप एक मिनट में कन्क्लूड कीजिए।

श्री राजीव राय (घोसी) : सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो विधेयक लाया गया है, यह गरीबों के खिलाफ है। इसमें सामाजिक सुरक्षा की कोई बात नहीं की गई है। जिस विधेयक में सामाजिक सुरक्षा की बात न हो, खासतौर से किसानों के लिए, तो मैं चाहता हूं कि इसमें कुछ प्रावधान हों। पूर्वांचल के किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब की तरह किसान नहीं होते हैं। वे छोटे-छोटे किसान होते हैं। अगर सालभर में तीन बार उनकी खेती को नुकसान होता है, तो उन लोगों को भी, जो कॉन्ट्रैक्चुअल आते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल खेती करते हैं, उनको भी फायदा हो, गरीब किसानों की सुरक्षा हो, गरीब छात्रों की पढ़ाई न रुके, उसके लिए व्यवस्था हो। चिकित्सा के लिए चाहे जितना भी पैसा लगे, उस पैसे को देने की जिम्मेदारी सरकार ले। 100 प्रतिशत एफडीआई जहां होगा, समाजवादी पार्टी उसका विरोध करेगी। देश का पैसा देश के लिए होना चाहिए।… (व्यवधान)

(इति)

1814 बजे।

श्री अभय कुमार सिन्हा (औरंगाबाद) : धन्यवाद सभापति महोदय कि बीमा विधि संशोधन विधेयक, 2025 पर आपने हमें भाग लेने का अवसर दिया। सभापति महोदय, सरकार इस विधेयक को सुधार, सरलीकरण और विस्तार के नाम पर प्रस्तुत कर रही है, लेकिन यदि हम इसके प्रावधानों को ध्यान से पढ़ें, तो यह स्पष्ट है कि यह विधेयक बीमा सुरक्षा का नहीं, बल्कि बीमा बाजारीकरण का दस्तावेज है।

(1815/RAJ/UB)

सभापति महोदय, इस विधेयक का सबसे गंभीर और दूरगामी प्रावधान चैप्टर - II, सेक्शन - 7, जिसके माध्यम से नई धारा 3AA जोड़ी गई है। अब विदेशी निवेशक कंपनी किसी भारतीय बीमा कंपनी की चुकता इक्विटी पूंजी का सौ प्रतिशत तक हिस्सा रख सकते हैं, अर्थात् अब भारत के बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत तक विदेशी स्वामित्व होगा।

महोदय, हम सरकार से जानना चाहते हैं, माननीय वित्त मंत्री महोदया जी से जानना चाहते हैं कि जब स्वामित्व पूरी तरह विदेशी होगा, जब बोर्ड, पूंजी और निर्णय प्रक्रिया विदेशी हाथों में होगी तो भारतीय नीति-धारकों के हितों की गारंटी कहां होगी? इस धारा में न भारतीय बहुमत बोर्ड की बाध्यता है, न निर्णयों में सार्वजनिक हित की कोई वैधानिक शर्त है, न ही संसद की कोई पूर्व स्वीकृति है। सरकार ने बीमा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में राष्ट्रीय नियंत्रण का विचार ही त्याग दिया है। यह विधेयक रूल ऑफ लॉ से नोटिफिकेशन द्वारा शासन की ओर ले जाता है।

महोदय, सेक्शन 21 के माध्यम से इस विधेयक ने सेक्शन्स 27A, 27B, 27C और 27D को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। ये धाराएं निवेश, अनुशासन, नियंत्रित फंड्स, सुरक्षा सीमाओं से संबंधित थीं। इन धाराओं को हटाकर सरकार ने बीमा सुरक्षा की दीवारों को तोड़ दिया है।

महोदय, सेक्शन्स 14, 14A, 14B और 14C के तहत बीमा कंपनियों को आधार, पैन, स्वास्थ्य विवरण और वित्तीय जानकारियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में संग्रहित करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन इस कानून में न डेटा लोकलाइज़ेशन की बाध्यता है, न डेटा उल्लंघन पर स्पष्ट दंड की जिम्मेदारी, न विदेशी स्वामित्व की स्थिति में डेटा साझा करने पर रोक है।

महोदय, एल.आई.सी. से संबंधित संशोधन किए गए हैं। एल.आई.सी. बिना सरकारी अनुमति के कार्यालय खोल सकती है। विदेशी शाखाओं के धन को भारत से बाहर रख सकती है। उसका संचालन निजी कंपनियों जैसा बनाया गया है।

महोदय, सामाजिक दायित्व, ग्रामीण बीमा, गरीब वर्ग की प्राथमिकता को सुरक्षित नहीं किया गया है। एल.आई.सी. को निजीकरण की दिशा में ले जाने वाला यह कदम है। यह विधेयक बीमा सुरक्षा से अधिक निवेश सुविधा का कानून है और सार्वजनिक बीमा से अधिक कॉर्पोरेट बीमा को बढ़ावा देता है। इन्होंने इस विधेयक का नाम 'सबका बीमा, सबकी रक्षा' नाम दिया है लेकिन मैं यह जरूर कह सकता हूं कि यह नाम कुछ कॉर्पोरेट की रक्षा और सरकार की रक्षा विधेयक है।

महोदय, मैं सरकार और माननीय वित्त मंत्री महोदया जी से मांग करता हूं कि 100 प्रतिशत एफ.डी.आई. प्रावधान वापस लिया जाए, नीति-धारक सुरक्षा को कानून में मजबूत किया जाए, एल.आई.सी. के सार्वजनिक दायित्वों को वैधानिक संरक्षण दिया जाए और इस विधेयक को संसदीय समिति में भेजा जाए। धन्यवाद।

(इति)

1819 hours

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Sir, on behalf of Telugu Desam Party, I stand in support of the Sabka Bima Sabki Raksha (Amendment of Insurance Laws) Bill.

India's insurance penetration is around 3.7 per cent of GDP whereas, globally, it is close to seven per cent. Before bringing this Bill, there are a few other changes that have been made by the hon. Finance Minister. In the last Budget, the hon. Finance Minister also announced the reduction of GST from 18 per cent to zero per cent on individual health insurance.

(1820/NKL/NK)

This measure has been taken so that the majority of the population can access insurance schemes. Moreover, allowing 100 per cent FDI into the insurance sector is a step in the right direction, as it will expand access to these insurance schemes for more people.

However, I want to make two quick suggestions. First, the IRDAI, which governs and regulates the insurance companies, has been a little bit stringent. In a large country like India, with a large population, there are only about 70 to 72 insurance companies. About 16 per cent of the population have access to these companies, while the remaining 84 per cent of the population have access to approximately 15,000 companies worldwide. This means that the availability of insurance options in India is very low. Yes, the reduction in GST is a good thing, and bringing FDI will actually democratise the insurance policies. However, we should consider having more insurance companies in the country. Take the example of RBI. About 20 to 25 years ago, there were only a limited number of banks and insufficient penetration of credit. However, the RBI came forward and granted many licenses not only to banks but also to NBFCs so that more penetration of loans can happen, and we have seen the benefits of this approach. In that same

direction, I request the Finance Ministry to consider issuing more licenses for insurance companies so that more people can access these services. Having only 70 companies for a population of almost 1.6 billion is too low. Even a small country like Sri Lanka has 50 insurance companies. So, I think, this regulation needs to be looked at so that more number of companies can come in.

Sir, my last suggestion is this. We have been seeing the PM Fasal Bima Yojana and also the health insurance schemes. While they are beneficial to a major extent, they are very broad in nature and need to be brought down to the farmgate level. Since private companies are already doing this, the Government should also focus in the same direction. With these few suggestions, I support this Bill. Thank you very much.

(ends)

1822 बजे

श्री मलविंदर सिंह कंग (आनंदपुर साहिब) : सभापति महोदय, आपने मुझे सबका बीमा, सबकी रक्षा बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं। जहां तक सबका बीमा सबकी रक्षा का सवाल है, हमारे देश का लोगों सबसे ज्यादा भरोसा एलआईसी पर है। किसी भी क्लास का आदमी हो, चाहे वह गरीब है, लोअर मिडल क्लास का है या मिडल क्लास है, हरेक इंसान एलआईसी पर भरोसा करता है। जिस तरीके से इस बिल के माध्यम से 100 परसेंट एफडीआई को लाया जा रहा है, 74 परसेंट एफडीआई ऑलरेडी थी। लेकिन अगर आप वर्ष 2014 से लेकर 2023 तक इन्श्योरेंस में पेनिट्रेशन देखेंगे तो बहुत ही मामूली वृद्धि हुई है, वर्ष 2014 में 3.3 थी जो तो अभी 3.7 हुई है। लेकिन आज भी सबसे ज्यादा लोगों का डर है, पेनिट्रेशन क्यों नहीं हो रही है, उसकी वजह प्रिमियम है, अगर प्राइवेट कंपनियों को इस तरीके से खुली छूट दे दी जाएगी। यहां राजीव राय जी ने सबसे गरीब आदमी की बात की है, वे तो प्राइवेट बैंक में भी जाने के लिए 100 बार सोचता है। पार्लियामेंट की सैलरी भी एलआईसी में जा रही है, इस तरीके से प्राइवेट कंपनियां इन्श्यारेंस सेक्टर में आएंगी तो मुझे नहीं लगता आम साधारण गरीब आदमी का कोई भला होगा, भला होगा तो निश्चित रूप से प्राइवेट कंपनियों का भला होगा, विदेशी कंपनियों का भला होगा।

(1825/IND/VR)

महोदय, मैं भारत सरकार से दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि इसमें दो-तीन चीजों का बड़ा वैक्यूम दिख रहा है। इसमें नो कम्पोजिट लाइसेंस, लाइसेंस को एक जगह नहीं रखा, उसे अलग-अलग रखा है। इससे लाइसेंस राज हो जाएगा। हैल्थ इंश्योरेंस के लिए अलग लाइसेंस, कार के लिए अलग, किसी अन्य चीज के लिए अलग लाइसेंस लेने की जरूरत होगी। लाइसेंस कम्पोजिट होना चाहिए। The Bill was expected to execute a composite licence, a long-pending demand. यह पुरानी मांग थी, जिसे इसमें कंसिडर नहीं किया गया। There is no reduction in capital norms for the new entrants. Similarly, they dropped proposals from the earlier draft. Then, there is no provision for capital insurance companies. The Bill is silent on allowing large corporates to set it up. बड़ी-बड़ी कम्पनियां चाहती हैं कि वह अपने आपको इंश्योर्ड भी अपने आप करें। उनके लिए क्या प्रोसेस रहेगा, वह भी मिसिंग है। मेरा सरकार से आग्रह है कि जिस एलआईसी पर हमें हमेशा से भरोसा रहा है, उसका कैसे सरलीकरण कैसे किया जाए, उसकी पैनीट्रेशन ज्यादा से ज्यादा सोसाइटी में हो और हमारा संविधान जिस सोशल जस्टिस की बात कहता है, तभी हम जस्टिस कर पाएंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

(इति)

1826 hours

SHRI HAMDULLAH SAYEED (LAKSHADWEEP): Thank you, Sir, for giving me an opportunity to speak on the Sabka Bima Sabki Raksha (Amendment of Insurance Laws) Bill. At the outset, I would like to thank my party, the Indian National Congress, for allowing me to speak on insurance.

This Bill would have great ramifications for the general public at large. Our insurance sector is regulated as per the Insurance Act of 1938. Post-Independence, the insurance sector was nationalised to protect the public interest, to enlarge the coverage and also to mobilise household savings. The enactment of the Insurance Act, 1938, was with the objective of monopolising the insurance sector, and major public companies were merged under the General Insurance Corporation of India. The sole purpose was to protect the insurance sector from private and foreign participation, ensuring that the State has a central role in providing insurance to the public at large.

Post-liberalisation reforms in 1991 marked a significant turning point, leading to a substantial increase in FDI inflows. Then, after the Malhotra Committee's recommendation, the Insurance Regulatory and Development Authority of India Act, 1999, led to the opening of the insurance sector to private and foreign players in the year 2000 through joint ventures. So, in 2000, the cap for the insurance sector was 26 per cent, and in 2015, this cap was increased to 49 per cent. Again, in 2021, there was a significant increase in the private sector's share of premium, and it was enhanced to 74 per cent by removing the Indian ownership and control requirement. Now, there is a move to increase FDI to 100 per cent in the insurance sector.

I would like to draw your attention to the fact that there are many demerits of 100 per cent FDI in the insurance sector. Let me highlight a few of them. The loss of public control over a strategic financial sector, increasing FDI to 100 per cent, would allow complete foreign ownership

and control over insurance operations in India, including decision-making for investment, pricing and risk selection. Then, there will be an increased risk of foreign dominance and capital outflows. It will lead to the dominance of foreign companies and hegemony over the market. Domestic investors may not have the financial strength, and this could also lead to a large share of premium income flowing out of the country through dividends and payments within multinational groups.

Sir, this is certainly going to adversely impact the domestic business. This would erode the insurance sector. Sections 6 and 6A, which provide a major safeguard, have been compromised. These sections lay down a statutory ceiling on shareholders, transfer of shares, ownership thresholds and voting rights. One hundred per cent FDI in the insurance sector would explicitly compromise on this aspect. Therefore, I oppose this Bill, which does not protect and promote the local businesses and entrepreneurs involved in the insurance sector.

Sir, I would like to draw your attention to the fact that up till 2014, in Lakshadweep, we had 100 per cent blanket cover of health insurance for our general population at large. But that has been withdrawn. I want to understand from the Government where do we fit in the Sabka Bima and Sabki Raksha (Amendment of Insurance Laws) Bill. Therefore, I would urge the Government to re-examine this amendment and keep this Bill in abeyance. I would also request the Government not to give complete control of our insurance sector to foreign investors in order to protect our local market.

Thank you, Sir.

(ends)

(1830/KDS/PBT)

1830 बजे

डॉ. मन्ना लाल रावत (उदयपुर) : सभापति जी, आपने मुझे सबका बीमा और सबकी रक्षा विधेयक पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं एलआईसी आफ इंडिया का ग्राहक हूं। वर्ष 2001 में मैंने बीमा कराया था। आज मुझे 18 लाख रुपये की राशि उस बीमा के माध्यम से मिल रही है। यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है। इसमें सुरक्षा भी है, गारंटी भी है और कांट्रेक्ट भी है तथा इससे ज्यादा भरोसा इसमें है। जनता का भरोसा होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास की बात नरेन्द्र मोदी जी कहते हैं तो बीमा भी सबका होना चाहिए। जब अन्य देशों से तुलना करते हैं तो हमारे देश में बीमा का प्रतिशत 4 परसेंट है, जो बहुत कम है। यह चिंता का विषय है लेकिन जब हम संविधान की प्रस्तावना के अनुसार सोशल, इकोनॉमिकल और पोलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि यह सामाजिक और आर्थिक न्याय का बड़ा पक्ष होगा क्योंकि इसमें जो प्रावधान किए गए हैं, वे सभी महत्वपूर्ण हैं।

महोदय, प्रस्तुत बिल बीमा अधिनियम, 1938 और आईआरडीए का एक्ट, 1999, एलआईसी का एक्ट, 1956 और साधारण बीमा राष्ट्रीयकरण एक्ट, 1972 को अमेंड करके जोड़ता है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो आधुनिक आवश्यकता के अनुसार है। प्रोटेक्शन कैसे बढ़े और कैसे बीमा सेक्टर मजबूत हो, इसका वैश्विक स्तर पर ले जाने का प्रावधान यह बिल करता है। मैं इसका समर्थन करता हूं और मैं सभी से आग्रह करूंगा कि सर्वसम्मति से इसे पारित करें।

महोदय, इसके उद्देश्य बहुत स्पष्ट हैं। इसका संचित निधि पर कोई प्रभाव नहीं आएगा। यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है लेकिन इसका जो उद्देश्य है वह बीमा सेक्टर में वृद्धि करना, विकास करना है। जब देश आगे बढ़ रहा है तो बीमा सेक्टर भी आगे बढ़ना चाहिए। बीमा धारकों का बेहतर संरक्षण सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। बीमा सेक्टर में सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक का हित है। बीमा कम्पनियां और एजेंट्स के हितों की रक्षा करने का इसमें प्रावधान है। बीमा को सुगम बनाने का भी इसमें प्रावधान है। पूरा सेक्टर ट्रांसपेरेंट हो और बहुत अच्छे से रेगुलेट हो। जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि पूरी दुनिया में हम 10वें नम्बर पर हैं और गैर जीवन बीमा में 15वें नम्बर पर हैं। जब हम विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं तो हमारी अपनी पोजिशन भी बहुत तेजी से इस क्षेत्र में बढ़नी चाहिए, जो हमारे हित में है। नए जमाने के हिसाब से डिजिटल डेटा संरक्षण की भी इसमें

बात है। प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की बात भी इसमें है। सरकार ने इस सेक्टर को आगे बढ़ाने की काफी पहल की है। किसानों के लिए इसमें पहल की गई है। जीएसटी में छूट देकर नौकरी करने वाले और मध्यम वर्ग के लोगों को राहत दी है लेकिन स्वास्थ्य बीमा जैसे प्रधान मंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत काफी काम करने की आवश्यकता है। इसमें आईआरडीए को ताकतवर बनाने की बात कही गई है कि यदि एफडीआई के माध्यम से विदेशी कम्पनियां काम करती हैं तो जो प्रीमियम कलेक्ट किया है उसकी इनवेस्टमेंट भारत में ही करने का प्रावधान है। यदि इसमें कोई इर्रेगुलेरिटी होती है तो पूरे पैटर्न को जांचने की ताकत आईआरडीए को दी जा रही है। एलआईसी के लिए यह खुशखबरी जैसा है कि यदि उसे जोनल आफिस खोलना है तो सरकार से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसमें ग्लोबल स्टैंडर्ड आ रहा है।

महोदय, सबका साथ, सबका विकास का जो दौर चल रहा है उसमें सबका बीमा भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे सबकी रक्षा होगी। विपक्ष इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि जब सबका बीमा होगा तो बिहार जैसा रिजल्ट आने वाले चुनावों में दूसरे राज्यों में भी देखने को मिलेगा। विपक्ष राजनीतिक कारणों से इस बिल पर टीका-टिप्पणी कर रहे हैं, नहीं तो सबका बीमा, सबकी रक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसका अभिनंदन करता हूं और आग्रह करता हूं कि इस बिल को पारित किया जाए।

आपका बहुत-बहुत अभिनंदन, नमस्कार और जय हिंद।

(इति)

(1835/SNT/CS)

1835 hours

SHRI Y. S. AVINASH REDDY (KADAPA): Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on the Sabka Bima Sabki Raksha (Amendment of Insurance Laws) Bill, 2025.

I hope the letter and spirit of this Bill not only confines to life insurance but also to health insurance and the agriculture crop insurance as well. I would like to mention some of the advantages of this Bill. This Bill opens a pathway for up to 100 per cent FDI in Indian insurance companies to be governed by conditions notified subsequently by the Finance Ministry. In a capital-intensive, scale-driven sector, this initiative can propel growth. India's insurance coverage remains low by global standards, with life insurance penetration at around three per cent and general insurance close to only one per cent. This highlights deep gaps in access, awareness, and affordability, especially in rural and informal sectors. This Bill will definitely increase the coverage across the country.

One of the main challenges of this Bill is it does not address the claim-settlement ratio data being used as a misleading tactic by insurance companies. The insurance companies in our country boost their high claim-settlement ratio by approving small claims while often rejecting larger, genuine claims on technicalities, making the actual claim to settlement amount ratio much lower, which is where the real financial impact lies for consumers. Even the much-quoted 96.82 per cent claim-settlement ratio is misleading because a claim is counted as settled even when it is only partially approved. Families often receive just 60 per cent or 65 per cent of the insured amount after heavy deductions, yet such cases are proudly added to the settled column. This inflates the numbers without reflecting the real value paid to the policyholders.

Sir, on behalf of the YSR Congress Party, we support this Bill provided the Bill does not negatively impact insurance employees and has safeguards for jobs, rights, and service conditions of existing insurance employees. The Government of India must move towards universal basic health insurance by expanding Ayushman Bharat scheme to cover all citizens of the country. IRDAI must be strengthened into a proactive SEBI-like regulator to effectively oversee foreign and domestic insurance companies.

Finally, insurance-related adjudication and dispute resolution mechanisms must be comprehensively reformed to ensure timely and fair justice. Thank you.

(ends)

1838 hours

SHRI K. RADHAKRISHNAN (ALATHUR): Sir, I rise to strongly oppose the Sabka Bima Sabki Raksha (Amendment of Insurance Laws) Bill, 2025. *(Sir, I am happy that you are in the Chair while there is a discussion on this Bill. I express my sincere gratitude for the same.)

1839 hours (Shri Dilip Saikia *in the Chair*)

While the title suggests universal protection, the matter of the Bill moves in the opposite direction. This Bill is away from social security and towards corporate-driven insurance expansion. This Bill proposes sweeping amendments to existing insurance laws under the pretext of improving penetration and efficiency. In reality, it facilitates greater privatisation, consolidation, foreign and private sector dominance in the insurance sector, and weakening the public character of insurance that has been built over decades in this country. Public sector insurers like LIC and General Insurance Companies have played a crucial role in social security, rural outreach, and nation-building.

(1840/RTU/MNS)

This Bill risks reducing them to mere market players competing on unequal terms. The Bill also dilutes regulatory oversight and parliamentary accountability, granting excessive powers to the Executive and regulators without adequate safeguards. There is no clarity on how mis-selling, claim rejections or exclusionary practices will be prevented, particularly when private players dominate.

Sir, most importantly, the slogan, “Sabka Bima, Sabki Raksha” rings hollow when there is no legally enforceable right to insurance or guaranteed coverage for all citizens. Without strengthening public insurers and ensuring State responsibility, this Bill reduces social protection to a market transaction. Therefore, I urge the Government to withdraw this Bill. I submit a simple request to the hon. Finance Minister to withdraw the Bill. Then, we can discuss the matter further. I strongly oppose this Bill once again. This Bill may be withdrawn.

(ends)

---

* ()Original in Malayalam

1841 hours

SHRI E. T. MOHAMMED BASHEER (MALAPPURAM): Sir, before making my observation on this Bill, I would like to make an appeal, that is, save LIC. If you throw this LIC to have a fight with the multinationals, it is very clear that it will go to doldrums. I hope that the Government will show that kindness to this prestigious institution. Otherwise, LIC is facing a lot of illness such as portfolio losses, stock performance, corporate exposure, operational and strategic challenges and external campaign and perception.

We all know that LIC is navigating a mix of market volatility and internal difficulties like staff shortage. They are suffering with this kind of thing. If you are not coming forward for the rescue of LIC, we will be showing it in a bad light. Similarly, when we are talking about this, I would like to say that we must have precaution and preparedness. What is the position now? Public sector is weakening.

On the other side, private parties, not only on a small scale, but also on a big scale, on an international level, are coming to capture the entire market. In India, it is a problematic kind of thing.

There is a strong regulatory framework. The hon. Minister in her opening remarks today was also talking about the necessity of a regulatory mechanism. I hope that we must establish a robust independent regulator like IRDAI to oversee licensing, operations, pricing, and solvency of insurance companies. We have to ensure that. We have to verify it that way.

The second thing is financial soundness requirement. The new parties come with new offers, impose minimum capital, solvency margins, and reserve requirements to ensure that insurers can meet future claims. That is a safety thing.

Then, there are consumer protection measures. It mandates transparency in policy terms, fair pricing, grievance redressal mechanisms, and protection against mis-selling.

(1845-1850/AK/RV)

Similarly, there should be risk management standards that require insurers to adopt sound underwriting practices, reinsurance arrangements, and risk-based supervision. This is also a necessity.

There should be phased and controlled entry by allowing gradual entry of private and foreign players to prevent market instability and excessive competition. It is a very important issue. When we ask the Indian companies to fight with multinationals, we have to analyse the situation as to whether they can fight with them. How will they survive if they cannot fight? So, if you are not coming to the rescue of these institutions, we will be in a dangerous situation.

As regards universal service obligations, impose social and rural sector obligations so that insurance reaches the vulnerable and under-served population. This aspect is also to be considered properly.

Monitoring and accountability are also very important. It is easy to open the doors for everybody, but we will be in danger until and unless we ensure this.

As regards crisis preparedness, we have to be prepared to meet this kind of crisis.

Lastly, I would like to say that if this kind of kindness is not prevailing in you, then it will be dangerous. Public sector is after all public sector, and it is having its own greatness. But instead of fighting with others, you have to support them. The Government should support the public sector.

With these few expectations, I hope that wisdom may prevail upon the Government to take appropriate action in this regard.

I thank you very much, Sir.

(ends)

1847 hours

*SHRI SELVARAJ V. (NAGAPATTINAM): Hon Chairman Sir, Vanakkam. Thank you for this Opportunity. I extend Vanakkam to Hon Finance Minister. I urge that this “Sabka Bima; Sabka Suraksha” Amendment Bill should be withdrawn. Foreig Direct Investment in Insurance Sector is against the economy and sovereignty of our country besides the consumers. Insurance is not an ordinary business. This is a social security. Insurance is a Sector which collects savings of the people for long. These savings are being utilized in infrastructure, social welfare schemes and nation development. By allowing 100 per cent FDI in Insurance Sector, we are allowing the savings of our Indian people to go in the control of foreign capitalists. Profit is taken away from the country. Government’s control on the strategic financial sector will be weakened. This is not development. This is an action leading to exploitation of national resources. This is a law to help the foreign companies to earn huge profits. Foreign Insurance companies will be accountable to the International Investors and not the people of India. They are not aimed at social security rather they are aimed at highest profit. This is not inclusive as this amendment Bill targets the low risk customers of the urban higher income Group. Moreover, this Amendment is aimed for profit making through the world financial capital. As the consequences will be against the interests of the customers, premium amount will definitely increase as it is controlled 100 per cent by the foreign companies. Rejection of demand will increase. Old aged persons, rural poor and unorganised labourers, will be ignored. Consumers will be converted into profitable raw material rather than protected citizens. This measure will definitely weaken out Public Sector Insurance companies. PSUs like LIC, GIC do serve the high risky rural and social sectors. They invest in national development programmes. 100 per cent FDI will create unfair competition. Public sector will be totally ignored in a planned manner. Indirectly it will lead to privatisation. This is not a reform. This is a planned collapse of the Public Insurance sector. It is a threat to the job and rights of labour force. The more dominating foreign Insurance Sector will lead to increase in outsourcing. Target based pressure will increase, There will be job losses. The rights of the Trade Unions will be affected. Permanent jobs will be converted as contract assignments.

---

* Original in Tamil

China has experience of controlling this Sector and kept this as a national priority. China has restored Governmental control in its Insurance Sector. Even if FDI is allowed in China, there are strict controls on them. National institutional dominance, social targets, fixed security are some of the aspects followed in China. Insurance is used as a tool for development by China. It does see Insurance as a profit earning market. Our experience of Latin America shows that privatisation is a failure in this Insurance sector. Insurance and Pension sectors have been completely privatised in some Latin American countries. This has resulted in high premium, low Insurance cover and big financial crisis. The Government has to look into it in order to restore that. Dominance by the private players, will destroy the social security aspect. This prior experience of India is itself showing us a warning. FDI has been made 100 per cent in Insurance Sector with an aim to provide every citizen Insurance cover before the year 2047.

Sir, by weakening the Public Sector companies, why should you encourage the private sector companies in this Insurance Sector? From the year 1991 to till now, as many as Rs 82,000 Crore was collected as Foreign Investment in Insurance Sector. LIC is having assets worth Rs 57 lakh Crore. Such an institution should be strengthened rather being weakened. Only then Insurance coverage could be provided to all the citizens of our country. Last year, an amount of Rs 7, 324 Core has been given as dividend to the Union Government. What is the contribution made by the foreign Insurance Companies for the development of India? Those foreign Insurance companies who came into Insurance Sector after the year 2000, many of them have left this Business during the last 25 years. American International Group, Alliance New York Life, ING, etc. are such companies.

Government pleads for long term investments. After saying the lines of a Tamil poem of Mahakavi Bharathi “Thaayin Manikkodi Paareer” on the floor of Parliament, after celebrating the 150th anniversary with a clarion call of saluting our soil, you have brought a Bill seeking foreign investments in Insurance sector once again.

Thank you. Vanakkam.

(ends)

1852 hours

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Mr. Chairman Sir. I rise to strongly oppose the Sabka Bima Sabki Raksha (Amendment of Insurance Laws) Bill, 2025.

Today morning, at the time of introduction of the Bill, I have raised so many objections. Those objections may be treated as part of my speech in opposing the Bill also.

I would like to remember the days of the global meltdown, that is the global economic crisis during the year 2008. We all know that the architect of the new liberalized economic reforms is none other than Dr. Manmohan Singh. He was the Prime Minister at that time. He, along with the Finance Minister, were returning from the global summit to address the issue of global meltdown. When they reached Delhi, they had a press meeting and in the press meeting press people asked a very pertinent question to them. The question was, how the global economic crisis or the global meltdown will affect the Indian economy. That was the pertinent question asked. The then hon. Prime Minister, Dr. Manmohan Singh Ji replied to the press people that this global economic crisis was not adversely affecting the Indian economy. Again, a question was raised: “Why?” Then he answered that it was because we were having strong public sector undertakings in the insurance sector as well as in the banking sector. So, this is the way by which the Indian economy was saved during the global economic crisis in the year 2008. That is the strength of the public sector undertakings in the country.

Unfortunately, this Bill allows 100 per cent equity or 100 per cent Foreign Direct Investment in the insurance sector. Indirectly it is an attempt to privatise the whole insurance sector. We know it very well. I would like to cite an example regarding the Life Insurance Corporation of India. It is an organisation formed by a statute of the Parliament in the year 1956. Only Rs. 5 crore was the paid up capital of that company or the corporation. What is the wealth, asset and the capital of the Life Insurance Corporation? When we are all talking of the insurance penetration, it is very less compared to the global average of seven per cent. In India, it is just three per cent.

When we have to discuss about the growth of Life Insurance Corporation from 1956 to 2020 and the role of the Life Insurance Corporation

in the development of the country in terms of so many welfare schemes and the infrastructure development, the contribution was too much. My question to the hon. Minister is this. Suppose with 100 per cent Foreign Direct Investment being allowed, the multinational corporations which are doing business in the field of the insurance, are they concerned about the national development of the country? They will grab the profit and they will be benefited. But as far as the public sector undertakings like Life Insurance Corporation and the General Insurance Corporations are concerned, the benefit and the profit will be utilised for the welfare of the nation and for the development of the nation. That is their history which we have seen during all these 75 years.

(1855/SM/MLC)

Sir, coming to one of the points, the main issue regarding the growth and development of the Life Insurance Corporation is its market share. If you look at the market share, even after foreign investment was allowed in both the general insurance sector and the life insurance sector, they could not compete with the life insurance sector. Why? It is because of the strength of LIC agents across the country. There are 14 lakh LIC agents, and that is the real strength of the Indian insurance corporation.

However, as far as the General Insurance Corporation is concerned, they do not have such a strength. That is the reason why the market share of private companies and foreign companies in general insurance is more than 70 per cent. But as far as LIC or the life insurance sector is concerned, even after all this privatisation and globalisation, the Life Insurance Corporation is still maintaining a market share of more than 60 per cent. In this situation, we are inviting foreign direct investment up to hundred per cent and giving benefits to them. Definitely, this will adversely affect the Life Insurance Corporation, and it will also affect the livelihood of LIC agents who are working for the benefit of the country and for the benefit of the Corporation.

Sir, coming to the Clauses, I have given notices of seven amendments, out of which I would like to speak on three Clauses. I am not speaking on Clause 7; I have already spoken on that. Regarding Clause 71, I would like to seek a clarification from the hon. Minister because it is ambiguous and vague. I will just read Clause 71. It states that in Section 116 of the original Act:

> "The Central Government may, by notification in the Official Gazette, exempt any insurer constituted, incorporated or domiciled in any country or State outside India from any of the provisions of this Act which may be specified in the notification either absolutely or subject to such conditions or modification as may be specified in the notification."

It means that power is being given to the Central Government to exempt foreign multinational corporations from the requirements of the provisions of this Bill. Is this not an undue benefit being provided to multinational corporations over domestic companies?

There is one more provision regarding the agents, and I would like to seek a clarification from the hon. Minister on Clause 36. It is related to Insurance Regulatory and Development Authority of India, which will be determining certain matters. Once again, I would like to urge the hon. Minister to please protect the public sector undertakings in the country, in particular, the Life Insurance Corporation as well as the general insurance companies, so as to ensure the development of the nation and the welfare of the people.

With these words, once again, I strongly oppose this Bill, which provides for hundred per cent foreign direct investment in the private sector.

Thank you very much.

(ends)

1859 hours

*SHRI VE. VAITHILINGAM (PUDUCHERRY): Hon Chairman Sir, Vanakkam. Our Hon Finance Minister has introduced this "Sabka Bima; Sabka Suraksha" Bill. At the same time, through this Bill it is said that the Foreign Direct Investments in Insurance Sector will be increased from the present 74 percent to 100 per cent. Our worry is that the premium amount should not be allowed to increase at any cost. This is our demand. Particularly, if these foreign companies come to India, there is a possibility of increasing the premium amount. This should however be stopped.

(1900/GM/YSH)

I urge that the required action should be taken. Similarly guidelines for getting back the insured amount, or the assured sum should be implemented. Simple and poor people cannot compete with big companies by filing a case as there is a possibility of not getting the sum assured. Therefore I urge upon you that the regulatory mechanism should be in an organised manner. Not only that, when you say medical insurance, those big hospitals accept the Insurance policies. But small hospitals do not accept these Insurance policies and their coverage since the Insurance Companies do not release funds once it is claimed. Particularly, in smaller Cities, these Insurance cards are not being accepted. Due to this, the poor and downtrodden people are affected a lot.

I urge that something should be done in this regard. Similarly, when you talk about farm insurance, sample survey becomes an Insurance cover of that particular area. Personally, this should be an Insurance for the farmers. If you take paddy, it is prone to diseases. In such a situation, when the farmers are affected and remain in deep distress, there should be arrangements for Insurance cover at this age. Similarly the cane farmers are very much affected. Particularly, due to crop diseases, cane growers pertaining to Cuddalore, Viluppuram and Puducherry are very much affected. At the same time, you are aware of the special harvest from Coconut cultivation in Pollachi area. Due to several coconut-tree borne diseases impacting cane growers of Tamil Nadu. Such cane farmers should be protected. Why because, Insurance

* Original in Tamil

money is being provided only after doing complete survey. If a particular Group of farmers are largely affected, they do not get due compensation amount. That too not in time. I urge that as it takes two or three years to fulfil the demands. I urge that the Union Government should rectify this. Similarly you are well aware of the fact that Puducherry is prone to natural disasters every now and then. There is a possibility of vehicles getting immersed in water. Traders find it difficult to engage in vehicle sales. They are reluctant to avail insurance cover. Because more than expected lines, those areas get affected. I therefore urge that necessary guideline should be framed.

Sir, three more points. We look at private banks. These banks do not extend loans under Mudra Scheme or any other Scheme as a priority sector lending. Because they do not have compulsion as a priority sector. I urge that Insurance sector should be accorded a status of priority sector. I request you that you should put this as a mandatory clause so that they will be bound to do that without fail. You are well aware of Puducherry that due to the efforts of our Hon Lieutenant Governor of Puducherry fake drug producers are identified and their drug manufacturing units have been closed. Those involved in such illegal drugs manufacturing are also arrested. Some children also died due to this spurious drugs. Compensation under the Insurance covers should be provided to them

I therefore urge that you should provide Insurance cover to those who used that fake or spurious drugs. Loss faced due to wrong medication by doctors, or wrong treatment by hospitals, and compensation thereupon should be included. Not only that, we have lost the income of our country due to the manufacturing of such spurious drugs. There should be stringent action against the, Thank you.

(ends)

1904 hours

ADV. FRANCIS GEORGE (KOTTAYAM): Hon. Chairperson, Sir, I rise to speak on this Bill with much apprehension and lot of doubts as far as the intent of the Government is concerned. This Sabka Bima, Sabki Raksha Bill, 2025 proposes sweeping changes in the existing Act. We are reaching 100 per cent FDI, starting from 26 per cent to 49 per cent to 74 per cent to 100 per cent, through this enactment. The objective, as publicly stated by the hon. Finance Minister is to reach insurance for all by 2047 and 100 per cent FDI will be available to companies which invest the entire premium in India. The Finance Minister says that the removal of the FDI cap will attract stable and sustained FDI and increase competition, facilitate technology transfer, improve insurance penetration in the country. Insurance penetration is less than three per cent if you take the global average and the insurance density is only 10 per cent of the global average.

(1905/GTJ/STS)

So, Sir, there is a lot of scope for our existing companies to improve their business in our country. What is this technology transfer in insurance business, I do not understand? This is not a high technology area. I can understand that if it is chip making or something like that, you have to import the technology from outside. But this is just a book keeping and management of finance, for which I do not know what high technology is being going to be brought from abroad.

Sir, there is no need for removal of this FDI cap and bringing in foreign companies into our market where we had seven public sector companies, and now, gradually their number has risen to 73 insurance companies. The global average is around 10000. If all those companies are going to come in and invest in this country, of course, foreign capital will come. But ultimately, what will be the outcome for our companies? That is the main point to be thought of.

What technology is going to be transferred and what kind of strengthening will be there? Of course, there will be competition and whether there will be any level-playing field in that competition. That is the main thing.

So, I would like to know from the hon. Minister how it is going to benefit our country. Of course, if the competition benefits the larger public, that is good. We are not against it. But, if our companies are going to be left out of the market by that competition, is this what we want and is that strengthening our companies?

Sir, where will this relaxing of norms take our country, our companies, and interest of our people? That is the main thing. The main thing is that the capital investment is not the only factor holding back growth of insurance in this country.

The regulatory structure should focus on reforms to favour the customers. Lengthy and reluctant claim settlement does not impair customers' confidence; mis-selling of insurance products, chasing quick profitability, and chasing profitability, these are all things which impair the customers' trust.

(ends)

1908 बजे

श्री दर्शन सिंह चौधरी (होशंगाबाद) : सभापति महोदय, आज मैं आपकी अनुमति से 'सबका बीमा, सबकी रक्षा' (बीमा विधि संशोधन) विधेयक, 2025 पर अपना मत रखना चाहता हूं। आज यह सदन केवल विधेयक पर चर्चा नहीं कर रहा है, आज यह सदन भारत के हर नागरिक की सुरक्षा, गरिमा और भविष्य पर निर्णय ले रहा है। इसलिए भारत की सामाजिक और आर्थिक यात्रा में यह एक निर्णायक मोड़ है। वेद वाणी है - "योग क्षेमं वहाम्यहम्" आपकी सुरक्षा और कल्याण की जिम्मेदारी हमारी।

सभापति महोदय, आजादी के 75 वर्षों बाद भी भारत का एक बड़ा वर्ग ऐसा है, जो बीमारी से डरता है, दुर्घटना से टूट जाता है, मृत्यु के बाद परिवार को असहाय छोड़ जाता है। यह सिर्फ इसलिए, क्योंकि उसके पास बीमा नहीं है। यह विधेयक उसी असमानता को समाप्त करने का संकल्प है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि यह 'सबका बीमा' केवल नारा नहीं नीति है। अब तक बीमा शहरों सीमित रहा, कागजों में उलझा रहा, आम आदमी से दूर रहा, लेकिन हमारी सरकार मानती है कि बीमा कोई लक्जरी नहीं, यह हर आदमी का अधिकार है। इसलिए हमने कहा 'सबका बीमा, सबकी रक्षा।'

सभापति महोदय, आज लगभग 60-65 प्रतिशत आबादी पूरी तरह से अनइंश्योर्ड है और गंभीर रूप से अंडर-इंश्योर्ड भी है। ग्रामीण भारत, असंगठित क्षेत्र, गिग वर्कर्स, छोटे दुकानदार, दिहाड़ी मजदूर, ये सब बीमा व्यवस्था से लगभग बाहर हैं। एक मेडिकल इमरजेंसी आज भी लाखों परिवारों को गरीबी की रेखा से नीचे धकेल देती है। वर्ष 1938 और वर्ष 1956 के कानून आज के डिजिटल प्लेटफॉर्म आधारित और जोखिम बहुल समाज के लिए अपर्याप्त हो चुके हैं। इसलिए यह विधेयक आवश्यक और समयोचित भी है।

इस विधेयक की सबसे बड़ी शक्ति इसका दृष्टिकोण है। यह बीमा को केवल टैक्स सेविंग प्रोडक्ट नहीं मानता, केवल शहरी मिडिल क्लास का साधन नहीं मानता, बल्कि बीमा सामाजिक सुरक्षा का आधार है। इसलिए वर्ष 1938 का बीमा अधिनियम, वर्ष 1956 का एलआईसी का अधिनियम, वर्ष 1999 का आईआरडीएआई का अधिनियम, इन तीनों में एक साथ संशोधन किया जा रहा है।

(1910/MM/HDK)

इसलिए इस विधेयक का सीधा उद्देश्य है - Insurance Penetration को बढ़ाने के साथ-साथ बीमा का दायरा बढ़ाना और IRDAI को अधिक सक्षम नियामक बनाना। नए risk models और नए distribution channels को विकसित करना। नए products तेज़ी से उभर रहे हैं उनको सुरक्षा देना। Policyholder Protection पर ज़ोर देना है।

महोदय, सड़क दुर्घटनाओं की बात आती है और लगातार इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए चार लेन की रोड बनायी जाए। हरदा से लेकर टिमरनी, नामदापुरा को हौशंगाबाद और जबलपुर तक जाना

चाहिए। जिससे दुर्घटनाओं से राहत मिल सके। यह विधेयक भारत को संकट-रोधी बनाता है। डॉ. भीमराव अंबेडकर के सामाजिक न्याय प्रतिपूर्ति करता है।

महोदय, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि यह विधेयक किसी एक वर्ग के लिए नहीं, किसी एक कंपनी के लिए नहीं, किसी एक चुनाव के लिए नहीं, बल्कि यह विधेयक पूरे भारतवर्ष के लिए है। इस विधेयक के माध्यम से 25 जीवन बीमा कंपनियां और गैर जीवन बीमा कंपनियां, वर्ष 2015 में 26 परसेंट से 49 परसेंट एफडीआई किया गया और वर्ष 2021 में 49 परसेंट से 74 परसेंट किया गया। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि बीमा क्षेत्र में सौ परसेंट एफडीआई लाने का काम उन्होंने किया है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ-साथ हमारी सरकार ईज़ ऑफ लिविंग की भी व्यवस्था कर रही है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी।

अंत में, अध्यक्ष महोदय मैं इस विधेयक का मूल भावना के साथ समर्थन करता हूँ। मैं अटल जी की कविता की पंक्ति के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं -

एक हाथ में सृजन दूसरे में हम प्रलय लिए चलते हैं
सभी कीर्ति ज्वाला में जलते, हम अंधियारे में जलते हैं।
आंखों में वैभव के सपने पग में तूफानों की गति हो
राष्ट्रभक्ति का ज्वार न रुकता, आये जिस जिसकी हिम्मत हो।

(इति)

1913 बजे

श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे (रामटेक) : सभापति महोदय, 1 सितम्बर, 1956 को भारतीय जीवन बीमा निगम, एलआईसी, की स्थापना की गयी थी। उस समय देश के 245 निजी जीवन बीमा कंपनियों का विलय करके एलआईसी बनायी गयी ताकि बीमा को मुनाफे का नहीं अपितु सामाजिक सुरक्षा का माध्यम बनाया जा सके। किंतु आज बीमा क्षेत्र में सौ परसेंट एफडीआई लाने का जो नियोजन किया गया है। वर्ष 2011 में जब मनमोहन सिंह जी की यूपीए की सरकार द्वारा 51 परसेंट एफडीआई लाने का प्रस्ताव रखा गया तो भाजपा ने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया कि इस एफडीआई से हमारा देश बर्बाद हो जाएगा, रोजगार छिन जाएगा, पूरे देश में आफत आ जाएगी। लेकिन आज हर जगह सौ परसेंट एफडीआई करने का काम एनडीए सरकार कर रही है। केवल नाम बदलने से काम बदलने वाला नहीं है। आपको काम करना पड़ेगा। यह जो बिल लाया गया है, इसमें यह कहीं नहीं बताया गया है कि देश की गरीब जनता को इससे क्या लाभ होने वाला है? बीमा क्षेत्र में क्या सुधार होने वाला है? आज देश में कृषि बीमा योजना चल रही है, लेकिन ऐसे कितने किसान हैं, जिनको कृषि का बीमा मिलता है? उसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि बीमा कंपनियों के प्रावधान इस तरह के होते हैं कि जब किसान फसल बीमा क्लेम करने जाते हैं तो उनको पचास-सौ रुपये का क्लेम दिया जाता है। उसके लिए सरकार की तरफ से कोई उपाय नहीं किया जा है, लेकिन बीमा में सौ परसेंट एफडीआई लाने का काम यह सरकार कर रही है।

महोदय, अभी तक देश के पूंजीपति देश को लूट रहे थे।

(1915/MK/PS)

लेकिन, अब इस सरकार ने विदेशी पूंजीपतियों को भी खुली छूट दे दी है। एलआईसी जैसी सार्वजनिक संस्था का पैसा अदानी समूह की कंपनी में लगभग 3.9 अरब डॉलर निवेश के रूप में लगाया है। इससे यह सवाल खड़ा होता है कि क्या गरीब और मध्यम वर्ग की बचत कुछ चुनिंदा कॉर्पोरेट घरानों के लिए जोखिम में डाला जा रहा है? दूसरी ओर, रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 70 प्रतिशत लोग स्वास्थ्य बीमा से बाहर हैं। उनको किस तरीके से इस योजना के अंदर लाया जाएगा? उनके स्वास्थ्य के लिए क्या किया जाएगा? ताकि, सारे गरीब इसमें सम्मिलित हो सकें। ऐसी स्थिति में 'सबका बीमा, सबकी सुरक्षा' की हकीकत 'किसान फसल बीमा' योजना जैसी होने की आशंका है। जहां बीमा कंपनियां प्रीमियम तो वसूलती हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर जनता को उसका लाभ नहीं मिलता है।

सभापति महोदय, कोरोना महामारी के दौरान आपने देखा होगा, पूरे देश ने देखा है कि इलाज के अभाव में लोग मरते रहे, लेकिन बीमा कंपनियां उस समय कहीं पर भी लोगों के साथ खड़ी नहीं दिखी। इसके बाद भी अगर ऐसा होता है तो बीमा किस तरीके से लोगों के साथ खड़ा रहने का काम करेगी? सरकार ने 'आयुष्मान भारत योजना' को यह कहकर लागू किया था कि हर

परिवार को पांच लाख रुपये तक स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा, लेकिन इस योजना में भी घोटाले सामने आ रहे हैं। लखनऊ में 'आयुष्मान भारत योजना' के तहत लगभग 9 करोड़ 94 लाख रुपये का घोटाला सामने आया है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये एफडीआई 100 परसेंट कर रहे हैं, यूपीए और हमारा इंडिया अलायंस इसका विरोध कर रहा है। पहले इन्होंने एफडीआई का विरोध किया था, लेकिन आज ये उसी एफडीआई का फायदा दिखा रहे हैं। ये किस तरीके से इसका समाधान करेंगे? … (व्यवधान)

(इति)

HON. CHAIRPERSON (SHRI DILIP SAIKIA): Hon. Finance Minister, would you like to speak now?

THE MINISTER OF FINANCE; AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, are you calling me for the reply?

HON. CHAIRPERSON: No, Madam. You have to make an announcement.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I would just like to inform the hon. Members that dinner has been arranged for Members in the MP's Dining Room, First Floor of the Parliament House.

Members may kindly avail dinner after 8 p.m. as per their convenience.

HON. CHAIRPERSON: Thank you, Madam.

माननीय सदस्यगण, आप सभी से एक अनुरोध है। आप सबने तो अपना बीमा कराया होगा, लेकिन आप अपनी कांस्टिट्यूएंसी के लोगों का भी बीमा कराइए। जितनी जनता है, जनता ने आपको वोट दिया है, आप उनमें भी इसके बारे में अवेयरनेस और बीमा पेनेट्रेशन कराने की कृपा करें।

अभी कुछ और माननीय सदस्य बोलेंगे। आप सभी को सिर्फ दो मिनट में अपनी बात समाप्त करनी है।

श्री हनुमान बेनिवाल जी।

1918 बजे

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : सभापति महोदय, आपने हमें 'सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा विधि संशोधन) विधेयक 2025 पर बोलने का मौका दिया है। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, आपके माध्यम से सबसे पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम बीमा विस्तार, सामाजिक सुरक्षा और नागरिकों की वित्तीय सुरक्षा के विरोध में नहीं हैं। वास्तव में, बीमा का दायरा बढ़ना आज के समय की आवश्यकता है, लेकिन देश की जनता का प्रश्न यह है कि यह विधेयक किसके हित में है? आम नागरिक के हित में है या बड़ी बीमा कंपनियों के हित में है? इसके बारे में माननीय मंत्री जी अपने जवाब में जरूर क्लियर करें। सरकार इस विधेयक को 'सबका बीमा' कह रही है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि आज भी देश की बड़ी आबादी, खासकर किसान, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, छोटे दुकानदार और ग्रामीण महिलाएं या तो बीमा से बाहर हैं या फिर ऐसे बीमा में फंसी हैं, जिनका दावा मिलना लगभग असंभव है।

सभापति महोदय, जो कुल एफडीआई है, वह पूंजी का मात्र लगभग 32 प्रतिशत ही है। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा एफडीआई सीमा को 100 प्रतिशत तक बढ़ाना और विदेशी पूंजी को भारत में पूर्ण स्वतंत्रता देना पूरी तरह से तर्कहीन है। इस निर्णय का न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था पर, बल्कि भारतीय बीमा कंपनियों पर भी गंभीर दुष्परिणाम होंगे।

सभापति महोदय, बीमा नहीं, दावा मिलना ज़रूरी है। बीमा पॉलिसी देना आसान है, लेकिन जब दुर्घटना होती है, बीमारी आती है या फसल नष्ट होती है, तब कंपनियों शर्तों का जाल बिछा देती हैं। इस विधेयक में यह स्पष्ट उल्लेखित नहीं है। इसलिए, मेरी मंत्री जी मांग है की आप जब जवाब दें तो बताएं की इस विधेयक के पारित होने के बाद दावों के निपटारे की समय-सीमा क्या होगी? गलत तरीके से दावा खारिज करने पर कंपनियों पर क्या सज़ा होगी?

सभापति महोदय, अगर 'सबकी रक्षा' सच में सरकार का उद्देश्य है, तो सबसे पहले क्लेम सेटलमेंट को अधिकार बनाना होगा। इसके बारे में माननीय मंत्री जी बताएं।

सभापति महोदय, निजीकरण और विदेशी पूंजी - यह विधेयक बीमा क्षेत्र में निजी और विदेशी निवेश को और आसान बनाता है। सवाल यह है कि क्या इससे प्रीमियम सस्ता होगा या फिर मुनाफे के लिए गरीबों को बाहर कर दिया जाएगा? यह बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि बीमा कोई साधारण व्यापार नहीं है, यह सार्वजनिक भरोसे का क्षेत्र है। अगर केवल मुनाफा ही लक्ष्य होगा, तो 'सबका बीमा' एक नारा बनकर रह जाएगा।

(इति)

(1920/ALK/SNL)

1920 बजे

श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील (सांगली) : आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। वित्त मंत्री जी के इंट्रोडक्शन के भाषण में उन्होंने कुछ आंकड़े पेश किए। She spoke about penetration going from 3.3 to 3.7 per cent. With a low base, I think that is dismal, and clearly, we have done more. She also spoke about companies having grown substantially. "Yes", companies need to grow further if you want to bring in penetration. The world penetration is about 7.7 per cent. She spoke of $55, and the world is at about $889. Has the IRDAI been responsible for the increase in companies? Here in the Bill, you have given extra powers to the IRDAI.

महोदय, इंश्योरेंस सिर्फ एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं है। It is a social safety mechanism. जब बीमा कराया जाता है, तब कोई मुनाफा नहीं सोचता है, परिवार अपनी सुरक्षा सोचता है। बीमारी में, हादसे में पीड़ित परिवार के साथ ये खड़े रहते हैं। So, the test of an insurance reform is simple. क्या यह आम आदमी के लिए सुरक्षा बढ़ाता है या इंवेस्टर्स के लिए बढ़ाता है, तो यह इंवेस्टर्स के लिए बढ़ाता है, यह दुख की बात है। Insurance penetration stays low. Large sections of society remain outside the safety net - informal workers, self-employed persons, rural households, migrant labourers, gig workers, women, and elderly dependents. यह अच्छा समय था कि सरकार उनकी कुछ सुनता, लेकिन सरकार ने उनकी नहीं सुनी। So, the most serious change in this Bill is 100 per cent FDI insurance. जब एफडीआई 74 पर्सेंट किया गया था, तो सदन को आश्वासित किया गया था कि इंडिया का कंट्रोल रहेगा। This was about capital, not privatisation. बीमा धारकों के इंटेरेस्ट प्रोटेक्ट किए जाएंगे, लेकिन यह नहीं हुआ। The Government has moved greatly to 100 per cent. I am concluding, I am not saying too much. My simple questions are क्या इंश्योरेंस ज्यादा किफायतमंद हुआ है? नहीं। Has rural and informal coverage increased? No. क्या कोई कंपोजिट लाइसेंस की बात की गयी है? नहीं।

So, the biggest failure of the insurance sector is the claim settlement. Does the Bill have any provisions to improve bill settlements?

सर, 'पीएम फसल बीमा' योजना के सेटलमेंट आने में 14-14 महीने लगते हैं। यह आईआईएम की एक स्टडी कहती है।

Sir, the Bill needs to change that somehow. There is so much to say, but I will pause here because I have very short time. Thank you.

(ends)

1922 बजे

श्री अब्दुल रशीद शेख (बारामूला) : माननीय सभापति, अगर बाहर की कंपनियां आएं, तो यह अच्छी बात है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा, लेकिन मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि आप एक तरफ वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं, तो क्या यह उस नीति के खिलाफ नहीं होगा?

माननीय सभापति, दूसरा, जो पैसा बाहर की कंपनियां लेंगी, यदि कल ये लोग पैसा लेकर भाग गए, तो आम आदमी का क्या होगा? अभी तो आप विजय माल्या, मेहुल चौकसी और नीरव मोदी को वापस नहीं ला पाए हैं।

मेरी आपसे एक गुजारिश है कि जो स्किल्ड लेबरर्स हैं। जैसे ड्राइवर्स हैं, मेशंस हैं, कारपेंटर्स हैं, कम से कम उनके इंश्योरेंस के लिए एक मैन्डेटरी बनाया जाए, चाहे वह किसी कंपनी में काम करें या प्राइवेट सेक्टर में काम करें, उनका इंश्योरेंस मैन्डेटरी होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बाढ़ इलाके में हमारे पोर्टर्स हैं, उनका हर हाल में इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर फौज ही बीमा कर दे, तो बेहतर होगा।

जहां तक मुझे पता है कि वर्ष 2019 तक मेरे जेल जाने से पहले उनका इंश्योरेंस नहीं हुआ करता था या जो हमारे पोनीज वहां पर हैं, तो उन पर भी तवज्जो दी जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अवेयरनेस की जरूरत है। आम आदमी को इस बात की जानकारी ही नहीं है कि जब उसे कुछ हो जाता है, तो क्लेम कैसे मिलती है? फिर लोग थक जाते हैं और घर में बैठते हैं, उन्हें कुछ मिलता नहीं है, तो उसके लिए हर चीज को टाइम बाउंड करने की जरूरत है। हम उम्मीदें रखेंगे कि टाइम बाउंड डिस्पोजल क्लेम्स का होगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है और लोगों में अवेयरनेस की जाएगी। अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि आपने जो कहा कि कांस्टीट्युएंसी में सब लोग अवेयरनेस करें। मैं कैसे करूं आप ही बताएं? मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है।

(इति)

1923 बजे

श्री राजकुमार रोत (बांसवाड़ा) : सभापति महोदय, आपने 'सबका बीमा, सबकी रक्षा' विधेयक, 2025 पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए धन्यवाद। सरकार 'सबका बीमा, सबकी रक्षा' कह रही है, लेकिन देश की सच्चाई यह है कि भारत की कुल बीमा ट्रांसफर फीस आज भी केवल 3.7 प्रतिशत है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह औसत 7 प्रतिशत है, यानी भारत दुनिया से आधा पीछे है। इससे भी गम्भीर बात यह है कि वर्ष 2022 में यह दर 4.2 प्रतिशत थी और वर्ष 2024 में यह दर और गिर चुकी है। यह नीति स्पष्ट बताती है कि कहीं न कहीं हमारी कमजोरी है। सरकार की बीमा नीति गरीब और कमजोर वर्ग तक पहुंच नहीं पाती है। गरीब और आदिवासी भारत बीमा स्वास्थ्य से बाहर हैं। शहरों में जहां 73 प्रतिशत लोगों के पास जीवन बीमा है, वहां ग्रामीण और आदिवासी इलाके में यह आंकड़ा मात्र 20 से 22 प्रतिशत रह गया है। जमीनी सच्चाई यह है कि केवल 10 प्रतिशत ग्रामीण गरीबों के पास जीवन बीमा है और आदिवासियों में यह और भी दयनीय स्थिति में है। आदिवासी क्षेत्रों में आय नियत नहीं होती है, बैंक और बीमा कार्यालय दूर होते हैं, एजेंट वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके लिए सरकार विशेष अभियान चलाए। स्वास्थ्य बीमा के मामले में गरीब और आदिवासी सबसे असुरक्षित हैं। आज भी देश में 40 करोड़ लोग ऐसे हैं, जिनके पास कोई भी स्वास्थ्य बीमा नहीं है और सरकार ने जो आयुष्मान योजना चलायी है। हमारा संसदीय क्षेत्र गुजरात के नजदीक है, तो राजस्थान का व्यक्ति जब गुजरात में जाता है, तो पिछले एक साल तक वहां इस कार्ड को एलाउ नहीं किया, लेकिन अब सरकार जगी और राजस्थान सरकार ने भी अब कुछ प्रावधान किए हैं और बजट दिया है, तो अब यह चालू हुआ है। मैं विशेषकर चाहूंगा कि राजस्थान का व्यक्ति जो गुजरात में जा रहा है, तो आयुष्मान कार्ड का उसको लाभ मिलना चाहिए। यह पिछले एक साल से नहीं मिल पाया था।

(1925/CP/SMN)

अभी सरकार जगी है और कुछ कर रही है। सरकारी बीमा योजनाएं गरीब को सुरक्षा नहीं पहुंचाती हैं। … (व्यवधान) सर, उदयपुर वालों को पता नहीं क्या है, जब कहो तब खड़े हो जाते हैं। थोड़ा ध्यान रखा जाए।… (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री दिलीप शइकीया) : आप बिल पर बोलिए।

श्री राजकुमार रोत (बांसवाड़ा) : सर, फसल बीमा योजना में लाखों दावे खारिज हो रहे हैं। हजारों करोड़ रुपये का भुगतान आज भी लम्बित है। प्रधान मंत्री जीवन बीमा योजना में हर साल लगभग 16 प्रतिशत पॉलिसीज़ लैप्स हो रही हैं, क्योंकि गरीब के खाते में 330 रुपये प्रीमियम नहीं रह पाता है, इसलिए वह लैप्स हो जाती है। … (व्यवधान)

(इति)

माननीय सभापति : श्री उमेश बाबूभाई पटेल, अब आप बोलना शुरू बोलिए।

… (व्यवधान)

1926 बजे

श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल (दमन और दीव) : महोदय, मैं सबसे पहले सबका बीमा, सबकी रक्षा (बीमा कानून संशोधन) विधेयक, 2025 पर सरकार की सराहना करता हूं। यह विधेयक बीमा क्षेत्र को आधुनिक और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में एक साहसिक कदम है। एफडीआई को सौ प्रतिशत तक बढ़ाना, विदेशी पुनर्बीमा कंपनियों के लिए पूंजी आवश्यकता कम करना, आईआरडीएआई को मजबूत अधिकार देना और एलआईसी को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करना जैसे प्रावधान सराहनीय हैं। इससे वर्ष 2047 तक सभी के लिए बीमा का लक्ष्य साकार होगा, नवाचार बढ़ेगा और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच सुनिश्चित होगी।

महोदय, इस विधेयक में कुछ कमियां हैं, जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता है। पहली कमी यह है कि इसमें कंपोजिट लाइसेंस का प्रावधान नहीं है, यानी कि एक ही कंपनी को जीवन और गैर-जीवन बीमा दोनों संचालित करने की अनुमति नहीं दी गई है। इससे घरेलू कंपनीज़ को विविधीकरण का अवसर नहीं मिलेगा और बाजार में नए प्रवेशकों की संख्या सीमित रहेगी।

दूसरा, नई बीमा कंपनियों के लिए पूँजी आवश्यकता को कम करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। जो छोटे, मध्यम उद्योगों और स्टॅार्टअप को इस क्षेत्र में प्रवेश करने से रोक सकता है, जिससे वित्तीय समावेश प्रभावित होगा।

तीसरा, यदि नियमन कमजोर रहा तो पूर्ण विदेशी नियंत्रण की अनुमति से संवेदनशील क्षेत्रों का मुनाफा विदेश भेजे जाने का खतरा है, जो राष्ट्रीय हितों को प्रभावित कर सकता है।

चौथा, विधेयक में उपभोक्ता संरक्षण और डेटा गोपनीयता जैसे मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है, जबकि डिजिटल बीमा के युग में यह महत्वपूर्ण है कि कंपनीज़ विधेयक को और अधिक समावेशी और संतुलित बना सकती हैं।

महोदय, मेरी सलाह है कि सरकार को इन कमियों को दूर करने के लिए संशोधन पर विचार करे। सबसे पहले कंपोजिट लाइसेंस को शामिल किया जाए, ताकि कंपनीज़ अधिक कुशलता से काम कर सकें और लागत कम हों। नए प्रवेशों के लिए पूँजी आवश्यकता को कम किया जाए, खासकर उन कमियों के लिए जो ग्रामीण और विशेष जोखिम वाले क्षेत्रों पर फोकस करें। विदेशी निवेश पर सख्त शर्तें लगाई जाएं, जैसे कि न्यूनतम निवेश अवधि, स्थानीय रोजगार सृजन की बाध्यता। … (व्यवधान)

(इति)

1928 बजे

श्री राजेश रंजन (पूर्णिया) : सर, एलआईसी पूरी तरह से दिवालिया हो गई है। स्थिति यह है कि एलआईसी के पास अपना कोई धन नहीं बचा है। वह सीधा का सीधा ट्रांसफर किसी बड़े उद्योगपति और पूँजीपतियों के बीच हो गया है। एलआईसी जो आम आदमी के लिए थी, जो आम आदमी, मिडिल क्लास के लोगों के जीवन से जुड़ी हुई थी। इसमें हाई कोर्ट का आदेश है।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया, आप बैठ जाइए।

श्री राजेश रंजन (पूर्णिया) : सर, गुजरात हाई कोर्ट का आदेश है कि एलआईसी पॉलिसी लगभग 83 अरब 64 हजार में, 31,217 प्री-पेड, 7 करोड़ 42 लाख, इस तरह के आदेश हैं कि किस तरीके से आम आदमी के जीवन पर इसका असर पड़ेगा। स्पष्ट लिखा गया है कि बीमा नियामक, आईआरडीएआई, भारतीय जीवन बीमा, एलआईसी, 19 बीमा कंपनियों पर जनहित याचिका दायर की गई और उस पर स्पष्टीकरण माँगा गया। आप नई बीमा योजना लाए हैं। आप एक तरफ कहते हैं कि 'सबका बीमा' नाम के बावजूद बिल कंपोजिट लाइसेंस जैसे सुधार इसमें शामिल नहीं हैं, जिनसे एक कंपनी एक ही पहचान से लाइफ, हेल्थ और सामान बीमा सभी का लाभ दे सके। इसका मतलब है कि इस बिल का नाम तो बड़ा रखा है, सबका बीमा, लेकिन सरल, सस्ते और सर्वसमावेशी उत्पादन के लिए आवश्यक ढांचा नहीं दे रहा है। यह बिल्कुल विरोधी तर्क और वास्तविक उत्पाद विविधता से बहुत केंद्रित होगा। बीमा कंपनी जब विदेशी पूंजी के अधीन होगी, तो वह अपने निवेश को अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों से जोड़ देगी।

(1930/SK/RP)

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव का सीधा असर भारतीय बीमा फंड और ग्राहकों की पॉलिसी की वैल्यू पर पड़ेगा। अनिश्चित वित्तीय ... (व्यवधान) अमेरिका जो यहां के बारे में कह रहा है, ... (व्यवधान)

(इति)

माननीय सभापति (श्री दिलीप शइकीया): श्री चन्द्रशेखर जी।

1931 बजे

एडवोकेट चन्द्र शेखर (नगीना) : माननीय सभापति जी, पहले विपक्ष बोलता था, सरकार सुनती थी, अब सरकार बोलती है, माननीय मंत्री जी बोलते हैं और विपक्ष बैठकर सुनता है, अब हाउस में माहौल बदल गया है।… (व्यवधान)

सभापति जी, माननीय मंत्री जी यहां बैठी हैं, उनका दिल बहुत बड़ा है, वह दस मिनट और देर से बोल लेंगी। आप हाउस चला सकते हैं। आपके पास पावर है, आप थोड़ी देर तक हाउस चला लें।… (व्यवधान)

महोदय, मैं सवाल नहीं करूंगा, सुझाव दूंगा क्योंकि सवाल तो विपक्ष में सबने पूछे हैं। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपके पास दो मिनट का समय है, आप इसी समय में अपना विषय रखें।

… (व्यवधान)

एडवोकेट चन्द्र शेखर (नगीना) : महोदय, हालांकि नाम बदलने से हालात नहीं बदलते हैं। अगर नाम ही बदलना है तो सतगुरु रविदास जी के नाम पर रख दो, संत कबीर जी के नाम पर रख दो, अखंड ज्योति समनदास जी के नाम पर रख दो, मान्यवर कांशी राम जी के नाम पर रख दो। यहां माननीय मंत्री जी बैठी हैं। चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर रख दो। … (व्यवधान) कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी के नाम पर रख दो, महर्षि वाल्मिकी जी के नाम पर रख दो। … (व्यवधान) रोजगार गारंटी बिना मौसमी शर्तों के लागू होनी चाहिए। केंद्र रोजगार दिनों की सीमा राज्यों को बढ़ाने का अधिकार न्यूनतम 300 दिन तय करे लेकिन राज्य चाहे तो इसे 365 दिन बढ़ा सकते हैं। … (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप बिल के विषय पर आइए।

… (व्यवधान)

एडवोकेट चन्द्र शेखर (नगीना) : आपने हालात ऐसे बना दिए हैं। क्या कर सकते हैं? … (व्यवधान)

(इति)

माननीय सभापति: श्री सुदामा प्रसाद जी।

1932 बजे

श्री सुदामा प्रसाद (आरा) : महोदय, सबका बीमा सबकी सुरक्षा (बीमा विधि संशोधन) विधेयक, 2025 की धारा 3एए में सौ प्रतिशत तक विदेशी निवेश की अनुमति देता है लेकिन इससे कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। विदेशी कंपनियां खूब लाभ कमाती हैं जबकि मुफ्त या रियायती बीमा के लिए आमतौर पर मजबूत सार्वजनिक नियंत्रण की जरूरत होती है और इससे यह विधेयक विफल होता है। सामाजिक सुरक्षा राज्य का संवैधानिक दायित्व है लेकिन विधेयक में इस बात के लिए कोई प्रावधान नहीं है कि सरकार मुफ्त बीमा को वित्त पोषित या सुरक्षा प्रदान करेगी।

महोदय, यह विधेयक एलआईसी अधिनियम, 1956 में किए गए संशोधन एलआईसी की उस अद्धितीय वैधानिक स्थिति को कमजोर करता है जो इसे सामाजिक और ग्रामीण बीमा को क्रॉस सब्सिडी देने की अनुमति देता है। इससे निजी खिलाड़ियों को अनुमति देने से सामूहिक मुफ्त या कम लागत वाले बीमा देने में एकमात्र सक्षम संस्था कमजोर होती है। विधेयक व्यापक निवेश की अनुमति देता है। विधेयक का शीर्षक 'सबका बीमा, सबकी सुरक्षा' का उल्लेख करता है लेकिन यह मुफ्त कवरेज और सार्वभौमिक योजनाओं की रक्षा करने में विफल है और यह केवल निजी पूंजीवादी लाभ कमाने वाली कंपनी बनकर रह जाता है।

विधेयक में कहा गया है कि पंजीकरण के लिए आवश्यक है कि आम जनता की सेवा की जाए लेकिन इसमें गरीबों के लिए प्रीमियम बैंचमार्क, समाज के वंचित वर्गों और तबकों के लिए मुफ्त कवरेज, दायित्व और कंपनियों के लिए न्यूनतम सामाजिक बीमा लक्ष्यों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। मैं इसलिए इस विधेयक का विरोध करता हूं।

धन्यवाद।

(इति)

1933 hours

SHRI RAJMOHAN UNNITHAN (KASARAGOD): Thank you very much, Chairman, Sir.

The name of this Bill promises protection for all but in reality it is a blueprint for surrendering India's insurance sector to foreign corporate interests. The Bill exposes the deep hypocrisy of the Government's Aatmanirbhar Bharat slogan. On the one hand the Government lectures the nation on self-reliance, and on the other hand it allows 100 per cent foreign ownership in a sector that safeguards the life savings of crores of Indians.

If this is Aatmanirbhar Bharat, why does the Government believe that foreign capital must fully own and control the Indian insurance companies? Why is Indian capital suddenly inadequate? Why is Indian management not trusted to protect Indian policyholders?

(1935/VPN/VVK)

Insurance is not a mobile phone or a luxury product. It is a pillar of economic sovereignty. Yet, this Government is saying: "Take 100 per cent of Indian savings abroad. We have no objection". This is not self-reliance. This is self-surrender.

Let us consider LIC's unmatched contribution. For 68 years, LIC's tied agency model has demonstrated unparalleled effectiveness and reliability, helping LIC maintain its position as the market leader. Even before liberalisation in 2000, LIC agents worked tirelessly to deliver exceptional results, contributing to India's financial growth and infrastructural development. LIC's philosophy "people's money for people's welfare" has earned it the reputation as the pride of India. Any amendments that compromise this legacy must be reconsidered with utmost caution.

Sir, mis-selling through banks is a serious concern. When borrowers are coerced to buy insurance to obtain loans, it raises costs, affects vulnerable individuals, leads to policy lapses, and results in loan defaults worsening NPAS. Even the hon. Finance Minister and IRDAI Chairman have raised concerns about this unethical practice. LIC, in contrast, relies solely on trained agents who ensure transparency, fairness and ethical sales.

The proposed amendment to Section 42(2), allowing agents to work for multiple insurers, poses a grave threat. LIC recruits nearly 50 per cent of all insurance agents. Opening agents to multiple insurers will discourage companies from investing in recruitment and training, reducing employment opportunities and risking de-growth in the agent workforce. Companies may compete by offering higher incentives, eroding agent loyalty, and shifting focus from policyholder welfare to self-interest. LIC agents currently manage more than 25 products. Open architecture will require knowledge of hundreds of products, resulting in superficial advice and suboptimal customer service. Exclusivity fosters healthy competition. Allowing agents to move freely across companies will dilute innovation and lead to stagnation in the sector. There will be compromise in post-sales service. Insurance is not just selling policies, it is about continuous support. Agents shifting between companies cannot provide consistent after-sales services, harming policyholders.

Development Officers are the backbone of LIC. They recruit, train and mentor agents. Their performance is tied to the business generated by their agents, with accountability including possible termination in case of significant decline in business. Allowing agents to work for competing insurers will jeopardize their livelihoods.

Hon. Members, the Bill threatens the livelihood of agents and Development Officers, LIC's legacy and operational model, ethical standards in insurance, financial stability, and inclusion of millions of policyholders. Insurance should protect citizens and strengthen national resilience. This Bill does the opposite. Therefore, I categorically reject the Bill and demand that it be withdrawn or referred to a Standing Committee for thorough scrutiny. For these reasons, I strongly and unequivocally oppose the Sabka Bima Sabki Raksha (Amendment of Insurance Laws) Bill, 2025.

(ends)

(1940/VB/UB)

1940 बजे

श्रीमती मंजू शर्मा (जयपुर) :माननीय सभापति जी, 'सबका बीमा, सबकी रक्षा : सस्ती पॉलिसी, ज्यादा कवरेज' नाम से विदित होता है कि किस भावना से इस विधेयक का नाम रखा गया है और देश के हर वासी की रक्षा के लिए यह विधेयक लाया गया है। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने भारत के हरेक व्यक्तियों, गरीबों और महिलाओं, सबके बारे में सोचा और इस बीमा विधेयक को लाया। जैसा कि इसके नाम से विदित है कि यह विधेयक बीमा क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए लाया गया है। वर्तमान में, अधिक पूंजी की आवश्यकता, विदेशी निवेश की जटिल नियमों के कारण इस क्षेत्र का विकास बाधित हो रहा था। यह बिल इन चुनौतियों को दूर करके निवेश को बढ़ाएगा।

इस विधेयक के माध्यम से, हर नागरिक तक बीमा सुरक्षा पहुंचाना, एक सौ प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति, समग्र लाइसेंस की व्यवस्था लागू करना और स्वास्थ्य बीमा का एक अलग वर्ग बनाना, बीमा एजेंटो का दायरा बढ़ाना, उपभोक्ताओं का डिजिटलीकरण करके डेटा गोपनीयता को मजबूत करना, बीमाकर्ताओं को जीवन और साधारण बीमा दोनों के लिए समग्र लाइसेंस की अनुमति देना, नयी कम्पनियों को न्यूनतम पूंजी घटाकर उनके निवेश की बात करना और अगर कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं, तो उसके लिए इसमें कठोर सज़ा का भी प्रावधान है।

इस क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने और कोविड जैसी महामारी और संकट के समय में देश की रक्षा क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा। 'सबका बीमा, सबकी रक्षा (बीमा विधि संशोधन) विधेयक, 2025' केवल संशोधन विधेयक ही नहीं, बल्कि बीमा क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन का प्रयास है। यह विधेयक केवल एक आर्थिक सुधार ही नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक दूरदर्शी पहल है।

बीमा किसी भी अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तम्भ है। परन्तु, दुर्भाग्यवश भारत में आज भी बीमा कवरेज वैश्विक औसत की तुलना में कम है। ऐसे में यह विधेयक 'सबका बीमा, सबकी रक्षा' के लक्ष्य को साकार करने का एक सशक्त माध्यम है। भारत की बड़ी आबादी असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है, जहाँ न ही स्थायी आय है और न ही सामाजिक सुरक्षा।

यह विधेयक किसानों, श्रमिकों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, निम्न आय वर्ग तक बीमा की पहुंच बढ़ाकर, वित्तीय समावेशन को वास्तविक अर्थ देता है। जब हर नागरिक बीमित होगा, तभी आर्थिक विकास समावेशी एवं टिकाऊ होगा।

भारत प्राकृतिक आपदा, स्वास्थ्य संकट और आर्थिक झटकों के प्रति एक संवेदनशील देश है। बीमा व्यवस्था न केवल क्षतिपूर्ति का साधन है, बल्कि आर्थिक लचीलापन प्रदान करती, इस विधेयक के माध्यम से सरकार पर आपदा में वित्तीय बोझ कम होगा और परिवारों की बचत सुरक्षित रहेगी। गरीबी के दुष्चक्र को इस तरह से रोका जा सकेगा। इसलिए यह विधेयक कल्याण से जोखिम-साझेदारी की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है।

बीमा क्षेत्र पूंजी प्रधान होता है। यह विधेयक निवेश को प्रोत्साहित करता है। यह बीमा कम्पनियों की वित्तीय मजबूती को बढ़ाएगा। आधुनिक तकनीकी और वैश्विक-संबद्ध प्रथाओं को अपनाने में मदद करेगा। यह दावा-निपटान को तेज व पारदर्शी बनाएगा। इससे बीमाधारकों का विश्वास सुदृढ़ होगा। बीमा क्षेत्र के विस्तार से रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

मैं कहना चाहूंगी कि जो लोग कब्र खोदने की सोच रखते हैं, वे रक्षा की बात नहीं कर सकते। इसलिए मेरा आप सब से निवेदन है कि इस विधेयक को पूर्ण समर्थन के साथ पारित करें।

धन्यवाद।

(इति)

1943 hours

THE MINISTER OF FINANCE; AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, the Government is introducing Sabka Bima Sabki Raksha (Amendment of Insurance Laws) Bill, 2025, for amending three Acts related to the insurance sector, namely the Insurance Act, 1938; the Life Insurance Corporation Act, 1956; and the Insurance Regulation and Development Authority Act, 1999. About 34 hon. Members have spoken on this Bill. I thank each one of them. Many of them have gone into details of the Bill and spoken about what this Bill means to them. I will address their concerns.

(1945/NKL/SJN)

Sir, what I would start off with is this. The Insurance Act in this country, since it was introduced in 1938, has seen the amendments 12 times. From 1939, the year after it was introduced, we have seen the amendments twelve times. I mentioned about 2015 but there was no amendment even in 2014. So, the amendments have had various characters and are very reflective of the progress that the country is making. To reflect the insurance requirements, the Act has since been amended. What I would like to highlight from among those various amendments is this. एजेन्ट्स के बारे में हमारे कई माननीय सदस्यगण ने बात कही है।

1946 hours (Hon. Speaker *in the Chair*)

The first-ever change in agent commissions was made in 1950. I am just trying to say that according to the requirement of the society, important Acts such as the Insurance Act get amended and reflect the amendment of the period. I am purposely highlighting what the 1950 amendment was. One may ask, so what if it happened in 1950? So many years have passed now. But I am saying this. Every Government has to respond. In 1950, it is surprising for us to know, that agent commissions were reduced. आपको लगता है कि हर बार मोदी जी की सरकार सत्ता में आ जाती है। आप जैसे बहुत सारे लोग बिना जानकारी के बड़े कॉर्पोरेशन्स के लिए बोल देते हैं। सन् 1950 में एजेन्ट्स के लिए कमीशन का प्रावधान करते वक्त मोदी जी की सरकार सत्ता में नहीं थी। समय के अनुसार कुछ संशोधन करने पड़ते हैं।

Then, in 1999, allowing the entry of private players in the insurance sector and setting the FDI limit at 26 per cent occurred. So, actual progress in every such Act, which has a bearing on our citizens and their lives, do get

amended. If this is the Insurance Act, the LIC Act has had eight amendments since 1956, and there were very many important features which were brought into it. One particular thing I would like to highlight is that in 1981, explicit power was given to the Central Government to make rules regarding the service conditions of all classes of LIC employees and agents. The power was given to the Central Government. I am sure there were some Members – I would not like to go into the records of the House to speak – who asked as to how the Central Government could take away all the powers. That happened under the LIC Act.

Sir, I just want to highlight that amendments do happen, and they happen with the larger interests in our mind. But what has happened since 2014? I briefly mentioned this in the morning. The Insurance Ombudsman Rules were framed in 2017 because the Government strongly felt that a robust grievance redressal mechanism should be in place for the insurance sector so that the people who take policies will have a place to go and complain. The IRDAI was also established as a regulator earlier, and an extensive framework for the protection of policyholders was also made. That mandated insurers to provide crucial information to policyholders at the time of policy issuance and set stricter timelines for claim settlements. This also happened after 2014, after Prime Minister Modi's coming to Delhi. Several flagship insurance schemes have also been launched since 2014. I appreciate the genuine concern expressed by many hon. Members that the common people should have insurance coverage. Will these companies, which come, bring that kind of a facility?

(1950/VR/DPK)

So, the more the competition, the better the rates.

In anticipation of covering and bringing all Indian citizens into insurance coverage, the Government has introduced PM Jeevan Jyoti Bima Yojana, PM Suraksha Bima Yojana, PM Jan Aarogya Yojana and Fasal Bima Yojana. This is done for the purpose of bringing everybody into the insurance coverage world. Schemes have been launched to a large extent backed by the Government's funding, and also making sure that the larger the insurance pool, the lesser will be the premium. That has been the guiding principle.

Together, these schemes have provided the safety net to protect common citizens and farmers from any risk to their lives, health or livelihood.

Another priority which our Government has given is to strengthen the public sector insurance companies. Again, this is a point on which several hon. Members spoke, "What will happen to our public sector insurance companies?" I would like to say that today's listing of LIC, GIC Reinsurance and New India Assurance has actually stepped in the right direction.

I heard, hon. Member, Shri N. K. Premachandran, talking with great concern about what will happen to public sector companies. Here is the fact behind it. Since 2014, we have been doing a lot of things to improve the ecosystem for insurance. One very important point is capital infusion. So, a capital to the tune of Rs.17,450 crore has been infused into three public sector general insurance companies to strengthen their capital base. That was done by our Government. As a result of this and other such measures, LIC, GIC Reinsurance and Agricultural Insurance Company of India Limited, which is AICIL, reported their highest ever profits last year. That is the kind of focused attention we are giving and infusing capital where they need it so that they can compete better in the market. They as well as other related companies have also started turning profitable.

However, to attract global capital and technical know-how, the FDI limit had to be changed. FDI limit for insurance companies was increased from 26 per cent, which I told you earlier was brought in 1999 itself, to 49 per cent in 2015. Then, from 49 per cent it increased to 74 per cent in 2021. So, foreign reinsurers were permitted to set up branches in India, thereby increasing the local reinsurance capacity while retaining the reinsurance premiums within the country.

Repeatedly, I have heard several Members saying, "What will happen to the premiums paid by Indian citizens? Will that be taken away by the foreign companies?" No. Even earlier, when foreign reinsurers were permitted to set up branches in this country, the money which was collected as reinsurance premiums in this country is retained in this country. They are not allowed to take it out. Similarly, the FDI limit for insurance intermediaries was raised to 100 per cent in 2019 to enable them to provide better advisory services to our citizens.

So, the presence and the kind of robust insurance sector environment that we have built up have resulted in positive outcomes. That is why even at the time of introduction, I did say this. Several hon. Members asked me questions about what the number was, and I said it. I will repeat it for everybody's benefit. The number of insurers in 2014-15 was 53, but in 2024-25, we have 74 insurers.

Insurance penetration has increased close to 3.8 per cent, whereas it was only 3.3 per cent. Insurance density, that is, the average insurance premium paid per person in a year, was 55 US Dollars in 2014-15.

(1955/PC/PBT)

In 2024-25, after ten full years, it is $97. So, total insurance premium in lakh crores was Rs.4.15 lakh crore in 2014-15; whereas in 2024-25, it has gone up to 11.93 lakh crores. It is showing improvement, and therefore the reflective policy making. Assets under management, again in lakhs of crores, is Rs.24.20 lakh crore in 2014-15; whereas in 2024-25, asset under management has gone up to Rs.74.43 lakh crore. The FDI limits for insurance companies, now in 2024-25, before this Bill, is at 74 per cent. For insurance intermediaries, it is already at 100 per cent.

Sir, you may recall and, through you, I would like to tell the Members in the House that the 56th GST Council meeting, which was held in September this year, unanimously agreed to remove GST on individual life and health insurance premium. There is now a zero per cent GST rate, which was earlier 18 per cent. In this very House, at least a year ago, you may recall, hon. Speaker, there was so much of a debate saying, what is the GST Council doing, why can you not bring it down? I am grateful to the GST Council.

माननीय अध्यक्ष : यह सदन की मांग थी और आपने इस मांग को माना। यह माननीय सदस्यों की डिमांड थी।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपने सदन की भावनाओं का आदर किया।

… (व्यवधान)

श्रीमती निर्मला सीतारमण : सर, धन्यवाद। … (व्यवधान)

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम) : सर, मैंने उस दिन वह अमेंडमेंट मूव किया था। … (व्यवधान) उसके साथ हाउस में बिग-डिबेट भी थी। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको भी धन्यवाद।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने पूरे सदन को धन्यवाद दिया है। मैंने वित्त मंत्री जी को ही अकेले धन्यवाद नहीं दिया है, बल्कि पूरे सदन को धन्यवाद दिया है।

… (व्यवधान)

श्रीमती निर्मला सीतारमण : जी, हां, सर। … (व्यवधान) So, this nil GST on individual health and life insurance is a significant tax relief that directly reduces the cost of premiums of policyholders. The GST Council, through its instruments, are watching how it is playing out. There are, of course, comments from some people through the social media, saying maybe the companies are increasing the premium, not giving the benefit, but even that is closely monitored by the GST Council and its Secretariat.

With the guidance of hon. Prime Minister, Sir, we have launched a nationwide campaign. This is an important fact that I would like to inform the Members about *'Aapki Punji, Aapka Adhikar'*, which is 'Your Money, Your Right', to facilitate the settlement of unclaimed financial assets, including insurance claims, bank deposits, dividends, shares, mutual funds, and pension, to the legitimate claimants. This drive was launched from 5^{th} October. Almost 500 districts have had this camp. This camp had had participation of public representatives, district administrations, and also officials from the financial institutions.

माननीय अध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्री जी, आपने 'अपनी पूंजी, अपना अधिकार' जो अभियान चलाया था, उसमें कंपनियों द्वारा बीमा भी था और पुराना जमा पैसा भी था। उसके बारे में भी आप थोड़ा मेंशन कर दीजिएगा, ताकि माननीय संसद सदस्य अपने-अपने इलाकों में उस कार्यक्रम को करे सकें।

… (व्यवधान)

श्रीमती निर्मला सीतारमण : सर, यह कैम्पेन 5 अक्टूबर से चालू हुआ था। 500 डिस्ट्रिक्ट्स को हमने कवर कर दिया है। In that, as I said, public representatives, district administrations, and officials from the banking institutions have all participated. Under the insurance regulator, *Ek Bima Bharosa* for unclaimed insurance proceeds is also happening simultaneously. Unclaimed insurance policies have been given to their legitimate claimants, whoever is the inheritor. In the first two months only, during this campaign, we were able to give unclaimed financial assets, not just insurance, shares, mutual fund, insurance, and deposits, and so on, amounting to 2,000 crores to our common citizens.

(2000/RHL/SNT)

It went to the rightful owners, and this campaign continues. We will be doing again one more round after completing one round in all the districts, so that more and more people who remain without information – whether they have something to claim, or they have something to claim but do not know how to go about it – are reached. This campaign has actually brought people together to claim their legitimate money. जैसा आपने बताया, मैं आपके द्वारा सभी माननीय सदस्यों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि अपने-अपने लोक सभा क्षेत्र में इस विषय को प्रचलित करें और जिसके द्वारा unclaimed deposits or shares or whatever is lying, should be claimed by the rightful owners. I appeal to all Members of Parliament to spread this message in their regions and in their States. We want to give the money back to the rightful owners.

I will now highlight the key features of this Bill on which the discussion has taken place. When I highlight these points, many of the questions raised by Members will be answered. I will just flag them and explain their intent. First of all, we need to spread insurance awareness among people so that they not only avail themselves of insurance to cover their risks, but also receive their legitimate dues, as I mentioned what is happening in the campaign. The Policyholders' Education and Protection Fund, which is being created out of the penalties levied by IRDAI, will be used for this purpose. It will be definitely used for building awareness.

Secondly, better regulatory oversight of the affairs of insurance companies will help ensure the orderly conduct of insurance business. This Bill aims to bring in that transparency. I will give one or two examples to show what prevails now is not as transparent as we would like it to be, whereas what this Bill proposes is to bring in greater transparency.

Thirdly, we are introducing a one-time registration for insurance intermediaries, which will ensure uninterrupted service to our citizens, promote ease of doing business for service providers, reduce regulatory delays, and also lessen the administrative compliance burden for intermediaries.

Fourthly, our country needs further capital infusion into the insurance sector. This will ensure that we benefit from better technology, world-class risk assessment models, and the best insurance products available anywhere in the world. The proposed removal of the upper cap on FDI in the insurance

sector is a significant enabler in this process despite many questions that were raised. The more opening up happens, the more it brings in better technology and better insurance products, which we may not even be able to conceive of today. Thereby, we create a conducive business environment.

Another point addresses the concern raised by the hon. Member, Shri N. K. Premachandran. We are standardising the regulation-making process by introducing standard operating procedure for regulation-making and mandatory public consultation on all regulations by the Insurance Regulatory Authority of India, to ensure that the process is consultative and transparent. The issue that the fast-track route, or the power for urgent or risk-mitigating regulation, is being handed over entirely to IRDAI is not well-founded at all. We are standardising the process. Regulation-making with mandatory public consultations will bring in the necessary transparency. It is not about emboldening or giving more powers to the regulator.

Under the current provisions – and this is the point I wish to highlight how we are better off under the proposed Bill – intermediary licences are directly cancelled when found violative of law. We are introducing the provision for suspension of an intermediary's licence instead of direct cancellation. This will provide time for compliance and allow the intermediary an opportunity to strategize, streamline operations, and bring in greater transparency during the period of suspension. This gives them time to correct themselves, so that citizens can be better served.

(2005/RTU/KN)

That is what is being brought in now. The provision for merger of a non-insurance company with an insurance company would promote a simplified corporate structure. We have had quite a lot of instances where the holding companies are doing a similar thing, the subsidiary is doing a similar thing and they are not able to give better synergy. So, this provision would bring to greater synthesis between the parent and the holding company, and their subsidiary and both doing similar comparable assignments. Even earlier, one of the points I wanted to say but now I will say it. The legal requirement to seek prior approval of the regulator for transfer of share capital has been raised from one per cent to five per cent. What does this aim at? It aims to reduce compliance burden for insurers and for regulators thereby promoting ease of

doing business. Even earlier, for one per cent share transfer, they had to rush to the regulator. Now, it will be only when it is five per cent and therefore, the ease of doing business comes in.

Sir, reducing net owned fund requirement for foreign reinsurance branches from Rs. 5,000 crore to Rs. 1,000 crore would invite more reinsurers to come into this country for creating greater risk management and risk capacities that they would have and would create a level playing field for the foreign reinsurance companies in domestic tariff area as opposed to that which prevails in the foreign IFSC because we want Indian citizens to get the same benefits as much as those who operate in the IFSC would be getting. Sir, the Central Government may, by notification, apply with modifications or exempt the insurance intermediaries operating in any Special Economic Zone inclusive of IFSCA from the provisions of the Insurance Act. This exemption will be offered only in certain conditions and this will only be aimed at getting more investments but that is only after the applications are scrutinised and you know the objective is kept in tact.

We are providing further autonomy to LIC. This is one of the important things which many of the hon. Members were talking about but this point will address it. LIC will have greater autonomy. We are providing autonomy to LIC to open zonal offices and aligning compliance for its foreign offices with the laws and regulations which prevail in the respective jurisdictions. Now, even if they want to open one zonal office in an area where business is thriving, they will have to come to the Government and seek the permission. The files move up and down and then the permission is given and then they go open, by which time months pass. Whereas if it is given to their own Board, decision can be a lot more professionalised. That is one of the things which we are doing by the Amendment. We are bringing this for the LIC Act.

We are also empowering the regulator. This is very important because many hon. Members thought we are empowering the regulator. It is so empowered, it is empowered for a very good thing, that is disgorging wrongful gains. When most of the time wrongful gains happen and somebody has gained it, you do not have the statutory power to disgorge that and give it to whoever have been made to suffer. Now, this will give that power to the regulator to disgorge wrongful gains from insurers and from intermediaries. So,

when insurance companies have made wrongful profit, that will be disgorged by the regulator. This is one of the very insurance policyholder friendly steps.

Sir, we are also proposing to rationalise penalties to be imposed by the regulator. The maximum limit of penalty on insurers for default in complying with or acting in contravention of the Insurance Act or the IRDAI Act has been proposed to be increased from Rs. 1 crore to Rs. 10 crore.

(2010/AK/ANK)

Now, insurance intermediaries have also been included under this provision. This would act as a deterrent, and encourage legal and regulatory compliance. Earlier, the fine of Rs. 1 crore, which we are now proposing to increase to Rs. 10 crore, was only applicable to the insurance companies and not for the intermediaries. Now, we are bringing both on board and both will be at Rs. 10 crore penalty so that there will be some deterrent from compliance oversights, as a result of which many of the insurance policyholders suffer.

All these are the main features of this Act, and the last of the main feature is that an entity, for instance, engaged in the business of insurance will have to categorically use the name ‘assurance or insurance company’ in their names. You cannot operate any more by not having the word 'insurance' or 'assurance' in your name. So, it will directly relate to the common people saying, "Oh, this is a recognised insurance company". Without mentioning the word 'insurance', a lot of questions are raised as to, "Are they genuinely in the business of insurance? Who are they? Are they doing it? and so on".

Similarly, an insurance intermediary will have to necessarily indicate the nature of its business and service to identify itself with the kind of services that it extends. So, we hope that this will avoid mis-selling of policies and wrong sale with features which are not aligned with what is proposed. So, with these proposed changes, the insurance law will ensure accessibility and affordability of insurance to our citizens, meeting with the goal and objective of ‘Insurance for All’.

But, besides this, there are one or two points which I will explain to the hon. Members who have raised these questions. Sir, should I name the Members who are not here, who raised the issues, or just say the points because it will benefit everybody else? … (*Interruptions*)

Sir, the Government, as I said, has taken a lot of steps.

माननीय अध्यक्ष : सबका एक साथ मिलकर जनरल विषय बोल दीजिए। यदि आप एक-एक सदस्य का नाम लेने लग जाएंगे, तो हर मंत्री को फिर एक-एक सदस्य का नाम लेकर ही जवाब देना पड़ेगा। इस सिस्टम तो खत्म कर दीजिए, अन्यथा यदि आप किसी सदस्य का जवाब नहीं देना चाहें, तो फिर क्या करेंगे? फिर मैं कहूंगा कि इसका भी जवाब दीजिए। इसलिए आप जनरल विषय बोल दीजिए।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Okay, Sir. So, I will explain how the Government has taken a lot of steps towards giving general coverage for the common people.

मैं उसमें एक विषय जरूर कहना चाह रही हूं। On affordable insurance schemes like the Jeevan Jyoti Suraksha Bima Yojana, we have seen 81 crore enrolments and we have settled the claims to the beneficiaries to the tune of Rs. 23,440 crore. So, those schemes which are aimed at the common poor citizens of India, are getting them their money back when unfortunate incidents happen and the policy has to be invoked.

Ayushman Bharat Jan Arogya Yojana has benefited 12 crore families. This scheme provides free medical care of up to Rs. 5 lakh per family per year to the poor and underprivileged. So, 12 crore families were benefitted. Further, this scheme has also been opened for senior citizens, and accordingly, more than 80 lakh senior citizens have been enrolled under the scheme and Rs. 56,401 crore has been settled to the beneficiaries under this senior citizens' scheme. So, money has gone into the hands of people with whom they lived, meaning the senior citizens have lived. … (*Interruptions*)

Sir, just to give a matter-of-fact data, currently, there are 74 insurance companies in the country, and out of these, 40 companies have FDI. I will give the numbers because hon. Member, Shri Lavu Srikrishna Devarayalu had asked me about the number of companies.

(2015/SRG/RAJ)

I just want to highlight the fact about percentage of FDI and the number of insurance companies. As I said, a total of 74 insurance companies are there. In 10 of them, less than 26 per cent FDI is there. In 23 of them, between 26 per cent and 49 per cent FDI is there. In three of them, 49 per cent to 74 per cent FDI is there. There are four of them which have FDI at 74 per cent. So, I want to highlight this fact. This is another point which hon. Member Premachandran spoke and a few others have also spoken about. So, if there is

a need for growing protection through insurance in this country, we need to have insurance more accessible. Enhancing FDI limit through Section 3 AA of the Bill to 100 per cent will enable global insurance to inject substantial capital directly, without waiting for domestic partner to invest capital in parallel. It is because we have heard a lot of these FDI people who want to come into this country searching for a joint venture partner. It is a mammoth effort. Now, by doing this, we are able to bring them to the country directly, and of course, all the Indian laws which are passed by this Parliament for LIC or insurance will apply to them. They are not coming to be without any regulation on them.

There was this question, "why are we rushing this Bill?" This has been in discussion for quite some time. This Bill, of course, was put up to the Members through the portal even on the 14th. We are discussing the provisions of the Bill extensively now for almost four hours.

On the transparency point, I just want to highlight this. All life and health insurance companies are required to calculate and publish their claims settlement ratios annually. It is a compulsion on them. This data is also collated and published by the insurance regulator in its Annual Report. So, there is no way that the details will remain secretive. It is for us to use and look at their websites. Every quarter they keep updating it, particularly health and life insurance.

Sir, I had given the data of different Bima Yojana. But there was a particular question: Does it cover the people of Uttar Pradesh? I want to answer to a Member who was here. Jeevan Jyoti Bima Yojana with a life insurance premium of Rs. 436 annually has 3.21 crore enrolments only in Uttar Pradesh.

Similarly, Suraksha Bima Yojana, which is an accident insurance at Rs. 20 per annum premium has 8.19 crore enrolments only in Uttar Pradesh. Ayushman Bharat Health Insurance which has Rs. 5 lakh health insurance has 7.43 crore beneficiaries and 67 lakh plus claims have already been settled only in Uttar Pradesh. उधर 7.43 करोड़ बेनिफिशरीज आयुष्मान भारत में हैं। In Uttar Pradesh, 15 lakh plus farmers are covered under Fasal Bima Yojana. … (*Interruptions*) … (व्यवधान) यूपी के अध्यक्ष हैं, so he can take it further. … (*Interruptions*) … मैं डाटा दे रही हूं।

(2020/SM/NK)

Sir, quite a few questions have been raised about the Fasal Bima Yojanaa that it is not effective. I just want to place the two options that are available for the sake of clarity. One is the traditional Fasal Bima Yojana, where the insurance company bears the full claim and also retains the entire premium. That is one option.

The second option is what is called the Cup and Cap Model. There are two variants under this model – 80 to 110 or 60 to 130. Under these, the liability of the insurance company is capped at a fixed percentage, either 110 per cent or 130 per cent. If the claims go beyond this limit, the State Government has to bear the additional liability. Conversely, if the claims fall well below a certain percentage – 80 per cent or 60 per cent – the difference between this threshold and the actual claim ratio has to be borne and returned by the insurance companies. The States can make a choice at the time of floating the tenders. They can decide whether they want to be in one model or the other.

We have Hon. Supriya Sule ji, who normally comes with quite a lot of details when she asks a question. Maharashtra and Uttar Pradesh both operate the Fasal Bima Yojana on the 80 to 110 Cup and Cap Model. So, in that case, it will be for the insurance companies to bear the difference.

The concern regarding data protection is a very legitimate concern. Some Members did raise it. I just want to state that this Bill mandates the regulator or its authorised agencies to collect the KYC data of the policyholders. The collection of this data will be in full compliance with the provisions of the Digital Personal Data Protection Act.

The provisions contained in the Bill will help in safeguarding the sensitive KYC information of the policyholder. Any sharing of information will be only with the express consent of the policyholder; otherwise, it will not be possible. The aim is to create insurance data repositories which will help insurance companies to underwrite policies better and to prevent insurance frauds.

These will be similar to credit information companies, the much-maligned ones which are now also getting corrected, like CIBIL in the banking sector. But this will be run more efficiently. Without explicit permission, no data

will be collected. I think I have addressed most of the concerns raised by N. K. Premachandran ji.

Sir, again, there is a concern about insurance agents. There are 14 lakh insurance agents in this country, and their livelihood needs to be protected. I want to highlight, that the Government values the service of all insurance agents. We value them; we respect them; and, therefore, we will do only that which is going to help them. We also recognise their role in taking insurance products to the last mile. That is why, I want to thank the hon. Prime Minister for giving me a suggestion which we implemented in right earnest, with a view to initiating and bringing in this initiative of LIC called 'Beema Sakhi'.

This is one of the most appreciated schemes which has benefited women. The hon. Prime Minister launched it in December, 2024, under which close to two lakh women have been trained and deployed as agents. They can increase insurance coverage and take insurance products to every household, especially to cover women who are often left out of the protection net that insurance schemes can offer. So, on the issue of in surance agents, we are with you; we appreciate your concern; and we value them as well.

Sir, the Government also recognises the role of LIC. We have heard many Members speak, and rightly so, about the huge role of LIC in development, and the need to protect it. Of course, we want to protect it.

(2025/GM/IND)

We want to increase its reach. The Government recognizes the role of the LIC and it is through this Bill that we are trying to empower the LIC. That is why I explained that zonal offices do not need to wait for the Government to give them permission. They can go ahead. We are giving a lot of professional liberty to the LIC and this will actually mean the LIC will have greater autonomy in its operations and capabilities.

As for clause 71, I think I have already explained it. There was this question which is a very important point. I want to highlight this. An hon. Member expressed certain misgivings about the proposed amendments. Let me clarify that this is an existing section. There is no attempt to dilute the said provision in Clause 71 section 116. On the contrary, the proposed amendment brings in greater transparency. Therefore, the apprehensions of the hon. Member are unfounded.

I would like to draw the attention of the hon. Members to section 116 of the current Act where there is no requirement for the Central Government to place notifications granting such an exemption before the Parliament. As the law prevails today, there is no need for me to come and lay any details to the Parliament under section 116. But what this proposed amendment is actually doing is that it is inserting a sub-section 2 to section 116 where any such order passed by the Central Government shall be laid before each House of the Parliament. That is the insertion we are making. This is a mission to bring more transparency and I hope that the hon. Member will appreciate that the proposed amendment for making the Executive more accountable to the Legislature. That is what we are doing now by introducing the section.

Sir, I come to my last two points. It was one of the hon. Members' observations that States were not consulted on the draft amendments. The draft amendments were shared with all States and Union Territories in a letter dated 26.11.2024, that is one year ago. We had given that for their comments and suggestions. States were consulted. Extensive stakeholders' consultations other than the States were also held with insurers, regulators, industry bodies, and public through the website of the Department of Financial Services. So, it will not be correct to say that we have not held stakeholder consultations.

Sir, I have mentioned about the money which was infused to make the companies profitable and that has given them a lot of market reach. There was a concern that public sector is weakening; private companies are coming to capture the market. No Sir, we have constantly supported our own companies. I told about Rs.17,450 crore which have been infused into these institutions. Today, they are all turning around and making profits.

With this, I hope I have addressed all the concerns and questions raised by the hon. Members and I appeal to you that we pass this Bill.

(ends)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि बीमा अधिनियम, 1938, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 1 से 3 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, in clause 3, there are three amendments. That is along with the hospitalization. This may also be added because it includes all the expenses for treatment, both as in-patients and out-patients, including modern medicine and AYUSH. For the time being, AYUSH is not covered under this hospitalization. So, this may also be covered so that the customers may be benefitted. That amendment may be accepted. It is a harmless amendment.

माननीय अध्यक्ष : क्या आप संशोधन संख्या 1 से 3 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move:

Page 2, line 41,-

after "hospitalisation"

insert "or the expense for treatment both as inpatient and outpatient including modern and AYUSH". (1)

Page 3, line 4,-

after "hospitalisation"

insert "or the expense for treatment both as inpatient and outpatient including modern medicine and AYUSH".(2)

Page 4, line 1,-

after "agents"

insert "or insurance agents of all categories". (3)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 से 3 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

(2030/HDK/KDS)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 4

माननीय अध्यक्ष : डॉ.टी. सुमति जी, क्या आप संशोधन संख्या 19 प्रस्तुत करना चाहती हैं?

DR. T. SUMATHY *ALIAS* THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Sir, I am not moving the amendment.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I am moving the Amendment. Insurance intermediary includes … (*Interruptions*)

Sir, I beg to move:

Page 5, line 25,-

for "shall not apply"

substitute "shall apply" (4)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 5 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 4 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

<u>खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

खंड 6

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 5 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, along with financial condition, qualification or experience in the insurance sector may also be a … (*Interruptions*) I am moving the amendment.

Sir, I beg to move:

Page 5, line 43,-

after "financial condition"

insert ",experience in the insurance sector".(5)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 6 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 5 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

<u>संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 6 विधेयक का अंग बने।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

<u>खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

खंड 7

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 6 से 8 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): The FDI limit may be brought down to 49 per cent. That is my amendment.

I beg to move:

Page 6, line 19,-

for "may extend upto one hundred*per cent*"

substitute "shall be limited upto forty nine *per cent*" (6)

Page 6, lines 23 and 24,-

for "may extend upto one hundred*per cent*"

substitute "shall be limited upto forty nine *per cent*" (7)

Page 6, line 24,-

for "insurance sector"

substitute "public sector insurance". (8)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 7 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 6 से 8 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : एडवोकेट चन्द्र शेखर जी, क्या आप संशोधन संख्या 11 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

ADV. CHANDRA SHEKHAR (NAGINA): Sir, I am moving the amendment.

Sir, I beg to move:

Page 6, line 19,-

for "one hundred"

substitute "seventy-six" (11)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं एडवोकेट चन्द्र शेखर जी द्वारा खंड 7 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 11 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : श्री बेनी बेहनन - उपस्थित नहीं।

डॉ.टी. सुमति जी, क्या आप संशोधन संख्या 20 और 21 प्रस्तुत करना चाहती हैं?

DR. T. SUMATHY *ALIAS* THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Sir, I am moving the amendment:

Sir, I beg to move:

Page 6, line 19,-

for	"may extend upto one hundred *per cent*"
substitute	", subject to prior approval of Parliament by a resolution and mandatory consultation with State Governments,". (20)

Page 6, *after* line 21,-

insert	"Provided that no foreign investor shall exercise controlling interest in matters affecting policyholder protection, pricing of health insurance products, or social sector obligations.". (21)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं डॉ. टी. सुमति जी द्वारा खंड 7 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 20 और 21 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 7 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 8

माननीय अध्यक्ष : एडवोकेट चन्द्र शेखर जी, क्या आप संशोधन संख्या 13 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

ADV. CHANDRA SHEKHAR (NAGINA): Sir,

Sir, I beg to move:

Page 6, line 33,-

for	"one thousand crore,"
substitute	"ten thousand crore". (13)

सर, एक हजार करोड़ रुपये वालों को मौका दिया जा रहा है। मेरी मांग है कि इसको 10 हजार करोड़ रुपये किया जाए।

माननीय अध्यक्ष : आप 10 हजार करोड़ रुपये का क्या करेंगे?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं एडवोकेट चन्द्र शेखर जी द्वारा खंड 8 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 13 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 8 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 9 से 14 विधेयक में जोड़ दिए गए।

(2035/CS/PS)

खंड 15

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 9 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, before rejecting the claim of settlement, a reasonable opportunity of being heard be provided to the claimant.

I beg to move:

Page 8, line 22, -

after "date of rejection"

insert "with evidence that reasonable opportunity of being heard has been given to the claimant before rejection of claim". (9)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 15 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 9 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 15 विधेयक का अंग बने।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

<u>खंड 15 विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

<u>खंड 16 से 19 विधेयक में जोड़ दिए गए।</u>

खंड 20

माननीय अध्यक्ष : डॉ. टी.सुमति जी, क्या आप संशोधन संख्या 22 प्रस्तुत करना चाहती हैं?

DR. T. SUMATHY *ALIAS* THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Sir, I beg to move:

Page 11, line 12, -

after "social sector,"

insert "including State-specific social security, public health insurance schemes and rural insurance programmes,". (22)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं डॉ. टी. सुमति जी द्वारा खंड 20 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 22 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

<u>संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 20 विधेयक का अंग बने।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

<u>खंड 20 विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

<u>खंड 21 से 43 विधेयक में जोड़ दिए गए।</u>

खंड 44

माननीय अध्यक्ष : श्री के. राधाकृष्णन जी, क्या आप संशोधन संख्या 15 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI K. RADHAKRISHNAN (ALATHUR): Sir, I beg to move:

Page 16, lines 43 and 44, -

for "two hundred fifty rupees,"

substitute "fifty rupees". (15)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री के. राधाकृष्णन जी द्वारा खंड 44 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 15 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

<u>संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 44 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 44 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 45 से 67 विधेयक में जोड़ दिए गए।

—-

खंड 68

माननीय अध्यक्ष : डॉ. टी.सुमति जी, क्या आप संशोधन संख्या 23 प्रस्तुत करना चाहती हैं?

DR. T. SUMATHY *ALIAS* THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Sir, I beg to move:

Page 20, *after* line 44, -

insert "*(d)* ensuring representation of State Governments and policyholder groups while framing regulations having financial or social impact.". (23)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं डॉ. टी. सुमति जी द्वारा खंड 68 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 23 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 68 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 68 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 69 और 70 विधेयक में जोड़ दिए गए।

—-

खंड 71

माननीय अध्यक्ष : एडवोकेट चन्द्र शेखर जी, क्या आप संशोधन संख्या 16 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

एडवोकेट चन्द्र शेखर (नगीना) : सर, ये खुद तो कुछ सीखते नहीं हैं और अगर कोई सीख रहा है तो ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ?

सर, मैं यह कह रहा हूँ कि इस क्लॉज में यह कहा गया है कि पार्लियामेंट में छूट देने के बाद हम लोग रखेंगे। मेरी राय है कि इसे पार्लियामेंट के दोनों सदनों में रखा जाए और उसके बाद छूट दी जाए।

I beg to move:

*Page 23, line 14, -

after "Parliament"

insert "and such order shall have no effect unless each House of Parliament passes Resolution approving the order within fifteen days from the date of its laying". (16)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं एडवोकेट चन्द्र शेखर जी द्वारा खंड 71 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 16 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 71 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 71 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 72 से 95 विधेयक में जोड़ दिए गए।

—-

(2040/MNS/SNL)

खंड 1

माननीय अध्यक्ष : श्री के. राधाकृष्णन जी, क्या आप संशोधन संख्या 10 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI K. RADHAKRISHNAN (ALATHUR): Sir, I am moving my amendment. I beg to move:

Page 1, line 5 to 6,-

for "Sabka Bima Sabki Raksha (Amendment Insurance Laws) Act, 2025"

Substitute "Insurance Laws (Amendment) Act, 2025". (10)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री के. राधाकृष्णन द्वारा खंड 1 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 10 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

---

* Original in Hindi

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I rise to move:

"That the Bill be passed."

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : अभी एक बिल और चलेगा, आप उठ क्यों रहे हो?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप सब तैयार हैं?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सभा की सहमति नहीं है, तो कल चलाएंगे, लेकिन कल देर रात तक बैठना है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही कल बुधवार, दिनांक 17 दिसंबर, 2025 को प्रात: ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

2041 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 17 दिसंबर, 2025 / 26 अग्रहायण, 1947 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।